लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

13 सितम्बर, 1996 के वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण
का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	नीचे से 3	केरल में एक एम·एम·	अलेप्पी, केरल में एक एफ·एम·
18	नीचे से 4	(ख) और (घ)	(ख) और (ग)
74	नीचे से 1	(ख)	(ख) से (घ)
81	नीचे से 8	(क) से (घ)	(ख) से (घ)
89	18	श्री डा· बलि राम	डा0 बलिराम
103	नीचे से 5	श्री बो· धर्मभिक्षण	श्री बी· धर्मभिक्षम
119	नीचे से 8	श्री सईदा कोटा	श्री सिद्दय्या कोटा
124	14	(ख)	(क)
139	5	(ख) और (घ)	(ख) और (ग)
151	12	(ख)	(घ)
154	नीचे से 12	(ख)	(घ)
173	4	श्री प्रो0 अजित कुमार मेहता	प्रो0 अजित कुमार मेहता
214	18	(ग)	(क)
252	17	(ख) और (घ)	(ख) और (ग)
316	18 और 21	अल्लपी	अलेप्पी
416	1,6 और 7	राष्ट्रीय गीत	राष्ट्र गीत

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 30, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1996/22 भाद्र, 1918 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 581, 583 से 585	2–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 582, 586 से 600	25–45
अतारांकित प्रश्न संख्या 5582 से 5811	45–273
अल्प सूचना प्रश्न	274
सभा पटल पर रखे गये पत्र	274–289
राज्य सभा से संदेश	290
राज्य सभा द्वारा यथा-पारित विधेयक	291
रेल संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – **प्रस्तुत**	291
याचिका का प्रस्तुतीकरण	291
विधेयक – पुरःस्थापित	
लोकपाल विधेयक, 1996	313–314
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता	
श्री शिवराज सिंह चौहान	315
(दो) बरेली स्थित चीनी मिल को नये स्थल सैदपुर गांव बरेली, में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	315
(तीन) केरल में एक एम.एम. रेडियो स्टेशन और मैट्रो चैनल ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
श्री वी. एम. सुधीरन	316

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(चार) उड़ीसा में राउरकेला-बिमलागढ़-तलचेर रेल संपर्क लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी फ्रिडा तोपनो	317
(पांच) बिहार में बरौनी और पूर्णिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनिल कुमार यादव	317
(छः) पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर को जलपाईगुड़ी से जोड़ने के लिए टेटुलिया गलियारा खोले जाने की आवश्यकता	
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास	317
(सात) तमिलनाडु के इरोड और मोहुदन रेल फाटकों पर उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. के. पी. रामालिंगम	318
(आठ) देश के विभिन्न भागों में मछुआरा समुदाय के समूहों के उपसमूहों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	318
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक	
(नये अनुच्छेद 330क और 332क का अंतःस्थापन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	319
श्री जार्ज फर्नान्डीज	320
श्री मधुकर सर्पोतदार	325
श्री जी.एम. बनातवाला	335
श्री एच. डी. देवगौड़ा	403
श्री इमचा	345
श्री नीतीश कुमार	406
संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव	413
बेरोजगारी के संबंध में संकल्प - जारी	
श्री संतोष कुमार गंगवार	352
श्री भगवान शंकर रावत	353
श्री राम कृपाल यादव	358
डा. रमेश चन्द तोमर	361
श्री सुकदेव पासवान	363

विषय	कालम
श्री राम टहल चौधरी	365
श्री सुरेन्द्र यादव	368
श्री थावरचन्द गेहलोत	372
श्री एस. अजय कुमार	376
श्री राम नगीना मिश्र	377
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	380
श्री एस. के. कारवेंधन	384
श्री शिवराज सिंह	386
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	388
प्रो. रासा सिंह रावत	393
डा. सत्यनारायण जटिया	393
श्री संतोष कुमार गंगवार	394
श्री राजीव प्रताप रूडी	395
श्री टी.जी. वेंकटारामन	396
सभापति तालिका के बारे में घोषणा	401
राष्ट्र गीत	416

लोक सभा

शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1996/22 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, सर्व श्री टेक चंद और एफ. एच. मोहसिन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री टेक चंद वर्ष 1952-57 के दौरान पहले के संयुक्त पंजाब के अम्बाला-शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोक सभा के सदस्य थे।

पेशे से वकील, श्री टेक चंद ने अनेक पुस्तकें लिखीं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में "द लॉ ऑफ कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एंड ऑफ लेजिस्लेचर" और "द लॉ ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स" भी शामिल हैं। उन्होंने "पंजाब अधिनियम" और "बाल विवाह अवरोध अधिनियम" पर लेख भी लिखे।

वह वर्ष 1949-52 के दौरान पुस्तक मेला समिति के चेयरमैन थे।

श्री टेक चंद का निधन 16 जून, 1996 को 93 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एफ. एच. मोहसिन वर्ष 1962-84 के दौरान कर्नाटक के धारवाड़ दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वह वर्ष 1971-77 के दौरान गृह मंत्रालय में उप केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

इससे पहले वह 1956-57 के दौरान मैसूर विधान परिषद तथा 1957-62 के दौरान मैसूर विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री मोहसिन ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

एक अधिवक्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ श्री मोहसिन एक कुशल और सक्रिय सांसद भी थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया। वह आवास समिति के सभापति तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री मोहसिन ने कई देशों की यात्रा की और वह संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान और अल्जीरिया गये हमारे संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।

श्री एफ. एच. मोहसिन का निधन 3 सितंबर, 1996 को 74 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन अनुभवी सांसदों के निधन पर अत्यधिक शोक प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ है।

अब सदन में दिवंगत सदस्यों के सम्मान में थोडी देर मौन खड़े होंगे।

11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बैंक ऋणों की अदायगी न करने वाले

***581. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे उस समाचार की ओर गया है जिसमें भारी मात्रा में बैंक ऋणों की अदायगी न करने वाले चोटी के व्यापारियों/औद्योगिक घरानों का विवरण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों से इतनी भारी धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनका परिणाम क्या रहा है;

(ग) क्या इन्हीं कंपनियों को भुगतान के मामले में उनका प्रतिकूल रिकार्ड होने के बावजूद अभी भी ऋण मिल रहा है;

(घ) क्या इसके कारण ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक पात्र कंपनियों को नुकसान होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण नीति एवं ऋण वसूली नीति सहित कई नीतियां निर्धारित की हैं। बैंकों द्वारा अपनी ऋण वसूली नीतियों के अनुसार सतत आधार पर वसूली के प्रयत्न किए जाने होते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने "सामूहिक दृष्टिकोण" के अंतर्गत बैंकों को सामान्य नीतिगत निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार बैंकों को उन मामलों में किसी समूह के उधारकर्ताओं को चयनात्मक रूप से अतिरिक्त ऋण सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जहां उन्हें यह पता चला हो कि बैंक की देयराशियों का निपटान करने में समूह के प्रवर्तकों ने जानबूझकर चूक की है और सहयोग प्रदान नहीं किया है। बैंकों द्वारा पूर्वोक्त तरीके से सामूहिक दृष्टिकोण लागू करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अनुमोदन या सहमति की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) हाल ही में सरकार को इस आशय की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती कि अच्छे ऋण प्रस्ताव इस वजह से नामंजूर कर दिये गये हैं कि ऋण वापसी अदायगी के प्रतिकूल रिकार्ड वाली कंपनियों को मंजूर किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में बैंकों के द्वारा करोड़ों रुपए देश के बड़े व्यावसायिक घरानों को लोन के रूप में दिए गए जो उन्होंने वापस नहीं किए। यदि हिसाब देखा जाए तो करोड़ों रुपए इन लोगों की तरफ बकाया पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देहातों में जिन छोटे लोगों को 10 हजार, 15 हजार या 25 हजार रुपए का लोन दिया जाता है, ऋण-वसूली के लिए बैंक वाले उनके घर कुर्क करा लेते हैं, भगाकर ले जाते हैं और ऋण वसूली के लिए क्या-क्या किया जाता है, उनकी कैसी दुर्गति की जाती है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके विपरीत यदि बड़े घरानों के लोग डिफाल्टर भी हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता। उन्हें ऋण दिलाने के लिए खुद फाईनेंस मिनिस्टर के दफ्तर से, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से फाईनेन्शल इंस्टीट्यूशन्स को फोन जाता है, जिसके आधार पर करोड़ों रुपए के लोन उन्हें दे दिए जाते हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की रैस्पैक्ट करता हूं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन हमारे देश में बड़े औद्योगिक घरानों के लोग जो भी ऋण लेते हैं, उसे वापस नहीं करते। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में देश के बड़े औद्योगिक घरानों को कितना लोन दिया गया? ऋण वसूली के लिये सरकार ने 1993 में कुछ ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की है, मैं जानना चाहता हूं कि उन ट्रिब्यूनल्स ने ऋण वसूली के मामले में आज तक क्या काम किया, बड़े औद्योगिक घरानों से कितने ऋण की वसूली हुई? ऋण-वसूली की इस स्थिति को देखते हुए, जब गरीब लोगों को ऋण लेने के मामले में काफी मुसीबत होती है, जब भी वे किसी शैड्यूल्ड बैंक में जाते हैं तो उन्हें फार्म तक नहीं दिया जाता, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह सही है कि ऐसे अनेक खाते हैं जहां ऋणों का भुगतान नहीं किया गया है। इन ऋणों का भुगतान न किये जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त पूंजी कंपनियों में किसी कंपनी द्वारा कुप्रबंधन, कभी-कभी धोखाधड़ी के कारण ऋण का भुगतान नहीं किया जाता; कंपनी के खराब उत्पादन या आधुनिक प्रौद्योगिकी न अपनाने के कारण भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण यह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गयी है। लेकिन सच्चाई यही है कि बैंकों को दिये काफी अधिक धनराशि बकाया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने उस पद्धति को संशोधित किया है जिसके द्वारा वे "मुकदमा दायर खातों" के संबंध में चूककर्ताओं की एक सूची प्रकाशित करते हैं। जब भी मुकदमें दायर किये जाते हैं तब वह सूची प्रकाशित की जाती है जो आम जनता को भी उपलब्ध होती है। लेकिन अन्य मामलों में अनेक आन्तरिक मार्ग-निर्देश होते हैं।

एक मार्गनिदेश समूह दृष्टिकोण को अपनाना है जिसके तहत बैंकों का संघ एक ही प्रबंधन के नियंत्रणाधीन कंपनियों के समूह को ऋण देता है। मुकदया दायर खाते प्रकाशित किये जाते हैं और चूककर्ताओं के नाम बताये जाते हैं। मुकदमा दायर मामलों में ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए एक अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी।

1993 के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की यह वसूली की गई है। यह निर्णय लिया गया कि 10 वसूली न्यायाधिकरणों और एक ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये। मेरे पास पांच न्यायाधिकरणों की सूची है। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मामले दायर करने के बाद वसूल की गई धनराशि इस प्रकार थी:-

दिल्ली 121.96 करोड़ रुपये, बंगलौर 20.21 करोड़ रुपये, जयपुर 10.04 करोड़ रुपये और कलकत्ता 7 करोड़ रुपये।

वसूली न्याधिकरण के हाल ही में कार्य आरम्भ करने के कारण ऐसा संभव हुआ है। अप्रैल 1994 और दिसम्बर 1994 के बीच में इनकी स्थापना की गयी थी। मैं इसकी समीक्षा करूँगा कि क्या हम वसूली न्यायाधिकरणों के द्वारा वसूली की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण तंत्र के साथ-साथ चूककर्ताओं को राजी करके और उनसे खातों को नियमित करने के लिए कहकर बकाया धनराशि की वसूली कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल: माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने वसूली के बारे में जो जानकारी दी है वह अच्छी है लेकिन, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नियम कुछ ऐसे हैं जिनके अंतर्गत जो ऐसे बड़े ऋण लेते हैं, उनके नाम सार्वजनिक रूप से बताना अच्छा नहीं माना जाता है, तो क्या आप बैंक के नियमों में सुधार करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वसूली की स्थिति जानने के लिए यदि आप हर राज्य से स्टेटमेंट मंगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि छोटे गांवों में लोगों के उत्थान के लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत उन लोगों को शेड्यूल बैंकों से लोन लेने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर भी उनको लोन नहीं मिलता है। उनको ऋण प्राप्त करने में बहुत मुसीबत होती है। रिजर्व बैंक ने हर बैंक के लिए यह निश्चित किया है कि जिस एरिया से बैंक डिपाजिट कलैक्ट करते हैं उस डिपाजिट के अनुसार कुछ प्रतिशत उस एरिया में लोन के रूप में देना अनिवार्य है, लेकिन बैंक जिन एरिया से डिपाजिट कलैक्ट करते हैं उन हिस्सों में उस निश्चित अनुपात के अनुसार ऋण नहीं देते हैं, तो मंत्री महोदय उस अनुपात के अनुसार बैंकों को उस एरिया में ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे विचार से यह चूक का वह मामला नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुकदमा-दायर खातों के अधिकांश मामले वास्तव में छोटे-मोटे ऋणों से संबंधित हैं। मुझे यह विश्वास है कि स्थानीय बैंकों के कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सामान्य मुकदमों के माध्यम से धनराशि का भुगतान करने के लिए छोटे-मोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे विचार से हम बड़े समूहों, बड़ी कंपनियों और बड़े ऋण प्राप्त कर्ताओं द्वारा की गई बड़ी चूकों के बारे में बात कर रहे हैं। यह प्रश्न इससे संबंधित है। यदि कोई ऐसा विशेष क्षेत्र अथवा विशेष राज्य अथवा जिला है जहां ऐसी कोई विशेष समस्या है जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है तो कृपया उसके बारे में मुझे बताएं तथा मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए वहां के बैंकों से बात करूंगा कि वे छोटे-मोटे ऋण प्राप्त कर्ताओं को परेशान न कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह: माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तरफ तो बड़े औद्योगिक घरानों पर बैंकों का अरबों रुपया बकाया है और उनको बैंकों से ऋण भी आसानी से मिल जाते हैं तथा दूसरी तरफ किसानों के लिए या आई.आर.डी.पी. जैसी योजनाओं में, जिनमें गरीबों को ऊपर उठाने के लिए ऋण दिया जाता है, वे ऋण प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं और बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको ऋण नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बड़े उद्योगों के लिए कुल कितने प्रतिशत ऋण दिया है और कृषि क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है और जो आई.आर.डी.पी. जैसी योजनाएं हैं उनके लिए कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है और उसकी वसूली का क्या जरिया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा लिए गए ऋणों का कोई वर्गीकरण नहीं है। वास्तव में ऋणों का वर्गीकरण क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है। कुल मिलाकर, बैंक का आधा ऋण उद्योग को दिया जाता है। शेष आधा ऋण कृषि, व्यापार, निर्यात और अन्य क्षेत्रों को दिया जाता है। मोटे तौर पर ऋण इस अनुपात से वितरित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 31-3-1996 की स्थिति के अनुसार उद्योगों को कुल 1,24,992 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। कुल बैंक ऋण 2,31,697 करोड़ रुपए था, जोकि लगभग आधा है। पूर्व के वर्षों में भी यह अनुपात रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, हम बैंकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत ऋण दें तथा 40 प्रतिशत में से, 18 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को दिये जाने वाले कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में ऋण का अनुपात 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 37.75 प्रतिशत है, और इसका मैं इस सम्मानित सभा में अनेक बार उत्तर दे चुका हूं इसमें लगभग 2.25 प्रतिशत की कमी है, जिसके बारे में माननीय सदस्य यह जानते हैं कि ऐसे आर.आई.डी.एफ. के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए "नाबार्ड" के पास जमा कराना अपेक्षित है।

प्राथमिकता क्षेत्र के संबंध में 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य है तथा वहां भी 18 प्रतिशत में कुछ कमी है। किन्तु हम इस कमी

को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसाकि मैंने कहा है कि निर्यात के लिए भी बैंक ऋण देते हैं। इस प्रकार यह एक व्यापक अनुपात है जिसके जरिये ऋण का लेन-देन चलता है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न 581 के संबंध में जो पूछा, उससे स्पष्ट हुआ है कि बड़े औद्योगिक घरानों के पास ऋण बकाया भी है और बिना वसूल किये भी उनको ऋण उपलब्ध हो जाता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह ने ऋण राहत योजना चलाई थी और उसमें 10 हजार रुपये तक का ऋण गांव के किसानों का माफ किया गया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में एक रिपोर्ट ली गई थी, उस रिपोर्ट के नुक्ताचीनी के आधार पर अनेकों किसान, गरीब मजदूर पीछे जा रहे हैं। उन्होंने ऋण राहत योजना की घोषणा के कारण अभी तक भुगतान नहीं किया जिस कारण उनको अभी तक वारंट जा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये।

श्री नवल किशोर राय: मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मैं बिहार से आता हूं और बिहार के 111 प्रखंड ऐसे हैं जहां पर रिपोर्ट सही ढंग से पूर्व में नहीं पहुंचा था लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उसमें सुधार करके केन्द्र सरकार के पास और नाबार्ड के पास पहुंचाने का काम किया और 31 अक्टूबर 1989 को 10 हजार रुपये ऋण का राइट ऑफ करना था, जो कि कृषि पर दिया गया था। उसमें 111 प्रखंड ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार सुधार करके यह रिपोर्ट भेज चुकी है लेकिन उनको ऋण राहत योजना का लाभ नहीं मिला। मैं सीतामढ़ी से आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये।

श्री नवल किशोर राय: हमारे यहां भी सात प्रखंड पुपरी, सरसन, नारपुर आदि में ऋण माफ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ तो औद्योगिक घरानों के यहां ऋण बकाया है दूसरी तरफ उन्हें ऋण दिया जा रहा है। मैं आपके जरिये यह जानना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार द्वारा जो ऋण राहत योजना लागू की गयी थी, उसका लाभ बिहार को जो 111 प्रखंड बाकी हैं, उन्हें आप देना चाहते हैं या नहीं?...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसका जवाब आ जायेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूँ। किन्तु मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे मेरी कठिनाई को समझें। यह प्रश्न उन व्यापारिक और औद्योगिक घरानों को दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित है जो ऋणों का भुगतान नहीं कर रहे हैं किन्तु यदि वह कोई अलग प्रश्न करते हैं तो मैं अवश्य ही उस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में जो बकाया राशि निकली, उस राशि में से सरकार ने अब तक कितना वसूल किया? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो इंडस्ट्री को बिना सिक्योरिटी के बाद भी ऋण दिया जाता है जबकि छोटे उद्योगों को सिक्योरिटी के बाद भी ऋण प्राप्त नहीं होता। उन्हें दौड़ते-दौड़ते महीनों साल लग जाते हैं लेकिन उनको ऋण नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसके सरलीकरण के क्या उपाय है जिससे छोटे-छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग भी ऋण प्राप्त कर सकें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मोटे तौर पर वसूलियों और अनुपयोज्य आस्तियों के आंकड़े दे सकता हूं। प्रत्येक खाते की वसूली के संबंध में बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि यह धनराशि हजारों में होती है।

वर्ष 1993-94 में सरकारी बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में 3,134 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। वर्ष 1994-95 में, 4,199 करोड़ रुपये वसूल किए गए। वर्ष 1995-96 में 4,005 करोड़ रुपए वसूल किए गए। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या छोटे किसानों और छोटे-मोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण देने की कोई सरल प्रक्रिया है। जी हां, इसके लिए मार्ग निर्देश हैं। किन्तु हमारा यह अनुभव है - संसद सदस्य के रूप में मेरा तथा आपका भी - कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखायें निर्धारित समयावधि का पालन नहीं करती हैं। इसलिए, मैं आपकी इस चिन्ता से सहमत हूं कि बैंकों को मार्ग-निर्देशों का अवश्य पालन करना चाहिए। मेरे विचार से दो सप्ताह, चार सप्ताह अथवा छः सप्ताह के मार्ग-निर्देश होते हैं जिसके द्वारा उन्हें ऋण आवेदनों का हां या ना में उत्तर देना चाहिए किन्तु हमारा अनुभव इससे भिन्न है। मैं यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करूंगा कि इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जा सकता है। जो कुछ किया जा सकता है मैं करूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी यह आग्रह करूंगा कि वे भी इस संबंध में जनमत तैयार करें कि बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारी अपने कार्य को सार्वजनिक कार्य के रूप में लें तथा निर्धारित समय-सीमा का पालन करें और वे और अधिक परिश्रम तथा दक्षता के साथ कार्य करें। किन्तु मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ संभव होगा, करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इंडियन बैंक को पिछले वर्ष 1995-96 में 1,350 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इसका कारण यह है कि बैंक ने अनेक ऐसी व्यापारिक संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ऋण दिया था जिनकी विश्वसनीयता की जांच या अध्ययन नहीं किया गया था। उन्होंने ऋण नहीं लौटाया। इसकी अनुपयोज्य आस्तियां 37 प्रतिशत हैं। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इंडियन बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करने के लिए इंडियन बैंक के कार्यों की जांच का आदेश देगी जिसके कारण बैंक को 1,350 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जांच चल रही है। सरकार ने मामलों को दर्ज करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सहमति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले की जांच कर रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूर्ण जांच के निदेश दिए हैं तथा मुझे प्रारम्भिक रिपोर्ट मिल गई है। 1,336 करोड़ रुपए की राशि, जो समाप्त हुए वर्ष के संबंध में इंडियन बैंक के लाभ-हानि विवरण में दिखायी गई है, व्यवस्थागत हानि के कारण है। वर्ष 1995-96 के लिए 981 करोड़ रुपए का अत्यधिक प्रावधान किया गया है। मुझे भारतीय रिजर्व बैंक और बैकिंग विभाग के माध्यम से पूर्ण जांच कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंडियन बैंक हमारे प्रमुख बैंकों में से एक है। पहली अप्रैल, 1996 से 6 अगस्त, 1996 तक, मैंने जब अंतिम बार आंकड़े देखे थे, इंडियन बैंक ने 105 करोड़ रुए की वसूली की है तथा इसकी जमा धनराशि 681 करोड़ रुपए बढ़ गयी है। इंडियन बैंक के प्रबन्धक वर्ग ने मुझे यह आवश्वासन दिया है कि वसूलियां की जा रही हैं तथा जमा धनराशि जुटाने का अभियान चल रहा है और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष इंडियन बैंक के तुलन पत्र में पर्याप्त सुधार दर्शाया जायेगा...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: छ: सप्लीमैंट्री हो चुके हैं, यह हाउस ने एग्री किया है...

(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह: एक सवाल को 26 मिनट हो गए हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभा की भावनाओं को व्यक्त नहीं होने दिया...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: इस प्रश्न का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कर्नल राव राम सिंह: हमारी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप एक सवाल के लिए 15 मिनट टाइम फिक्स कर दें। कम से कम चार सवाल तो होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: नैक्स्ट क्वश्चन हो गया। बिलकुल ठीक है। मैं आगे बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

कृपया उन्हें बोलने दीजिए

...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: महोदय, प्रश्न का भाव यह था कि औद्योगिक घरानों और आम आदमी से वसूली का अनुपात क्या है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पायलट, मुझे खेद है, मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

श्री राजेश पायलट: माननीय मंत्री ने आंकड़े दिए हैं। हम आंकड़े जानने के इच्छुक नहीं हैं; हम अनुपात के बारे में जानने के इच्छुक हैं....**(व्यवधान)** उत्तर में कोई जवाबदेही निश्चित नहीं की गई है....**(व्यवधान)**। महोदय, यह भी अध्यक्ष पीठ का कर्तव्य है....**(व्यवधान)**

सरकारी क्षेत्र के एककों में किया गया पूंजी निवेश

[हिन्दी]

***583. श्री नवल किशोर राय:**
डा. महादीपक सिंह शाक्य:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) इस समय उपर्युक्त उपक्रमों द्वारा इस निवेश में से अर्जित किए जा रहे लाभ की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश तथा इस पर अर्जित किए जा रहे लाभ की प्रतिशतता के संबंध में भी कोई अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बीच विद्यमान भारी अन्तर के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एवं (ख) केवल 31.3.1995 तक की अवधि की लेखा परीक्षित सूचना उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त अवधि तक सरकारी उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश 1,72,438 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी उपक्रमों ने 7217 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया था। निवल लाभ 4.19% बैठता है।

(ग) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार 31.3.1995 तक गैर-सरकारी निगमों में निवल पूंजी स्टॉक 4,35,812 करोड़ रुपए का था। बहरहाल, इस पूंजी से प्राप्त निवल लाभ के प्रतिशत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) एवं (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: माननीय उपाध्य महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकारी उपक्रमों में 31.3.1995 तक 1,72,438 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है, जिससे 1994-95 तक 7217 करोड़ रुपये निवल लाभ हुआ है, लाभ कमाया गया है, जो 4.19 फीसदी लाभ के रूप में आया है। मेरी जानकारी में 90 करोड़ की आबादी में यह जो सरकारी उपक्रम हैं, इसमें निवेश की गयी 1,72,438 करोड़ राशि के बावजूद 20.41 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया है, 90 करोड़ आबादी के अंगेन्स्ट 450वां हिस्सा आबादी को ही इसमें रोजगार दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। रोजगार के लिए अभी जो लिब्रलाइजेशन आया है, इसमें ऐसी टैक्नोलॉजी आनी चाहिए, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकें। मैं आपके जरिये सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जो अपना पूंजी निवेश हुआ है, उसमें सुधार करके निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में ऐसी टैक्नोलॉजी लाने वाली है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके? यह मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, सरकारी क्षेत्र को प्रारंभ करने के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसीलिए हमें कतिपय क्षेत्रों में घाटा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, हमने पिछड़े क्षेत्रों में कुछ सरकारी क्षेत्र की इकाईयां शुरू की हैं। उनका घाटा दिखाना स्वाभविक है। यह हमारा कार्यक्रम है और यह जारी रहेगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार 31.3.1995 तक निजी क्षेत्र के निगमों में 4,35,812 करोड़ रुपये इन्वैस्ट किये गये हैं, टेलीग्राफ अखबार के आठ अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा 32 परसेंट लाभ कमाया जा रहा है। मैं आपके जरिये अपने दूसरे पूरक प्रश्न के खंड 'क' में जानना चाहता हूं कि सरकार के जो सरकारी उपक्रमों का 4.41 परसेंट जो लाभ है, उस हिसाब से ढाई गुना सरकार से ज्यादा प्रोफिट हैं। सरकार ने उत्तर में बताया है कि उनकी जो आय है, वह 32 फीसदी है, जो सरकारी उपक्रमों के लाभ से सात गुना अधिक है, इसका क्या कारण है? यह अपने दूसरे पूरक प्रश्न के खण्ड 'क' में मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इतने खंड नहीं हो पाएंगे। आपने पूछ लिया है, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री नवल किशोर राय: यह स्पष्ट कर दें निजी क्षेत्र के उपक्रमों में जो लाभ कमाया जा रहा है, उसकी जो स्थिति है, उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से सरकारी उपक्रमों में क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, यह मेरे प्रश्न का भाग 'ए' है और 'बी' में मैं जानना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय: हो गया। आप कितने खंड बनाओगे?

[अनुवाद]

क्षमा कीजिए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: भाग 'बी' में मैं जानना चाहता हूं कि 87 ऐसे उपक्रम हैं, जो अपनी पूंजी से ज्यादा घाटा उठा चुके हैं, क्या उनमें भी कुछ सुधार होने की बात है?

उपाध्यक्ष महोदय: मि. राय, एक सप्लीमेंटरी में चार सप्लीमेंटरी बनाएंगे आप?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की लाभ प्राप्त करने की दर गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में निश्चित रुप से कम है।

गैर सरकारी क्षेत्र में साढ़े तीन लाख से अधिक कम्पनियां कार्य कर रही हैं और यदि बिल्कुल सही कहा जाए तो इन कंपनियों की संख्या 3,53,292 है। लाभ कमाने की दर का पता लगाना बहुत दुष्कर कार्य है। लेकिन नमूने के तौर पर एक सर्वेक्षण किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था केन्द्र ने निगमित क्षेत्र, जिसमें गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं की लाभदायिकता का आकलन किया है। वर्ष 1994-95 के दौरान, लगाई गई पूंजी से निवल लाभ की प्रतिशतता 8.44 प्रतिशत रही। जिन 2,619 कंपनियों पर उन्होंने विचार किया है उनमें से केवल 50 इकाइयां सरकारी क्षेत्र की हैं। तुलना करने पर हमने पाया कि गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा 8.44 प्रतिशत निवल लाभ कमाया गया है। परन्तु इसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा केवल 4.47 प्रतिशत लाभ कमाया गया है। इनके बीच लगभग 4 प्रतिशत का अन्तर है। सरकारी क्षेत्र की यह समस्या है। ये लाभ नहीं कमा पाते। हमें इसे लाभ कमाने वाला बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। महादीपक सिंह शाक्य।

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): क्या संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रधान मंत्री का पद किसी और को दे दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गुजराल जी आप इस सीट पर न बैठें तो अच्छा है, माननीय सदस्य आपत्ति कर रहे हैं।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रश्न के उत्तर के खंड 'ग' की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें सरकारी उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना निवेश किया, यह बताया गया है। इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में करीब चार प्रतिशत लाभ दिखाया गया है, जोकि बहुत कम है। ये दो प्रकार के उपक्रम हैं और इनमें दो तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो यह कि इससे लोगों को रोजगार मिले और दूसरा यह कि सरकार इससे अर्थ लाभ प्राप्त करे। लेकिन लाभ का प्रतिशत बहुत कम है। क्या सरकार ने दोनों प्रकार के उपक्रमों की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था की है और क्या उन कारणों का पता लगाया है जिनके कारण यह असमानता है? इन दोनों को समानरूप में लाने के लिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या-क्या नए उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे यह अंतर मिट सके, जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी बताया था, और आपके उपक्रम लाभ में चल सकें?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र की लाभदायकता की दर गैर सरकारी क्षेत्र से निश्चित रूप से कम है। हम इसके कारण जानते हैं परन्तु हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में हैं। हमारे पास उपलब्ध आकलनों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 130 उपक्रमों ने 12,124 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है परन्तु दूसरी ओर 109 उपक्रमों को 4,907 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है जो कि एक समस्या है।

सरकारी क्षेत्र हमारी विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। लेकिन पिछले दिनों में अर्थव्यवस्था के शिखर पर पहुंचने के बजाए अब वह घाटे में चल रहे हैं तथा उनके पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकारी क्षेत्र द्वारा नहीं रखे जा सकते थे और वे वांछनीय भी नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर वे उपभोक्ता क्षेत्र में प्रवेश कर गए, सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर गए, होटल क्षेत्र में प्रवेश कर गए और यहां तक कि बेकरी में भी प्रवेश कर गए हैं।

इस दौरान हमें मजबूरन बहुत से रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। हमारे एक तिहाई घाटे का कारण घाटा उठाने वाले गैर-सरकारी उद्यमों प्रबन्ध अपने हाथ में लेना है। इसलिए हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि हम लगातार घाटा उठाने वाले उद्यमों को पुन: चालू करेंगे। इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विशेष रुप से घाटा दिखाने वाले उपक्रमों के ढांचे में इंजीनियरी में और उनके संगठनात्मक रुप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। महोदय हम अपने मंत्रालय में सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र, विशेष रुप से भारी उद्योग के पुनर्गठन के लिए एक मास्टर प्लान बना रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित की जा रही लगभग 4 प्रतिशत की कम लाभ दर का प्रमुख कारण इन उपक्रमों का वाणिज्यिक आधार न चल पाना है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप के अलावा यह सत्य है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सी.बी.आई., सतर्कता आयुक्त, महालेखा परीक्षक, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनेक एजेंसियों द्वारा संवीक्षा की जाती है। इसलिए इन सतर्कता तथा नीतिगत एजेंसियों द्वारा ऐसी गहन संवीक्षा होने के कारण उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पूर्णत: वाणिज्यिक स्तर पर चलें।**

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इरादा इन उपक्रमों को इन नीतिगत एजेंसियों के प्रभाव से मुक्त कराने का है जो कि इन उपक्रमों को वाणिज्यिक स्तर पर चलने नहीं दे रही हैं।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। मुझे बताया गया है कि पहले तथा दूसरे अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा में सरकारी क्षेत्रों से संबंधीत कभी भी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी। पंडित नेहरु के समय में उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उठाए गए प्रश्नों को अक्सर हतोत्साहित किया। एक समय ऐसा भी था। परन्तु आज हम निगरानी प्रणाली को अपना रहे हैं। पहले स्वायतत्ता दी जानी चाहिए। तत्पश्चात् जवाबदेही का अनुपालन किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। इसलिए, इन सभी समस्याओं के अध्ययन के लिए, हम एक तरह की बृहत योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है। सरकारी क्षेत्र के लिए कुल विनियोग का आंकड़ा दिया है, और निजी क्षेत्र के लिए शुद्ध पूंजी स्टाक के रूप में दिया है। लेकिन मैं इसे तुलनीय रूप में लेता हूं। यदि ऐसा है, तब सरकारी क्षेत्र के पूंजी स्टाक से निजी क्षेत्र का आंकड़ा लगभग अढाई गुना है। लेकिन मुझे लाभ के आंकड़ों और सी.एम.आई. आई. के बारे में संदेह हैं, क्योंकि निगम कर में, सरकारी क्षेत्र का अंशदान पचास प्रतिशत से भी अधिक है। जो निजी क्षेत्र के निगमित कर के छोटे भाग के अंशदान से अधिक है। यदि ऐसा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ की दर तुलनीय है। निम्न पूंजी स्टाक के द्वारा वे पचास प्रतिशत से अधिक निगमित कर प्रदान कर रहे है। यदि ऐसा है तो, आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र की तुलना में कम लाभ अर्जित कर रहे हैं। जब तक कि ऐसा न माना जाए कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में व्यापक खामियां है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वह एक विशेषज्ञ है, मैं उनके साथ विवाद नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि निजी क्षेत्र में साढ़े तीन लाख से अधिक कम्पनियां है। इसलिए सी.एम.आई.आई. का कोई भी आंकड़ा, जो मैंने दिया है, वह मात्र नमूना सर्वेक्षण है। इसलिए यह सही नहीं हो सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन, आपने यह क्यों कहा, कि निजी क्षेत्र अधिक लाभप्रद है?

श्री मुरासोली मारन : यह इसलिए कहा कि, निजी क्षेत्र अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। मैं सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर जहां सरकारी क्षेत्र के 130 उपक्रमों ने 12,124 करोड़ रु. का लाभ कमाया, वहीं सरकारी क्षेत्र के 109 उपक्रम ऐसे हैं जिनको 4907 करोड़ रुपये घाटा है। वे हमें और कमजोर बना रहे हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छे और बुरे हैं। हमें अच्छे उपक्रमों की सुरक्षा एवं विकास करना है। हमें घाटे में चलने वाले इन उद्यमों का सुधार करना है और इन्हें कार्यकुशल और स्वस्थकर बनाने का तरीका खोज निकालना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस संदर्भ में, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री संतोष मोहन देव : साधारणतया, जब संसद का सत्र, चल रहा हो, तब किसी महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय की घोषणा बाहर नहीं की जाती है। लेकिन आज, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि माननीय वित्त मंत्री ने सरकार के कतिपय विचार व्यक्त किए थे, जिनकी मैंने प्रशंसा की और समर्थन किया है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को तीन में विभाजित करने का निर्णय किया। नामतः सामरिक, प्रमुख तथा गैर-प्रमुख। फिर उन्होंने कहा कि वे 51 प्रतिशत तक विनिवेश करना चाहेंगे। सामरिक क्षेत्रों में कोई विनिवेश नहीं हैं, लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों में इसे करना चाहेंगे। इससे पहले मुझे मेरे पास मेरे मंत्रालय के अधीन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ काम करने का अवसर मिला था।

अब वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संसाधनों से ही अपनी देख-रेख करनी है क्योंकि उनके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी। ये भी ठीक है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन उद्योग मंत्री महोदय, आपके बाएं ओर जो सज्जन बैठे हैं, वह जानते हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान यह प्रस्ताव था – श्री चिदम्बरम ने इस विशेष अवधि में हमारे साथ भागीदार की थी – कि विनिवेश धन का एक भाग, उन संबंधितों को आधुनिकीकरण, दरजा बढ़ाने और रख-रखाव को जाना चाहिए। जैसा कि आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, हानि का कारण मात्र कुप्रबंधन ही नहीं है, बल्कि इसका कारण संसाधनों का अभाव है। उनमें से कुछ जिनकों मामूली हानि हुई है, उन्हें लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन वे क्रमशः नीचे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई बजटीय सहायता नहीं है। आप सभी उद्योगों से आशा नहीं कर सकते कि वे हमेशा लाभ अर्जित करें। सभी मंत्रिगण अच्छा कार्य नहीं करते हैं; उनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे है।

उपाध्यक्ष महोदय : संतोष जी, कृपया प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है?

श्री संतोष मोहन देव : इस बात को देखते हुए, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

विनिवेश के बाद, जो कि दिया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो सही कार्य कर रहे हैं, और सही कार्य कर सकते हैं, के लिए कुछ सहायता देने के बारे में आपकी क्या नीति है? उनका लाभ अर्जन अधिक होगा और वे सही स्थिति में होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आप यह समझते हैं, तब तो ठीक है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : श्री संतोष, क्या आप समर्थन करना चाहेंगे, या नहीं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री उत्तर देने वाले हैं। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह प्रमुख सामरिक आदि का विभेद इतना पुराना है जितना कि 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि ये सभी प्रमुख, गैर-प्रमुख और सामरिक क्षेत्र द्वितीय औद्योगिक नीति संकल्प और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ हुए हैं। माननीय सदस्य ने संभवतया न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का अध्ययन नहीं किया है। मैं उद्धरण देता हूँ:

> "गैर प्रमुख और गैर सामरिक क्षेत्रों से सार्वजनिक क्षेत्र को अलग करने संबंधी प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी बशर्ते कि श्रमिकों और कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा या पुन:प्रशिक्षण और पुन:विन्यास के लिए वैकल्पिक अवसर सुनिश्चित किए जाएं।"

इसलिए वह हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में है। एक योजना है, एक नीतिगत निर्णय है और मंत्रि परिषद का निर्णय है कि इन क्षेत्रों में 49 प्रतिशत तक विनिवेश किया जाएं। 49 प्रतिशत का यह अर्थ नहीं हैं कि वे उनके प्रबंधन में परिवर्तन कर रहे हैं। स्वामित्व एक अलग बात है और प्रबंध दूसरी बात। वह एक अलग प्रश्न है।

वह जानना चाहते हैं, कि विनिवेश के धन का हम क्या करने जा रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे एकदम स्पष्ट किया है, इसका प्रयोग सामरिक क्षेत्रों में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा में होगा। हम एक निवेश कोश सर्जित करेंगे, जिसमें से धनराशि का प्रयोग विकोष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचलनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

[हिन्दी]

कपड़ा उद्योग का विकास

***584. श्री दादा बाबू राव परांजपे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वास्तविकता के बावजूद कि कपास का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, इस समय कपास पर आधारित कपड़ा उद्योग को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कराण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यह सही नहीं है कि कपास आधारित वस्त्र उद्योग कोई वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है। यह नीचे दर्शाए गए अनुसार वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डों द्वारा पिछले चार वर्ष के लिए कपास के खपत पैटर्न से स्पष्ट है। मिल उद्योग की वास्तविक खपत वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 10.72 प्रतिशत तक बढ़ी है।

लाख गांठ में
प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.

वर्ष	वस्त्र मिल उद्योग की खपत	लघु कताई मिलों की खपत	योग	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि
1992-93	112.81	4.2	117.01	-
1993-94	114.00	5.00	119.00	1.7 प्र.श.
1994-95	119.37	6.17	125.54	5.49 प्र.श.
1995-96 (अनन्तिम)	132.50	6.50	139.00	10.72 प्र.श.

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वस्त्र उद्योग को किसी

आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े वस्त्र उद्योग हैंडलूम और पावरलूम हैं इनका विचार इन्होंने उत्तर देने के समय नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके उत्तर में वस्त्र उद्योग में हैंडलूम और पावरलूम का जो उल्लेख है तो ये आंकड़े मात्र बड़े वस्त्र उद्योगों के हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय, संभवतः माननीय सदस्य 1,507 मिलों में से 179 मिलों के बंद हो जाने से उत्तेजित हैं। जहां तक हस्तकरघा का संबंध है, वित्त की कमी नहीं है। उसके बावजूद, मैं 'नाबार्ड' के अध्यक्ष से पहले ही कह चुका हूं और वह इस वर्ष के दौरान 1,000 करोड़ रु. तक ऋण देने पर राजी हो गए हैं ताकि दस्तकारी, करघों तथा हस्तकरघों का आधुनिकीरकरण किया जा सके और उनके लिए कार्य चालन पूंजी उपलब्ध हो सके। जहां तक इन मिलों का संबंध है, वे 179 मिलें बंद हैं। निजी क्षेत्र में वर्ष 1994-95 के दौरान 2,100 करोड़ रु. का तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 3,400 करोड़ रु. का नया निवेश किया गया। इससे साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र में वित्त की कोई भारी कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): उपाध्यक्ष जी, यह सर्वमान्य बात है कि वस्त्र उद्योग में लगने वाली कपास का भारत में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है। इस देश की आवश्यकता इतनी नहीं है जितना कि उत्पादन हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस कपास को विदेश में भेजने की क्या योजना है तथा कितनी कपास इस वर्ष बाहर भेजी गयी है और कितनी विदेशी मुद्रा उससे प्राप्त हुई है?

[अनुवाद]

श्री आर. एल. जालप्पा : इस वर्ष के दौरान, हमने आठ लाख गाठों का निर्यात किया है। यद्यपि हमने उन्हें 12 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दी थी फिर भी वे केवल आठ लाख गांठों का ही निर्यात कर सके। इस वर्ष हम अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं। न तो यार्न (धागा) पर और न ही कपास के निर्यात पर कोई सीमा नहीं होगी।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। कपास उद्योग, विशेषरूप से हमारे देश का पारम्परिक उद्योग, सबसे पुराना उद्योग है। कपास उद्योग से जुड़े लोग विशेषतः ग्रामीण इलाके के लोग हैं। इस उद्योग में कामगार वर्ग शामिल है। एन.टी.सी. की कपड़ा मिलों को खासतौर पर पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 179 मिलों को पहले ही बन्द कर दिया है और बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बे समय से काफी मामले लम्बित पड़े हैं, हालांकि बी.आई.एफ.आर. ने सरकार से पैकेजज् (कार्यक्रम) भेजने के लिए कहा है। उद्योग को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? यह पहला सवाल है।

दूसरा सवाल यह है कि कपड़ा कामगारों और पटसन उत्पादकों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। यह बहुत गंभीर समस्या है। हजारों कामगार उद्योग में जा रहे हैं और उद्योग के लिए काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें उचित समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। क्या आप इस सदन को आश्वासन देंगे कि सरकार बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पैकेज को प्रायोजित करेगी और इस कपास उद्योग को बचाएगी? सरकार को एन.टी.सी. कामगारों की वेतन राशि जारी करनी चाहिए।

ये मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री आर. एल. जालप्पा : जहां तक एन.टी.सी. मिलों का संबंध है, हालत बहुत खराब है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एन.टी.सी. की प्रदत्त पूंजी 512 करोड़ रु. है और एन. टी. सी. की सकल हानि 4,678 करोड़ रु. की है। यह मेरे शासन काल में नहीं हुआ है। यह संचयन पिछले कई वर्षों में हुआ है।

तमिलनाडु की सहायक कंपनी को छोड़कर अन्य सहायक कंपनियां बी.आई.एफ.आर. के समक्ष पड़ी हैं। 2005 करोड़ रु. की 'टर्न-एराउन्ड' योजना बनाई गई थी। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा और अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की तो मुझे पता चला कि 52 से 55 मिलों को पुनः चालू नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने अपने आदमियों को प्रत्येक मिल में स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है और उनसे कहा है कि मुझे इस संबंध में ब्यौरे दें। पन्द्रह दिनों अथवा एक महीने के भीतर हम कैबिनेट के समक्ष एक अंतिम समाधान के लिए जाएंगे। जहां तक वेतन का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य निधि के हिस्से को छोड़कर उन्हें वेतन दिया जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें समुचित ढंग से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

श्री आर. एल. जालप्पा : अब हम उन्हें भुगतान कर रहे हैं। हो सकता है कि यह देर से मिला हो। गत वर्ष के दौरान हमने उन्हें वेतन के भुगतान के रूप में 265 करोड़ रु. खर्च किए थे। इस वर्ष हम उन्हें वेतन देने के लिए 300 करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं। पन्द्रह दिन अथवा एक महीने की देरी हो सकती है। विलम्ब होता है, इससे मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन जब वे लगभग 4600 करोड़ रु. की हानि उठा रहे हैं...**(व्यवधान)** एक मिनट कृपया उन्हें मेरी बात सुनने दीजिए। जब वे 4678 करोड़ रु. तक का नुकसान उठा रहे हैं तो उन्हें समय पर वेतन देना

आसान नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत समय लगभग पन्द्रह दिन अथवा एक महीने लग सकता है। अन्यथा हम उन्हें वेतन का भुगतान कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया वेतन की राशि समुचित समय पर जारी कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ा दुख होता है जब हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि कपड़ा उद्योग वित्तीय संकट में नहीं है। यह सत्य से परे बात हो रही है।

कपड़ा मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मंत्री जी ने जवाब में बताया है। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं क्योंकि इनका उत्तर समाधारकारक नहीं है। आज संपूर्ण कपड़ा उद्योग बंद हो रहा है लेकिन जो वित्तीय संकट की बात होगी, वह भी गलत है। इनकी ही रिपोर्ट में कहा है कि मिल्स का प्रोडक्सन 1990-91 में 2589 स्क्वैयर मीटर से घटकर 942 स्क्वैयर मीटर हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यह जो वित्तीय संकट मिलों में है और प्रोडक्शन भी घट रहा है, क्या इसका एक कारण यह है कि कोटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो कपास सप्लाई की जाती है, इनके दाम और किसानों को दिये जाने वाले दाम में काफी फर्क रहता है? दूसरी बात यह है कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कपास सप्लाई किया जाता है, क्या इसकी क्वालिटी घटिया होने से भी प्रोडक्शन पर कोई असर होता है? इसमें वजन की भी कमी होती है। क्या ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यह जो संकट आ रहा है क्या इसमें यह भी एक कारण है?

[अनुवाद]

श्री आर. एल. जालप्पा : 1993-94 में कपड़ा का उत्पादन 17,790 मिलियन वर्ग मीटर था। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि 1994-95 में यह घटकर 17,019 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। वर्ष 1995-96 में यह फिर से बढ़कर 18,415 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। पिछले वर्ष यह बढ़ गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप मिल्स का बताइए। आप देखिए कि प्रोडक्शन कम हो गया है। मेरे पास कागज है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे सकती हूँ।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : वर्ष 1995-96 के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु जैसे आपने ठीक बताया कि वर्ष 1994-95 में, उत्पादन में गिरावट आई। वर्ष 1995-96 के आंकड़े मैं आपको भेज दूँगा। वर्ष 1996-97 के आंकड़े भी मैं आपको भेज सकता हूँ। सी.सी.आई के खरीद के बारे में, वह खरीद कर रहे हैं। उसका प्रतिवर्ष का टर्न ओवर 800 से 900 करोड़ के बीच है। वे बाजार में आ रहे हैं और वे जितना अधिक से अधिक संभव है निर्यात भी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। जो कपास मिलों को सप्लाई किया जाता है, वह घटिया किस्म का होता है। यह भी एक कारण है।

[अनुवाद]

श्री आर. एल. जालप्पा : मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

डा. असीम बाला : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में छोटे और सीमान्त हथकरघा बुनकर की काफी संख्या है और अनेक छोटे परिवार सहकारी हथकरघा बुनकर व्यापार में लगे हैं। उनके पास सूती धागे की बहुत कमी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सहायता प्राप्त दरों पर सहकारिताओं और छोटे बुनकरों को यह धागा उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री आर. एल. जालप्पा : हथकरघा को पिछले दो वर्षों के दौरान हैंक धागे पर राज सहायता उपलब्ध करवाने की स्कीम चल रही थी परन्तु गत वर्ष यह स्कीम बन्द कर दी गई थी। यदि कीमतें बढ़ गई और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार कम कीमतों पर इसे उपलब्ध करवाने पर विचार करेगी। चाहे यह कीमतें बहुत कम न हो, परन्तु हम इसे उचित दर पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछली बार दी गई सूचना के अनुसार मुम्बई, गुजरात, कानपुर, कलकत्ता और अन्य स्थानों की कपास मिलों के लगभग 55,000 से 60,000 हथकरघा बुनकरों के पास काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पर्याप्त कपास उपलबध है और पर्याप्त काम है तो इन मिलों के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं है? क्या पहले बुनकरों को खाली रखना और फिर उन्हें निकाल देना ही सरकार की नीति है? अथवा, विकल्प के रूप में, क्या सरकार इन मिलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चलाना चाहती है? मुझे लगता है कि कपड़ा मिलों को रूग्ण बनाना ही सरकार की नीति है। जो व्यक्ति इन उद्योगों को चला रहे हैं वही मूलतः इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर्याप्त काम होते हुए भी कर्मकारों को यह काम दिया नहीं जाता। इन सभी कपड़ा मिलों की वर्तमान हालत के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे?

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय माननीय सदस्य का कथन 50 प्रतिशत सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका तात्पर्य यह है वह 50 प्रतिशत तक गलत है।

श्री आर. एल. जालप्पा : वह गलत नहीं कह रहे। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि 50 प्रतिशत सही नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं। कुछ मिलें कार्य चालन पूंजी उपलब्ध न होने के कारण बन्द हैं। कुछ मिलें 120 से 130 वर्ष पुरानी हैं। हम जिन मिलों का नवीकरण या आधुनिकीकरण नहीं कर सकते उन्हें बन्द करना पड़ेगा। सरकार उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति देने पर भी विचार कर रही है। इस योजना पर एक महीने के भीतर मंत्रिमंडल स्तर पर विचार किया जाएगा।

निर्यातकों को ऋण सुविधाएं

***585. श्री भक्त + चरण दास :**
श्री के. सी. कोंडय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों के लिए बन्दरगाहों, विद्युत, संचार और परिवहन सुविधाओं तथा आवश्यक रियायती निर्यात ऋण संबंधी सुविधाओं जैसी विद्यमान मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने का है ताकि निर्यात में संवर्द्धन हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात संवर्धन हेतु मूलभूत सुविधा संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार निर्यात संबंधी आधारभूत सुविधाओं के सतत उन्नयन कार्य में संलग्न है। इस प्रयोजन हेतु वाणिज्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, विभागों और अभिकरणों के साथ मिलकर समन्वयन में काम करता है। 'एयर कार्गो' (वायु मार्ग से माल का आवागमन) और 'सी बोर्न कार्गो' (समुद्री मार्ग से माल का आवागमन), के संबंध में निर्यात संवर्द्धन संबंधी स्थायी समितियां (स्कोप) मंत्रालय में कार्यरत हैं। इनसे निर्यात के परिवहन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और आधारभूत सुविधाओं को दीर्घकालिक रुप से मजबूती प्रदान करने के लिए परामर्श लेने में सहायता मिलती है। जल भूतल परिवहन मंत्रालय पत्तन की आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन कार्य कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं (आई सी डी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सी एफ एस) की स्थापना की जा रही है ताकि माल के कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन (पात्र में भरकर माल लाना ले जाना) और 'इन्टरमाडल कन्वेयन्स' को सुविधाजनक बनाया जा सके। इन आई सी डी और सी एफ एस की स्थापना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति एकल खिड़की सुविधा को मंजूरी प्रदान करती है। एयर कार्गो की अबाधित निकासी की अनुमति देने के लिए एक 'ओपन स्काई' नीति अपनायी गयी है। पतनों, विमानपत्तनों पर आधारभूत सुविधायें मुहैया कराने, राजमार्गों का उन्नयन करने और आई सी डी/सी एफ एस, गोदामों इत्यादि की स्थापना करने में निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जा रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक रुपए में और विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण जुटाने की व्यवस्था करता है और उस पर निगरानी रखता है। लागू योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) विदेशी मुद्रा में पोत लदान-पूर्व निर्यात ऋण (पी सी एफ सी)

(दो) रुपए में पोत लदान-पूर्व निर्यात ऋण

(तीन) रुपए में पोत लदानोत्तर निर्यात ऋण

(चार) एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउन्टिंग (ई.बी.आर.)

श्री भक्त चरण दास : महोदय, हमारे देश में कच्चे माल और खनिजों का प्रचुर भण्डार है। हम अधिकतम सीमा तक निर्यात कर सकते हैं। परन्तु दु:ख की बात है कि हम निर्यात के लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार नहीं कर पाते हैं। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए क्या विशिष्ट उपाय कर रही है। मैं विशेषकर से यह जानना चाहता हूं कि सरकार पारदीप, गोपालपुर और विजाग बन्दरगाहों का विकास करने के लिए कितना धन व्यय कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प-सूचना सं. 3 श्री अशोक प्रधान माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक गंभीर मामला उठाना है।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर नहीं आया है, तो हम क्या करें। मैम्बर की गैर-हाजिरी में मिनिस्टर रिप्लाई नहीं कर सकता...(**व्यवधान**)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति दर

*582. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सामान्य बजट की घोषणा के बाद सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में तथा मुद्रास्फीति की दर में सतत बढ़ोतरी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति सप्ताह कितनी वृद्धि हो रही है तथा वर्ष 1994-95 और 1995-96 की इसी अवधि में दर्ज की गई मुद्रास्फीति की दर क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) दिनांक 22.7.1996 को आम बजट को प्रस्तुत करने के अवसर पर, थोक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक गतिविधि पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5.2 प्रतिशत (अनन्तिम) थी। तब से यह 24.8.1996 को समाप्त होने वाले सप्ताह, जहां तक अद्यतन मूल्य आंकड़ें उपलब्ध हैं, के लिए बढ़कर 5.7 प्रतिशत अनन्तिम हो गयी।

आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में बजट प्रस्तुत करने के दिन मुद्रास्फीति दर 4.6 प्रतिशत थी जो अब 24.8.1996 को बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई है।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी.पी.आई. (आई. डब्ल्यू) श्रम मंत्रालय द्वारा साप्ताहिक आधार की बजाय मासिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। जून-जुलाई 1996-97 के महीनों में जिस के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, सी.पी.आई. (आई. डब्ल्यू) में वृद्धि की वार्षिक दर पहले दो वर्षों में तदनुरूपी महीनों के साथ नीचे दर्शायी गई है:

सी.पी.आई. (आई. डब्ल्यू) में वार्षिक वृद्धि (बिन्दु-दर-बिन्दु)

	1994-95	1995-96	1996-97
जून	10.8	10.5	8.8
जुलाई	11.1	11.4	8.3

लघु निवेशकों के लिए बैंककारी सुविधाएं

*586. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों से विशेषकर लघु निवेशकों के प्रति अपनी सेवाओं में सुधार लाने का आग्रह किया गया है ताकि उनको बचत करने और देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बैंकों को जारी किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुनियादी निवेश वित्त पोषण के संबंध में भी अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) लघु निवशकों सहित सभी श्रेणियों के ग्राहकों को उन्नत सेवाएं प्रदान करने के महत्व के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समय-समय पर अवगत कराया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में सितम्बर, 1990 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने कई सिफारिशें कीं, जिनमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं:-

(1) सुविधाओं में वृद्धि करके ग्राहक सेवा में सुधार लाना।

(2) विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं खोलना।

(3) कतिपय लेनदेनों में विलम्ब के लिए ग्राहकों की क्षतिपूर्ति करना।

(4) कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी और ग्राहकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाना।

(5) प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का तकनीकी उन्नयन एवं समीक्षा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पहले ही यह परामर्श दिया है कि वे समिति की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित करें। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इन सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अधिकतर बैंकों में अधिकांश सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

(ग) बुनियादी वित्तपोषण के बारे में समय-समय पर कई सुझाव दिए गए हैं और इन पर डा. राकेश मोहन समिति (बुनियादी विकास के वित्तपोषण में पूंजी बाजार की भूमिका पर रिपोर्ट) द्वारा विस्तार से विचार किया गया है।

(घ) बुनियादी वित्तपोषण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बुनियादी विकास वित्त कम्पनी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात हेतु नीति

*587. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त नीति के अंतर्गत निर्यात सूची में शामिल किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क), (ख) और (ग) निर्यात को प्रोत्साहन देने और देश के लिए विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने के लिए निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 सभी निर्यातकों को उसमें दी गई निर्यात संवर्धन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए समान अवसर प्रदान करती है। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यात एवं आयात नीति के पैरा 139 के अनुसार निर्यात घराने, व्यापार घराने, स्टार व्यापार घराने तथा सुपर स्टार व्यापार घराने की हैसियत प्राप्त करने की पात्रता का दावा करने के लिए लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के एन एफ ई या एफ ओ बी मूल्य पर डबल वेटेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों (हथकरघा द्वारा विनिर्मित रेशम उत्पादों सहित), हस्तनिर्मित कालीन, रेशम निर्मित कालीनों पर एफ ओ बी पर डबल वेटेज और ऐसे उत्पादों के निर्यात से अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा पर तिहरा वेटेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग, हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हस्तशिल्प से बने रेशम उत्पादों सहित), हस्तनिर्मित, रेशम निर्मित कालीन एवं खेल सामान के निर्यातकों को 1% अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस भी अनुमत किया जाता है बशर्ते कि उनके कुल उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात इन उत्पादों का रहा हो। ऐसे छोटे निर्यातकों के लिए एक अन्य प्रावधान भी किया गया है जो कि निर्यात घराने/व्यापार घराने/स्टार व्यापर घराने/सुपर स्टार व्यापार घराने नहीं हैं, वे विशेष आयात लाइसेंस के लाभों का दावा करने के पात्र हो सकते हैं यदि उनका औसत सीधा निर्यात व्यापार गत तीन वर्षों में 2 करोड़ रुपए अथवा गत वर्ष में 5 करोड़ रुपए रहा हो। ऐसे निर्यातकों के लिए 1.4.1996 को अथवा उसके बाद किए गए सीधे निर्यात की एफ ओ बी मूल्य के लिए 4 प्रतिशत की दर से विशेष आयात लाइसेंस का लाभ उपलब्ध कराया गया है जो कि अधिकतर लघु उद्योग क्षेत्र से होंगे।

[अनुवाद]

कपड़ा मशीनों का उत्पादन

*588. **श्री तारीक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपड़ा मशीनों के उत्पादन संबंधी उद्योग को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मलीमठ समिति की सिफारिशें

*589. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलीमठ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मलीमठ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं;

(घ) कौन-कौन सी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं; और

(ङ) उनको कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप): (क) मलिमथ समिति (बकाया मामला समिति के नाम से ज्ञात) की रिपोर्ट सितंबर, 1990 में सरकार को प्राप्त हुई थी।

(ख) मलिमथ समिति की सिफारिशों को निम्नलिखित प्रकार से प्रवर्गीकृत किया जा सकता है:-

(1) विधायी अधिनियमितियों में परिवर्तन, जैसे कि उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता को समाप्त करना, अपीलों में कमी लाना, सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना, आदि;

(2) न्यायपालिका में प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी उपांतरणों को राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावी बनाना। ऐसी सिफारिशें जिनमें न्यायालयों में समय-पालन से संसक्ति, मामलों को उनके शीघ्र निपटारे के लिए, समूहबद्ध और वर्गीकरण करना, लंबी बहसों से बचना, आदि सम्मिलित हैं;

(3) न्यायालयों का आधुनिकीकरण और स्वचालन, न्यायाधीशों के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में उपबंध करना, जिससे कि उन्हें मामलों के शीघ्र निपटारा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके;

(4) विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों के विकल्प के रूप में अधिकरणों/आयोगों जैसे विशेषज्ञीय निकायों का गठन करना।

(ग) से (ङ) मलिमथ समिति की सिफारिशों को सभी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। कुछ सिफारिशों को अर्थात् जो जिला न्यायालयों की वित्तयी अधिकारिता को बढ़ाने, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम को आरंभ करने, विधायी प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करने, न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना करने, आदि से संबंधित हैं, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया चुका है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके स्थानान्तरण, न्यायाधीशों की पदसंख्या के पुनर्विलोकन, आदि की नीति से संबंधित सिफारिशों पर, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की प्रधानता होती है, अक्तूबर, 1993 के 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ के अधिमत के पश्चात् बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार अब विनियमित कर दिया गया है, पर अब किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मलिमथ समिति द्वारा दिए गए सुझावों का पुनर्विलोकन करने के लिए अक्तूबर, 1992 में बंगलौर में विधि मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिससे कि न्यायालयों में लंबित मामलों को कम किया जा सके। विधि मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए विनिश्चय के अनुसार, न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बकाया मामला समिति की सिफारशों के कार्यान्वयन के लिए उपायों को सुझाने के लिए राज्य के विधि मंत्रियों के 3 कार्य समूहों का गठन किया गया था। राज्य के विधि मंत्रियों के इन कार्य समूहों की सिफारिशों पर, 4 दिसंबर, 1993 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में उसके द्वारा अंगीकृत संकल्प में न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिशें की गई, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तत्पश्चात्, ग्रामीण मुकदमेबाजी, प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों और अनुकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में उपर्युक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कार्य समूहों की बैठक हुई। दिसम्बर, 1993 के संकल्प के कार्यान्वयन और कार्य समूहों द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों ने नवम्बर, 1994 में कलकत्ता में तथा नवम्बर, 1995 में हैदराबाद में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया था। अधिवेशन में अंगीकृत संकल्पों को सभी संबद्ध प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

औद्योगिक लाईसेंसों की सूची

***590. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाईसेंसीकरण सूची में काट-छांट करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित औद्योगिक लाईसेंसीकरण सूची में, यदि किन्हीं नए मदों को शामिल किए जाने की संभावना है, तो वे कौन-कौन से हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) इस समय, अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत 15 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची है। अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत रखे गये मदों की सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, किसी और उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आयात शुल्क

***591. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़, वनस्पति तेल और कोप्रालैक्टम पर आयात शुल्क में कमी किये जाने के कारण केरल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार सीमा शुल्कों के प्रभाव को लगातार मॉनीटर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों और उपभोक्ताओं

दोनों के ही हितों को ध्यान में रख कर शुल्क दरों का ध्यानपूर्वक अंशांकन करती है।

[हिन्दी]

बकाया आयकर

***592. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे औद्योगिक घरानों की संख्या क्या है जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक की आयकर/उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है;

(ख) उक्त धनराशि को वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार औद्योगिक घरानों की कोई सूची नहीं बनाती है क्योंकि दिनांक 27-9-91 से प्रभावी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, (एम. आर. टी. पी. अधिनियम 1969) की धारा 26 के विलोपन के परिणामस्वरुप औद्योगिकी घरानों को स्वयं को पंजीकृत करवाना अपेक्षित नहीं है । औद्योगिक घरानावार सूचना भी तैयार नहीं की जाती है । अत: ऐसे औद्योगिक घरानों की संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी ऐसी अग्रणी 20 ईकायीं के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिकतम राशि बकाया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उन निगम समूहों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं जिन पर एक करोड़ रुपए से अधिक की आय-कर मांग बकाया है।

(ख) कर-बकाया के संचित होने के मुख्य कारण, न्यायालयों और अधिकरणों समक्ष अभियोजन और उनके द्वारा दिए गए स्थगन आदेश है। जहां तक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध करनिर्धारिती द्वारा दिए गए भुगतानों का सत्यापन लम्बित होने के कारण कर की राशि बकाया है और की गई मांग भुगतान/वसूली के लिए देय नहीं बनी।

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विधि के अन्तर्गत परिकल्पित आवश्यक प्रशासनिक व कानून उपाय करने के लिए निदेश दिया गया है। शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेश हटाने के लिए सम्बन्धित न्यायालयों से भी अनुरोध किया गया है।

विवरण-1

उन बीस कम्पनियों/ईकाइयों के नाम जिन पर दिनांक 1.7.1996 को अधिकतम उत्पादन शुल्क बकाया है

क्रम. सं.	कम्पनी/ईकाई का नाम
1.	मैसर्स आई.टी.सी. लि.
2.	मैसर्स जी.टी.सी. इण्डस्ट्रीज लि.
3.	मैसर्स आई.पी.सी.एल.
4.	मैसर्स बोकारो स्टील संयत्र (सेल)
5.	मैसर्स भिलाई स्टील संयंत्र (सेल)
6.	मैसर्स मारूति उद्योग लि.।
7.	मैसर्स बर्नस स्टेंडर्ड एण्ड कम्पनी।
8.	मैसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स।
9.	मैसर्स एशिया टोबेको कं.।
10.	मैसर्स नोसिल।
11.	मैसर्स टेलको पिम्परी।
12.	मैसर्स किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि.।
13.	मैसर्स न्यू टोबेगो कं.।
14.	मैसर्स भारत सीट्स लि.।
15.	मैसर्स कानपुर सिगरेट लिं.।
16.	मैसर्स डी.एल. डब्ल्यू वाराणसी।
17.	मैसर्स नरिलायेवल सिगरेट एण्ड टोबेको इण्ड. प्रा.लि.।
18.	मैसर्स आई.टी.सी.।
19.	मैसर्स एच.एफ.सी.लि. बरोनी।
20.	मैसर्स गुडइयर इण्डिया लि.।

विवरण-2

निगम समूहों के नाम जिनके नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक की आयकर मांग बकाया है

क्रम सं.	निगम समूह का नाम
1.	टाटा
2.	आदित्य विक्रम बिड़ला ग्रुप
3.	रिलायंस

क्रम सं.	निगम समूह का नाम
4.	थापर
5.	जे.के. सिंघानिया
6.	लारसन एण्ड टुबरो
7.	मफतलाल
8.	एम.ए. चिदम्बरम
9.	हिन्दुस्तान लिवर
10.	यूनाइटिड ब्यूरीज
11.	टी.वी.एस. असंगर
12.	आई.टी.सी.
13.	श्रीराम
14.	ए.सी.सी.
15.	इसार
16.	आर.पी. गोयनका
17.	अरविन्द लाल भाई

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लिमिटेड की धनराशि पर रोक लगाना

***593. श्री टी. गोपाल कृष्ण:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू एस एडामंट आफ फ्रीजिंग एम एम टी सी फंड्स टू लीबिया कंपनी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने लीबिया से खरीदी जाने वाली यूरिया के भुगतान के लिए भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. की 2.5 मिलियन डालर की राशि पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राशि को जारी कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) एम एम टी सी ने इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से 13,000 मीट्रिक टन यूरिया खरीदने के लिए लीबिया नेशनल ऑयल कंपनी के पक्ष में 2.5 मिलियन यू एस डालर का साख पत्र जारी किया था। यूरिया अप्रैल, 1996 में प्राप्त हुआ था। इस साख पत्र की पुष्टि यूनियन बैंक, स्वीट्जरलैंड ने की थी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने यह भुगतान लीबिया सेज़ मैनहैटन बैंक, न्यूयार्क के माध्यम से किया था जिसने खाता बंद कर दिया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक ने उपर्युक्त धनराशि लीबिया की नेशनल ऑयल कंपनी को जारी करने के मामला विदेश मंत्रालय के माध्यम से उठाया है।

इस सौदेबाजी में एम एम टी सी की कोई और दांवेदारी की भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विशेष संघटक योजना

***594. श्री मनोज कुमार सिन्हा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनी विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चयन के मानदंड क्या हैं; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत चयन किए गए राज्यवार जिले कौन-कौन से हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) विशेष रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिलों का चयन उनका पिछड़ापन, मजदूरी का स्तर और जिले में खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिए अन्य आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 71 जिलों की सूची

(1) आन्ध्र प्रदेश

1. कुरनूल
2. अदिलाबाद
3. महबूब नगर
4. प्रकासम
5. करीमनगर

6. पश्चिम गोदावरी

7. श्रीकाकुलम

(2) अरूणाचल प्रदेश

8. चांगलांग

(3) असम

9. नैरिगांव

10. लखिमपुर

(4) बिहार

11. सहरसा

12. गोड्डा

13. मधुबनी

14. गया

(5) गुजरात

15. बनासकण्ठा

16. पंचमहल

17. कच्छ

(6) हिमाचल प्रदेश

18. चम्बा

19. कुल्लु और मण्डी

(7) हरियाणा

20. रिवाड़ी-अम्बाला

(8) जम्मू एवं कश्मीर

21. अनंतनाग

22. जम्मू

(9) कर्नाटक

23. कोलार

24. रायचूर

25. धाड़वाड़

26. चित्रदुर्ग

(10) केरल

27. अलेप्पी

28. पथनमथिट्ठा

29. थ्रिसूर

30. कोजीकोड-वियानाड़

(11) मध्य प्रदेश

31. सरगुजा

32. भिण्ड

33. गुना

34. रायपुर

35. झबुआ-धाड़

36. बेतुल

(12) महाराष्ट्र

37. चन्दरपुर

38. यवतमल

39. रायगढ़-रत्नागिरी

40. बीड

41. नादेढ़

(13) मणिपुर

42. इम्फाल

(14) मेघालय

43. ईस्ट गेरो हिल्स
वेस्ट गेरो हिल्स
साउथ गेरो हिल्स

(15) मिजोरम

44. लुंगलाई तथा
आइजोल

(16) नागालैण्ड

45. दीमापुर
और कोहिमा

(17) उड़ीसा

46. कालाहाण्डी

47. फूलबानी कोरापुट

48. धेंकानल केन्द्रापाडा

(18) पंजाब

49. होशियारपुर

(19) राजस्थान

50. दौसा

51. टोंक

52. उदयपुर

53. जयपुर

(20) त्रिपुरा

54. त्रिपुरा (वेस्ट)

(21) तमिलनाडु

55. रामनाथपुरम

56. तिरूनलवेली

57. धर्मपुरी

58. नार्थ आरकोट

59. साउथ आरकोट

(22) उत्तर प्रदेश

60. माऊ-बलिया

61. अल्मोड़ा
और पिथोरागढ़

62. चमोली
और उत्तरकाशी

63. मथुरा

64. शाहजहांपुर

65. झांसी

66. जौनपुर

23) पश्चिम बंगाल

67. बीरभूम

68. नार्थ 24 परगना और
साउथ 24 परगना

69. मालदा

70. नादिया

24) सिक्किम

71. सिक्किम

[अनुवाद]

हल्दी का निर्यात

*595. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बाजार में हल्दी के मामले में भारत का एकाधिकार है तथा हल्दी का वार्षिक निर्यात इसके कुल उत्पादन का लगभग 5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इतना कम प्रतिशत निर्यात के क्या कारण हैं; और

(ग) हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, 1994-95 में उत्पादन 6.60 लाख मीटरी टन हुआ था। हमारे निर्यात 27000-28000 मीटरी टन हैं, जो कुल घरेलू उत्पादन का 4-5 प्रतिशत बैठता है।

(ख) हल्दी खाद्य और खाद्य भिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त होने के कारण देश में हल्दी की घरेलू मांग बहुत अधिक है। तथापि, विश्व की कुल मांग के 70% अधिक की आपूर्ति भारत से पूरी का जाती है।

(ग) हल्दी सहित मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं- विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, निर्यातकों के साथ सम्पर्क करने के लिए विदेशों से क्रेताओं को आमंत्रित करना, व्यापार मेलों में भाग लेना, प्रसंस्करण सुविधाओं में गुणवत्ता, निवेश हेतु रखरखाव सहायता को मान्यता देते हुए लोगो/मसाला गृह प्रमाण-पत्र देना, प्रयोगशालाओं, तकनालाजी अन्तरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पादन विकास सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

कुवैत में निवेश

*596. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत-सी भारतीय कम्पनियों ने कुवैत में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय निवेशकों द्वारा कुल कितना निवेश किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों को कुवैत में अपनी इकाईयां स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) कुवैत में दो भारतीय कम्पनियों को विद्युत, लवणरहित बनाने का संयंत्र, डिसैलीवेशन प्लांट तथा दूर संचार के क्षेत्र में अपने एकक स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन दोनों एककों के लिए स्वीकृत कुल इक्विटी पूंजी निवेश 179.52 लाख रु. के बराबर है। कुवैत में पूंजी निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों का कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

मसाला बोर्ड के माध्यम से निर्यातकों को सहायता

***597. श्री पंकज चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या उच्च तकनीकी के अभाव में मसालों की गुणवत्ता घटी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मसाला प्रसंस्करण उद्योगपतियों को नई प्रौद्योगिकी स्थापित करने हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) मसाला बोर्ड निर्यातकों के लाभ हेतु वित्तीय सहायता से कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें शामिल हैं:-

(1) तकनॉलाजी अन्तरण और प्रक्रिया उन्नयन के लिए सहायता अनुदान देना;

(2) विदेशों में मसाला नमूना भेजने के लिए हवाई भाड़ा/कोरियर व्यय की प्रतिपूर्ति करना;

(3) विवर्णिका छपवाने के लिए सहायता अनुदान देना;

(4) स्वीकृत ब्रान्ड के उपभोक्ता पैक मसालों के निर्यातकों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करना जिससे मसालों के ब्रांडशुदा उपभोक्ता पैक के बारे में विदेशी बाजार में ब्रांड छवि बनाई जा सके;

(5) निर्यात उद्देश्य से विकसित किए गये उपभोक्ता पैक के लिए सहायता अनुदान देना;

(6) गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाएं स्थापित/उन्नयन करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना;

(7) कीटनाशक अवशेष की मानीटरिंग के लिए उपकरण खरीदने हेतु सहायता अनुदान देना;

(8) आई.एस.ओ. 9000 प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान देना;

(9) मुख्य मसाला उत्पादन केन्द्रों पर भण्डारण सुविधाएं निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करना;

(10) पावर जनरेटर खरीदने के लिए मसालों के निर्माताओं/निर्यातकों के लिए योजना;

(11) मसाला गृह प्रमाण-पत्र/लोगो प्रदत्त निर्यातकों द्वारा वैकल्पिक पावर जनरेटिंग प्रणाली की स्थापना के लिए योजना;

(12) लोगो पैक में मसालों के निर्यात के लिए पैकिंग लागत के एक भाग की प्रतिपूर्ति करना।

(ग) जी, नहीं। इसके विपरीत मसालों, खासतौर पर मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि होने से गुणवत्ता में समग्र सुधार होने का संकेत मिलता है।

(घ) और (ङ) प्राद्योगिकीय और गुणवत्ता उन्नयन के लिए क्रियान्वित योजनाएं इस प्रकार हैं:-

(1) बोर्ड मसाला तैयार करने वाली इकाइयों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि बाजार की मांग और उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप नया उत्पाद विकसित हो सके।

(2) निर्यातकों को अपनी परीक्षण और विश्लेषण सुविधाओं से युक्त करने के लिए, बोर्ड वित्तीय सहायता के रूप में निम्नानुसार सहायता अनुदान दे रहा है:-

(1) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में आधारभूत परीक्षण और विश्लेषण सुविधाओं की खरीद करना;

(2) कीटनाशक अवशेष का विश्लेषण के लिए उपकरण की खरीद करना;

(3) मसाला निर्यातकों को वित्तीय सहायता से अपनी इकाइयों के लिए आई एस ओ 9000 प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(4) अच्छे किस्म के मसालों के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले निर्यातकों को गुणवत्ता प्रमाण के रूप में भारतीय मसाला लोगो प्रदान करना।

(5) सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और भण्डारण पैकिंग सुविधायुक्त निर्यातकों/प्रसंस्करणर्ताओं को अच्छे गुणवत्ता वाले मसालों के उत्पादन के प्रमाणस्वरुप मसाला गृह प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

पटसन उत्पादों का विविधीकरण

***598. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन उत्पादों के विविधीकरण के लिए हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई स्थिति पत्र (स्टेटस पेपर) तैयार किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के कार्यचालन संबंधी सभी पहलुओं विशेष रूप से कच्चे पटसन के विपणन और भारतीय पटसन निगम की भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) और (ख) वर्ष 1992 में सरकार ने यू.एन.डी.पी. की वित्तीय सहायता से पटसन क्षेत्र के लिए पांच वर्षीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के समान योगदान के अनुरुप यू.एन.डी.पी. से 23 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में सुधार लाने की योजनाओं को क्रियान्वित करके पटसन कृषकों के कल्याणकारी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकी का विकास करके पटसन क्षेत्र के विविधीकरण को सुकर बनाना, पटसन आधारित मदों के विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, वस्त्र संबंधित तथा गैर वस्त्र के दोनों क्षेत्रों में विविधीकृत उत्पाद कार्यक्रम को पूरा करने के लिए घरेलू मशीन विनिर्माण क्षेत्र के विकास कार्य में सहायता देना तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास प्रयासों को सुदृढ़ बनाना है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संस्थान नई प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद विकास और विनिर्माण प्रक्रियाओं, नई विपणन नीतियों तथा अनुसंधान व विकास संबंधी क्रियाकलापों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 20 परियोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रगति के विभिन्न चरणों में है। कुछ सतत परियोजनाएं हैं: कागज के उत्पादन, पटसन का प्रयोग, पटनस आधारित सूई छेदित कालीन, फ्लोर कवरिंग, कंबलों तथा नीट वियर के लिए संघर्षण कताई प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा ऊन, पटसन तथा अन्य फाइबरों के बहुसंघटक विकास, मानव संसाधन विकास आदि।

(ग) जी, नहीं। यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कोई स्थिति पत्र (स्टेटस पेपर) तैयार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां

***599. कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्थापित करने हेतु विदेशी कंपनियों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड हेतु मार्गनिर्देश तैयार किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार द्वारा विद्यमान विदेशी निवेश नीति, क्षेत्रीय नीतियों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों, विभिन्न क्षेत्रों के लिये निवेश तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता तथा विचारार्थ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के गुणावगुण

के अनुसार विदेशी कंपनियों की शत-प्रतिशत भारतीय सहयोगी कंपनियों के लिए अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

*600. **श्री आर.एल.पी. वर्मा:**
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितने युवाओं को ऋण स्वीकृत किये गये हैं;

(ग) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के वितरण में बैंकों द्वारा औसतन कितना समय लगाया जाता है;

(घ) क्या बैंक जांच-पड़ताल के नाम पर भी अधिक समय लेता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित समय में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ऋण वितरित करने का है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर, 1993 को आरंभ की गयी थी। 1993-94 में 40,000 युवकों को, और तदुपरांत शेष 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष में 2,20,000 युवकों की सहायता की जानी थी। 1995-96 के दौरान उससे पहले के 2 वर्षो के बकाया को भी पूरा करने हेतु 2,60,000 का अपेक्षाकृत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चालू हो जाने पर प्रत्येक उद्यम से औसतन दो व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान था। वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक स्वीकृत किये गये मामलों की संख्या 5,27,125 है। वर्ष 1996-97 के लिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृत मामलों की संख्या 15,204 तक पहुंच चुकी हैं।

(ख) जिन युवकों को ऋण स्वीकृत किये गये है उनकी राज्यवार संख्या अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) कार्यदलों द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाता है और तत्पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र ये मामलें बैंकों को संस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंकों को स्वीकृत करके अथवा अन्यथा 25,000 रुपये तक के ऋण के आवेदनों का एक पखवाड़े के अंदर तथा 25,000 रुपये से अधिक के आवेदनों को 8-9 सप्ताहों के भीतर जांच करके निपटारा करना होता है। स्वीकृति के पश्चात आवेदक को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे राशि जारी करने से पहले बैंक की औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)	वर्ष 1996-97 के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (संख्या)
1.	2.	3.	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश	55825	2722 ×
2.	असम	17074	42 ×
3.	बिहार	31500	39 ×
4.	दिल्ली	6528	235
5.	गोवा	862	90 ×
6.	गुजरात	16424	2013 ×
7.	हरियाणा	14724	781 ×
8.	हिमाचल प्रदेश	5085	324 ×
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4682	119
10.	कर्नाटक	32678	263 ×
11.	केरल	26853	487 ×
12.	मध्य प्रदेश	56398	688 ×
13.	महाराष्ट्र	71793	1240 ×

1.	2.	3.	4.	
14.	मणिपुर	3545	–	
15.	मिजोरम	498	–	
16.	उड़ीसा	14631	3	×
17.	पंजाब	21949	333	×
18.	राजस्थान	19196	374	×
19.	तमिलनाडु	36617	1672	×
20.	त्रिपुरा	2178	27	×
21.	उत्तर प्रदेश	64379	2442	×
22.	पश्चिम बंगाल	18837	1240	×
23.	अंडमान और निकोबार	194	14	×
24.	अरुणाचल प्रदेश	594	–	
25.	चंडीगढ़	417	–	
26.	दादरा और नगर हवेली	390	2	×
27.	दमन और दीव	208	7	
28.	नागालैण्ड	586	–	
29.	लक्षद्वीप	45		
30.	मेघालय	1019		
31.	पांडिचेरी	1151	47	×
32.	सिक्किम	244		
	योग	527125	15204	

× जुलाई, 1996 के अंत तक। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आंकड़ें पहले के महीनों के लिए हैं।

[अनुवाद]

कपास निर्यात घोटाला

5582. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्त्तन निदेशालय ने हाल ही में करोड़ों रुपये के कपास निर्यात घोटाले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और व्यापारियों के गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस गिरोह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने और भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिये क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रवर्त्तन निदेशालय ने आरोपित कपास निर्यात के बीजक में अधिक मूल्य दिखाने के बारे में जांच-पड़ताल आरम्भ की है। विधि द्वारा यथा मान्य कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार द्वारा अपनी प्रवर्त्तन ऐजेंसियों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब कभी किसी उल्लंघन का पता चलता है तो विधि के अन्तर्गत परिकल्पित कार्रवाई की जाती है।

तुतीकोरिन बन्दरगाह

5583. **श्री डी.एस.ए. शिव प्रकाशम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) भारत में मुक्त बंदरगाह स्थापित करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए स्थापित की गई परामर्शदात्री समिति ने मुक्त बंदरगाह स्थापित करने के लिए उपयुक्त अवस्थिति के रुप में गोवा की सिफारिश की है। समिति ने पूर्वी तट पर दूसरी मुक्त बंदरगाह के लिए उपयुक्त अवस्थिति के रुप में तूतीकोरिन का भी सुझाव दिया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा निर्यात

5584. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विदेशी कंपनियों ने देश के उद्योग और व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के अंतर्गत प्रति वर्ष स्थापित की गई ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश से किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो देश से निर्यात में उक्त वृद्धि में इन कंपनियों ने किस हद तक योगदान किया है और क्या देश को इन कंपनियों के देश में प्रवेश के परिणामस्वरुप लाभ हुआ है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) लाभ स्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इन कंपनियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजी गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (छ) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1993-94 में 1540 मामले अनुमोदित किए गए। 1994-95 में 1997 मामले अनुमोदित किए गए और 1995-96 में 2398 मामले अनुमोदित किए गए। उपरोक्त में से विदेशी सहयोग अनुमोदन के लिए केवल 63 मामले ही निर्यात दायित्व से संबंधित हैं। तथापि, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए परियोजनाओं द्वारा लिए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, निर्यात निष्पादन रिपोर्ट अभी तक पार्टियों से प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए अनिवासी हित वाली भारतीय कंपनियों द्वारा भिजवाए गए लाभ/लाभांश के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये हजारों में)

1993-94	48,88,680
1994-95	18,35,941

[अनुवाद]

रक्षित कोयला शोधनशाला

5585. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट उद्योग को रक्षित कोयला शोधशाला लगाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो कोयला आधारित सीमेंट निर्माण इकाइयों द्वारा कितनी कोयला शोधनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां से कोयला शोधनशालाएं स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि. (सी.एम.पी.डी.आई.) के जरिये उद्योग मंत्रालय द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए कोयला धोवनशालाओं के बारे में की गई तकनीकी आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट में पांच कोयला धोवनशालाओं - सास्ती (पश्चिम कोलफील्ड्स लि.) दिपिका (दक्षिण पूर्वी कोल-फील्ड्स लि.), बिना (उत्तरी पूर्वी कोलफील्ड्स लि.), उड़िमिरि (केंद्रीय कोल फील्ड्स लि.), और भुवनेश्वरी) महानदी कोलफील्ड्स लि.), की स्थापना करने की सिफारिश की गई है।

सीमेंट विनिर्माता संघ द्वारा मध्य प्रदेश के बिलासपुर समूह में सीमेंट संयंत्रों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए दीपिका में एक धोवनशाला की स्थापना के लिए निर्मित-स्वसंचालन (बिल्ड-ऑन-ऑपरेट) ठेकेदार के साथ बातचीत की जा रही है। पश्चिमी कोलफील्ड्स लि./कोल इंडिया लि. द्वारा निर्मित-स्वसंचालन आधार पर सास्ती, महाराष्ट्र में एक और कोयला धोवनशाला की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है। इस समय, शेष तीन-तीन कोयला धोवनशालाओं की स्थापना के लिए सीमेंट उद्योग से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लंबित मामले

5586. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम":
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कोयला नियंत्रक, कलकत्ता के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए कितने मामले लंबित हैं;

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उन फैसलों की संख्या कितनी है जिन्हें कोयला नियंत्रक, कलकत्ता ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसलों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) न्यायाधिकरण के फैसलों को कार्यान्वित नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) इन मामलों को समझौते द्वारा सुलझाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) कोयला नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कोयला नियंत्रक के विरुद्ध दायर चार मामले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के पास लंबित पड़े हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता का कोई निर्णय कोयला नियंत्रक द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु लंबित नहीं पड़ा है।

(ग), (घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

5587. श्री गिरधारी यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 25 शीर्ष व्यापारिक घरानों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान तथा जून, 1996 तक अर्जित की गई परिसम्पत्तियों, व्यापार तथा लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन औद्योगिक घरानों में से किन्हीं के द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) बड़े औद्योगिक घरानों को अब केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकरण कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा इसलिए बड़े औद्योगिक घरानों/एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्तियों की सूची तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ को केंद्रीय रुप से नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) 1.4.95 से 30.6.96 के दौरान दायर किए गए 7358 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 60 बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु थे।

[अनुवाद]

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का पुनर्गठन

5588. श्री संदीपान थोरॉत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिकारी संघ ने सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) के पुनर्गठन के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर क्षेत्र-वार कितनी रिक्तियां हैं और चालू वर्ष के दौरान कितनी रिक्तियां होने की संभावना है;

(घ) क्या बोर्ड स्तर की रिक्तियां पिछले एक से दो वर्षों और दो से अधिक वर्षों से भरी नहीं गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एवं (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपलब्ध सूचनानुसार 1-7-1996 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विविध उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के अर्थात मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों के 109 पद रिक्त थे। इन रिक्तियों का अनुसूची-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

अनुसूची "क"	-	07
अनुसूची "ख"	-	52
अनुसूची "ग"	-	38
अनुसूची "घ"	-	11

चालू वर्ष के दौरान 24 और रिक्तियां होने की संभावना है।

(घ) जी, हां। उपर्युक्त पदों में से कुछ पद 1 वर्ष और 2 वर्षों से अधिक अवधि से रिक्त पड़े हैं।

(ङ) निदेशक मण्डल स्तर की रिक्तियां एक विहित प्रक्रिया के जरिए भरी जाती हैं, जिसके तहत सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा चयन तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति की जाती है। कुछ मामलों में सभी पूर्वपिक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में ज्यादा समय लग जाता है।

संयुक्त उद्यमों के लिए अवसर

5589. श्री सौम्य रंजन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी साझीदारी की नीति को शिथिल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी साझेदारी के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश नीति जैसा कि उल्लिखित है, की लगातार समीक्षा होती रहती है ताकि इसको अधिक गतिशील बनाया जा सके और अवस्थापन सहित विशेषतया प्रार्थमिकता प्राप्त/

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में वृद्धि करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

भारत को एम.एफ.एन. का दर्जा

5590. श्री येल्लैया नंदी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन देशों ने अब तक भारत को एम.एफ.एन. का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) किन देशों के साथ इस प्रकार का एम.एफ.एन. का दर्जा प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बात-चीत चल रही है; और

(ग) जिन देशों ने अब तक भारत को एम.एफ.एन. का दर्जा प्रदान किया है उनके साथ भारत द्वारा व्यापार में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जैसा कि शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सभी सदस्य देश एक दूसरे को परममित्र राष्ट्र (एम. एफ. एन.) का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 26 जुलाई, 1996 को 123 देश डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य हैं।

इसके साथ-साथ गैर-डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश जो द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत भारत से आयात को एम एफ एन का दर्जा देते हैं, वे हैं-अफगानिस्तान, अर्मेनिया, बेलारुस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इस्टोनिया, जार्जिया, आइवरी कोस्ट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लाईबेरिया, लिथुआनिया, माल्दोवा, ओमान, यमन गणराज्य, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उजबेकिस्तान हैं।

डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देशों में पाकिस्तान भारत से आयात को एम एफ एन का दर्जा नहीं देता है। इस मामले को राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तौर पर उठाया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भारत का निर्यात 1994-95 के 82,674 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर 106,465 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1995-96 के दौरान भारत का आयात 1994-95 के 89,971 करोड़ रुपये की तुलना में 121,647 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 1995-96 के दौरान भारत को एम एफ एन का दर्जा देने वाले देशों को किया गया भारत का निर्यात, देश के सम्पूर्ण निर्यात से 90% से अधिक रहा।

औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां

5591. श्री हाराधन राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शीर्ष बीस औद्योगिक घरानों की, उनकी वर्तमान कुल परिसम्पत्तियों के अनुसार, स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आयकर विभाग या कम्पनी कार्य विभाग द्वारा औद्योगिक घरानों के कोई आंकड़े उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों से ऋण की वसूली

5592. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में राज्य-वार, विशेषरुप से राजस्थान के संदर्भ में, बैंक ऋणों की वसूली के बारे में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों, विशेषरुप से राजस्थान के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में बैंक ऋणों की वसूली के संबंध में राज्यवार ब्यौरे नहीं होते हैं और वे इन क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के राज्यवार ब्यौरे भी नहीं रखते हैं। तथापि, सितम्बर 1994 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, बड़े और मझौले उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम के प्रतिशत के रूप में अतिदेयों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्षेत्र	बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अतिदेय
बड़े और मझौले उद्योग	15.76
कृषि	24.95

पिछले तीन वर्षो के जून में समाप्त होने वाली तिमाही के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

	जून के अन्तिम शुक्रवार के अनुसार स्थिति		
	1993	1994	1995
1. कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप			
मंजूर किए गए अग्रिम	526	702	1185
बकाया राशि	312	414	672
2. औद्योगिक क्षेत्र			
मंजूर किए गए अग्रिम	41557	53079	62247
बकाया राशि	29060	28973	37473

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने हेतु कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:-

(1) प्राथमिकता क्षेत्र के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अन्दर, कुल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि के लिए निश्चित किया गया है। सरकारी क्षेत्र के वे बैंक, जिन्होंने दिसम्बर, 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत के कृषि क्षेत्र को उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, से ग्रामीण मूलभूत विकास निधि में उप-लक्ष्य प्राप्त करने में आई कमी के बराबर योगदान करने की अपेक्षा की जाती है बशर्ते कि वह उनके निवल बैंक ऋण का अधिकतम 1.5 प्रतिशत हो;

(2) प्रत्येक जिले के लिए फसल ऋणों के वित्तपोषण के पैमाने का निर्धारण और बैंकों द्वारा समान रुप से उनका अनुपालन;

(3) 25,000/- रुपए तक के ऋण आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े में और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के अन्दर करना;

(4) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उच्च तकनीक कृषि ऋणों के निपटान के लिए प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक विशेष कृषि वित्त शाखा स्थापित करना;

(5) अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले किसानों के लिए कृषि ऋण कार्ड प्रारम्भ करना जिससे कि वे प्रत्येक मौसम में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बिना ही बैंकों से उत्पादन ऋण प्राप्त कर सकें; और

(6) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूर करने की उपयुक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिससे कि कमजोर वर्गों से आए अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूरी मिल सके।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की माफी

5593. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा चीनी मिलों को ऋण के रुप में कुल कितनी धनराशि दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन चीनी मिलों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1995 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों का चीनी-उद्योग का बकाया सकल बैंक ऋण 3007 करोड़ रुपए था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

5594. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा मंजूर की गई या प्रायोजित की गई परियोजनाओं के लिए आई.डी.बी.आई/आई.सी.आई.सी.आई./आई.एफ.सी.आई. तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई धनराशि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) और भारीतय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा मंजूर की गई अथवा उनके माध्यम से पायोजित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

सोनपुर बाजारी परियोजना

5595. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोनपुर बाजारी ओपन कास्ट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह परियोजना अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.) की सोनपुर बाजारी ओपनकास्ट परियोजना में भूमि का वास्तविक रुप

में कब्जा लेने में विलंब होने के कारण लगभग 6 वर्ष की अवधि का प्रारंभिक विलंब हुआ तथा जुलाई, 1985 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। भूमि पर कब्जे के बाद परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य संतोषजनक रूप में प्रगति पर है और जनवरी, 1995 में सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमानों के अनुसार परियोजना के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पूंजी बाजार

5596. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने में अनिच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की दया प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) द्वारा किए गए निवल निवेश निम्नानुसार रहे हैं:

वर्ष	मिलियन डालर
1993-94	1634.1
1994-95	1528.3
1995-96	2035.7
1996-97 (अप्रैल-जून 96)	1078.6

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवल निवेशों में हर वर्ष वृद्धि होती रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कालीनों पर "शुल्क वापसी योजना"

5597. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीन निर्यात संवर्द्धन परिषद ने जुलाई 1996 में अपने मंत्रालय से कालीनों तथा अन्य फ्लोरिंग पर शुल्क वापसी योजना लागू करने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) और (ख) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (का.नि.संवं.परि.) ने 3.7.96 को वाणिज्य मंत्री को एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कालीनों व दूसरे फर्श आवरकों के लिए सभी उद्योगों के लिए शुल्क वापसी की दरों के ऊर्ध्वगामी परिशोधन की मांग की गयी थी।

(ग) वित्त मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के दिनांक 2.8.96 की अधिसूचना संख्या 40/96-कस्टमस (एन.टी.) के तहत् 25.3.95 से कालीनों और अन्य फर्श आवरकों के लिए शुल्क वापसी की दरें एफ ओ बी मूल्य के 5.5 प्रतिशत से बढ़ा कर एफ ओ बी मूल्य का 7 प्रतिशत कर दी गई है।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा पुनर्वित्त पोषण की सुविधाएं

5598. श्री तरित वरण तोपदार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कुटीर लघु और ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु पुनर्वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नाबार्ड द्वारा पश्चिम बंगाल को इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), अपनी कृषीतर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कुटीर, अत्यंत लघु और ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल में गत तीन वर्षो के दौरान द्वारा दी गईं पुनर्वित्त सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपए)

वर्ष	कृषितर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत प्रदत्त पुनर्वित्त की राशि	कुटीर/अत्यन्त लघु ग्रामीण उद्योग के लिए उपलब्ध कराई गई राशि
1993-94	965	753
1994-95	1371	921
1995-96	1379	751

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

5599. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से होने वाले ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर कोई नियंत्रण लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले ऊनी वस्त्रों के निर्यात के लिए हुए मूल समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) तथा (ख) भारत-अमरीकी वस्त्र करार तथा ऊरुग्वे दौर के वस्त्र और क्लोदिंग करार के उपबन्धों के अन्तर्गत अमरीकी सरकार ने वर्ष 1995 में भारत से 434 (पुरुषों के कोट), 435 (महिलाओं के कोट) तथा 440 (वूवन शर्टस) तथा ब्लाउज श्रेणियों में भारत से ऊनी परिधानों के आयात पर एक-पक्षीय प्रतिबन्ध (कोटा) लगाया था क्योंकि अमरीका ने यह महसूस किया कि भारत से इन उत्पादों के आयात में तेजी से तथा पर्याप्त रुप से वृद्धि होने के कारण इन ऊनी परिधानों का उत्पादन करने वाले उसके उद्योग को गम्भीर क्षति हो रही है अथवा उसको वास्तविक खतरा हो गया है।

वस्त्र और क्लोदिंग करार के उपबन्धों के अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के वस्त्र मानीटरिंग निकाय (टी एम डी) ने अमरीका की इस कार्यवाही की पुनरीक्षा की थी। अमरीका द्वारा 434 तथा 435 श्रेणियों पर लगाये गए एक-पक्षीय प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। श्रेणी 440 के सम्बन्ध में सरकार ने इस मुद्दे को डब्ल्यू टी ओ के विवाद-निपटान निकाय (डी एस वी) के साथ उठाया है तथा डी एस वी ने इस मामले पर अपने निष्कर्ष देने के लिए एक पैनल गठित किया है। इस पैनल की पहली स्थाई बैठक 9-10 सितम्बर, 1996 को हुई तथा डी एस वी इस मामले पर शीघ्र ही अगली सुनवाई करेगा।

(ग) भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वस्त्र करार, जिस पर बहु-फाईवर व्यवस्था (एम एफ ए) के तत्वाधान में हस्ताक्षर किए गए थे, 31 दिसंम्बर, 1994 तक वैध था, में ग्रुप-3 के अन्तर्गत ऊनी परिधान शामिल किए गए थे। यद्यपि वर्ष 1995 से पहले अमरीका को ऊनी परिधानों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था फिर भी किसी भी चरण में प्रतिबन्ध लगाने के लिए द्विपक्षीय वस्त्र करार में एक उपबन्ध था जो कि एम एफ ए के उपबन्धों को पूरा करने के अध्यधीन था।

उद्यम पूंजी निधि

5600. श्री गिरिधर गमांग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई उद्यम पूंजी निधि प्रदान करने के लिए क्या प्रमुख मार्ग निर्देश हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान अब तक स्वीकृति प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनायें सफलतापूर्वक पूर्णता के स्तर तक पहुंची और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(घ) कितनी परियोजनाओं को अभी तक पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की जानी है; और

(ङ) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और तत्संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए आई.डी.बी.आई. द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) योजना के अधीन सहायता प्रदान करने संबंधी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2(ग) के अन्तर्गत परिभाषित किए गए अनुसार उधारकर्ता को एक औद्योगिक प्रतिष्ठान होना चाहिए।

(ब) निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता दी जानी होती है:-

(1) स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण या,

(2) आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रक्रिया/उत्पाद के अनुकूल/संशोधन और/या

(3) नवोन्मेषी उत्पादों, वस्तुओं, उपकरणों और सेवाओं का विकास जो अपने जीवन-चक्र की प्रारम्भिक अवस्था में हैं, और/या

(4) उन परियोजनाओं के लिए प्रमाणित नेतृत्व गुणवत्ता और व्यवसाय संबंधी ठोस विचारों के ट्रैक रिकार्ड वाले उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित उद्यमों, जो उच्च वृद्धि और निवेश पर सामान्य से अधिक प्रतिलाभ दर्शाते हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी उद्यमों के अतिरिक्त, उन सभी नवोन्मेषी उत्पादों/सेवाओं, जिनमें वृद्धि की अधिक संभावना है, को वीसीएफ योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। उन उद्यमों, जो प्रौद्योगिकी में प्रथम न हों, लेकिन पर्याप्त प्रतिलाभ की क्षमता वाले कुछेक प्रथम उद्यमों में से होंगे, को भी शामिल किया जाएगा।

(स) परियोजना लागत सामान्यतया 5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए।

(ख) से (घ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अब तक 78 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 53.43 करोड़ रु. की राशि इन परियोजनाओं को संवितरित की गई है। उपर्युक्त 78 परियोजनाओं में से, 46 उद्यमों को पूरा किया जा चुका है जिनमें से 26 उद्यम सफल रहे हैं। आइंडीबीआई ने आगे सूचित किया है कि 32 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) परियोजनाओं की निगरानी करने और समस्याओं के परिशोधन के लिए आईडीबीआई ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनकी समीक्षा की जाती है।

(2) कार्यान्वयन की अवधि के दौरान प्रगति की निगरानी के लिए और उसके पश्चात् उद्यमों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए कार्यस्थल का दौरा किया जाता है।

(3) प्रवर्तकों के साथ विचार-विमर्श करना।

(4) समर्थित उद्यमों के निदेशक मंडल में नामिती निदेशकों की नियुक्ति करना।

कोयला खानों को बन्द किया जाना

5601. **श्री बसुदेव आचार्य :**
प्रो. रीता वर्मा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1996 तक कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की किन-किन कोयला खानों को बन्द किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बन्द कोयला खानों में से किसी खान को पुनः खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन कोयला खानों में कितना कोयला रुका पड़ा है;

(ङ) वर्तमान बाजार मूल्य में इसका मूल्य कितना है;

(च) इन खानों को बन्द किए जाने से कितने श्रमिक बेरोजगार/फालतू हो गये है; और

(छ) सराकर ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) दिनांक 30.6.96 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. में राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से बंद पड़ी कोयला खानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. का अनुबंध में दी गई बंद पड़ी किसी खान को तत्काल पुन: खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि ये खानें उत्खनन-योग्य भंडारों के परिसमापन, सुरक्षा के पहलू तथा आर्थिक अलाभकारिता के कारण बंद की गई थी।

(घ) और (ङ) इन खानों में फंसे हुए उत्खनन योग्य कोयले की मांग, ऐसी मात्रा को छोड़कर जहां कि खनन योग्य भंडार समाप्त हो गए हैं; तथा इसकी कीमत, क्रमशः 31.77 मि.ट. तथा 2408.55 करोड़ रु. है।

(च) और (छ) किसी भी कामगार को खानों को बंद किए जाने के कारण बेरोजगार नहीं किया गया है, चूंकि कामगारों को अन्य कार्यरत खानों में नियोजित कर दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीयकरण से 30.6.96 तक बंद पड़ी खानों का ब्यौरा

ई.को.लि.

1. सैक्टोरिया
2. ईस्ट जमेहारी
3. ख्वाब 5 और 6
4. के.एल.एस. चलबलपूर
5. चलबलपूर खास
6. न्यू जमेहारी खास
7. प्योर सीरसोल
8. दामोदा
9. सीतल दासजी
10. बेलरुई/दिसेरगढ़
11. नार्थ ब्रॉक
12. गोगला/ऐडजोआय बैंक
13. माण्डेरबोनी 1, 2 और 4
14. देवली

15. बी.धेमो/रामजीबनपूर
16. बंक्सीमुलिया 7 और 8
17. ब्राईट्स राना
18. मधुसुदनपूर 1 और 2
19. सेन्ट्रल जमुनिया
20. नबाकजोरा/धनश्याम
21. जोते जानकी
22. रतिबाति ओ.का.
23. पुरुषोतमपुर ओ.का.
24. निम्वा ओ.का.
25. शिबपुर ओ.का.
26. महाबीर ओ.का.
27. न्यू/सेन्ट्रल सनग्राम
28. अल्कुशा
गोपालपुर ओ.का.
29. बेनाली
30. केन्डा/दोबराना ओ.का. .
31. दरूला
32. कृष्णा नगर
33. सीतलपुर
34. शंकरपुर
35. गिरिमिट
36. राणा
37. महाबीर
38. कंकरतल्ला 1 और 2
39. तारा
40. चंदाडीह ओ.का.
41. बरमुण्डिया
42. डाबोर ओ.का.
43. गंगाराम चाक
44. पोईडीह ओ.का.
45. रानीपुर
46. दालुरबन्द ओ.का.
47. पलासधाली
48. छपापुर–1
49. बदजना/पुसाई ओ.का.
50. कपसारा ओ.का.
51. ललमटिया भू.ग.
52. ललमटिया ओ.का.
53. शामपुर–ए
54. डालमिया ओ.का.

भा.को.को.लि. (16)

1. मुरलीडीह
2. बेरा ओ.का.
3. एना
4. बासदेवपुर ओ.का.
5. लक्ष्मी ओ.का.
6. तसरा ओ.का.
7. झुनकुनदर ओ.का.
8. विक्टोरिया
9. कनकानी
10. केंदुआडीह
11. धर्माबंद
12. साउथ तिसरा
13. कुजामा
14. गैसलीटांड
15. भुरुंगिया
16. टेटुरिया

सें.को.लि. (10)

1. सेमरा
2. पकरी बरवाडीह
3. सुगिया ओ.का.
4. पियोर धोरी
5. माएल भू.ग.

6. चलकारी

7. करकट्टा

8. धांदीडीह

9. गिधानिया

10. रउता

ना.को.लि. : शून्य

म.को.लि. : शून्य

सा.ई.को.लि. (15)

1. डोमनारा ओ.का.

2. बुरहार सं. 3

3. रूंग्टा

4. नार्थ झाकराखण्ड

5. बुरहास सं. 1

6. पियांर चिरिमिरी

7. कोरबा 1 तथा 2

8. कोरबा 3 तथा 4

9. चचाई ओ.का.

10. बांकी 5 तथा 6

11. जरवाही ओ.का.

12. न्यू झिमर

13. बांकी 7 तथा 8

14. एस. झाकराखण्ड ओल्ड

15. रामनगर

ना.ई.को. : शून्य

वे.को.लि. (30)

1. बरकुही भू.ग.

2. बरकूही वेस्ट भू.ग.

3. भामोरी झंटा चापा

4. दतला ईस्ट भू.ग.

5. दतला वेस्ट

6. धाओ

7. शिबपुरी ओ.का.

8. धोरावारी हुदागढ़

9. धोरावारी कालान

10. बल्लारपुर ओ.का.

11. कलिचापुर

12. न्यूटन चिकली

13. एन. चन्दामेट्टा

14. नन्दोरा

15. सियाल धोधरी

16. निकोड़ा ओ.का.

17. सस्ती पिट

18. बल्लारपुर 1 तथा 2

19. रोबार्टसन इंक./बेलूरा इंक./घघुल

20. कोन्डा ओ.का.

21. न्यू माजरी सं. 1

22. धुपतला ओ.का.

23. शिवपुरी-2 ओ.का.

24. तरोदा ओ.का.

25. सेठिया ओ.का.

26. बेल्लोरा ओ.का.

27. न्यू धूपतला और.पी.आर.ओ.का.

28. राखीकोक

29. चिकलमाउ

30. उमरेर

10वां वित्त आयोग

5602. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठित योजना आयोग का विचार सभी केन्द्रीय करों के संयुक्त कोष में राज्यों की भागीदारी करने के संबंध में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) राज्यों से सहभागिता करने हेतु केन्द्रीय करों के एकीकरण के सम्बन्धी 10वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई गौर नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार 10वें वित्त आयोग की इस सिफ़ारिश की जांच कर रही है। संवैधानिक संशोधन के बाद, यदि आवश्यक समझा गया तो इस सिफ़ारिश पर राज्यों के साथ परामर्श किया जाएगा।

रबड़ का आयात

5603. श्री पी. सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आज की तारीख तक प्राकृतिक रबड़ का अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत बिना शुल्क के आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कम्पनीवार कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए, जहां इसकी निवेश सामग्री के रूप में आवश्यकता है, मूल सीमा शुल्क भुगतान के बिना, प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति है।

(ख) अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ सहित किसी विशिष्ट मद के आयात के लिए कोई अलग आंकड़े, कम्पनी-वार, रखे नहीं जाते हैं। तथापि, वर्ष 1995-96 और 1996-97, जून, 96 तक की अवधि के दौरान (अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ सहित) प्राकृतिक रबड़ के आयातों की कुल मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं:-

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रु. में

अवधि	मात्रा	मूल्य
एएम 95-96	50728	27,582.73
1996-97 जून, 96 तक	3680	2,303.63

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

भारतीय चाय व्यापार निगम की लुक्सन चाय एस्टेट

5604. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम (टीटीसीआई) लिमिटेड के अन्तर्गत लुक्सन चाय एस्टेट खेदजनक स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस चाय एस्टेट को अपने मंत्रालय के अधीन किसी अन्य संगठन को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उपयुक्त चाय एस्टेट को पुनरुजीवित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि. (टीटीसीआई) के पास पांच चाय बागान हैं। लुक्सन टी एस्टेट सहित ये सभी बागान घाटे में चल रहे हैं। इन बागों को हो रहे लगातार घाटे को ध्यान में रखते हुए, लुक्सन टी एस्टेट सहित, इन बागों को तुरंत बेचने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद मैसर्स एन्ड्रयू यूल एंड कं. को लुक्सन टी एस्टेट की पेशकश की गई जिसने इस टी एस्टेट की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। परन्तु एन्ड्रयू यूल एंड कं. के न्यायालय के मामलों और वित्तीय समस्याओं की वजह से बिक्री प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।

सरकार यथासम्भव शीघ्र लुक्सन टी एस्टेट सहित बागानों की बिक्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए उत्सुक है तथा बिक्री प्रक्रिया को शीघ्र कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच, लुक्सन टी एस्टेट के कामगारों का वेतन/मजदूरी राशन आदि अगस्त, 1996 तक टीटीसीआई द्वारा दे दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना

5605. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा राज्य सरकार की उसमें कितनी भागीदारी है; और

(ग) इन पार्कों के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने के लिए

धन का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता। सूरजपुर-कास्ना, ग्रेटरनोएडा में ई.पी.आई.पी. के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार को 1995-96 में 91 लाख रु. की राशि रिलीज की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय अनुदान रिलीज़ करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के परियोजना प्रस्ताव में पार्क की 20.19 करोड़ रु. की कुल लागत में से राज्य सरकार के हिस्से की परिकल्पना 5.19 करोड़ रु. की गई है।

(ग) ई.पी.आई.पी. के उद्देश्यों में शामिल हैं - निर्यात प्रयासों में राज्य सरकारों को शामिल करना तथा निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना।

[अनुवाद]

शराब उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

5606. श्री ए. सी. जोस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शराब उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संस्था से ऋण

5607. श्री उद्धव बर्मन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से असम राज्य में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता अनेक वर्षों से कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का असम के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के मापदण्ड में कोई संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान असम में परियोजनाओं को मंजूर की गई समग्र संस्थागत सहायता में वृद्धि का रूख रहा है। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असम में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरण
1993-94	62.00	75.62
1994-95	114.31	65.20
1995-96	639.77	120.05

(ग) और (घ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि किसी खास राज्य/क्षेत्र में परियोजना का पता लगाने का निर्णय प्रवर्तकों में निहित है और बदले में वे मूलभूत ढांचे की उपलब्धता, कच्चा माल, कुशल श्रमिक, उनके उत्पादों के लिए बाजार से अवस्थान की निकटता और राज्य सरकार से प्रोत्साहन जैसे कारकों से निर्देशित होते हैं। वित्तीय संस्थाएं परियोजना के लिए अपनी उपयुक्तता के कोण से अवस्थान का मूल्यांकन करते हैं।

आईडीबीआई ने आगे बताया है कि वित्तीय, आर्थिक, वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी परियोजनाओं, चाहे उनकी अवस्थिति कहीं भी हो, को संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम पर अतिरिक्त प्रभार

5608. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालिसी धारक को जीवन बीमा निगम की पालिसी पर त्रैमासिक प्रीमियम के स्थान पर मासिक प्रीमियम का भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त प्रभार अदा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पालिसी धारक द्वारा परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले अपनी पालिसी का परित्याग करने की स्थिति में पूंजीगत धनराशि का भुगतान केवल परिपक्वता अवधि पूरा होने के पश्चात् ही किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) प्रीमियम तालिकाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा तिमाही आधार पर तैयार की जाती हैं। ये दरें वार्षिक, अर्द्धवार्षिक तथा मासिक दरों पर समायोजित की जाती हैं। बड़ी मात्रा में कारोबार की वजह से सारणिक दरों का उपयोग बिना किसी प्रभार के मासिक बचत योजना के माध्यम से मासिक भुगतान के लिए किया जाता है। तथापि, 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार उन स्थितियों में लगाया जाता है जहां प्रशासन पर अतिरिक्त कार्यभार की व्यय पूर्ति तथा ब्याज के नुकसान को पूरा करने के लिए बैंक आर्डर अथवा डेबिट हिदायतों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रथम तीन वर्षों में पालिसीधारक द्वारा अदा किया गया प्रीमियम मात्र प्राप्ति लागत तथा चिकित्सा जांच शुल्क, स्टाम्प, शुल्क, स्टेशनरी लागत आदि जैसे प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु पर्याप्त है, इसलिए, पालिसी को कोई ऐसा चुकता अथवा अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त नहीं होता जिसे ऐसी पालिसियों के सम्बन्ध में या तो तुरन्त अथवा परिपक्वता की तारीख पर भुगतान किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक में धोखाधड़ी

5609. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त मंत्री** बैंक में धोखाधड़ी के बारे में 1 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां। सितम्बर, 1995 से फरवरी, 1996 तक दिल्ली में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जाली हस्ताक्षरों/मांग-पत्रों के आधार पर चैक बुक जारी करने और चैकों के भुगतान के मामलों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

हालांकि चैक बुक/ड्राफ्टों को जारी करने/सुरक्षित रखने/अदायगी करने के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को बैंकों के मैनुअल/हिदायत पुस्तक में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर इस बारे में किए जाने वाले पूर्वोपायों के प्रति बैंकों को सावधान करता है। घोष समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं/सुझाव दिए हैं और बैंकों को इन्हें लागू करने के लिए कहा गया है। बैंकों को विशेष रूप से कहा गया है कि:

(1) आहरणकर्ता के हस्ताक्षरों के सत्यापन, नमूना हस्ताक्षर कार्डों की सुरक्षा, चैक बुक जारी करने संबंधी पर्यवेक्षण और खाली चैक बुकों/पन्नों की सुरक्षा पर नियंत्रण आदि के बारे में पूर्ण सावधानी बरती जाए;

(2) बड़ी धनराशियों के चैकों/ड्राफ्टों की जांच के लिए अल्ट्रा वायलेट रे लैम्पों का प्रयोग करने की पद्धति आरम्भ की जाए।

(3) खाली ड्राफ्ट और डाक अंतरण फार्मों को प्रतिभूति मदें माना जाए और ऐसे दस्तावेजों की सुरक्षा और उन्हें जारी करने में सामान्य सावधानियां बरती जाएं।

(4) ड्राफ्ट/डाक अंतरण पर धनराशि, प्रोटेक्टोग्राफ मशीन या पिन प्वाइंट टाइपराइटर या अन्य ऐसी ही मशीनों से अंकित की जाए ताकि इन्हें रासायनिक तरीके से बदलने की गुंजाइश न रहे। छोटी शाखाओं में जहां ड्राफ्ट हाथ से लिखे जाते हैं, लिखत की पिछली तरफ उल्टा कार्बन रखा जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बैंक का नाम		दिल्ली में 1.9.1995 से 29.2.1996 तक जाली हस्ताक्षरों/मांग पर्चियों पर चेक बुक जारी करने और चेकों को भुनाने के मामलों की संख्या	इस प्रकार के मामलों का संक्षेप में स्वरुप (मामलावार)	की गयी कार्रवाई (मामलावार)
1	2	3	4	5
1.	विजया बैंक	एक	बाराखम्भा शाखा द्वारा जाली हस्ताक्षर पर एक छद्म व्यक्ति को चेक बुक जारी कर दी गयी और अपराधी ने खातेदार के जाली हस्ताक्षर बनाकर 9,000 रुपये निकाल लिये	15-11-1995 को पुलिस में शिकायत की गयी।
2.	देना बैंक	एक	जाली मांग पर्ची के आधार पर चेक बुक जारी कर दी गयी। राजेन्द्र प्लेस, नयी दिल्ली शाखा द्वारा दो लाख रुपये राशि के पांच चेक अदा कर दिये गये।	स्टाफ सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा रही है।
3.	बैंक ऑफ इंडिया	एक	जाली मांग पर्ची पर चेक बुक जारी कर दी गयी और फ्रेंडस कालोनी शाखा, नयी दिल्ली से कपटपूर्वक 60,000 रुपये के दो चेक भुना लिये गये।	मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है। अंचल कार्यालय द्वारा छानबीन की जा रही है और यदि जालसाजी सिद्ध हो जाती है तो बैंक प्रतिपूर्ति करेगा।
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	दो	संसद मार्ग और कनाट प्लेस शाखाओं द्वारा जाली मांग पर्चियों पर एक-एक चेक बुक जारी कर दी गयी।	अपराधी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस में शिकायत कर दी गयी। कोई हानि नहीं हुई।
5.	पंजाब नेशनल बैंक	दो	दिल्ली कैंट शाखा द्वारा दो बंद बचत खातों के 65,000 रुपये के दो चेक अदा कर दिये। बाद में मालूम हुआ कि हस्ताक्षर जाली थे।	तीन स्टाफ सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है; तीन अन्य स्टाफ सदस्यों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
6.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	एक	सौ-सौ चेक फार्मों वाली दो चेक बुकें एक फर्म को जारी की गयीं। बाद में पहली चेक बुक की मांग पर्ची के आधार पर एक व्यक्ति को एक और चेक बुक जारी कर दी गयी। इस चेक बुक से 6 चेकों द्वारा भिन्न तारीखों को 2.15 लाख रुपये निकाल लिये गये।	(1) गलती करने वाले अधिकारी को गैर-परिचालन क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया और आरोप पत्र जारी किया गया (2) फर्म ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवायी है।
7.	इलाहाबाद बैंक	एक	संसद मार्ग शाखा द्वारा जाली मार्ग पर्ची पर चेक बुक जारी कर दी गयी। रु. 1.30 लाख के दो	जांच रिपोर्ट के आधार पर जवाबदेही तय की जा रही है।

1	2	3	4	5
			चेक भुना लिये गये। जाली हस्ताक्षर बड़ी चतुराई से किये गये और वे वास्तविक हस्ताक्षर से मिलते थे।	
8.	बैंक आफ महाराष्ट्र		जिस तरह की धोखाधड़ी का उल्लेख किया जा रहा है, वह बैंक में नहीं हुई। परन्तु बैंक ने बताया है कि विवेक विहार शाखा में दो खातों से 22 बार में 61,850 रुपये आहरण पर्चियों पर जाली हस्ताक्षर करके निकाले गये। इसी तरह कनाट प्लेस, नयी दिल्ली खाशा में एक खाते से तीन अलग-अलग अवसरों पर कुल 5,500 रुपये निकाले गये।	जांच जारी है।
9.	भारतीय स्टेट बैंक	दो	(1) इंद्रप्रस्था शाखा द्वारा जिस अनुरोध पत्र पर चेक बुक जारी की गयी वह खातेदार द्वारा जारी किया, बताया गया। नकद और समाशोधन के माध्यम से 41,000 रुपये के दो चेक भुनाये गये।	अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
			(2) संसद भवन शाखा द्वारा 9.7.1991 को एक चेक बुक जारी की गयी। समाशोधन के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया की देवगढ़ शाखा और टेलीमोथो शाखा को 2.45 लाख और 1.98 लाख रुपये अदा किये गये। आहरणकर्ता का कहना है कि उसने चेक बुक प्राप्त नहीं की और चेक जारी नहीं किये।	अधिकारी को बदल दिया गया है और जांच का आदेश दिया गया है।
10.	वैश्य बैंक लि.	दो	(1) करौल बाग शाखा द्वारा जाली मांग पर्ची पर चेक बुक जारी कर दी गयी और जाली हस्ताक्षर करके 4,40,000 रुपये के 7 चेक भुना लिये गये।	अपराधी पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। कोई राशि वसूल नहीं हुई। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गयी है।
			(2) एक और चेक बुक करौल बाग शाखा द्वारा एक फर्म के कर्मचारियों को जारी की गयी, जिन्होंने कपटपूर्ण ढंग से समाशोधन के माध्यम से 2,90,500 रुपये के कई चेक भुना लिये।	अपराधी गिरफ्तार हो गया। रु. 2.23 लाख वसूल हुए। रु. 25,600 की वस्तुएं पुलिस ने पकड़ी हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5610. श्री येल्लैया नंदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा असूचीबद्ध कम्पनियों के 51 प्रतिशत इक्विटी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उद्योगों द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन आशंकाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों का निर्यात

5611. श्री रविन्द्र कुमार पांडेय : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा इसमें कुल कितना लाभ हुआ; और

(ग) सरकार का भविष्य में सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यात निम्न प्रकार रहे हैं:-

	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
1993-94	113871	587.81
1994-95	149386	784.59
1995-96	169580	935.21

(ग) सरकार सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाती रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5612. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी एककों द्वारा अधिगृहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और अनुषंगी-वार भूमि के कितने क्षेत्रफल पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अनुषंगी एकक-वार कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ग) इन परिवारों को मुआवजा और रोजगार देने के लिए क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) प्रत्येक अनुषंगी एकक में अलग-अलग कितने परिवारों को रोजगार और मुआवजा दिया गया है;

(ङ) मुआवजे के रूप में एकक-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(च) ऐसे कितने विस्थापित परिवार शेष हैं जिन्हें रोजगार और मुआवजा दिया जाना शेष है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मतदान हेतु इलैक्ट्रानिक मशीन

5613. श्री नन्द कुमार साय : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1989 में 75 करोड़ की लागत पर मतदान हेतु 15 लाख इलैक्ट्रानिक मशीनें खरीदी गई तथा चुनाव के दौरान उनका उपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो बैलेट पेपर, उनकी छपाई, मतदान पर जबरन कब्जे से जुड़ी समस्या, फर्जी मतदान, मतपेटियों को सील किया जाना तथा मतगणना तथा इसमें से प्रत्येक के मामले में अलग-अलग उक्त मशीनों के लगाए जाने से कैसा अनुभव रहा;

(ग) क्या चुनाव आयोग ने 1991 तथा 1993 में पुनः मतदान मशीनों की खरीद तथा प्रयोग की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) समान संसदीय चुनाव क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक मतदान पद्धति तथा वर्तमान चुनाव प्रणाली दोनों में ही कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(च) एक ही क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इन मशीनों के उपयोग में तुलनात्मक रूप से कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) 1989 में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत पर 1.5 लाख इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें क्रय की गई थीं किन्तु इन मशीनों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यदि मशीनों का उपयोग किया जाता है तो मतपत्रों और मत पेटियों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत मतदान के पश्चात् जल्दी ही गणना को सुकर बनाएंगी और बूथों पर बलात् कब्जे को रोकने में भी सहायता करेंगी।

(ग) 1991 में निर्वाचन आयोग ने सरकार से संपूर्ण देश में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों से निर्वाचन कराने के लिए अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें क्रय करने की सिफारश की थी।

(घ) मई, 1993 में सरकार ने निर्वाचन आयोग से मशीनों की विश्वसनीयता और बहुउपयोगिता का प्रदर्शन करने के लिए विधान सभा निर्वाचनों में जो तब दिल्ली में होने थे और अन्य निर्वाचनों में भी उस माध्य सीमा तक उपलब्ध इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने की सिफारिश की।

(ङ) और (च) तुलनात्मक व्यय से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह आशा की जाती है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग अंतत: निर्वाचन पर सरकारी व्यय में क्रमी करेगा।

रुपये का मूल्य

5614. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत फरवरी माह में भारतीय रुपये के मूल्य में अमरीकी डालर, पौंड, स्टर्लिंग, डयूस मार्क, फ्रैंक तथा येन की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) क्या अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 के दौरान डालर की दृष्टि से निर्यात वृद्धि की दर 22.1 प्रतिशत थी, जबकि आयात वृद्धि दर 30.1 प्रतिशत थी जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आयी;

(ग) क्या गत वर्ष सरकारी बैंक ऋणों का औसत 11.7 प्रतिशत बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जनवरी और फरवरी, 1996 के दौरान प्रश्न में उल्लिखित विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए का मासिक औसत मूल्य नीचे की सारणी में दिखाया गया है:

विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की तुलना में रुपया

(खरीद और बिक्री दरों का औसत)

	जनवरी, 1996	फरवरी, 1996
अमरीकी डॉलर	35.738	36.634
पौंड स्टर्लिंग	54.769	56.272
ड्यूश मार्क	24.514	24.989
फ्रांक	7.133	7.271
येन	33.910	34.630
	(प्रति 100 येन पर रुपया)	

उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि भारतीय रुपए का मूल्य जनवरी, 1996 की तुलना में फरवरी, 1996 में घट गया।

(ख) अप्रैल, 1995-जनवरी, 1996 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में गिरवाट आई जो कि निर्यात में वृद्धि की तुलना में आयात में हुई वृद्धि के परिणामस्वरुप अंशत: गतिशील आर्थिक गतिविधियों के परावर्तन के कारण थी। किसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों में घटबढ़ न केवल व्यापारिक लेन-देनों को बल्कि देश के भुगतान संतुलन में दर्ज सभी विदेशी लेन-देनों को मोटे तौर पर प्रतिबिम्बित करती है। अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 के दौरान व्यापार घाटे के अतिरिक्त, पूंजी अंत: प्रवाहों और उच्चतर ऋण शोधन भुगतानों में कमी थी, जिसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में आई गिरावट में भी योगदान किया। प्रारक्षित मुद्रा भंडारों की हानि के भाग की वसूली मार्च, 1996 के दौरान की गई थी।

(ग) सरकार (केन्द्र और राज्य) को दिए जाने वाले निवल बैंक ऋण (रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों दोनों) में 1994-95 में 9.1 प्रतिशत और 1995-96 में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) सरकार व्यय को घटाने और राजस्व को घटाने के लिए हर प्रयास कर रही है।

खेतिहर मजदूरों का न्याय

5615. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप): (क) से)(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(ज) के अधीन, जिसे 9 नवम्बर, 1995 से प्रवर्तन में लाया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें फार्म श्रमिक और लघु किसान भी सम्मिलित हैं, जिसे कोई मामला फाइल करना है या प्रतिवाद करना है, विधिक सेवाओं के लिए हकदार होगा, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय 9,000 रु. या ऐसी अन्य उच्च राशि से कम है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 12,000 रुपए या ऐसी अन्य उच्च राशि से कम है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

[अनुवाद]

कोयले का आवंटन

5616. श्री के. प्रधानी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले का आवंटन अनुबंध तथा प्रायोजित आधार पर किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में प्रचलित वितरण नीति के अनुसार, कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था, केवल कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं को, संयोजन और/अथवा प्रायोजन प्राधिकरणों द्वारा निर्गत प्रायोजन के अनुसार, की जाती है। विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को केवल सरकार द्वारा, कोयला मंत्रालय में गठित स्थायी संयोजन समिति द्वारा संयोजन दिया जा रहा है। इस्पात क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित संयोजन समिति द्वारा संयोजन दिया जाता है। इसी प्रकार, सीमेंट क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय में गठित संयोजन समिति द्वारा संयोजन दिया जाता है। गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं अर्थात् विद्युत, सीमेन्ट और लोहा तथा इस्पात को छोड़कर अन्य उद्योगों को कोयला कंपनियों द्वारा स्वयं गठित संयोजन समिति द्वारा संयोजन दिए जा रहे हैं। किन्तु, यदि कोयला कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति माह 5,000 टन से अधिक का संयोजन देना चाहती है तो उनके लिए सरकार से एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

[हिन्दी]

उद्योगों में युवाओं को रोजगार प्रदान करना

5617. श्री के. डी. सुलतानपुरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार और उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों में कितने युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में यदि लक्ष्य निर्धारित किया गया तो वह कितना है; और

(ख) आगामी वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है और इसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) औद्योगिक अथवा किसी भी अन्य क्षेत्र में रोजगार सृजन की वृद्धि दर, क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि की प्रगति और पैटर्न पर निर्भर करती है। पंचवर्षीय योजना के कार्यकलापों के भाग के रूप में भविष्य हेतु प्रेक्षपण किये जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माणकारी क्षेत्र के लिए रोजगार वृद्धि का लक्ष्य 3.7 प्रतिशत निर्धारित था।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 371-च

5618. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के लोगों की सहमति के बिना 1940 के आयकर संहिता जैसे सिक्किम के पुराने कानूनों को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) श्रीमान जी, केन्द्रीय अधिनियमों को सिक्किम राज्य में, साधारणतया उस राज्य की सरकार के परामर्श से विस्तारित किया गया है। तथापि संपूर्ण राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 और दान-कर अधिनियम, 1958 संविधान के अनुच्छेद 371-च के खंड (ढ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में विस्तारित किए गए थे।

[हिन्दी]

बालू संबंधी नीति

5619. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बालू निकालने के लिए एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किन-किन जिलों में अब तक पट्टे दिए गए हैं;

(ग) क्या जालौर, बान्दा, फतेहपुर और इलाहाबाद में भी पट्टे दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये पट्टे कब तक दे दिए जाएंगे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) यह विषय-वस्तु इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। खान मंत्रालय और

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्रता से संसद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग

5620. श्री पवन दीवान:
श्री मुरलीधर जेना:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पनबिजली योजना के लिए मशीन का आयात

5621. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से पनबिजली योजना के लिए अन्य देशों से मशीनरी के आयात के बारे में कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभाना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपड़ों का गैर-कानूनी निर्यात

5622. श्री छीतु भाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कुछ लोग कपड़ों के गैर-कानूनी निर्यात में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों को "फेरा" के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या इन अनियमितताओं में कुछ सीमा शुल्क अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन गैर-कानूनी निर्यातों में लिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

यू.टी.आई.

5623. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.टी.आई. अपने निगमों और कोष व्यवस्थापन कार्य को पांच अथवा छः विशिष्ट प्रचालन इकाइयों में विभाजित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की अपनी कोई इकाई नहीं है। फिलहाल भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऐसी योजनाओं का प्रबंध करता है जिनमें प्रत्येक योजना की अपनी इकाई और अलग पहचान है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेखा रखने की आवश्यकता होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप संगठन की पुनर्संरचना की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

5624. श्री रमेन्द्र कुमार:
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कम्पनियों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की कितनी कम्पनियां हैं तथा इन कम्पनियों को गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित किए गए कार्य का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करने वाली कम्पनियों को भी कार्य आवंटित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त कार्यों के आवंटन हेतु कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों में भूतपूर्व सैनिकों की 91 परिवहन कंपनियों को नियोजित किया गया है। सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कोयला कंपनी का नाम	भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों की संख्या
भारत कोकिंग कोल लि.	10
सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	18
वेस्टर्न कोलफील्डस् लि.	9
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	24
महानदी कोलफील्ड्स लि.	30
जोड़	91

पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कंपनियों को आवंटित किए गए कार्य स्थल का कंपनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों को कोयला कंपनियों द्वारा रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय के प्रायोजन के आधार पर नियोजित किया जाता है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिक कंपनियों की सूची

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्य के स्थल
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	
1. मैं. प्रगति कैरियर्स (प्रा)लि., धनबाद	ब्लॉक-2
2. मैं. एक्स सर्विसमैन, पाटलीपुत्र कोल कैरियर्स	ब्लॉक-2-सिजुआ
3. मैं. जय जवान कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., धनबाद	ब्लॉक-2
4. किओन किमोन कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., गोविन्दपुर	गोविन्दपुर एरिया
5. मैं कनरपुरा ट्रांसपोर्ट कं., धनबाद	बरोरा/बसकोला और लोदना
6. मैं. पैराडाइज ट्रांसपोर्टर (प्रा.) लि. धनबाद	पंची/भालगोरा/लोदना और भौरा एरिया
7. मैं. रावल ट्रांसकान (प्रा.) लि., धनबाद,	लोदना
8. मैं. ब्लॉक गोल्ड ट्रांसपोर्टर (प्रा.) लि. बर्दवान (प.बं.)	सी.बी. एरिया
9. मैं. सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा.) लि.	सिजुआ ब्लॉक-2
10. मैं. सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा.) लि., धनबाद,	कतरास
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	
1. मैं. रणदेव एसोसिएट्स (प्रा.) लि. हजारीबाग	केओसीपी/झारखण्ड (हजारीबाग एरिया) से गिदी वाशरी पीपरवार एफसी/स्टॉक से बचरा/चुरीसाइडिंग
2. मैं. पेट्रियाट ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि., रांची.	के.ओ.सी.पी./झारखण्ड साउथ (हजारीबाग) से एनपी/सीपी साइडिंग/केओ. सीपी (हजारीबाग) से कांडला सीएचपी केओसीपी /झारखण्ड सं. गिडी वाशरी/ पीपरवार एफसी/स्टॉक से बचरा/चुरी साइडिंग
3. मैं. विजयन्त ट्रांसपोर्ट, (प्रा.) लि., रांची	कुजु इन्कलाइन से गिडी वाशरी केओसीपी/झारखंड (बी बाग क्षेत्र) से गिडी वाशरी
4. मैं राजधानी कैरियर्स, प्रा. लि., नई दिल्ली।	के.ओ.सी.पी./झारखण्ड (बी बाग क्षेत्र) से गिडी वाशरी पीपरवार एफसी/स्टॉक से बचरा/चुरी साइडिंग।
5. मैं. पुष्पक ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रा.) लि., रांची	पीपरवार एफ.सी./स्टाक से बचरा/चूरी/के.डी. (ओल्ड) साइडिंग। अशोका एफ.सी./स्टॉक से के.डी.एच. साइडिंग।

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्य के स्थल
6. मै. अन्नपूर्णा कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., हजारीबाग	के.ओ.सी.पी./झारखण्ड (हजारीबाग क्षेत्र) से गिर्डी वाशरी। पीपरवार एफ.सी./स्टाक से बचरा/चूरी साइडिंग
7. मै. आदर्श बल्क कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड, हजारीबाग	के.ओ.सी.पी./झारखण्ड (हजारीबाग क्षेत्र) से गीडी वाशरी पीपरवार एफ.सी./स्टॉक से बचरा/चूरी साइडिंग के.एस.डी.एच. फेस से स्टाक/एफ.सी./सी.एच.पी. अशोका ओ.सी. फेस से के.डी.एच. साइडिंग।
8. मै. मौर्या ट्रांसपोर्ट कं. (प्रा.) लिमिटेड, बिहार	राजरप्पा ओ.सी. फेस से राजरप्पा वाशरी पीपरवार एफ.सी. स्टाक से बचरा/चूरी साइडिंग।
9. मै. जवान ट्रांसपोट कं. (प्रा.) लिमिटेड, बिहार	पीपरवार एफ.सी./स्टॉक से बचरा/चूरी/पी.डी. (ओ) साइडिंग के.ओ.सी.पी./झारखण्ड से गीडी वाशरी पी.डी. (ओ.) साइडिग पर वैगन लदान।
10. मै. चिन्दित कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड, रांची	पीपरवार एफ.सी./स्टाक से बाचरा साइडिंग अशोका फेस से डाकरा मेनुअल साइडिंग।
11. मै. गुरूदेव (भूतपूर्व सैनिक) ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रा.) लि., नई दिल्ली	पीपरवार एफ.सी./स्टाक से बचरा साइडिंग अशोका फेस से डाकरा मैनुअल साइडिंग अशोका फेस से स्टाक के.डी.एच.फेस. से स्टाक/ एफ.डी./सी.एच.पी.
12. मैं. पैन्थर कैरियर्स (प्रा.) लि., रांची	पीपरवार एफ.सी./स्टाल से चूरी के. डी. (ओल्ड) साइडिंग
13. मैं. ए.बी.टी. कैरियर्स (प्रा.) लि., कलकत्ता	पीपरवार एफ.सी./स्टाक से बचरा साइडिंग
14. मैं. रांची कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड, रांची	गीडी "सी" स्टाक से सी.एच.पी. पीपरवार एफ.सी./स्टाक से चूरी/ एफ.डी. (ओल्ड) साइडिंग सौंडा साइडिंग पर वैगन लदान।
15. मैं. त्रिभुवन कैरियर्स (प्रा.) लि., रांची	अशोका फेस से डाकरा मैनुअल साईडिंग फरेज ईस्ट से गीड़ी-वाशरी
16. मैं. टेक-ऑफ एसोसिएट्स प्रा. लिमिटेड, रांची	के.डी.एच.फेस. से साइडिंग अशोका ओ.सी. फेस से डाकरा (एम) साइडिंग
17. मैं. एस्सेम ट्रांसपोर्टर्स एंड कान्ट्रेक्टर प्रा. लि.	सिरका ओ.का. स्टाक से सी.एच.पी./धोरी एफ.बी. से साइडिंग
18. मै. ईगल कैरियर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली	करकर्ता ओ.का.फेस से एफ.बी./स्टाक/पीपरवार एफ.सी./स्टॉक से के.डी. (ओल्ड)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	
1. पायोनियर एक्स एस एम कैरियर्स (प्रा.) लि.	लिंगराज
2. सुपर फ्रेट्स कैरियर (प्रा.) लि.	लिंगराज
3. सनराइज रोड लाइन्स	भरतपुर
4. ब्लैंक पेपर	भरतपुर
5. कोनार्क ट्रांसपोर्ट	भरतपुर
6. आशीष ट्रांसपोर्ट	कलिंगा
7. कोणार्क ट्रांसपोर्ट	कलिंगा
8. अंबी कोल कैरियर्स	कलिंगा
9. चेतक इंटरप्राइजेज	कलिंगा
10. सुभद्रा ट्रांसपोर्ट	कलिंगा
11. हिंगुला ट्रांसपोर्ट कं. (प्रा.) लिं.	कलिंगा
12. रेणुका कैरियर (प्रा.) लि.	लिलारी
13. गरुडा कैरियर्स (प्रा.) लि.	लजकुरा

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्य के स्थल
14. कीरत एक्स एस एम	समलेश्वरी
15. समलेश्वरी कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	लखनपुर
16. अरविंद ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.	लखनपुर
17. गरूडा कैरियर्स (प्रा.) लि.	लखनपुर
18. सेवा एक्स एस. एम. कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	लखनपुर
19. प्रीमियर एक्स एस एम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	बेलपहार
20. अरविंद ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.	बेलपहार
21. सेवा एक्स एस एम कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	बेलपहार
22. राज कोल कैरियर्स	लखनपुर
23. अंबी कोल कैरियर्स	जगन्नाथ
24. विवेक ट्रांसपोर्ट	जगन्नाथ
25. सोम रोड लाइन्स	बालंदा
26. कलिंगा एक्स एस एम कैरियर्स लिं.	अनंता
27. अनंता सैनिक	अनंता
28. सोम रोड लाईन्स	अनंता
29. कोनार्क कैरियर्स (प्रा.) लि.	अनंता
30. विरू कैरियर्स एक्स एस एम (प्रा.) लिं.	अनंता
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	
1. गरूडा ट्रांसपोर्ट प्रा.लि.	गेवरा
2. रोहिनी एसोसिएट्स प्रा.लि.	गेवरा
3. एक्स एस एम कन्हाई रबर (प्रा.) लि.	सोहागपुर
4. बी.के.एम. एसोसिएट्स (प्रा.) लि.	बिसरामपुर
5. रायशील्स ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.	के एस एम/एस जी पी/एच एस डी

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्य के स्थल
6. कोयला बाहन ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड	गेवरा
7. कोयलांचल ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रा.) लि.	के एस एम/जोहिल्ला
8. एक्स एस एम गौरव ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.	कुसमुंडा
9. बिलासपुर कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	एस जी एफ/जोहिल्ला
10. काला पत्थर ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिं.	कोरबा
11. एक्स एस एम युवराज ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिं.	कुसमुंडा
12. अलातपुरख एक्स एस एम ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिं.	कुसुमंडा
13. बाबा मस्तनाथ ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड	बिसरामपुर
14. मास्टर्स ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिं.	सोहागपुर
15. एक्स एस एम वीर ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड	गेवरा
16. एक्स एस एम अभिमन्यू कोल कैरियर्स प्रा. लिमिटेड	गेवरा
17. परम मितर कोल मूवर्स (प्रा.) लि.	गेवरा
18. जगन्नाथ कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	जमुना कोतमा
19. गगन कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	कुसमुहा
20. मा करनी कोल कैरियर्स (प्रा.) लिं.	विसरामपुर
21. चाणक्य ट्रांसपोर्ट प्रा.लि.	हसदेव
22. एम बी एक्स एस एम ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	जोहिल्ला
23. शिवानी ट्रांसपोर्ट प्रा.लि.	भटगांव
24. दिपका कोल कैरियर्स प्रा.लि.	गेवरा
वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	
1. फौजी सैंड एण्ड कोल कैरियर्स प्रा.लि.	सास्ती ओ.का, सास्ती मिनि सी एच पी, सास्ती रे. साइडिंग, गौरी ओ.का. गैरी सी एच पी एण्ड गौरी-1

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्य के स्थल
2. शिवाजी कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	नीलजय-1, ओ.का. नीलजै-2
3. के.एल.कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	नीलाजय-2 ओ.का. सीएचपी ओ.का. फेज-2
4. एवरेस्ट कैरियर्स (प्रा.) लि.	चरगांव-1 ओ.का. कोलार पिम्परी
5. संजय कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.	नगलोन/एन.एम.सी. 2/एन. एम. सी-3, घुघुस ओ.का. फेज-1, रजूर कोलियरी
6. प्रिंस रोड कैरियर्स (प्रा.) लि.	सस्ती कोलियरी दुर्गापुर रैयतबाड़ी भू.ग.
7. बानगार्ड कैरियर्स (प्रा.) लि.	दुर्गापुर ओ.का.
8. एक्स एस एम स्वरूप कोल ट्रांसपोर्ट प्रा.लि.	नीलाजै-1 कुआरी तथा सी.एच.पी.
9. शत्रुजीत ट्रांसपोर्ट कं. प्रा.लि.	घुगुस ओ.का.

कोयला संबंधी डी.ओ. जारी करना

5625. **श्री डा. बलि राम :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लोगों को कोयले के लिये अनेक डी.ओ. जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो डी.ओ. जारी किये जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले के लिये डी.ओ. जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या उपरोक्त व्यक्तियों को डी.ओ. उचित मानदंड के अनुसार जारी किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ङ) कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रचलित पद्धति के आधार पर स्थापित संयोजनों और/अथवा संबंधित प्रायोजन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रायोजना के अनुसार की जाती है। कुछ कोयले की बिक्री विभिन्न उदारीकृत बिक्री योजनाओं के अंतर्गत भी की जाती है, जो कि ऐसी बिक्री के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुकरण के बाद की जाती है।

सड़क द्वारा कोयले का उठान करने वाले उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आर्डर (जिन्हें डी.ओ. के नाम से भी जाना जाता है) के एवज में की जाती है। ऐसे सुपुर्दगी आर्डरों को केवल ऐसी गुणवत्ता के लिए जारी किया जाता है, जिसके लिए किसी ग्राहक पात्रता है और इन्हें कोयले की कीमत प्राप्त किए जाने के बाद, जिसमें सांविधिक प्रभार, आदि भी शामिल हैं, जारी किया जाता है।

सुपुर्दगी आर्डर विभिन्न ग्राहकों के मामले में जारी किए जाते हैं, जो कि अपनी कोयले की आपूर्ति मासिक आधार पर बड़ी संख्या में कोलियरियों तथा क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। ऐसे ब्यौरों को केन्द्रित रूप में नहीं रखा जाता है। यह बात महसूस की गई है कि ऐसे ब्यौरों का संग्रहण तथा उन्हें एकत्रित किए जाने के संबंध में लगी समयावधि तथा प्रयास उस प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे जिसके लिए यह कार्रवाही की जा रही है।

पान मसाला निर्माता कंपनियों पर कर

5626. **प्रो. अजित कुमार मेहता :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पान मसाला उद्योग देश के सर्वाधिक कर अपवंचक क्षेत्रों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994, 1995 और 1996 (आज तक) के दौरान पान मसाला उद्योग पर कितना अनुमानित उत्पाद शुल्क बकाया है और पान मसाला निर्माताओं में से सबसे बड़े कर अपवंचत कौन-कौन हैं; और

(ग) इन पान मसाला निर्माताओं से बकाया उत्पाद शुल्क की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) अद्यतन सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनियों के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच

5627. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जांच एवं पंजीकरण महानिदेशालय तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनियों के विशेष विक्रय अधिकार संबंधी समझौता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जांच एवं महानिदेशालय पंजीकरण से अब तक सिफारिशें प्राप्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एकाधिकार गैर-प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग ने इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो जांच और पंजीकरण महानिदेशालय से सिफारिशें कब तक प्राप्त किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) महानिदेशक, जांच और पंजीकरण ने भारत में बोतल आपूर्तिकर्ताओं (बाटलर्स) के साथ मैसर्स कोका कोला कम्पनी, यू.एस.ए. और मैसर्स पैप्सीको इनकारपोरेशन न्यूयार्क, यू.एस.ए. द्वारा किए गए 23 करारों की जांच की है और यह पाया है कि इन करारों के कई खंड प्रतिबन्धित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित हैं। अतः महानिदेशक, जांच और पंजीकरण ने मैसर्स कोका कोला कम्पनी, यू.एस.ए. और उनके 22 बोतल आपूर्तिकर्ताओं तथा मैसर्स पैप्सीको इनकारपोरेशन न्यूयार्क, यू.एस.ए. और उनके एक बोतल आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध बोतल आपूर्तिकर्ता करारों के फलस्वरूप प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा जांचों को संस्थित करने के लिए एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष 23 आवेदन दायर किए हैं जिनमें कथित प्रतिबन्धित खंड हैं जो एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 2(ण) के साथ पठित धारा 33(1) के उपबन्धों के आकर्षित करते हैं।

(ग), (घ) और (छ) महानिदेशक, जांच और पंजीकरण ऐसे मामलों में सरकार को कोई सिफारिश नहीं करता। महानिदेशक, जांच और पंजीकरण एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत करारों की शर्तों से उत्पन्न कथित प्रतिबन्धित व्यापार प्रथाओं की आवश्यक जांच करने के लिए एम.आर.टी.पी. आयोग के समक्ष आवेदन दायर करता है।

(ङ) और (च) महानिदेशक, जांच और पंजीकरण द्वारा दायर किए गए 23 आवेदनों में से एम.आर.टी.पी. आयोग ने मैसर्स कोका कोला कम्पनी, यू.एस.ए. और उनके बोतल आपूर्तिकर्ता मैसर्स वृन्दावन एग्रो इन्डस्ट्रीज, हाथरस तथा मैसर्स पैप्सीको इनकारपोरेशन न्यूयार्क, यू.एस.ए. और उनके बोतल आपूर्तिकर्ता आगरा बैवर्जिज कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित दो आवेदनों पर क्रमशः 20.8.1996 और 27.8.1996 को आखिरी सुनवाई की है। इन दोनों ही मामलों में आयोग द्वारा आदेश आरक्षित (रिजर्व) रखे गए हैं।

सोयाबीन का निर्यात

5628. श्री छतर सिंह दरबार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, देशवार कुल कितनी मात्रा में सोयाबीन का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार द्वारा सोयाबीन का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सोयाबीन का निर्यात नहीं किया गया था। वर्ष 1995-96 (अप्रैल-फरवरी '96) के दौरान सोयाबीन के निर्यातों का देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:

देश	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
बंगलादेश	15	1.15
म्यांमार	18	3.93
योग:	33	5.08

स्रोत : (डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) सोयाबीन सहित तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1986 में तिलहन पर तकनालॉजी मिशन शुरू किया गया था। आजकल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात योग्य अधिशेष उपलब्ध नहीं है।

प्रत्येक्ष विदेशी निवेश

5629. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ख) इस निवेश का कितना प्रतिशत निवेश आधारभूत क्षेत्र में किया गया; और

(ग) भविष्य में और अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् जनवरी, 1993 से जून, 1996 तक प्राप्त कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
1993	1786.71
1994	2981.85
1995	6370.16
1996	3911.32

(जून तक)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वास्तविक प्राप्ति/इनके ब्यौरों की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

(ग) सरकार विदेशी निवेश नीति* की रूपरेखा की निरंतर समीक्षा करती है ताकि इसे निवेशकों के अधिकाधिक अनुकूल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने अनुमोदन प्रक्रिया को त्वरित तथा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का पुनर्गठन किया है। सरकार ने क्षेत्रीय अध्ययन करने तथा परियोजनाओं का पता लगाने और इन्हें इच्छुक निवेशकों को बेचने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद् (एफ.आई.पी.सी.) का भी गठन किया गया।

निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारें कई प्रकार के प्रोत्साहन दे रही हैं, जैसे कि पूंजीगत राजसहायता, बिक्री कर में छूट, विद्युत राजसहायता के आधार पर भूमि का आबंटन, विकास केन्द्रों की स्थापना तथा पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन राजसहायता।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों द्वारा झारखंड क्षेत्र को वित्तीय सहायता

5630. श्री थामस हंसदा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार, विशेषकर, झारखंड क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों जैसे उद्योग, कृषि, विद्युत, आवास और रोजगार के लिए अलग-अलग वितरित ऋण के ब्यौरे के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी धनराशि जुटाई गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयले की ढुलाई

5631. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी कम्पनियों के क्या नाम हैं जो कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न कम्पनियों के कोयले की ढुलाई कर रही हैं;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों के नाम से कुछ जाली कम्पनियां भी कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या एक ही कार्य के लिए निजी तथा भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों की माल भाड़ा वसूली के बीच कोई अन्तर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) की सहायक कम्पनियों में कोयले के परिवहन में कार्यरत कंपनियों/फर्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) कोयला कंपनियां कोयले के परिवहन के लिए केवल उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों को नियोजित करती हैं, जिन्हें की रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कोयला कंपनियों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों प्रचालकों को परिवहन संबंधी दरों को निर्धारित किया जाता है, जबकि गैर भूतपूर्व सैनिकों प्रचालकों के मामले में दरों का निर्धारण खुली निविदाओं के आधार पर किया जाता है।

विवरण

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में कोयले के परिवहन में नियोजित की गई कंपनियों के नामों की सूची

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. कलकत्ता इंडस्ट्रीयल सप्लाई कॉरपोरेशन
2. मे. एस. पी. शर्मा
3. मे. वी. डी. सिंह
4. मे. कौशिक मुखर्जी

5. बारा कैरीयर्स
6. राजेश्वर प्रसाद सिंह
7. श्री भवानी ट्रांसपोर्ट
8. उमेश कुमार सिंह
9. राजनारायण दूबे
10. बी. के. इन्टरप्राईज
11. ए. एन. चौबे एण्ड कंपनी
12. पार्को एण्ड कम्पनी
13. कमला ट्रांसपोर्ट सर्विस
14. फ्रेन्ड्स एण्ड कंपनी
15. कोचव ट्रांसपोर्ट
16. जय अम्बा ट्रांसपोर्ट सर्विस
17. विष्णु ट्रांसपोर्ट कंपनी
18. विक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी
19. अयाची भार वाहक
20. शरन ट्रांसपोर्ट सविर्स
21. आर. एल. देवघरिया
22. मे. बी.डी. सिंह
23. अमिया कुमार घोसाल
24. जे. एम. डी. ट्रांसपोर्ट
25. जै मतारा ट्रांसपोटिंग
26. मे. एन. यू. उपाध्याय एण्ड एशोसिएट्स
27. खुनटेटा ट्रांसपोर्ट
28. मिश्रा कंस्ट्रक्शन
29. मां कल्याणेश्वरी कंस्ट्रक्सन
30. विष्णु ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी
31. जयदेव प्रसाद अग्रवाल
32. दिलीप सिंह
33. ए. एस. खान
34. मे. एस. खान
35. विष्णु ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी
36. मे. हिम्मत ए. अम्बानी
37. खैतान ट्रांसपोर्ट एण्ड कंपनी
38. एन.सी. पॉल एण्ड कंपनी
39. दिलीप सिंह
40. यूविर्सल कैरियर्स
41. अमृत कोल कैरियर्स
42. यूनाइटेड कोल कैरियर्स
43. एन.सी. पॉल एण्ड कंपनी
44. मे. बी.डी. सिंह
45. विवेकानन्द ट्रांसपोर्ट एजेंसी
46. पी. के. घोष
47. अजय कुमार पान
48. एस. एन. चटर्जी एण्ड कंपनी
49. मण्डल ट्रांसपोर्ट सर्विस
50. बाबा तारकनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी
51. महेश्वरी ट्रेडर्स
52. महामाया ट्रेडर्स
53. राजेन्द्र नाथ बनर्जी
54. एन. सी. पॉल एण्ड कंपनी
55. अमिया कुमार मुखर्जी
56. महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट
57. एस. एन. चटर्जी एण्ड कंपनी
58. दुर्गापुर ट्रांसपोर्ट कंपनी
59. श्री जगदेव प्रसाद अग्रवाल
60. यू.के. उपाध्याय
61. मलाथी
62. फतेहपूरिया रोडप्वाया
63. कोनक्रीट
64. यूविर्सल कैरियर्स

65. दिनेश ट्रांसपोर्ट

66. टिकमानी ट्रांसपोर्ट कंपनी

67. फतेहपूरिया रोडवेज

68. शिवम एण्ड कंपनी

69. नवीन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

70. मे. बहुला ट्रांसपोर्ट

71. मे. कोलफील्ड ट्रेडर्स

72. झुनझुनवाला ट्रांसपोर्ट

73. एस. के. ट्रेडर्स

74. मे. हेमफेन्द्रा ओझा एण्ड कंपनी

75. मे. विश्वनाथ दत्ता

76. कोल कैरिइंग कॉरपोरेशन

77. एन. सी. पॉल एण्ड कंपनी

78. जसमेर सिंह

79. प्रकाश सिंह

80. फ्रेन्डस ट्रांसपोर्ट एजेंसी

81. एस. एन. चटर्जी एण्ड कंपनी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1. मे. विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट

2. मे. सूर्या उद्योग

3. मे. श्री लक्ष्मी

4. मे. जी.टी.एस. कोल सेल्स

5. मे. खुनतेरा ट्रांसपोर्ट

6. मे. बी. के. ट्रेडर्स

7. मे. शंकर कोल ट्रांसपोर्ट

8. मे. माला कुमार इंजीनियरिंग

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. मे. सहाय ट्रांसपोर्ट एजेंसी

2. मे. इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी

3. मे. ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

4. मे. रूंग्टा प्रोजेक्टस लिमिटेड

5. मे. शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी

6. मे. चनानी ट्रांसपोर्ट कंपनी

7. मे. देवराज सिंह

8. मे. ललन प्रसाद सिंह एण्ड कंपनी

9. मे. जयन्त ट्रांसपोर्ट कंपनी

10. मे. शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी

11. मे. जी.एन. दूबे एण्ड कंपनी

12. में. शिवा राम एण्ड कंपनी

13. मे. बी. के. बी. ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड

14. मे. आन सिंह

15. मे. सर्नघवारी इंट्रप्राइजेज

16. मे. नगेश ट्रांसपोर्ट कंपनी

17. मे. मो. इजराईल

18. मे. जै अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी

19. मे. आर.के. पाण्डे एण्ड कंपनी

20. मे. नाम कोलफील्ड कैरियर्स

21. मे. अजय ट्रांसपोर्ट कंपनी

22. मे. ई.सी. बोस (विशाखापटनम) प्र. लि.

23. मे. अजय ट्रांसपोर्ट कंपनी

24. मे. एन. एल. सिंह एण्ड कंपनी

25. मे. आलोक कोल एजेंसी

26. मे. ए.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी

27. मे. तिकमानी ट्रांसपोर्ट कंपनी

28. मे. शर्मा एण्ड कंपनी

29. मे. भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी

30. मे. विकास ट्रांसपोर्ट कंपनी

31. मे. नवीन कोल एण्ड कोक्स

32. मे. नवजीवन ट्रेडिंग कंपनी

33. मे. बंसधारे सिंह

34. मे. नरेन्द्र कुमार
35. मे. सिद्धार्थ बिल्डर्स एण्ड ट्रांसपोर्ट
36. मे. खलसा ट्रांमपोर्ट कंपनी
37. मे. बी.पी. अग्रवाल
38. मे. जै महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी
39. मे. आर.के. ट्रांसपोर्ट (प्र.) लिमिटेड
40. मे. लैण्ड लूजर मोटर परिवहन
41. मे. तिरूपति इंटरप्राइजेज
42. मे. संतोष कोल एजेंसी
43. मे. जगदीश ट्रांसपोर्ट कंपनी
44. मे. इंद्र प्रसाद गुप्ता
45. मे. राजू गुप्ता

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. मे. भैयालाल शुक्ला एण्ड कंपनी
2. मे. रूंग्टा प्रोजेक्टस लिमिटेड
3. मे. ए.के. ट्रांसपोर्टस
4. मे. ओम शिव ट्रांसपोर्ट्स
5. मे. बन्दना इंटरप्राइजेज
6. मे. आर.बी. ट्रेडर्स
7. मे. ई.सी. बोस (विशाखापटनम) प्र.लि.
8. मे. तिकमानी ट्रांसपोर्ट कंपनी
9. मे. कलकत्ता इंडस्ट्रीयल सप्लाई कंपनी
10. मे. अलोक कोल एंजीस

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. विदर्भा कोल लिमिटेड
2. बन्दवारी लाल अग्रवाल
3. मे. महेश्वरी ट्रांसपोर्ट कंपनी
4. मे. जै अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी
5. मे. पुनिया कोल रोड लाइन्स
6. मे. एस.के. जैन
7. मथुरादास बंसीलाल बारदिया
8. बन्दवारी लाल अग्रवाला
9. पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी
10. मे. नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी
11. मे. ए.पी. बरियार एण्ड सन्स
12. मे. सनवाल कोल कैरियर्स
13. मे. सैनी रोडवेज
14. श्री बी. हिम्मतलाल अग्रवाल
15. मे. राजीव गोयल
16. मे. सर्वेश्वरी इंटरप्राइजेज
17. मे. एक्स सर्विसमेन स्पार्टन्स
18. मे. खन्डूजा कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी
19. मे. कुमार मिन एण्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी
20. मे. महाराज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
21. मे. पी. एम. सैन. बपात नगर
22. मे. फौजी बैंड एण्ड कोल ट्रांसपोर्ट कैरियर्स
23. मे. एक्स सर्विसमेन शिवाजी कोल कैरियर्स
24. मे. एक्स सर्विसमेन संजय कोल कैरियर्स
25. मे. एक्स सर्विसमेन के. एल. कोल कैरियर्स (प्र) लि.
26. मे. एक्स सर्विसमेन स्वरूप कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी
27. मे. वनबुआर्द कैरियर प्रा.लि.
28. मे. सर्वत्र कोल कैरियर्स (प्र.) लि.
29. मे. शत्रुजीत एक्स सर्विसमेन ट्रांसपोर्ट कंपनी
30. मे. एक्स सर्विसमेन एवरेस्ट कैरियस (प्र.) लि.

साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

1. मे. मोंगतराम बनवारी लाल
2. मे. सिंह ट्रांसपोर्टस
3. मे. निरंजन लाल अग्रवाल
4. मे. राजेश कुमार मुरारका
5. मे. नीलकंठ कंस्ट्रक्शन कंपनी

6. मे. करमजीत सिंह एण्ड एशोसिएट्स
7. मे. छटवाल कंसट्रक्शन कंपनी
8. मे. भुल्लर कंसट्रक्शन
9. मे. ओन ट्रांसपोर्टर्स
10. मे. अजय कंसट्रक्शन कंपनी
11. श्री कैलाश कुमार अग्रवाल
12. मे. कोल कैरियर्स, रायपुर
13. मे. जागिर सिंह नगरा एण्ड कंपनी
14. मे. बी.सी. नहा राय
15. मे. नागरा ट्रांसपोर्ट कंपनी
16. मे. गोयल ट्रांसपोर्ट
17. श्री प्रहालद राय अग्रवाल
18. मे. चुन्नीलाल राधेश्याम
19. मे. अनिल कंसट्रक्शन कंपनी
20. मे. कुलदीप सिंह कालरा
21. मे. करोरीमल अग्रवाल
22. मे. कैलाश कुमार अग्रवाल
23. मे. जेट कंसट्रक्शन एण्ड कैरियर्स
24. मे. सरदार रोड लाइन्स
25. मे. आजाद रोड लाइन्स
26. मे. सूपर कैरियर्स
27. श्री आर.पी. आनन्द
28. मे. करमजीत सिंह एण्ड कं.प्र.लि.
29. मे. अरुनोदाया कोल एजेंसी
30. मे. अर्थ मूवर्स, सुरगुजा
31. श्री रमेश कुमार
32. श्री विष्णु प्रताप अग्रवाल
33. श्री पद गोयल
34. श्री मदनलाल अग्रवाल
35. श्री नरेश कुमार अग्रवाल
36. मे. बिहार कंसट्रक्शन कंपनी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. मे. पानी ब्रदर्स
2. मे. नारायण सतपाथी
3. मे. गजानन्द अग्रवाल
4. उत्कल हाईवेज
5. मे. उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड
6. मे. बनवारी लाल अग्रवाल
7. मे. कलकत्ता इड. सर्वि. कॉर. (प्रा.) लि.
8. मे. ए.एन. चौबे एण्ड कंपनी
9. मे. ओ. एस. टी. सी.
10. मे. जलराम ट्रांसपोर्ट
11. मे. ओन ट्रांसपोर्टर्स
12. मे. अनिल मोदी
13. मे. श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट
14. मे. कोल कैरियर्स
15. मे. दास ट्रेवल्स
16. मे. सैनिक ट्रांसपोर्ट
17. मे. कलिंगा कोल मूवर्स
18. मे. विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट
19. मे. पवन पुत्र परिवहन

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

1. श्री ए. तालुकदार एण्ड कंपनी
2. बुलूमिंटन इंटरप्राइजेज
3. श्री भास्कर शर्मा एण्ड कंपनी
4. श्री सुभाष मित्रा एण्ड कंपनी

इलेक्ट्रानिक और साफ्टवेयर वस्तुओं का निर्यात

5632. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और अब तक, इसके अन्तर्गत क्या उपलब्धि रही है;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिक और साफ्टवेयर वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मदों का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) आठवीं योजना के लिए निर्यात वृद्धि का समग्र लक्ष्य वास्तविक अर्थो में 13.6% रखा गया था। इंजिनियरिंग मदों के लिए निर्यात अनुमान 15% था; तथापि इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर मदों के लिए अलग से अनुमान नहीं लगाए गए थे। आठवीं योजना अवधि के दौरान इलैक्ट्रानिक्स तथा साफ्टवेयर मदों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	जून, 1996 तक उपलब्धि मिलियन अमरीकी डालर
इलैक्ट्रानिक मदें	2025.59
साफ्टवेयर	3087.81
योग	5113.40

(स्रोत : इलैक्ट्रानिक और कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ख) और (ग) जी, हां। इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर मदों के निर्यात बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश है। वर्ष 1995-96 के दौरान भारत के कुल निर्यातों में इलैक्ट्रानिक और कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं का हिस्सा अनुमानतः 6% था और यह उम्मीद की जाती है कि खास तौर पर, साफ्टवेयर क्षेत्र में हमारी क्षमता से हमारे समग्र निर्यात बास्केट में इस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के तत्वावधानों के माध्यम से इन उत्पादों के निर्यात बढ़ाने में उठाए गए कदमों में विशिष्ट भारतीय इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर शो तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और बाजार सर्वेक्षण आयोजित करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनालाजी पार्क (ईएचटीपी) योजना तथा साफ्टवेयर तकनालाजी पार्क (एसटीपी), कच्चे माल/पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात, बाजार विकास निधि के तहत सहायता इत्यादि योजनाओं के माध्यम से निर्यात उत्पादन को बढ़ाया जाता है।

बैंक कर्मचारियों की लंबित मांगें

5633. श्री बी. धर्मभिक्षण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बैंक कर्मचारियों की मांगें काफी लम्बे समय से लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक लंबित उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की प्रत्येक मांग के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि दिनांक 14 फरवरी, 1995 को कामगार यूनियनों के साथ हुए समझौते द्वारा बैंकिंग उद्योग में कामगार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया था। परन्तु, बाद में कामगार यूनियनों ने यह आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा किया कि अधिकारियों को कर्मचारियों की तुलना में बेहतर वेतन पैकेज दिया गया है। इस विवाद से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए, भारतीय बैंक संघ ने एक कार्यान्वेषण समिति नियुक्ति की थी जिसने दिनांक 3.5.1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूनियनें कतिपय अवशिष्ट मुद्दों को सुलझाने तथा गृह-निर्माण ऋण एवं वाहन-ऋण की सीमाएं बढ़ाने आदि की भी मांग कर रही हैं। भारतीय बैंक संघ द्वारा किसी समाधान पर पहुंचने के प्रयास जारी हैं तथा मुद्दों को सुलझाने के लिए कामगार यूनियनों के साथ उनके विचार विमर्श के कई दौर हो चुके हैं।

न्यूयार्क यू.एस.ए. में एम.पी.ई.डी.ए. कार्यालय के रेजीडेंट निदेशक

5634. श्री पी. सी. चाक्को : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूयार्क, यू.एस.ए. में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्यालय के रेजीडेंट निदेशक के महत्त्वपूर्ण पद को भरने में अप्रत्याशित विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा पहले क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या यह पद एक ऐसे सिविल सेवा के अधिकारी को नियुक्त करके भरीगई है जिसे मत्स्यकी और समुद्री उत्पादों के निर्यात का कोई अनुभव नहीं है;

(घ) क्या एम.पी.ई.डी.ए. अधिकारी संघ ने इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का एम.पी.ई.डी.ए. की सिफारिशों के आधार पर मामले की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) न्यूयार्क स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के व्यापार संवर्धन कार्यालय में निवासी निदेशक के पद

को भरने हेतु भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन करने की आवश्यकता को पूरा किया जाना था। किए गए उपायों में पद का परिचालन, यदि आवश्यक हो तो उसका पुनर्विज्ञापन चयन समिति/सीविल सेवा बोर्ड आदि की बैठकें बुलाना शामिल है।

(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा एम्पीडा से तैयार किए गए तीन अधिकारियों का एक पैनल भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया था।

(ग) चयन के मामले में भारत सरकार ने अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया है। तथापि, सिविल कर्मचारी भी विचार किए जाने के पात्र हैं बशर्ते कि वे पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हों।

(घ) एम्पीडा आफीसर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि न्यूयार्क कार्यालट में निवासी निदेशक का पद एम्पीडा के कर्मचारी को ही दिया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) सरकार का निर्णय उपयुक्तता तथा भर्ती नियमों के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्डों के दायरे पर आधारित होगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योगों का पुनरुद्वार

5635. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विशेषकर बिहार में लघु उद्योगों के पुनरुद्वार का ब्यौरा क्या है तथा ये उद्योग कहां-कहां स्थित है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) लघु उद्योगों का संवर्धन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक भाग है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1995 तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या 2,68,815 थी। इनमें से 15,539 इकाइयों पर जीवनक्षमता संभावना के रुप में विचार किया गया था। बैंको द्वारा 10,371 जीवन क्षम इकाइयों की देखभाल की गयी है। मार्च, 1995 के अन्त तक बिहार राज्य में 26,749 रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां थीं। इनमें से 367 इकाइयां जीवनक्षम संभावना वाली थी। बैंकों ने 289 इकाइयों को उपचार के अन्तर्गत रखा है।

नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संशोधित परिभाषा पर सलाह दी कि, पुनर्वास के लिये ब्याज की दर को कम करें, पता लगाई गई रुग्ण इकाइयों का तुरन्त जीवनक्षम अध्ययन/उपचार के कार्यक्रम, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय में कक्षों का गठन तथा विशेषज्ञ स्टाफ का प्रावधान करने जिसमें तकनीकी पहलुओं की जांच के लिये तकनीकी कमी भी शामिल हैं। रुग्ण इकाइयों को पुर्नजीवित करने के लिये राज्य सरकारों के औद्योगिक सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की सांस्थानिक समितियां विद्यमान हैं।

वाहनों के बीमा संबंधी दावे

5636. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा कम्पनियों द्वारा वाहनों के बीमा संबंधी दावों को निपटाने में कितना समय लगता है;

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्पनी-वार कितने दावे प्राप्त हुए;

(ग) गत एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष से कम्पनी-वार कितने-कितने दावे लम्बित हैं;

(घ) क्या ऐसे दावों को निपटाने में विलम्ब की स्थिति में किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जबकि वाहनों की क्षति से संबंधित दावों का निपटान सामान्यतया, दावाकर्ताओं से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् कर दिया जाता है, तथापि, तृतीय पक्ष के दावों का निपटान न्यायालय के फैसले के पश्चात् किया जाता है:-

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

(संख्या लाख में)

कम्पनी का नाम	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
नेशनल	1.04	1.09	1.50
न्यू इंडिया	1.63	1.71	2.14
ओरिएंटल	1.25	2.03	1.85
यूनाईटेड इंडिया	1.47	1.26	1.30
	5.39	6.09	6.79

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

(लम्बित दावों की संख्या (आंकड़े हजार में)

कम्पनी का नाम	एक वर्ष तक	दो वर्ष तक	तीन वर्ष तक
नेशनल	35.58	2.81	1.98
न्यू इंडिया	107.68	16.31	11.34
ओरिएण्टल	25.97	22.05	10.92
यूनाईटेड इंडिया	58.65	25.28	17.19
जोड़	227.88	66.45	41.43

(घ) से (च) कम्पनियों ने दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत पहले ही कर दी है और यदि कोई अधिकारी चूक का दोषी पाया जाता है तो कम्पनियों के आचार, अनुशासन और अपील नियमों में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रावधान हैं।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी के केन्द्र

5637. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्वोत्तम प्रशिक्षण देने और विश्व मानकों को पूरा करने के लिए हाल में नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी के और अधिक केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है; और

(घ) वस्त्र उद्योग में लगे श्रमिकों की प्रौद्योगिकी कुशलता को उन्नत बनाने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) वर्ष 1995 में निफ्ट की पांच शाखाएं कलकत्ता, गांधीनगर, हैदराबाद, मद्रास तथा मुंबई में स्थापित की गई हैं।

(ग) प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक वर्ष फैशन डिजाइन कोर्स में 30 छात्रों तथा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नालाजी कोर्स में 30 छात्रों को दाखिल करने का प्रावधान है।

(घ) परिधान उद्योग में नियोजित कार्यबल की प्रौद्योगिकीय योग्यताओं के उन्नयन के उद्देश्य से अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) ने देश के विभिन्न स्थानों जैसे मुम्बई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, मद्रास, तिरुपुर, बंगलौर, कलकत्ता तथा हैदराबाद में अपैरल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्रों (ए टी डी सी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये केन्द्र सिलाई मशीन प्रचालक, पैटर्न मेकर्स तथा कटर्स, उत्पादन निरीक्षक तथा गुणवत्ता नियंत्रक, फिनिशिंग, पैकिंग निरीक्षक मशीन मैकेनिक्स आदि जैसे शाप-फलोर स्तर पर मानवशक्ति को प्रशिक्षित करेंगे।

पांचवा वेतन आयोग

5638. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री मोहन रावले :
श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने 16 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यालय के सामने दिन भर धरना दिया और रैली में भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या पांचवां वेतन आयोग, चौथे आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के दस वर्ष बाद सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है;

(ङ) क्या इस दस वर्ष की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तीन वेतन बोर्ड नियुक्त किए जा चुके हैं;

(च) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच उस भेद के क्या कारण हैं;

(छ) क्या ज्यादातर कर्मचारी समूहों ने पांचवें वेतन आयोग के प्रतिवेदन को 1.1.91 के बजाय 1.1.196 से लागू करने की स्थिति में देशव्यापी आन्दोलन की धमकी दी है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वेतन आयोग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय

संगठन ने 16 अगस्त, 1996 को एक रैली आयोजित की। आयोग ने यह भी सूचना दी कि कर्मचारियों की मांगे थी: (1) अंतरिम राहत की तीसरी किस्त को पहली दो किस्तों के सममूल्य समझा जाए; (2) आयोग की रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करें। और इसकी सिफारिशें 1.1.94 से लागू की जाएं; और (3) न्यूनतम वेतन 3000/-रुपए प्रतिमाह नियत किया जाए।

(ग) सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर इस मामले में विचार करेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन सामान्यत: प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किए जाते हैं।

(च) चौथे वेतन आयोग ने देखा कि केन्द्रीय सरकार एक व्यापक और जटिल संगठन है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन से सहज तुलना के आधार पर नियत नहीं किया जा सकता। इसलिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढाँचे पर विचार किया जाता है और उसके गुण दोष के आधार पर उसे नियत किया जाता है।

(छ) आयोग की सिफारिशों को दिनांक 1.1.94 से लागू करने के लिए मांग की गई है।

(ज) आयोग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इस पहलू पर विचार किया जाएगा।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया हेतु उपसमिति

5639. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के पास विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा जमा की गई धनराशि पर निगरानी रखने के लिए उप-समितियां बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 (अनन्तिम) के लिए यू.टी.आई. की योजनाओं के अंतर्गत यूनिट पूंजी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सेबी की विनियमन आवश्यकताओं के अनुरूप संगठनात्मक पुनर्संरचना की योजन बनाई है।

विवरण

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्कीमें

(वर्ष : जुलाई-जून)

(करोड़ रुपए)

स्कीमें	बकाया यूनिट पुंजी	
	1994-95	1995-96×
यू.एस. 1964	15281.73	12943.31
यू.एस. 1971	2160.04	2550.06
सी.आर.टी.एस. 1981	733.67	778.17
सी.जी.एस. 1983	523.69	73.38
सी.जी.जी.एफ. 1986	1572.13	1821.01
यू.एस. 1995	174.00	203.50
पी.ई.एफ. 1995	175.10	179.93
जी.आई.यू.एस. पूल	53.73	3.97
एम.आई.एस.जी. 90 पूल	3678.16	3676.01
जी.एम.आई.एस. पूल	2051.45	2051.45
जी.एम.आई.एस.बी. 92 पूल	820.93	820.93
एम.आई.एस.बी. 93/एम.आई.पी. 93	1329.13	1329.13
डी.आई.यू.एस. 1990	105.26	60.26
डी.आई.यू.एस. 1991	204.74	204.74
डी.आई.यू.एस. 1992	128.55	128.55
डी.आई.यू.पी. 1993	375.64	375.64
यू.एस. 92	302.21	257.99
जी.सी.जी.आई.पी.	223.51	223.51
ओमनीप्लान 1991	1.73	34.77
बी.जी.बी.एम.आई.पी.	2.40	2.51
आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 93	1292.83	1265.98
एम.आई.पी. 94	442.81	442.81
एम.आई.पी. 94 (II)	619.61	619.61
एम.आई.पी. 94 (III)	736.83	736.83

(करोड़ रुपए)

स्कीमें	बकाया यूनिट पूंजी	
	1994-95	1995-96×
एम.आई.पी. 95	536.52	536.76
यू.जी.एस. 2000 (राइट्स)	346.52	319.71
यू.जी.एस. 5000 (राइट्स)	216.27	296.87
एम.ई.पी. 1991	165.83	144.75
एम.ई.पी. 1992	1170.92	926.13
एम.ई.पी. 1993	392.78	360.06
एम.ई.पी. 1994	737.29	737.29
एम.ई.पी. 1995	1159.71	1159.71
एम.ई.पी. 1996		190.04
म्यूचुअल फंड स्कीम 86	758.43	758.43
मास्टर प्लस 1991	910.00	910.00
मास्टर ग्रोथ 93	408.60	408.60
ग्रैंड मास्टर 93	74.84	74.84
सी.जी.यू.एस. 1991	76.69	50.06
सी.जी.यू.एस. 1992	4278.06	2487.05
एच.यू.एस.	18.95	18.95
आर.यू.एस.	529.02	529.02
एस.सी.यू.पी.	40.73	51.62
सी.सी.सी.एफ.	48.39	62.69
आर.यू.पी. II	105.49	195.89
जी.यू.पी.	98.53	123.38
आर.बी.पी.	25.14	69.81
आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 95		0.00
आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 95		176.76
डी.आई.पी. 95		98.51
एम.आई.पी. 95		344.23
एम.आई.पी. 95 (II)		382.60
एम.आई.पी. 96		364.54
एम.आई.पी. 96 (II)		297.94
ई.ओ.एफ. 96		25.28
वी.ई.सी.ए.यू.एस. I	64.62	64.62
वी.ई.सी.ए.यू.एस. II	95.11	95.11

(करोड़ रुपए)

स्कीमें	बकाया यूनिट पूंजी	
	1994-95	1995-96×
वी.ई.सी.ए.यू.एस. III	20.00	20.00
इंडिया फंड	85.88	203.19
इंडिया ग्रोथ फंड	67.45	144.73
कोलम्बस इंडिया फंड	15.96	16.24
योग	45437.86	43429.47

× अनन्तिम

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी

5640. डा. एम. पी. जायसवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सरकारी उपक्रमों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो उपक्रमवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नमक का उत्पादन/खपत

5641. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान नमक का वर्षवार, राज्यवार उत्पादन तथा खपत क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने नमक का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार सांभर नमक क्षेत्र को राजस्थान सरकार को सौंपना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सामान्य नमक का उत्पादन और इसकी खपत निम्न प्रकार से है:

(हजार टनों में)

वर्ष	उत्पादन	खपत		कुल
		खाद्य	औद्योगिक	
1993	13727.8	5989.4	4819.9	10809.3
1994	12344.2	5799.4	5020.5	10819.9
1995	12544.0	4849.4	5591.9	10441.3

उत्पादन और खपत का राज्यवार ब्यौरा विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये नमक की मात्रा निम्न प्रकार से है:

(हजार टनों में)

वर्ष	निर्यात की मात्रा
1993	605.4
1994	472.6
1995	516.4

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सांभर साल्ट वर्क्स का राजस्थान सरकार को हस्तांतरण, हिंदुस्तान साल्ट लि. के समग्र हित में नहीं समझा गया है।

विवरण–I

साधारण नमक का राज्य-वार उत्पादन

हजार टनों में

क्रम सं.	राज्य	साधारण नमक का उत्पादन		
		1993	1994	1995
1.	राजस्थान	1242.6	1096.7	1526.2
2.	गुजरात	9313.7	8681.4	8824.4
3.	महाराष्ट्र	252.2	185.8	224.3
4.	कर्नाटक	22.5	21.9	17.2
5.	गोवा	–	2.2	1.7
6.	तमिलनाडु	2465.6	2010.9	1738.8
7.	आन्ध्र प्रदेश	337.8	262.0	139.9
8.	पश्चिम बंगाल	19.0	14.2	19.3
9.	उड़ीसा	53.5	50.6	26.5
10.	हिमाचल प्रदेश	3.1	2.1	1.9
11.	दमन और दीव	17.8	16.4	23.8
	योग	13727.8	12344.2	12544.0

विवरण–II

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	1993			1994			1995		
		खाद्य	औद्योगिक	योग	खाद्य	औद्योगिक	योग	खाद्य	औद्योगिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	296.1	119.7	415.8	339.7	132.0	471.7	253.4	134.9	388.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.8	–	2.8	3.5	–	3.5	4.1	–	4.1
3.	असम	173.5	20.6	194.1	184.4	27.6	212.0	179.6	45.4	225.0
4.	बिहार	629.0	67.7	696.7	580.0	57.1	637.1	709.9	58.0	767.9
5.	गोवा	3.7	–	3.7	3.7	–	3.7	1.8	–	1.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	909.3	2840.4	3749.7	1425.9	2847.2	4273.8	188.3	3224.7	3413.0
7.	हरियाणा	6.7	41.9	48.6	5.8	74.6	80.4	39.0	60.1	99.1
8.	हिमाचल प्रदेश	4.7	3.0	7.7	2.1	2.1	4.2	9.0	1.9	10.9
9.	जम्मू व कश्मीर	22.1	–	.22.1	19.7	–	19.7	26.5	0.1	26.6
10.	कर्नाटक	279.7	84.1	363.8	164.0	127.6	291.6	161.2	82.4	243.6
11.	केरल	201.4	95.2	296.6	161.3	87.6	248.9	137.4	108.7	246.1
12.	मध्य प्रदेश	149.4	201.3	350.7	181.5	210.3	391.8	245.4	272.3	517.7
13.	महाराष्ट्र	305.1	269.6	574.7	358.6	261.2	619.8	538.3	306.7	845.0
14.	मणिपुर	10.6	–	10.6	12.3	–	12.3	15.3	–	15.3
15.	मेघालय	5.4	–	5.4	3.6	–	3.6	12.4	–	12.4
16.	मिजोरम	5.5	–	5.5	5.0	–	5.0	3.4	–	3.4
17.	नागालैंड	8.8	–	8.8	11.0	–	11.0	10.1	–	10.1
18.	उड़ीसा	210.0	29.7	239.7	167.5	38.5	206.0	185.9	44.6	230.5
19.	पंजाब	32.0	161.6	193.6	29.4	214.7	244.1	65.0	190.0	255.0
20.	राजस्थान	18.3	268.2	286.5	42.0	280.6	322.7	114.0	248.8	362.8
21.	सिक्किम	3.2	–	3.2	3.3	–	3.3	6.9	–	6.9
22.	तमिलनाडु	1288.2	340.8	1629.0	676.1	384.4	1060.5	533.3	418.6	951.9
23.	त्रिपुरा	8.6	–	8.6	13.2	–	13.2	11.6	–	11.6
24.	उत्तर प्रदेश	708.8	95.0	803.8	606.8	137.6	744.4	653.3	191.4	844.7
25.	पश्चिम बंगाल	496.6	26.7	523.3	571.4	19.8	591.2	496.4	32.0	523.4
26.	दिल्ली	179.1	124.8	303.9	216.1	85.5	301.6	223.4	132.2	355.6
27.	अण्डमान और निकोबार	0.2	–	0.2	0.2	–	0.2	0.6	–	0.6
28.	दमन और दियू	6.3	–	6.3	–	–	0.0	–	–	0.0
29.	चण्डीगढ़	7.7	–	7.7	5.2	2.0	7.2	13.5	11.2	21.7
30.	सुरक्षा	5.6	–	5.6	5.0	–	5.0	6.8	–	6.8
31.	पांडिचेरी	11.0	29.6	40.6	1.1	30.0	31.1	2.6	27.9	31.5
32.	लक्षद्वीप	–	–	0.0	–	–	0.0	–	–	–
	कुल	5989.4	4819.9	10809.3	5799.4	5020.5	10819.9	4849.4	5591.9	10441.3

नई आर्थिक नीति

5642. श्री विजय गोयल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश देश में लघु उद्योगों के लिए चिन्ता का कारण है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कतिपय संगठनों और समुदायों से ज्ञापन प्राप्त किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उद्योग संघों तथा लघु उद्योग इकाइयों से कभी-कभार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के बारे में उनका भय परिलक्षित होता है। यह सरकार की एक नीति है कि यदि एक बार एक मद को लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्यात हेतु आरक्षित कर दिया जाता है, मध्यम/बड़े पैमाने के उपक्रमों को जिसमें बहुराष्ट्रीय भी शामिल हैं, को 75 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के बावजूद मद विनिर्यात अनुदेय नहीं किया जाता है। संयुक्त उद्यम कम्पनियां, स्थापित करने के लिये दिये गये विदेशी सहयोग अनुमोदन पत्रों में एक मानक शर्त निर्धारित की गई है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों का विनिर्माण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, आरक्षण नीति के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अन्तर्गत दन्डनीय है। आरक्षण के किसी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, डी.जी.एफ.टी. सहित, उल्लंघन करने वाली फर्म के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

[हिन्दी]

रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता

5643. डा. जी. आर. सरोदे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) इन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप से मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) के उपबन्धों के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के मामले, ऐसी कंपनियों के संबंध में किए जाने वाले आवश्यक उपचारात्मक उपायों तथा अन्य उपायों का निर्धारण करने के लिए, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को भेजे जाने अपेक्षित होते हैं। बाइफर ने सूचित किया है कि उसके पास पंजीकृत रुग्ण कंपनियों के मामलों पर सिका के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

रुग्ण कंपनियों की सूची तथा वित्तीय सहायता के लिए उनकी अपेक्षाएं स्थिर नहीं है क्योंकि वे वित्तीय संस्थाओं, कार्य-निष्पादन में परिवर्तन और समग्र पुनरुद्धार पैकेजों में संशोधनों और सरकार, वित्तीय संस्थाओं, श्रम और अन्य एजेंसियों से मांगी गई छूट के कारण उनमें परिवर्तन होता रहता है। बाइफर के समक्ष उन मामलों, जो अर्द्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, पर भी परिचालन एजेंसियों के ऐसे ही विश्लेषण और मूल्यांकन के अनुसार कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सरकार को इन सभी पहलुओं की जांच करनी होता है, अतः इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में किसानों को बैंक ऋण

5644. श्री एन. एस. वी. चितयन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक तमिलनाडु में सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ट्यूबवैल लगाने/बोरिंग करने हेतु राज्य में कितने लघु और सीमान्त किसानों को बैंक ऋण दिया गया है और इस प्रकार दिये गये ऋण की धनराशि क्या है;

(ख) क्या ऋण देने में कोई अनियमितता देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) अब तक कुल कितना ऋण चुका दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन

वर्षों में सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा तमिलनाडु में लघु एवं सीमान्त किसानों को बोर/ट्यूबवेल लगाने के लिए दी गई ऋण सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	सहकारी बैंक		वाणिज्यिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		योग	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1993-94	48	27.7	12	7.5	-	-	60	35.2
1994-95	114	48.2	71	38.3	-	-	185	86.5
1995-96	89	31.0	101	37.3	-	-	190	68.3
1996-97*	41	21.5	-	-	-	-	41	21.5

* 31.8.1996 की स्थिति के अनुसार

(ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है कि ऋण देने में किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वापसी अदायगी कई वर्षों में करनी होती है और किसी वर्ष वापसी अदायगी का केवल एक अंश ही देय रहता है। आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है, जैसे पूछी गई है। तथापि, तमिलनाडु में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए मांग के प्रतिशत के रूप में समग्र वसूली निम्नानुसार है:-

को समाप्त वर्ष	% वसूली (अनन्तिम)
जून, 1993	60
जून, 1994	71
जून, 1995	82

कपास का स्टाक

5645. श्री सईदा कोटा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 में घरेलू खपत के पश्चात् कपास का कितना स्टाक है;

(ख) वर्ष 1996-97 में कितनी घरेलू खपत होने का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के मौसम में कपास का कितना उत्पादन होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड ने 26-8-96 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1995-96 (सितम्बर-अगस्त) की समाप्ति पर कपास का अधिशेष स्टाक 36,02 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किग्रा) होने का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के लिए देश की कपास उपज तथा घरेलू खपत का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

माल को जब्त करना

5646. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 1996 से अब तक विभिन्न विमान पत्तनों पर जब्त किये गये माल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस माल को बेच दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जब्त किये गये माल को बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) पहली जनवरी, 1996 से 31 अगस्त, 1996 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न विमान पत्तनों पर 8816.42 लाख रुपये मूल्य का सोना, चांदी, भारतीय तथा विदेशी करेंसिया, इलैक्ट्रोनिक सामान, कम्प्यूटर के कलपुर्जे, सैल्यूलर फोन, बहुमूल्य रत्न आदि जैसा माल पकड़ा गया था। इसी अवधि के दौरान देश के विभिन्न विमान पत्तनों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत पकड़े गए/जब्त किए गए माल की बिक्री कर के 3505.80 लाख रुपये प्राप्त किए गए हैं।

(घ) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा होने के बाद पकड़े गये उपभोक्ता माल को जिसे जब्त कर लिया जाता है और जो निपटान हेतु पड़ा होता है, सीमा शुल्क काउंटर अथवा एन.सी.सी.एफ. एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिए खुदरा बिक्री के आधार पर बेच दिया जाता है। थोक अथवा व्यापारिक माल को या तो नीलामी करके अथवा निविदाओं द्वारा बेचा जाता है जबकि जोखिमपूर्ण एवं खतरनाक माल को मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। शीघ्र खराब होने वाले माल को, जो अधिक समय तक नहीं चलता है, अभिग्रहण के तुरन्त बाद बेच दिया जाता है। जब्त किए गए सोने और चांदी को दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित सीमा शुल्क के खुदरा काउंटरों के जरिए बिक्री के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड का सूचना ब्यूरो

5647. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोल इंडिया लिमिटेड के सूचना ब्यूरो किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ख) सूचना ब्यूरो पर कोल इंडिया लिमिटेड प्रति वर्ष कितना खर्च कर रहा है; और

(ग) सूचना ब्यूरो स्थापित करने के उद्देश्य क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड से इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई सूचना ब्यूरो स्थापित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

पिछड़े वर्गों के लिए ऋण पर ब्याज दर

5648. श्री ओ. पी. जिन्दल :
श्री गंगा चरण राजपूत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वर्ग के लोगों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र में बैंक संकोच करते हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विभेदक ब्याज दर (डी आर आई) योजना के अन्तर्गत, बैंक कमजोर वर्गों के पात्र ऋणकर्ताओं को 4.0 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ऋण देते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिचकिचाहट/अनिच्छा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

निर्यात की आय में राज्यों की भागीदारी

5649. श्री अनंत कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव निर्यात द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के एक भाग को राज्यों को देने का है ताकि उन राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनकी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) निर्यात आय केवल निर्यातकों को ही प्राप्त होती है और उसके बराबर विदेशी मुद्रा की गणना की जाती है जो देश के समग्र भुगतान-संतुलन की स्थिति सुदृढ़ करती है। राज्य निर्यातोन्मुख एककों को प्रोत्साहित करके और इन पेशकशों को औद्योगिकीय उन्नयन, विदेशी पूंजी निवेशों, रोजगार बढ़ाने तथा बढ़े हुए प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभों से जोड़ कर लाभ उठाते हैं।

फर्जी निर्यातक

5650. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों ने 170 निर्यातकों का पता लगाया है जिन्होंने अधिक अग्रिम लाइसेंस प्राप्ति की दृष्टि से अनुमति से अधिक भार वाले पी एफ वाई धागे, कपड़े आदि का निर्यात करने के लिए फर्जी निर्यात दस्तावेज दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने 178 निर्यातकों द्वारा धोखाधड़ी से किए गए निर्यात के संदिग्ध मामलों की जांच पड़ताल की है तथा उन्होंने ऐसी निर्यातकर्ता फर्मों का पता लगाया है जो फर्जी अथवा गलत घोषणा करके माल के निर्यातों में लगी हुई थीं। इसमें से, सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मुम्बई में 88 निर्यातक फर्मों की जांच-पड़ताल की है जिसमें 98.57 करोड़ रु. (लगभग) का शुल्क अपवंचन शामिल है। इन निर्यातकों ने जाली दस्तावेजों का प्रयोग करके अथवा वस्त्रों के सम्मिश्रण की गलत घोषणा करके निर्यात किए जाने वाले माल के निवल भार को बढ़ा दिया था ताकि वे शुल्क छूट स्कीम के तहत पोलियस्टर फिलामेंट यार्न का अधिक मात्राओं में आयात कर सकें। जांच-पड़ताल के दौरान 22.23 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली गई है।

(ग) 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें निर्यातक, निकासी एजेंट और निर्यात करने वाली फर्मों से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं, इनमें से 10 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरुद्ध कर लिया गया है।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत 2 सीमा-शुल्क अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था, इसके अतिरिक्त 6 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था। लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों ने अब तक 184 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय तथा आय-कर प्राधिकारियों को भी संगत मामलों के संबंध में सूचित कर दिया है ताकि वे अपने-अपने अधिनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर सकें।

कोयले के भंडार का सत्यापन

5651. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोल स्टाकयार्ड लिमिटेड़ में कोयले के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयले के भण्डार का कभी वास्तविक सत्यापन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है जो भंडार की गलत स्थिति दिखा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.) किसी स्टाकयार्ड का परिचालन नहीं कर रही है। किन्तु दिनांक 31.3.96 तक वे.को.लि. की खानों में कोयले का समग्र स्टाक 1.39 मि. टन (अनंतिम) था।

(ख) से (घ) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान वे.को.लि. में कोयले के स्टाक की स्थिति की वास्तविक जांच की गई है।

को.इं.लि. दल द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए स्टाक की वास्तविक जांच के दौरान पेंच क्षेत्र की शिवपूरी भूमिगत खान में 5% की अनुज्ञेय सीमा से अधिक की कमी का एक मामला सामने आया। इस बारे में अपेक्षित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

वर्ष 1993-94 में वे.को.लि. मुख्यालय दल द्वारा की गई जांच और मापन की कार्रवाई के अन्तर्गत सास्ती ओपनकास्ट खान, नीलजा-1 ओपनकास्ट खान तथा कुकुरकुण्डा ओपनकास्ट खानों में अनुज्ञेय सीमा से अधिक की कमियों के 3 मामले पकड़े गए हैं। इस संबंध में लागू नीति के अन्तर्गत उचित कार्रवाई किए जाने हेतु ये मामले जांच अधीन हैं।

समझौता ज्ञापन प्रणाली

5652. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री कृपासिन्धु भोई :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने संबंधी निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को शामिल करने के लिए समझौता-ज्ञापन प्रणाली का विस्तार करने के संभावित परिणाम क्या होंगे;

(ग) समझौता-ज्ञापन योजना के संवर्द्धन के लिए वर्ष 1996-97 के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) उक्त योजना को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (ख) ऐसा मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के प्रबंधन का ध्यान एक व्यवस्थित प्राथमिकता-क्रम में सभी सम्बन्धित कारकों की ओर आकृष्ट करने के लिए किया गया था, ताकि रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार पैकेज का आधार व्यापक बनाकर पैकेज की सफलता की संभावनाओं में वृद्धि की जा सके।

(ख) आशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को समझौता ज्ञापन में शामिल करने से दक्षता, उत्पादन एवं बेहतर लाभकारिता पर ज्यादा जोर दिया जा सकेगा और इससे रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार में सहायता मिलेगी।

(ग) समझौता ज्ञापन योजना के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं किया जाता है। व्यय की पूर्ति सरकारी उद्यम विभाग के बजट से की जाती है।

(घ) समझौता ज्ञापन योजना को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित अंकों से जोड़ दिया गया है।

(ii) लक्ष्य-निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यावसायिक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट अध्ययन किए जा रहे हैं। उर्वरक क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसा एक अध्ययन संपन्न कर लिया गया है।

(iii) वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय मानदण्डों को समझौता ज्ञापन में भार का 60% आवंटित किया गया है।

जम्मू तथा कश्मीर में ऋण माफी योजना

5653. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू तथा कश्मीर में विभिन्न बैंकों के खातों में ऋणों की कितनी धनराशि को माफ किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सार्वजनिक जिम्मेदारी के एक उपाय के रूप में बैंकों को यह धनराशि पुन: अदा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अगस्त, 1996 को संसद के दोनों सदनों में जो वक्तव्य दिया था उसके अनुसार, सरकार का विचार है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग एवं व्यापार क्षेत्रों में उन सभी ऋणकर्ताओं के ऋण तथा ब्याज बही खाते डाल दिए जाएं जिनके मूल ऋण 50,000/- रुपए तक या उससे कम हों। इस तरह ऋण माफी के कार्यान्वयन के लिए कार्यपद्धति तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जिलों में औद्योगिक इकाइयां

5654. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें "उद्योग विहीन जिले" घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) अगस्त, 1991 से जुलाई, 1996 तक की आवधि के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए 78 औद्योगिक लाइसेंस तथा 249 आशय पत्र जारी किए गए थे तथा उत्तर प्रदेश में फैले विभिन्न जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए 2573 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए थे। औद्योगिक नीति के उदारीकरण के पश्चात् राज्य/जिले के औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इस समय भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वह किसी जिले को "उद्योग रहित जिला" घोषित करे।

ऋण पुनर्भुगतान की साख

5655. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की बेहतर भुगतान सन्तुलन की स्थिति के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संगठनों द्वारा भारत की ऋण पुनर्भुगतान की साख की दृष्टि से स्थिति के उन्नयन की कोई संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या ऋण पुनर्भुगतान साख की दृष्टि से भारत की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए इन संगठनों से कोई अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन एजेन्सियों ने ऋण पुनर्भुगतान की दृष्टि से भारत की स्थिति की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) भारत की क्रेडिट रेटिंग की पुनरीक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संगठनों द्वारा भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति एवं अन्य प्रमुख आर्थिक सूचकों की विस्तृत वार्षिक समीक्षा की जाती है। हाल के वर्षों में दो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं अर्थात् मूडीज तथा जापान बॉण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पहले ही भारत को "निवेश दर्जे" के लिए उन्नयन किया है। स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स ने अगस्त 1995 में अपनी अद्यतन समीक्षा पूरी कर ली है तथा इस पर उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

कयर उद्योग

5656. श्री एन. डेनिस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कयर उद्योग के आधुनिकीकरण का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कयर उद्योग की आधुनिकीकरण योजना के तहत, अप्रवाहित जल में डुबोने के परंपरागत तरीके के बदले में कयर बोर्ड द्वारा विकसित किया गया जीवाणु प्रक्रिया वाले "कयररेट" का इस्तेमाल करके केंग्र कंक्रीट टैंकों में हरी भुस्सी रेशों को गलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रक्रिया से अप्रवाहित जल में नारियल जटा की प्राकृतिक रूप से गलाने की क्रिया बदल जायेगी जो जल प्रदूषित करती है और नारियल जटा निकालने में कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। प्राकृतिक रूप में गलाने के कारण जल के ऊपरी सता को प्रदूषण रहित करने के लिए गलाने को दौरान उत्पन्न निस्राव उपचार की भी परिकल्पना की गयी है। रेशा उत्पादन केन्द्रों में बड़ी मात्रा में गुदा रद्दी के रूप में एकत्रित हो जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कयर बोर्ड द्वारा विकसित "पिथ प्लस" एक फफूंद का इस्तेमाल करके कयर गूदे को जैव खाद में बदलना उक्त योजना का एक भाग है।

परंपरागत रूप से चली आई हाथ से नारियल जटा की कताई के बजाय मशीन से कताई के लिए मोटरीकृत रेट को लोकप्रिय बनाना, नारियल जटा उत्पादों के विनिर्माण के लिए करघा गृह बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना और डाईंग तथा ब्लीचिंग के लिए लघु एककों के विकास के लिए सार्वजनिक सुविधा केन्द्र की स्थापना करना भी उक्त योजना का एक अंग है। भूरे रेशें क्षेत्र में मशीनों के विनिर्माण क्रिया के लिए एककों के स्थापनार्थ और मौजूदा कयर एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में नारियल जटा की चटाइयां बुनने के लिए अर्ध स्वचालित करघों और पूर्ण स्वचालित करघों को लोकप्रिय बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा कयर उत्पाद राज्यों में एकीकृत कयर विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता देने के पहलू को भी उक्त आधुनिकीकरण योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

केरल की एकीकृत कयर विकास परियोजना, जो सहकारीकरण योजना के आधुनिकीकरण का एक अंग है, के तहत मशीन से कयर रेशा निकालने हेतु रेशे निकालने वाली 100 एककों की स्थापना करना और कयर धागे कातने के लिए 20,000 मोटरीकृत रेट की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं तैयार की जा रही है। कयर बोर्ड ने कयररेट इस्तेमाल करके 72 घंटे में सुनहरे रेशें बनाने के लिए हरी भुस्सी रेशे के उपचार हेतु आर.सी.सी. टैंकों के निर्माण के लिए 10 सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी है। कयर के गुद्दे से जैव खाद का उत्पादन करने के लिए 34 कयर एककों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं के निर्माण के लिए 461 लघु एककों को भी सहायता दी गई थी। सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए भी वित्तयी सहायता दी जाती है। मोटरीकृत रेट्स खरीदने के लिए 444 महिला कटरईकारों को सहायता दी गई थी। कयर बोर्ड ने मोटरीकृत रेट पर कयर धागों की कताई को लोकप्रिय बनाने के लिये एक महिला कयर योजना भी कार्यान्वित की है। भूरा-रेशा क्षेत्र में 342 कयर एककों को 1.56 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी।

"आकाश" और राज्य हथकरघा निगमों के साथ पंजीकृत एकक

5657. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य हथकरघा निगमों और "आकाश" के साथ पंजीकृत कम्बल के बरक का उत्पादन करने वाली इकाईयों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन इकाईयों द्वारा पूर्ति किये गये कम्बल बरकों की कुल कितनी मात्रा में एकक-वार और राज्य-वार आपूर्ति की गई है; और

(ग) पिछले वर्षों के दौरान इन इकाईयों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) "आकाश" के साथ पंजीकृत इकाईयों की कम्बल बैरक की उत्पादन-संलग्न विवरण-। में दी गई है। राज्य हथकरघा निगमों के साथ पंजीकृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता का रिकार्ड "आकाश" द्वारा नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसी इकाईयां अपने उत्पाद राज्य हथकरघा निगमों के माध्यम से "आकाश" को आपूर्ति करती हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान "आकाश" द्वारा कम्बल बैरक की आपूर्ति का राज्य-वार, इकाई-वार ब्यौरा विवरण-।। में दिया गया है जो इन इकाईयों के कार्यों को भी दर्शाता है।

विवरण–I

"आकाश" के साथ पंजीकृत इकाईयों की कम्बल बैरक तैयार करने की माहवार उत्पादन क्षमता

क्र.सं.	राज्य	आकाश के साथ पंजीकृत इकाई	मासिक क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.	5,000
2.	हरियाणा	हरियाण राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प निगम लि.	10,000
		हरियाणा हथकरघा बुनकर शीर्ष सहकारी समिति लि.	20,000
		हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम	10,000
3.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर हथकरघा विकास निगम	10,000
		जम्मू व कश्मीर हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि.	5,000
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम	2,500
5.	पंजाब	पंजाब राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.	25,000
6.	राजस्थान	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लि.	2,500
7.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	10,000
		उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम	5,000

विवरण–II

"आकाश" के साथ पंजीकृत इकाईयों द्वारा सप्लाई किए गए कम्बल बैरक का राज्य-वार इकाई-वार विवरण

(मात्रा लाखों में)

			1993-94	1994-95	1995-96
क्र.सं.	राज्य	"आकाश" के साथ पंजीकृत इकाई	मात्रा	मात्रा	मात्रा
1.	हरियाणा	हरियाणा राज्य हथकरघा हस्तशिल्प निगम	0.06	0.21	0.12
		हरियाणा राज्य हथकरघा बुनकर शीर्ष समिति लि.	0.23	1.10	–
		हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम	–	0.32	–
2.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर हथकरघा निगम	0.25	0.30	–
		जम्मू व कश्मीर विपणन वस्त्र	–	–	0.03
3.	पंजाब	पंजाब राज्य हथकरघा बुनकर शीर्ष समिति	0.10	–	–
4.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	–	0.25	–

[हिन्दी]

छोटे व्यापारियों के लिए आयकर योजना

5658. **श्री शिवराज सिंह :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में छोटे व्यापारियों के लिए घोषित आयकर योजना के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा राज्यवार की गई वसूलियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अपेक्षित सूचना, मुख्य आयकर आयुक्त के प्रभार-वार, नीचे दी गई है:–

मुख्य आयकर आयुक्त का प्रभार	1993-94		1994-95		1995-96	
	मामलों की सं.	धनराशि (लाख रु. में)	मामलों की सं.	धनराशि (लाख रु. में)	मामलों की सं.	धनराशि (लाख रु. में)
अहमदाबाद	6996	98.28	9432	133.03	9937	139.83
बंगलौर	23361	327.78	52350	738.93	26533	378.65
भोपाल	3580	50.14	18143	253.01	7362	103.08
बम्बई	4739	70.29	13059	184.57	24631	346.98
कलकत्ता	3172	49.14	6396	89.92	5233	73.39
कोचीन	2275	32.09	6846	95.84	1325	18.55
हैदराबाद	53933	755.06	81578	1142.09	52677	737.48
जयपुर	9692	135.69	12737	178.32	14196	198.74
मद्रास	4593	67.74	6812	102.13	5145	72.03
दिल्ली	10971	153.56	8296	117.07	6798	95.52
चंडीगढ़	45979	636.14	90455	1267.66	63139	884.34
कानपुर	2503	35.21	16378	233.18	6491	91.01
लखनऊ	2761	41.27	6526	70.42	5765	80.52
पुणे	14412	207.65	13799	197.63	12006	168.79
पटना	6633	93.32	13515	192.02	10586	150.52
योग	195600	2753.36	356322	4995.82	251824	3539.43

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग धोखाधड़ी

5659. श्री माणिकराव होडिल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं में धोखाधड़ी के कुछ मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान शाखावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ी की राशि सहित इन मामलों में शामिल बैंक अधिकारियों की संख्या क्या है तथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1993-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के कार्यालयों में हुई धोखाधड़ी के मामलों की सूचना निम्न प्रकार है:

वर्ष	धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	इनमें निहित धनराशि (लाख रु.)	इनमें शामिल पदाधिकारियों की संख्या
1993	-	-	-
1994	03 (एक बैंगलूर कार्यालय में और दो मुम्बई कार्यालय में)	339.86	तीन मामलों में से, दो मामलों में स्याफ का शामिल होना साबित हो चुका है। जिसमें एक बैंक में जमा लेखा विभाग का लेजर पोस्ट मशीन आपरेटर है और राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्र के चार मशीन आपरेटर है।
1995	01 (मुम्बई कार्यालय में)	428.36	स्टाफ का संलिप्त होना साबित नहीं हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पूर्वोपाय के रूप में राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्र में वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा समाशोधन अन्तर को शीघ्रता से दूर करने के लिए बैंकों को विशेष कार्यदल सृजित करने की सलाह देने के अतिरिक्त सभी समाशोधन गृहों को धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के प्रति सतर्क कर दिया गया है। गलतियां करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारम्भ की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को कोयले की आपूर्ति

5660. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार को अपने विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या उसकी मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (घ) कोयले की मांग को राज्य-वार निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्धारण देश के लिए समग्र रूप में क्षेत्र-वार किया जाता है। कोल इंडिया लि. उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति राज्य में संबद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रायोजन संबंधी कार्यक्रमों के आधार पर करती है। वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युत-क्षेत्र को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी उद्योगों को 1.637 मि. टन (अनंतिम) कोयले का प्रेषण किए जाने की तुलना में वर्ष 1995-96 में यह 1.698 मि. टन (अनंतिम) किया गया। देश में स्थित औद्योगिक उपभोक्ताओं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के उपभोक्ता भी शामिल हैं, को कोयले का प्रेषण अधिक मात्रा में किया जाता, किन्तु विद्युत क्षेत्र के कोयले के प्रेषण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण इसमें कमी की गई।

कोयला कंपनियां देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर सभी उपभोक्ताओं, जिसमें महाराष्ट्र के उपभोक्ता भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त कई कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयला की पेशकश की जाती है जिसके अंतर्गत बिना किसी अपेक्षित संयोजनों/प्रायोजनों के कोयले की आपूर्ति की जाती है। अब कोयले का आयात किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

5661. श्री चित्त बसु : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए इस कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित कोई कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के औचित्य तथा व्यावहारिकता को लेकर त्रिपक्षीय विचार-विमर्श हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (घ) भारत सरकार ने वर्ष 1992 में यू एन डी पी की सहायता से राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम 5 वर्ष की अवधि के लिए है तथा इसमें यू एन डी पी से 23 मि. अमरीकी डालर की मूल वचनबद्धता थी तथा भारत सरकार का योगदान लगभग 50 करोड़ रु.। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: पटसन उद्योग का नवीकरण, पटसन तथा उसके प्रयोग के विविधीकरण को सुकर बनाना, अनुसंधान व विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाना, उत्पादन विकास के लिए आधारी संरचना संबंधी सहायता देना, तकनीकी अंतरण, बाजार संवर्द्धन तथा निर्यात संवर्द्धन, घरेलू मशीन क्षेत्र का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना, एच आर डी पटसन क्षेत्र के लिए संस्थागत ढांचे का विकास करना, पटसन कृषक समुदाय के कल्याणकारी उपाय करना तथा प्रबंधन तथा समन्वय को कारगर बनाने संबंधी प्रणाली को क्रियान्वित करना।

कार्यक्रम तैयार करते समय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के सहयेग से पटसन क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण किया गया तथा अध्ययन के निष्कर्षों पर उद्योग तथा व्यापार के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्रों में गरीब कारीगरों, औद्योगिक कामगारों, कृषकों तथा महिलाओं सहित विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए लाभकारी योजनाएं भी शामिल हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल सहित देश में संगठित पटसन उद्योग का संबंध है, बढ़िया यार्न की कताई, जीयो-जूट प्रयोग के विकास तथा डिरोडोराइज्ड बोरों के उत्पादन के लिए भी कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ तथा भारतीय पटसन संघ ने भी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण, मौजूदा उपकरणों को अपनाने तथा

कनवरशन किट का निर्माण करने का एक प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाना

5662. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आवास बैंक राज्य में निर्माण तथा घरों की मरम्मत हेतु असम के ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त पोषण की सुविधा देता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि असम राज्य में मकानों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए राज्य के ग्रामीण बैंकों से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम

5663. **श्री रनजीब बिसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार से संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार

5664. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विकसित देशों में तम्बाकू के प्रति एकड़ मानक उत्पादन की तुलना में देश में तम्बाकू का प्रति एकड़ उपज और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार "फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया" तम्बाकू का गुणवत्ता संस्करण, भण्डारण सुविधा और उपज में सुधार करने हेतु तम्बाकू बोर्ड द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के लिए भारत और कुछ अन्य प्रमुख एफ सी वी तम्बाकू उत्पादक देशों में प्रति एकड़ औसत उपज इस प्रकार है:-

औसत उपज : कि.ग्रा./प्रति एकड़

देश	1993-94	1994-95	1995-96 (अ.)
भारत	409	416	409
ब्राजील	754	722	723
कनाडा	1018	1040	1044
यू.एस.ए.	1069	896	996
जिम्बाब्वे	1004	1066	988

(ख) इसके साथ-साथ तम्बाकू के उत्पादन और उत्पादिता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(1) अनुमोदित बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई उपकरण, सकरसाइड्स और रूफ इन्सुलेशन ऑफ बार्न्स के इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(2) संसाधित पत्ते के भंडारण के लिए रियायती दर पर तारपीन की आपूर्ति;

(3) बीमारी से लड़ने वाली प्रतिरोधी किस्में तैयार करने के लिए केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के साथ तालमेल करना;

(4) तम्बाकू के संसाधन के लिए कोयले की आपूर्ति;

(5) मृदा और जल नमूनों का विश्लेषण करना ताकि तम्बाकू उपजाने के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में किसानों को सलाह दी जा सके।

(6) उन्नत पद्धतियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना।

अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना

5665. **श्री आई. डी. स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों का करोड़ो रुपए का वह धन बट्टे खाते में डाल दिया है जो बैंकों द्वारा कई वर्षों से वसूल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बैंक वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के बजट प्रावधानों में इन बैंकों के नुकसान की भरपाई करने के वास्ते कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक बैंकवार कितनी धनराशि वितरित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने 1994-95 और 1995-96 में निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों को चुकता पूंजी में से अपनी संचित हानियों को बट्टे-खाते डालने की अनुमति दी है। तत्कालीन न्यू बैंक आफ इंडिया (ई.एन.बी.आई.) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) में होने के मामले में, विलय की तारीख को ई एन बी आई की अपूरित संचित हानियां, पी एन बी की पूंजी से समायोजित की गईं। बैंक आफ इंडिया और देना बैंक के मामले में, उन्हें अपनी हानियों को समायोजित करने की अनुमति दी गई है ताकि वे संसाधन जुटाने के लिए बाजार में प्रवेश हेतु अपने तुलनपत्रों को समाशोधित कर सकें।

क्र.सं.	बैंक का नाम	वह राशि जिसे बट्टे खाते डालने की अनुमति दी गई (करोड़ रुपए)
1.	पंजाब नेशनल बैंक	425.43
2.	बैंक आफ इण्डिया	1369.91
3.	देना बैंक	136.29

(ग) और (घ) विजया बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की संचित हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 1532 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 1996-97 के दौरान, अभी तक कोई निधियां मंजूर नहीं की गई हैं।

परिसम्पत्तियों की घोषणा करना

5666. श्री प्रमोद महाजन :
श्री तारीक अनवर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उम्मीदवारों के लिए संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु अपना नामांकन पत्र भरने से पूर्व अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करने को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद के समक्ष इस प्रकार का विधान कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(घ) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावित लोकपाल विधेयक, 1996 भ्रष्टाचार को रोकने का एक साधन होगा।

पेटेन्ट का पंजीकरण

5667. श्री दिलीप संघानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक वर्ष में औसतन कितने पेटेन्ट पंजीकृत किए जाते हैं;

(ख) पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने पेटेन्ट पंजीकृत किए गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पेटेन्ट का पंजीकरण रद्द किया गया और उसके क्या कारण थे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत (स्वीकृत) पेटेंटों की प्रतिवर्ष औसत संख्या 1898 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत (स्वीकृत) पेटेंटों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	पंजीकृत किये गये पेटेंटों की संख्या
1993-94	1746
1994-95	1759
1995-96	1533

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "ऊतक संवर्धन द्वारा रुपांतरित कपास कोशिकाएं उत्पन्न करने की विधि" शीर्षक वाले एक पेटेंट संख्या 168950 का जनहित में, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 66 के प्रावधानों के आधार पर केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत पंजीकरण रद्द/निरस्त कर दिया गया है।

मिश्र समिति तथा मनमोहन समिति

5668. श्री काशीराम राणा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए गठित की गई मिश्र समिति और मनमोहन समिति ने बहुत सारी सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार को लघु उद्योगों के लिए गठित ऐसी समितियों की जानकारी नहीं है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र निर्यात कोटा

5669. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **वस्त्र मंत्री** 19 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3586 के उत्तर का अवलोकन करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी मुकदमा कब तक दर्ज कर लिया जायेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले में जांच पूरी होने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

सांप की खाल का निर्यात

5670. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सांप की खाल का देशवार कुल कितना निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

(ख) सांप की खाल के निर्यात संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने विशेषत: आन्ध्र प्रदेश के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में सांप के काटने से होने वाली मौतों से वहां के निवासियों के जीवन की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चालू निर्यात-आयात नीति (1992-97) के प्रावधानों के अनुसार जंगली जानवरों के सभी अंगों तथा उत्पादों सहित उनके सभी रूप में निर्यातों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सांपों को जंगली जानवरों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है, अत: किसी भी रूप में इनका निर्यात निषिद्ध है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सांप के काटने का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों को तत्काल उपचार के लिए निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा जिला अस्पताल में भेजने हेतु एक रैफरल प्रणाली उपलब्ध है।

नाबार्ड द्वारा निजी बागानों का वित्त पोषण

5671. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यावसायिक स्वरुप के निजी बागानों/वानिकी जैसे सागौन के वित्त पोषण के मामले में नाबार्ड की क्या नीति है; और

(ख) निजी क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सागौन की लकड़ी टीक वुड (सहित वृक्षारोपण)/वानिकी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। तथापि, नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसे अब तक मंजूरी के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में सागौन की लकड़ी के वृक्षारोपण के लिए कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र गैर-सरकारी क्षेत्र की वानिकी योजनाओं के प्रकार निम्नानुसार हैं:-

(1) बंजर भूमि पर वानिकी वृक्षारोपण जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप है;

(2) अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल जुटाने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा अवक्रमित भूमि पर सीमित वृक्षारोपण;

(3) व्यक्तिगत किसानों हेतु अतिरिक्त आय सृजित करने के लिए फार्म वानिकी/कृषि वानिकी योजनाएं;

(4) वृक्षारोपण और वन रोपण क्रियाकलापों की सहायता के लिए नर्सरी योजनाएं;

(5) परमिट धारकों के लाभ के लिए वृक्ष पट्टा योजनाएं;

जहां तक उद्योगों द्वारा सीमित उपयोग के वास्ते वृक्षारोपण का संबंध है, 5000 हेक्टेयर का न्यूनतम क्षेत्र (तीन वर्ष में किए जाने के लिए) निर्धारित किया गया है। उपयोगकर्ता उद्योग के साथ सहकारिताओं और गैर सरकारी उद्यमियों के लिए, निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र 100 हेक्टेयर है।

परिवार पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता

5672. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों ने केन्द्र सरकार को उन परिवार पेंशन भोगियों को तुरंत महंगाई भत्ता जारी करने का निर्देश दिया है जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है अथवा जो पहले से सरकारी सेवा में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विद्यमान आदेशों के अनुसार, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत उस समय तक निलंबित रहती है जिस अवधि के दौरान पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा भारत अथवा विदेश में इनके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक, जिसमें ऐसे संगठनों में स्थायी संविलयन भी शामिल है, में नियोजित रहता है। इसे सीमित करने के पीछे तर्काधार यह है कि पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी अपने नियोजन के दौरान वेतन पर महंगाई भत्ता प्राप्त कर मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है। यदि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत भी दे दी जाती है तो यह दुगुनी प्रतिपूर्ति के तुल्य होगी। कुछ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों ने नियोजन के दौरान पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति दे दी किन्तु अच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8.12.1994 के निर्णय द्वारा नियोजन के दौरान पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत न देने के सरकारी निर्णय को ठीक ठहराया है।

भारतीय पटसन निगम

5673. **डा. असीम बाला** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पटसन उत्पादकों के हितों के लिए भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में सुधार लाने संबंधी भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पटसन निगम को निर्देश दे दिया गया है कि वर्ष 1996-97 के पटसन मौसम के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाए।

उपभोक्ताओं को उत्पादन-शुल्क लाभ

5674. **श्री आर. देवदास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि बजट में घोषित उत्पादक शुल्क में कटौती का लाभ विशेषरूप से उपभोज्य वस्तुओं के संबंध में अंततः उपभोक्ता को मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जो उपभोक्ताओं को पूरा लाभ नहीं देते हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वस्तुओं के मूल्य सामान्यतया बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, और ऐसे बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें से उत्पाद शुल्क मात्रा एक कारक है।

जहां मूल्य नियंत्रण नहीं होता है, वहां उत्पाद शुल्क में कमी के बराबर मूल्य में कमी को सुनिश्चित करने के लिए कोई विधिक तंत्र नहीं है।

दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु स्वीकृति

5675. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख के विशाल क्षेत्र (लगभग 1,000,00 वर्ग कि.मी.) को देखते हुए लेह और कारगिल जिलों के लिए दो अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय लोक सभा में राज्य को आबंटित की गई विद्यमान संख्या में वृद्धि करने पर संवैधानिक रोक है।

आयकर अधिनियम, 1961

5676. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 81(क) में विस्तार किया है ताकि

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम जिन्होंने 1 अप्रैल, 1993 को उत्पादन किया है या उसके पश्चात् शीतागार संयंत्रों का उत्पादन करते हैं और शीतागार चलाते हैं, को प्रारंभ के 5 वर्षों तक 100% तथा अगले पांच वर्षों के लिए 30% आयकर राहत मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत को वित्त विधेयक, 1996 में प्रस्तावित न्यूनतम वैकल्पिक कर द्वारा काफी कम कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कटौती का देश के उद्योग वंचित पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। आयकर अधिनियम की धारा 80-झ क के अन्तर्गत देश के कुछेक अधिसूचित पिछड़े राज्यों में कार्यरत औद्योगिक उपक्रमों को कर-रियायत दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह लाभ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को उपलब्ध है।

(ख) और (ग) पिछड़े राज्यों में स्थित और धारा 80-झक में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के लाभों को वित्त (संख्या-2) विधेयक, 1996 में सरकारी संशोधन करके न्यूनतम वैकल्पिक कर के दायरे से अलग रखा गया है।

रेशम का आयात

5677. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये रेशम (रेशमी धागा तथा रेशमी कपड़े सहित) की मात्रा क्या है;

(ख) क्या देश में रेशम उत्पादकों की ओर से रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग निरन्तर होती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) अपरिष्कृत रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने/सीमित करने की मांग हुई है। चालू निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत अपरिष्कृत रेशम पहले से ही आयात की निषिद्ध सूचि में है तथा इस समय इसकी अनुमति केवल अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत ही दी जा रही है ताकि भारतीय रेशम के निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसलिए अपरिष्कृत रेशम के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना उपयुक्त नहीं समझा गया है। तथापि, नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा उसमें संशोधन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में रेशम उत्पादन उद्योग पर इस का प्रभाव न पड़े।

रेशम के आयात मुख्यतः अपरिष्कृत रेशम/रेशम यार्न के रूप में होते हैं तथा पिछले तीन वर्षों में ऐसे आयात की मात्रा निम्नानुसार थी:-

(टन में)

1993-94	-	4892
1994-95	-	5403
1995-96	-	4195 (अनन्तिम)

ई. सी. एल. द्वारा संचालित विद्यालय

5678. श्री महबूब जहेदी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लि. का स्वयं विद्यालय का संचालन करने का प्रस्ताव है, जैसा कि कोयला उद्योग के अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.सी.एल. ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता/संबद्ध कराने के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ई.को.लि.) के अंतर्गत कोयला खानों के आसपास स्थित स्कूलों में से कोई भी स्कूल ई.को.लि. के प्रबंधन द्वारा नहीं चलाया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए लागू ही नहीं होता है।

राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

5679. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु काम करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार ने राज्यों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा है। तथापि, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना की चर्चा के समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्यों से अपेक्षा की है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के लिए लक्षित और आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना – 1992-97

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	आठवीं योजना लक्ष्य 91-92 के मूल्यों पर	पहले 4 वर्षों के दौरान उपलब्धि (अस्थाई) (91-92 के मूल्यों पर)
1	2	3
(क) विशिष्ट श्रेणी		
1. अरूणाचल प्रदेश	32.44	10.74
2. असम	55.10	385.81
3. हिमाचल प्रदेश	0.00	94.14
4. जम्मू और कश्मीर	0.00	59.30
5. मणिपुर	41.32	0.00
6. मेघालय	111.54	32.62
7. मिजोरम	0.00	1.67
8. नागालैंड	53.70	14.58
9. सिक्किम	0.00	0.00
10. त्रिपुरा	8.69	26.61
उप-जोड़ (क)	302.79	625.47
(ख) गैर-विशिष्ट श्रेणी		
1. आन्ध्र प्रदेश	4062.72	2586.83
2. बिहार	5462.54	507.52
3. गोवा	237.35	164.74
4. गुजरात	6019.34	1988.34
5. हरियाणा	1222.85	806.03
6. कर्नाटक	3976.83	2812.11
7. केरल	1852.02	1584.43
8. मध्य प्रदेश	2053.36	1881.61
9. महाराष्ट्र	6737.46	5553.88
10. उड़ीसा	2496.36	1602.82
11. पंजाब	2060.88	2575.52
12. राजस्थान	2827.55	1427.53
13. तमिलनाडू	2605.00	2767.90
14. उत्तर प्रदेश	5711.68	4631.12
15. पश्चिमी बंगाल	1916.03	1653.78
उप-जोड़ (ख)	49241.97	32544.16
जोड़ (क + ख)	49544.76	33169.63

पश्चिम बंगाल में जीवन बीमा निगम द्वारा वसूल की गई प्रीमियम राशि

5680. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पश्चिम बंगाल में जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों से कुल कितना प्रीमियम वसूल किया गया है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में जीवन बीमा निगम द्वारा विकास कार्यों में कितना निवेश किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96
राशि (करोड़ रुपए में)	830.66	965.02	1272.57

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
1.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	65.00	74.55	70.00
2.	विद्युत बोर्डों के बांड	12.00	-	-
3.	वित्त निगम के बांड और शेयर	2.00	5.00	4.00
4.	आवास निर्माण सम्बद्ध राज्य सरकार	17.32	-	-
5.	नगर समितियां	0.43	-	-
6.	विद्युत बोर्ड	41.97	41.97	50.08
7.	कंपनियों को जारी मावधि ऋण	1.92	3.16	0.86
8.	कंपनियों को जारी अल्पावधि ऋण	10.50	4.80	36.75
9.	ऋण पत्र	42.35	4.49	40.02
10.	इक्विटी शेयर	10.96	74.45	43.13
	जोड़	204.45	208.42	244.84

सूचकांक से सम्बद्ध ऋणपत्र

5681. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उधार प्राप्त करने हेतु लागत प्रभावी दस्तावेज के रूप में सूचकांक से सम्बद्ध ऋणपत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो सूचकांक से सम्बद्ध ऋणपत्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन ऋणपत्रों के माध्यम से सरकार उधार के रूप में कितनी धनराशि जुटाने का विचार करती है; और

(घ) इन ऋणपत्रों को कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आधारभूत परियोजनाओं के लिए निधि

5682. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी अनुषंगी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से बड़ी आधारभूत परियोजना संबंधी राहत और पुनर्वास कार्य के बारे में व्यय के वित्तपोषण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डालर का निम्न ब्याज दर (0.5%) पर 30 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टसर रेशम

5683. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बाजारों में भारतीय टरस रेशम की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टसर रेशम के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टसर रेशम का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम मुख्यत: संबंधित राज्य, रेशम उत्पादन विभागों द्वारा बनाये तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने टसर क्षेत्र का विकास करने के लिए आवश्यक अनुसंधान व विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा आधारी संरचना संबंधी सहायता देने के लिए एककों का नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड टसर रेशम कीट बीजों को बनाने/उसकी आपूर्ति करने तथा टसर कोसों की कुकिंग, रेलिंग तथा स्पिनिंग की उन्नत तकनीक के प्रदर्शन का आयोजन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त टसर कोसा उत्पादकों को सहायता देने के लिए विपणन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि मौजूदा विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना जा सके।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टसर रेशम उद्योग का विकास करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

	(करोड़ रु. में)	
1993-94	-	3.34
1994-95	-	3.40
1995-96	-	4.05

[अनुवाद]

अखबारी कागज का आयात

5684. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994 तथा 1995 के दौरान आयात की गई अखबारी कागज की कुल मात्रा क्या थी तथा 1996 में कितना आयात प्रस्तावित है;

(ख) क्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए अखबारी कागज की घरेलू आपूर्ति पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्तमान में देश में अखबारी कागज की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अन्तर है; और

(घ) अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किया गया अखबारी कागज इस प्रकार है:-

अवधि	मात्रा (लाख मी. टन)
1993-94	3.11
1994-95	2.92
1995-96	3.45

चालू वर्ष के दौरान 30.6.96 तक 0.91 लाख मी. टन मात्रा के अखबारी कागज का आयात किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अखबारी कागज की मांग और उसका उत्पादन इस प्रकार है:-

(लाख मी. टन में)

अवधि	मांग	उत्पादन
1993-94	5.80	3.61
1994-95	6.00	4.02
1995-96	6.30	4.10

(घ) सरकार ने अखबारी कागज के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(1) औद्योगिक लाइसेंस/लैटर ऑफ इन्टैंट के माध्यम से 6.55 लाख टन की क्षमता को स्वीकृति दे दी गई है।

(2) नई औद्योगिक नीति के अधीन खोई, कृषि अपशिष्ट तथा अन्य गैर परम्परागत कच्चे माल से निकाली गई कम से कम 75% लुगदी पर आधारित अखबारी कागज की इकाईयों को स्थान निर्धारण संबंधी नीति के अधीन अनिवार्य औद्योगिक लाइसैंसिंग से छूट दी गई है।

(3) अखबारी कागज के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी के आयात पर से सीमा-शुल्क हटा लिया गया है।

(4) अखबारी कागज पर उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है।

(5) ऐसे कागज उद्योग जो अखबारी कागज के लिए बी.आई.एस. मानकों के सदृश हों बशर्ते कि ऐसे उत्पाद अखबारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हों तथा इनकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई हो, अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में अखबारी कागज उत्पादक उद्योग के रूप में सम्मिलित करने के लिए सरकार विचार कर रही है।

(6) ग्लेज्ड अखबारी कागज सहित सभी प्रकार का अखबारी कागज 1.5.95 से शून्य सीमा-शुल्क पर मुक्त रूप से आयात करने योग्य बना दिया गया है।

वी.सी.एफ. के अंतर्गत परियोजनाएं

5685. श्री गिरिधर गमांग : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्यम पूंजीगत निधि परियोजनाओं के मामलों में संवर्धकों से कोई जमानत मांगी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्यम पूंजीगत निधि परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित आस्तियों को आडमान किया जाता है;

(घ) उद्यम पूंजीगत निधि के अंतर्गत एक अकेली परियोजना को अधिकतम दी गई राशि क्या है; और

(ङ) वी.सी.एफ. योजना के अंतर्गत उद्योग मंत्रालय द्वारा कितनी कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि जोखिम पूंजी निधि (वी.सी.एफ.) योजना के अंतर्गत सहायता इक्विटी और/या सशर्त ऋण के रूप में दी जाती है। सशर्त ऋण प्रथम बंधक और कंपनी की सभी चल और अचल आस्तियों (वर्तमान और भविष्य) पर प्रभार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तकों से अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त वाली गरंटियां ली जाती हैं।

(ग) सिडबी ने सूचित किया है कि उन सभी मामलों में दृष्टि-बंधन प्रभार सृजित किए गए हैं जहां जोखिम पूंजी निधि योजना के अंतर्गत सशर्त ऋण के रूप में संवितरण किए गए हैं।

(ख) सिडबी की जोखिम पूंजी निधि योजना के अंतर्गत किसी एक परियोजना को संवितरित की गई अधिकतम राशि 93.75 लाख रु. है।

(ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि सिडबी जोखिम पूंजी निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त किसी भी एकक ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त एककों ने जिला उद्योग केन्द्रों से लघु उद्योग रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है।

टायर उत्पादन इकाईयां

5686. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित टायर उत्पादक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त किसी इकाई में विदेशी विनियोग लगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टायर गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) आज तक 29 ऐसी टायर कम्पनियां है जिनकी 36 टायर फैक्ट्रियां सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में हैं। इन 29 कम्पनियों में से 4 कम्पनियों में उनके विदेशी सहयोगकर्ताओं का विदेशी निवेश लगा हुआ है। ये हैं– मै. सीएट टायर आफ इंडिया लिमिटेड का मैं. याकूहामा रबड़ कम्पनी लिमिटेड, जापान के साथ मैं. डनलप लिमिटेड का मैं. समितोमों रबड़ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जापान के साथ, मैं. गुडइयर इंडिया लिमिटेड का मैं. गुडइयर टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, यू.एस.ए. के साथ तथा मैं. मोदी रबड़ लिमिटेड का मैं. कान्टीनेन्टल ए.जी. जर्मनी के साथ सहयोग।

(घ) और (ङ) बड़ी टायर कम्पनियां एक वारन्टी योजना का अनुपालन करती हैं जिसके द्वारा उपभोक्ता को टायरों में विनिर्माण कमी में यथानुपात समायोजन दिया जाता है। तथापि, टायर की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिक़ायत सरकार के ध्यान में आती है, उस मामले को सम्बन्धित विनिर्माणकर्ता तथा उद्योग संघ के साथ उनके तुरन्त ध्यानाकर्षत के लिए उठाया जाता है।

[हिन्दी]

जनता कपड़ा

5687. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल गेट प्राइस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को कितनी मात्रा में धागे की आपूर्ति की है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत जनता कपड़े के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य में ऐसे कपड़े के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) जनता कपड़ा योजना के शुरु होने के पश्चात् सरकार ने कितना लाभ अर्जित किया है?.

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को सप्लाई किए गए धागे की मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा. में)
1993-94	2.57
1994-95	1.03
1995-96	1.52

(ख) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 10 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य आवंटित किया गया था और बताया गया है कि लगभग 6.30 मिलियन वर्ग मीटर के लक्ष्य की प्राप्ति की गई।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को 1996-97 के लिए 3.75 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य दिया गया है।

(घ) भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन से कोई लाभ अर्जित नहीं करती अपितु लाभान्वित अभिकरणों को सब्सिडी की राशि देती है।

कोयला मशीनों का आयात

5688. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. हेतु आयात की गई मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये मशीनें अपनी क्षमता के अनुरुप कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशी सप्लायरों पर उन मशीनों के लिए जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुरुप कार्य नहीं किया था, जुर्माना लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आयात की गई मशीनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	ब्यौरा	मात्रा	मूल्य (लाख रु. में)
1.	वैट ड्रम मैगनिसयों सेपरेटर	1	3.68
2.	ब्रीदिंग (श्वास) एपरेटस बी.जी.-174	19	33.00
3.	पम्पिंग यूनिट	12	220.16
4.	सबमर्सिबल पम्प	8	171.32

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोयले का मूल्य

5689. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के महीनों में कीमतों संबंधी विनियंत्रण के पश्चात् कोयले की विभिन्न श्रेणियों की कीमतें 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान कोयले की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में श्रेणीवार बढ़ाई गई कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के उत्पादन में केवल 5 से 6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जबकि कोयले की कीमतों में 12 गुना वृद्धि हो गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयले की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) कोयले की विनियंत्रित किस्मों और उनमें से प्रत्येक की कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) द्वारा निर्धारित कीमतों और साथ ही प्रतिशत वृद्धि के आंकड़ें संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) को.ई.लि. द्वारा उत्पादित कोयले की वर्तमान औसत कीमत 469.02 रु. प्रति टन है, जो कि राष्ट्रीयकरण के समय के 37.50 रु. प्रति टन की औसत कीमत का लगभग 12.5 गुना है।

सिं.को.कं. लि. द्वारा उत्पादित कोयले की वर्तमान औसत कीमत 530 रु. प्रति टन है, जो कि राष्ट्रीयकरण के समय के 50.50 रु. प्रति टन की औसत कीमत का लगभग 10.5 गुना है।

1995-96 के दौरान को.इं.लि. और सिं.को.कं.लि. दोनों का कोयले का उत्पादन 264.05 मिलियन टन (लगभग) है, जो कि 1973-74 में इन दोनों कंपनियों द्वारा उत्पादित 75.27 मिलियन टन कोयले का लगभग 3.51 गुना है।

(ख) कोयले की कीमतें विभिन्न आगतों की लागत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, आदि के कारण बढ़ गई हैं, जबकि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की लक्षित मांगों की पूर्ति किए जाने के लिए इन वर्षों में कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है। अतः कोयले की कीमतों में वृद्धि हो जाने का कोयले के उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है।

(ङ) कोयले की उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाली मुख्य मदें आगतों की लागतों तथा मजदूरी में वृद्धि हैं, जिन पर कोयला कंपनियों का कोई प्रत्यक्ष रुप में नियंत्रण नहीं है। सरकार अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति पर निगरानी रखकर और उत्पदकता बढ़ाए जाने पर जोर देने जैसे कदम उठाकर कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।

विवरण

कोककर कोयला तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों के विनियंत्रण से संबंधित सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद मार्च-अप्रैल, 1996 में. को.ई.लि. तथा सिं.को.क.लि. द्वारा कोयले की निर्धारित कीमतें उक्त कीमतों के निर्धारण के बाद कीमतों में वृद्धि की प्रतिशतता

(रु. प्रति टन)

(i) कोल इण्डिया लिमिटेड

कोयले की किस्म	म.को.लि. तथा वे.को.लि. को छोड़कर को.इं.लि. की सहायक कम्पनियां 1.4.96 को यथा संशोधित	म.को.लि. 1.4.1995 को यथा संशोधित	वे.को.लि. 22.3.96 को यथा संशोधित
कोककर कोयला			
एस.जी.-I	1310 (25%)	1310 (25%)	1310 (25%)
एस.जी.-II	1094 (25.02%)	1094 (25.02%)	1094 (25.2%)
वाशरी-I	948 (25.06%)	948 (25.06%)	948 (25.06%)
वाशरी-II	785 (25%)	785 (25%)	785 (25%)
वाशरी-III	580 (20.08%)	580 (20.68%)	765 (58.38%)
वाशरी-IV	540 (20%)	540 (20%)	628 (39.5%)
अर्द्ध-कोककर-I	948 (25.06%)	948 (25.06%)	948 (25.06%)
अर्द्ध-कोककर-II	785 (25%)	785 (25%)	785 (25%)
अकोककर			
"ए"	771 (20.09%)	739 (15.10%)	936 (45.7%)
"बी"	692 (18.08%)	663 (13.13%)	880 (50.1%)
"सी"	590 (15%)	565 (10.13%)	795 54.97%)

(ii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

कोयले की किस्म	19.4.1996 को यथा संशोधित
अकोककर	
"ए"	800
"बी"	795 (20.45%)

सिं.को.कं.लि. कोककर कोयले का उत्पादन नहीं करती है। यह कंपनी केवल "बी" तथा "सी" ग्रेड के कोयले का ही उत्पादन करती है, जिसकी कीमतें उनके द्वारा 19.4.1996 से निर्धारित कर दी गई हैं। पूर्व में कम्पनी "बी" ग्रेड के अकोककर कोयले का उत्पादन नहीं करती थी।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में धोखाधड़ी

5690. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 3.25 करोड़ रुपए के ब्याज पत्रों (इन्टेरेस्ट वारंट्स) का जालसाजी से भुगतान किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांत समिति के क्या निष्कर्ष हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार, आई डी बी आई बाण्डधारकों के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक पर आहरित ब्याज वारंट जारी करता था और ऐसे ब्याज वारंटों के बारे में निरपवाद रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को तदनुरुप सूचनाएं भेजी जाती थीं। दिसम्बर, 1994 में, अपराध शाखा, सी आई डी, मुम्बई द्वारा आई डी बी आई की जानकारी में यह बात लाई गई कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि के नवम्बर/दिसम्बर, 1994 के दो जाली ब्याज वारंट भारतीय रिजर्व बैंक में आई डी बी आई के खाते से भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। जांच करने पर, यह पता लगा कि उक्त ब्याज वारंट अनधिकृत लिखत थे। आई डी बी आई ने भी अप्रैल, 1995 में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी और अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है।

आर्थिक विकास

5691. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र को यह आश्वासन दिया है कि सरकार त्वरित आर्थिक विकास के मार्ग में आई समस्याओं को दूर करेगी, परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनायेगी और कुल मिलाकर अवसंरचना में सुधार करेगी;

(ख) क्या इस संबंध में प्रधानमंत्री ने व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक भी बुलाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कतिपय उपायों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने और जहां संभव हो वहां से कष्टदायी प्रक्रियाओं को हटाने की दृष्टि से नीतिगत मानदण्डों की समीक्षा करना और विभिन्न स्तरों पर व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत करना एक सतत प्रक्रिया है। नीतिगत पहलुओं के बारे में विभिन्न वर्गों से सुझाव भी मिलते रहते हैं। इन पर उचित ध्यान दिया जाता है।

शेयरों का अन्तरण करने वाली कम्पनियां

5692. श्री शांति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाजार से पूंजी जुटाने के लिए शेयर अंतरण और रजिस्ट्रार का कार्य स्वयं करने और अन्य एजेंसियों से कराने वाली निजी क्षेत्र की शीर्ष बीस कंपनियों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त सूचीबद्ध कम्पनियों में से किन-किन कम्पनियों का पंजीकारों एवं अंतरण एजेन्टों से समन्वय नहीं है;

(ग) क्या "सेबी" का ऐसी सूचीबद्ध कम्पनियों को जिनके पंजीकार एवं अंतरण एजेन्टों संबंधी कार्य में सहज समन्वय नहीं है उन्हें अपने पंजीकारों एवं अन्तरण एजेन्टों को सौंपने का निर्देश देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या "सेबी" ने ऐसी सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई दरें और मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) "सेबी" द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे की जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए ऐसी 20 कम्पनियों के ब्यौरे और उनके शेयर अंतरण एजेंटों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन कम्पनियों में से केवल 2 कम्पनियों के, जो अनुबन्ध में क्रम सं. 14 और 20 पर सूचीबद्ध हैं, अपने शेयर अन्तरण एजेंटों के साथ संबंध में कुछ दूरी है।

(ग) और (ङ) एक सिफारिश कि सेबी को सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रर और शेयर अंतरण एजेंट) नियम और विनियम 1993 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए ताकि कंपनी और उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट के बीच संबंधों में कुछ दूरी बनी रहे, की सेबी में जांच की जा रही है।

(च) सेबी अधिनियम 1992 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए विभिन्न नियम और विनियम निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए नियामक ढांचा मुहैया कराते हैं।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	शेयर अंतरण एजेंट
1.	दि टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लाकोमोटिव कंपनी लि.	टाटा शेयर रजिस्ट्री (टीएसआर)
2.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	संस्थांतगत
3.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	रिलायंस कंसलटेंसी सर्विसेज़ लि.
4.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	टाटा शेयर रजिस्ट्री (टीएसआर)
5.	बजाज ऑटो लि.	संस्थांतगत
6.	आई.टी.सी. लि.	संस्थांतगत
7.	लारसेन एण्ड टुब्रो लि.	संस्थांतगत

क्रं.सं.	कंपनी का नाम	शेयर अंतरण एजेंट
8.	हिंदालको इंडस्ट्रीज लि.	संस्थांर्तगत
9.	टाटा कैमिकल्स लि.	टाटा शेयर रजिस्ट्री (टीएसआर)
10.	ब्रुकबॉण्ड लिप्टन इंडिया लि.	संस्थांर्तगत
11.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	संस्थांर्तगत
12.	दि इंडियन होटल्स कंपनी लि.	संस्थांर्तगत
13.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	संस्थांर्तगत
14.	कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लि.	शेयर प्रो.
15.	कैस्ट्रोल इंडिया लि.	संस्थांर्तगत
16.	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन	संस्थांर्तगत
17.	मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लि.	संस्थांर्तगत
18.	बी.एस.ई.एस. लि.	संस्थांर्तगत
19.	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज़ लि.	संस्थांर्तगत
20.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.	एपिक फाइनेंशियल कंसलटेंसी

चीनी कोटा के अंतर्गत गुड़ का निर्यात

5693. **श्री तारीक अनवर :**
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक जुलाई 3, 1996 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "नाव ए जैगरी स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के अधिमानी कोटे के अंतर्गत यूरोपियन देशों को निर्यात किए गए कुल गुड़ की मात्रा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध निर्यात तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् की भूमिका के बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस मामले को यूरोपियन संघ के साथ निपटाने के लिए सरकार तथा चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान अधिमानी कोटे के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए गुड़ की कुल मात्रा व मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
1993-94	-	-
1994-95	-	-
1995-96 (अप्रैल-फरवरी, 1996)	10500	1909.28

(ग) से (ङ) गुड़ का कोई अवैध निर्यात नहीं हुआ है। तथापि, गुड़ की, मुख्यतः यू.के. को निर्यात की गई, कुछ खेपों, जिनके लिए "अधिमानी चीनी विनिमय सं. (ई.ई.सी.) 2782/76" के पृष्ठांकन के साथ निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा अधिमानों की सामान्यीकृत व्यवस्था के अंतर्गत मूल के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, को चीनी के अधिमानी कोटे के लिए यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों द्वारा विकलित किया गया है। इस मामले को ब्रुसेल्स स्थित हमारे दूतावास के जरिए यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों के साथ उठाया

गया है और इस संबंध में इण्डियन शुगर जनरल इन्डस्ट्रीज एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कारपोरेशन के प्रतिनिधि भी 16.7.96 को यूरोपीय कमीशन के अधिकारियों से मिले हैं।

आई.एफ.सी.आई. की पुनर्संरचना

5694. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी परामर्शी संगठन ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पुनर्संरचना के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो परामर्शी संगठन द्वारा क्या मुख्य सफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सिफारिशों के अनुसार, आई एफ सी आई के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यालयों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई एफ सी आई) ने सूचित किया है कि परामर्शी संगठन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें चालू कारोबार के लिए ऋण नीतियों, नए कारोबार के लिए ऋण नीतियों, कारोबार प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण, संगठन पुनरीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, परामर्शदाता की सिफारिशों के अनुसार, आई एफ सी आई का प्रथम चरण में एक क्षेत्रीय कार्यालय और पांच शाखा कार्यालयों को अनुषंगी कार्यालयों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को कोयले की आपूर्ति

5695. **श्री सुखलाल कुशवाहा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न विद्युत घरों में कोयले की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्युत घरों को कुल कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) इन विद्युत घरों में कोयले की कुल कितनी कमी है; और

(घ) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत घरों को वांछित कोयले की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित की गई मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों के लिए कोयले की कुल मांग तथा पिछले प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोयले के किए गए वास्तविक प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है:-

(000 टन में)

वर्ष	मांग	प्रेषण	प्रतिशत संतोषप्रदत्ता
1993-94	11,640	10,631	93.05
1994-95	12,430	12,552	100.98
1995-96	12,625	13,114	103.87

को.इं.लि. द्वारा विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति के सहमत स्तर तक यथा अनुपात से मांग।

उपर्युक्त सारणी से इस तथ्य का पता लगता है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की कोयले की आपूर्ति में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और इन विद्युत गृहों की मांग के स्तर के समीप इसे बनाए रखा गया है।

(घ) विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में अन्तर-मंत्रालयीय दल द्वारा नियमित रूप में निगरानी रखी जाती है और विद्युत के उत्पादन को बनाए रखने हेतु कोयले की आपूर्ति किए जाने के बारे में, जहां भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ओलियो पाइन रेजिन का उत्पादन

5696. **श्री संदीपान थोरात :**
श्री चमन लाल गुप्ता :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओलियो पाइन रेजिन की कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है और उसका कितना आयात किया गया;

(ख) क्या ओलियो पाइन रेजिन के उत्पादन में भारी कमी आई है जबकि इसके औद्योगिक उपयोग की मांग में काफी

वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरुप इसका आयात करना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के ओलियो पाइन रेजिन का उत्पादन बढ़ाने और इसे कुटीर तथा लघु उद्योगों को सस्ती दरों पर प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में उपलब्ध कराने के क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आई सी एफ आर ई, देहरादून, द्वारा प्रकाशित फौरेस्ट्री स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 1995 के अनुसार वर्ष 91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान ओलियो पाइन रेजिन का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	1991-92	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	309900	308615	288980
हिमाचल प्रदेश	8669	10523	11422
कर्नाटक	-	19	3
महाराष्ट्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब	198	225	237
सिक्किम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	8637	-	-
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 1993-94, 94-95, 95-96 (फरवरी तक) के दौरान विदेशी व्यापार के आंकड़ों के उद्धरण से ओलियो पाइन रेजिन के आयात संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं। (स्रोत डी.जी.सी.आई.एस., कलकत्ता)

अवधि	मद	मात्रा कि.ग्रा. में	मूल्य (रुपये)
1993-94	पाइन ओलियो रेजिन	शून्य	शून्य
1994-95	पाइन ओलियो रेजिन	17178297	272062250
1995-96 (फरवरी तक)	पाइन ओलियो रेजिन	9151675	188619764

(ग) ओलियो पाइन रेजिन की कमी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तथा बिना किसी नियंत्रण के आयात करने की स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है।

वित्तीय संस्थानों की भूमिका

5697. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री तारीक अनवर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों की इक्विटी भागीदारी कम करके उनकी भूमिका में कटौती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सम्भवत: इस प्रश्न का संबंध भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) द्वारा हाल ही में दिए गए सुझाव से है जो किसी एक कम्पनी में वित्तीय संस्थान की शेयरधारिता को कम करके उसे अधिकतम 24% तक किए जाने के बारे में था।

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के कारण व्यापार-घाटा

5698. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व पहले दो वर्षों में देश का व्यापार-घाटा पिछले वर्ष की समानान्तर अवधि के दौरान हुए व्यापार घाटे की तुलना में 180 प्रतिशत बढ़ गया है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए अनुबंध-पत्रों के अनुपालन में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात संबंधी सरकार के निर्णय से व्यापार-घाटे के बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्यापार-घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) डी जी सी आई एस के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष से पूर्व के पहले दो वर्षों में व्यापार घाटा 1994-95 में लगभग 2324 मिलियन अमरीकी डालर और 1995-96 में 4539 मिलियन अमरीकी डालर था।

चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों - अप्रैल-जुलाई, 1996-97 में व्यापार घाटा (डी जी सी आई एस के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) 1082.31 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष 1995-96 की उसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा 1525.89 मिलियन अमरीकी डालर से कम है।

(ख) और (ग) मौजूदा निर्यात आयात नीति के अंतर्गत कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का मुक्त रुप से या एस आई एल के अंतर्गत आयात करने की अनुमति है। उपभोक्ता वस्तुओं का आयात उदारीकरण, उदार व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों से टैरिफ प्रतिबंधों की ओर शिफ्ट होने वारी हमारी रणनीति का ही एक हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार के अनुकूल है। अधिकतर विकासशील देश उपभोक्ता वस्तुओं पर अब आयात प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। निर्यात और आयात नीति तथा उदारीकरण की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

(घ) निर्यात में वृद्धि करके ही व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। निर्यात संबंधी एक सतत प्रक्रिया है जो उद्योग व्यापार और अन्य निर्यात संवर्धन संस्थाओं के पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। सरकार नीतियों और संवंर्धनात्मक योजनाओं के माध्यम से निर्यात संवर्धन उपाय करती है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति क्रियाविधियों को आसान बनाना, क्षमता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, गुणवत्ता और तकनीकी विकास पर ध्यान देना और निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास करना शामिल है।

[हिन्दी]

चाय और काफी की मांग एवं आपूर्ति

5699. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चाय और काफी का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा चाय और काफी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) वर्ष 1995 में चाय के उत्पादन का अनुमान 753.92 मिलियन कि.ग्रा. लगाया गया है। वर्ष 1995-96 (जुलाई के जून तक) के दौरान काफी के उत्पादन का अनुमान 2,23,000 टन लगाया गया है।

देश में चाय और काफी का वर्तमान उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

के. वी. आई. सी.

5700. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री अनंत कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार के वी आई सी के अन्तर्गत खादी और ग्रामीण उद्योगों/संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी और ग्रामीण उद्योगों के कुल उत्पादन का मूल्य क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान के वी आई सी के प्राशसनिक व्यय और उसके द्वारा चलाये और प्रायोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उसे कितनी धनराशि आवंटित की गई, और कितनी उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) खादी और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया/रोजगार दिया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत 2.41 लाख गांवों में 30 राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 4500 पंजीकृत संस्थान, 30080 सहकारी समितियां, 170 विभागीय एकक तथा 15180 बिक्री केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) पिछले तीन (3) वर्षों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग के कुल उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1993-94	357.28	2876.58	3233.86
1994-95	389.71	3234.35	3624.06
1995-96 (अनुमानित)	440.00	3560.00	4000.00

(ग) पिछले दो (2) वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आवंटित तथा उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.		आवंटित निधियां			उपलब्ध कराई गई निधियां		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97 (जुलाई, 1996 तक)
1.	प्रशासनिक व्यय	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	6.00
2.	विभिन्न कार्यक्रम और परियोजना	216.00 (योजनागत)	319.00	319.00	216.00	313.00	–
		24.00 (गैर-योजनागत)	24.00	24.00	24.00	24.00	–
	योग	259.00	362.00	362.00	259.00	356.00	6.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित राशि लेखा समायोजन और योजना तथा गैर-योजना के अधीन पिछले ऋणों के नवीकरण के रूप में आवंटित की गई थी:-

(रुपये करोड़ में)

	आवंटित								
	1994-95			1995-96			1996-97		
	खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
ब्याज के बदले में राजसहायता									
(लेखा समायोजन)									
(1) योजनागत	20.00	15.00	35.00	19.00	5.00	24.00	19.00	5.00	24.00
(2) गैर-योजनागत	23.00	11.00	34.00	23.00	11.00	34.00	23.00	11.00	34.00
पिछले ऋणों का नवीकरण									
(1) योजनागत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(2) गैर-योजनागत	–	–	263.70	–	–	245.70	–	–	237.00
			332.70	–	–	303.70	–	–	295.24

(घ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग खादी के अधीन अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों/सृजित रोजगार की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में द्री गई है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

रोजगार

(व्यक्ति लाख में)

क्र.सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1994-95			1995-96		
		खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
I. राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.32	3.17	3.49	0.34	3.25	3.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	–	*	*	–	*
3.	असम	0.18	0.80	0.98	0.19	0.81	1.00
4.	बिहार	2.01	1.17	3.18	2.12	1.15	3.22
5.	गोवा	–	0.05	0.05	–	0.05	0.05
6.	गुजरात	0.52	0.42	0.94	0.55	0.42	0.97
7.	हरियाणा	0.43	0.42	0.85	0.44	0.43	0.87
8.	हिमाचल प्रदेश	0.09	0.51	0.60	0.09	0.55	0.64
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.32	0.58	0.90	0.34	0.58	0.92
10.	कर्नाटक	0.40	1.34	1.74	0.42	1.37	1.79
11.	केरल	0.15	1.84	1.99	0.16	1.88	2.04
12.	मध्य प्रदेश	0.22	0.82	1.04	0.23	0.84	1.07
13.	मणिपुर	–	0.41	0.41	–	0.42	0.42
14.	महाराष्ट्र	0.18	4.81	4.99	0.19	4.94	5.13
15.	मेघालय	*	0.12	0.12	–	0.12	0.12
16.	मिजोरम	*	0.06	0.06	–	0.06	0.06
17.	नागालैण्ड	–	0.07	0.07	–	0.07	0.07
18.	उड़ीसा	0.03	1.76	1.79	0.03	1.81	1.84
19.	पंजाब	0.77	0.82	1.59	0.80	0.83	1.63
20.	राजस्थान	1.18	2.58	3.76	1.24	2.62	3.86
21.	सिक्किम	0.01	0.05	0.06	0.01	0.05	0.06
22.	तमिलनाडु	0.82	9.69	10.51	0.87	9.93	10.80
23.	त्रिपुरा	*	0.41	0.41	*	0.42	0.42
24.	उत्तर प्रदेश	4.98	5.55	10.53	5.25	5.55	10.80
25.	पश्चिम बंगाल	0.55	2.61	3.16	0.60	2.65	3.25
	योग I	13.16	40.06	53.22	13.87	40.80	54.67

क्र.सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1994-95 खादी	ग्रामोद्योग	योग	1995-96 खादी	ग्रामोद्योग	योग
II संघ शासित क्षेत्र							
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
2.	चंडीगढ़	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
3.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
4.	दमन और द्वीव	-	-	-	-	-	-
5.	दिल्ली	0.02	0.17	0.19	0.02	0.18	0.20
6.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
7.	पांडिचेरी	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04
	योग II	0.03	0.21	0.24	0.03	0.22	0.22
	योग I + योग II	13.19	40.27	53.46	13.90	41.02	54.92

* आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड

5701. **श्री के. सी. कोंडय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के क्षेत्रीय कार्यलय प्रमुखों की बैठक 13 अगस्त, 1996 को मुम्बई में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में उठाये गए मुद्दों तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी ने अपने कार्यों का और विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया है। दिनांक 16.9.96 से क्षेत्री कार्यालयों को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(I) 20 करोड़ रुपये तक निर्गमों के लिए पेशकश संबंधी प्रलेखों की जांच करना;

(II) श्रेणी 2 और उससे नीचे के मर्चेन्ट बैंकरों को पंजीकरण की मंजूरी देना; और

(III) कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित स्टॉक एक्सचेंजों को छोड़कर संबंधित प्रदेशों के अन्तर्गत आने वाले स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण करना।

रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

5702. **श्री पी. सी. थॉमस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में स्थापित किए गए रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण उद्योगों तथा उनकी उत्पादन क्षमता विपणन और निर्यात निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान सरकारी सहयता से इस तरह के और उद्योगों की स्थापना की कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) देश के विभिन्न भागों में 411 रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण इकाईयां हैं जो रबड़ की लकड़ी का प्रसंस्करण तथा विपणन करती हैं। सामान्यतया ये इकाईयां गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। रबड़ बोर्ड इन इकाईयों द्वारा रबड़ की लकड़ी के उत्पादन तथा विपणन से संबंधित ब्यौरे एकत्र नहीं करता है। तथापि, अनुमान लगाया गया है कि महत्वपूर्ण रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण यूनिटों की वार्षिक संस्थापित क्षमता लगभग सॉन टिंबर का 66300 क्यूब्रिक मीटर्स है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान एक विश्व बैंक सहायता-प्राप्त रबड़ परियोजना के अंतर्गत रबड़ बोर्ड के इक्विटी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण इकाई को

स्थापित किए जाने की संभावना है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

कोयला नियंत्रक

5703. श्री प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो नियुक्ति किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को कोयले का वितरण करने में कोयला नियंत्रक की क्या भूमिका होगी?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) विहित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कोयला नियंत्रक के पद पर चयन हेतु एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है और आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को प्राप्त होने तक कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को कोयला नियंत्रक के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

(ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 12 ए के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को कोयले का कोटा अवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रुप में कोयला नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। किन्तु, यदि किसी कौरणवश कोयला नियंत्रक ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो कोयला कंपनियों को संयोजनों/प्रायोजनों के आधार पर कोयले का वितरण करने की अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा हाल में किए गए संशोधन के अनुसार सरकार द्वारा कोककर कोयले और यथा अधिसूचित अकोककर कोयले के ग्रेडों के लिए कोयला नियंत्रक द्वारा कोई आवंटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। कोयले का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानित संयोजनों की शर्त पर अथवा गैर महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामलों में कोयला कंपनियों के संयोजनों की शर्त पर किया जा सकता है। एक बार केन्द्रीय सरकार अथवा कोयला कम्पनी द्वारा संयोजन दिए जाने के बाद, विभिन्न प्रतियोगी उपभोक्ताओं की पारस्परिक प्राथमिकता की दृष्टि से कोयले की उपलब्धता और वास्तविक खपत की शर्त पर कोयले का आवंटन मासिक अथवा तिमाही आधार पर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बैंकों का सेवा क्षेत्र

5704. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में, विशेषरुप से उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंक की एक शाखा द्वारा सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कितने गांव शामिल किए गए हैं; और

(ख) ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने के संबंध में बैंकों द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एस ए ए) योजना के शुरु किए जाने के समय अर्थात्, अप्रैल, 1989 को, लगभग 15 से 25 गांवों की पहचान की गई थी और उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं को आबंटित किया गया था। उस समय प्रति शाखा निर्धारित गांवों (शहरी और अर्द्धशहरी) की औसत संख्या अखिल भारत आधार पर 14.7 थी। उत्तर प्रदेश में प्रति शाखा गांवों की औसत संख्या 6 है।

(ख) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए सामान्य अनुदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों को छोड़कर) के निवल बैंक ऋण बकाये का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जाना है। इस 40 प्रतिशत में से कम-से-कम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र मिल

5705. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित कताई मिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कताई मिलों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इन मिलों की स्थापना में कुल कितना व्यय हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) मिलों की स्थापना पर हुआ व्यय केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध सूचना (दिनांक 10-9-96) के अनुसार वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जिन सूती/मानव निर्मित फाईबर कताई मिलों ने उत्पादन आरम्भ किया उनकी संख्या तथा उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कताई मिलों की संख्या								
	मिलों की संख्या	तकुए (93-94)	रोटर	मिलों की संख्या	तकुए (94-95)	रोटर	मिलों की संख्या	तकुए (95-96)	रोटर
आंध्र प्रदेश	6	81104	576	4	55488	–	2	7680	–
दमन और दीव	–	–	–	1	3264	–	–	–	–
गुजरात	2	24192	1152	3	18880	612	4	32032	1224
हरियाणा	7	–	4464	16	–	8776	13	14058	5824
हिमाचल प्र.	1	19872	–	1	11520	–	1	8640	–
कर्नाटक	3	38400	336	1	8064	–	–	–	–
केरल	1	28224	–	1	5160	–	1	–	1152
मध्य प्रदेश	5	78720	768	1	20000	–	3	28656	600
महाराष्ट्र	12	120024	5328	9	75760	2184	8	34464	1432
पाण्डिचेरी	–	–	–	1	2880	–	1	–	768
पंजाब	4	25060	2644	3	43200	504	2	18240	–
राजस्थान	2	9216	600	2	62088	144	3	32184	600
तमिलनाडु	23	183728	1539	46	368696	4488	40	224844	1712
उत्तर प्रदेश	–	–	–	4	60896	–	1	12960	–
प. बंगाल	–	–	–	1	11520	–	–	–	–
योग	66	608540	17407	94	747416	16768	79	413758	13312

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में लाभ/हानि

5706. श्री द्वारका नाथ दास :
श्री उधव बर्मन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की प्रत्येक इकाई के उत्पादन सहित उनके द्वारा अर्जित लाभ/हानि संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) आज की तारीख तक प्रत्येक इकाई में संचित कागज का स्टाक कितना है; और

(ग) प्रत्येक इकाई में उत्पादन बढ़ाने और हानि कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) (1) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की दो इकाइयों (नौगांव पेपर लि और कछार पेपर मिल) का लाभ/(घाटा) पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
नौगांव पेपर मिल	(124.98)*	(34.62)	10.61
कछार पेपर मिल	(121.86)*	(55.20)	(25.91)

*पिछले वर्षों के लिए दण्ड-ब्याज शामिल है।

(2) उत्पादन (मीट्रिक टन)

	1993-94	1994-95	1995-96
नौगांव पेपर मिल	67482	72165	80855
कछार पेपर मिल	51432	70596	72015

(ख) यथा 31.8.96 को इन इकाइयों में कागज का स्टाक निम्नानुसार था:

(मीट्रिक टन में)

नौगांव पेपर मिल	14537
कछार पेपर मिल	20967

(ग) (1) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा लुगदी मिल, रिकवरी खण्ड तथा पेपर मशीन के क्षेत्रों में दक्षता सुधारने तथा क्षमता उपयोगिता बढ़ाने हेतु कार्रवाई की गई है।

(2) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने लाभ का मार्जिन बढ़ाने हेतु मैप्लिथो, कोपियर तथा आधार कागज़ जैसे मूल्य वर्धित कागज के उत्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया है।

(3) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की वित्तीय पुनसंरचना के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता में कटौती

5707. डा. जी. आर. सरोदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1996 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" (मुम्बई) में "आई.डी.ए. एड कट टू इण्डिया लाइकिली सेक्स रिपोर्ट", शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है

(ख) क्या भारत को वर्ष 1996-97 के दौरान कम अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आई.डी.ए.) मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की कटौती करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1996-97 के लिए भारत को दी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता की सम्भावित वचनबद्धता का पता भारत विकास फोरम बैठक के समापन होने के बाद चल पाएगा। यह बैठक दिनांक 19-20 सितम्बर, 1996 को जापान में सम्पन्न होनी है।

"नाबार्ड" द्वारा अतिरिक्त कृषि क्षमता सृजित करना

5708. श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि के माध्यम से राज्यों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिये किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना में, राज्य-वार, कितने क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के लिये कितने परिव्यय के स्वीकृत किये जाने का अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्यों से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं सहित, चुनिंदा परियोजनाएं ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि (आर आई डी एफ) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) आर आई डी एफ-। की योजना 1995-96 से परिचालन में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक लगभग 20.50 लाख हेक्टेयर की सम्मिलित सिंचाई संभाव्यता सहित 2500 परियोजनाओं से अधिक का इस योजना के अन्तर्गत 1990.96 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की जा चुकी है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने 1996-97 के दौरान आर आई डी एफ-। के अन्तर्गत तीन राज्यों में 133 लघु सिंचाई योजनाएं मंजूर की हैं। इनका राज्य-वार, विवरण निम्नानुसार है:-

अरुणाचल प्रदेश	34 योजनाएं
मणिपुर	63 योजनाएं
त्रिपुरा	36 योजनाएं
योग	133 योजनाएं

उन क्षेत्रों का विवरण जहां इन परियोजनाओं द्वारा सिंचाई किए जाने की संभावना है और उस पर आने वाली वित्तीय लागत नीचे दर्शाई गई है:-

राज्य	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वित्तीय लागत (करोड़ रु.)	नाबार्ड की वित्तीय सहायता (करोड़ रु.)
अरुणाचल प्रदेश	4474	9.21	3.36
मणिपुर	4579	3.72	1.75
त्रिपुरा	1423	4.38	1.82

इसके अलावा, जैसा कि 1996-97 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, आर आई डी एफ-II के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है।

तमिलनाडु में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

5709. श्री एन. एस. वी. चित्यन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में संचालन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अनेक संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर जमाकर्ताओं को धोखा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन दोषी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का इन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि 1 अगस्त, 1996 की स्थिति के अनुसार, 4982 गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जिनके पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में हैं, को आर बी आई की डाक सूची में शामिल कर लिया गया था जिसमें से 118 आर बी आई के पास पंजीकृत हैं। चूंकि तमिलनाडु में एनबीएफसी के अवस्थानों से संबंधित सूचना बहुत अधिक है, इस सूचना के संग्रहण और समेकन में लगने वाला समय और किया जाने वाला कार्य संभवतः प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनरुप नहीं होगा।

(ख) और (ग) आरबीआई ने सूचित किया है कि एनबीएफसी के द्वारा धोखाधड़ी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तथापि, पिछले एक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में दो कंपनियों के विरुद्ध मूलधन की वापसी अदायगी/ब्याज की अदायगी में चूक के आरोप वाली शिकायतें प्राप्त हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी निर्देशों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को चूक होने की स्थिति में जमाराशियों का भुगतान या उस पर ब्याज का भुगतान कराने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तथापि, आरबीआई ने निवल स्वामित्व वाली निधियों से संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा तक जमाराशियों की प्रमात्रा को विनियमित करने और जमाराशियों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि और जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह इन कंपनियों को जनता से और जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दें। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु में 6 कंपनियों को और अधिक जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

(घ) और (ङ) एन बी एफ सी के क्रिया-कलापों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से विनियमित करने के लिए प्रस्ताव किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

5710. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, कम्पनी-वार तथा उनकी नियंत्रित कम्पनी-वार कोयले का उत्पादन कितना है;

(ख) इन कोयला कम्पनियों में कम्पनी-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन कम्पनियों के कर्मचारियों में कोई कटौती हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयला खानों में सरकार द्वारा कौन से सुरक्षा उपाय स्वीकृत किये गये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोयले का राज्य-वार कंपनी-वार तथा सहायक कंपनी-वार उत्पादन नीचे दर्शाये गये है:-

(मिलियन टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	25.21	25.65	26.77
असम	1.20	1.19	0.82
बिहार	73.27	72.41	74.53
मध्य प्रदेश	72.86	75.12	79.76
महाराष्ट्र	20.45	21.00	22.82
उड़ीसा	24.30	27.32	32.70
उत्तर प्रदेश	12.14	13.70	14.80
पश्चिम बंगाल	16.61	17.34	17.93
जोड़	246.04	203.73	270.13

कंपनी-वार/ सहायक कंपनी-वार	1993-94	1994-95	1995-96
ई.को.लि.	22.61	24.85	27.81
भा.को.को.लि.	29.04	28.75	27.81
सें.को.लि.	33.51	31.21	30.76
ना.को.लि.	31.41	32.50	35.20
वे.को.लि.	26.50	27.24	29.01
सा.ई.को.लि.	47.53	50.00	53.17
म.को.लि.	24.30	27.33	32.70
ना.ई.को.	1.20	1.99	0.82
को.इं.लि.	216.10	223.07	237.28
सिं.को.कं.लि.	25.21	25.65	26.77
ग्रहीत कोलियरी (टिस्को, इस्को और डी.वी.एस.)	4.73	5.01	6.08
जोड़	246.04	253.73	270.13

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) की कोयला कंपनियों में कार्यरत कामगारों की कंपनी-वार संख्या नीचे दर्शा गई है:-

सहायक कंपनिया	श्रमिकों की निम्न तारीख को संख्या		
	1.4.94	1.4.95	1.4.96
कोयला उत्पादक			
ई.को.लि.	171,727	163,805	161,675
भा.को.को.लि.	156,576	149,972	147,439
सें.को.लि.	95,676	94,404	92,816
ना.को.लि.	16,185	16,098	16,661
वे.को.लि.	84,585	84,309	84,857
सा.ई.को.लि.	95,523	98,371	99,028
म.को.लि.	22,060	22,642	22,983
ना.ई.को.	5,098	4,894	4,826
उप जोड़	649,410	634,695	630,285
गैर कोयला उत्पादक			
के.खा.आ.एवं डि.सं.लि.	4,180	4,086	3,982
को.इं.लि. मुख्यालय	1,658	1,614	1,567
दानकुनी कोयला काम्पलैक्स (डी.सी.सी.)	696	698	701
उप जोड़	6,535	6,398	6,250
कुल जोड़	655,944	641,093	636,535
सिं.को.कं.लि.	114,971	114,496	113,823

(ग) और (घ) जी, हां। को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. में श्रमिकों की संख्या में समग्र रूप में कमी आई है जिसके कारण निम्नलिखित हैं:-प्राकृतिक अवशिष्टता, त्याग-पत्र तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (सरकारी उद्यम कार्यालय) तथा अन्य योजनाओं के एवज् में स्वैच्छिक सेवा-निवृति।

(ङ) कोयला खान विनियमन 1957, खान सुरक्षा महानिदेशालय के मार्ग-निर्देशों में निरोधात्मक व्यवस्था की गई है, विशेषज्ञ समिति

की सिफारिशों के साथ-साथ विभिन्न न्यायिक जांचों की सिफारिशों, सुरक्षा कान्फ्रेंस आदि में विस्तृत रुप से सुरक्षा संबंधी उपायों को दर्शाया गया है, जिन्हें खान प्रबंधों द्वारा अपनाया जाता है। इन उपायों को बेहतर रुप से अनुपालन हेतु कोयला कंपनियों द्वारा स्व-विनियमन को प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -आंतरिक सुरक्षा, लेखा-परीक्षा के कामगारों की सुरक्षा प्रबंधन में भागीदारी, विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समीक्षाएं, कामगारों के प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण, सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा अभियानों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों का आयोजन किया जाए।

[अनुवाद]

पूंजीगत निवेश

5711. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जिला स्तर पर, पूंजीगत निवेश की निगरानी करने के लिए एक बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले का अवैध खनन

5712. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और अन्य राज्यों के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध रुप से कोयले का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) की सहायक कंपनियों के पट्टेदारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध रुप से कोयले का खनन किया जा रहा है।

(ग) अवैध रुप से किए जा रहे खनन को रोकने के लिए को.इं.लि. की सहायक कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) जहां तक संभव हो अप्रयुक्त बंद पड़ी खानों में उत्खनित कोयला फेसों तथा भूमिगत परित्यक्त खदानों को मलबों से ढक दिया जाता है।

(2) पूर्व में ऐसे क्षेत्र जिनसे अवैध खननों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उक्त क्षेत्रों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कंपनी के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित रुप से गश्त लगायी जाती है। जहां कहीं भी अवैध खनन की सूचना अधिकारियों को प्राप्त होती हैं, वहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापा मारती है।

(3) अवैध खनन किए जाने संबंधी क्रियाकलापों की सूचना प्राप्त होने पर तथा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(4) अवैध खनन क्रियाकलापों को रोकने के लिए कोयला कंपनियां, राज्य/जिला अधिकारियों तथा पुलिस के साथ संपर्क बनाये रखती हैं।

(5) कोयला कंपनियों के सुरक्षा स्टाफों द्वारा अचानक जांच तथा छापे मारे जाते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक को घाटा

5713. **श्री ओ. पी. जिंदल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक को 95 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जैसा कि 19 अगस्त, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1995-96 के दौरान घाटा हुआ तथा प्रत्येक बैंक को कितना-कितना घाटा हुआ; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में घाटे पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसे वर्ष 1995-96 के दौरान 95.92 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ जो मुख्यत: निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गये अपेक्षाकृत अधिक प्रावधानों के कारण हुआ था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन अन्य बैंकों ने निवल घाटा दर्शाया है उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

बैंक का नाम	निवल घाटा (करोड़ रुपए)
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	230.31
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	73.55
इंडियन बैंक	1336.40
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	132.10
यूको बैंक	236.46
युनाइटेड बैंक आप इंडिया	234.46
विजया बैंक	250.95

(घ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के समग्र कार्यसंचालन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। निष्पादन बचनबद्धताओं को अंतिम रुप देने के लिए बैंकों के शीर्ष कार्यपालकों से किए गये विचार-विमर्श के आधार पर, आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, आंतरिक नियंत्रण बढ़ाने तथा बैंकों की स्थिति में सुधार को सुकर बनानें के लिए अन्य उपायों से संबंधित मामलों पर विशेष सलाह दी गई थी। जो बैंक परिचालन तथा निवल घाटों की सूचना दे रहे हैं उन्हें नए पूंजी खर्च, नई भर्ती आदि करने से प्रतिवाधित किया गया है। अनुपयोज्य आस्तियों को कुछ निर्धारित स्तरों तक कम करने हेतु हरसंभव प्रयास करने के लिए भी बैंकों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से भी कुछ विवादास्पद या चूक वाले देयों की वसूली में सहायता मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

डी.जी.सी.आई.एस. में कंप्यूटरीकरण

5714. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय के कार्यालय को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रैमासिक आंकड़े के बजाय इस समय देश के आयात और निर्यात के प्रत्येक माह के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय अभी तक पूरे तौर पर कम्प्यूट्रीकृत नहीं किया गया है यद्यपि मुख्य कम्प्यूटर की सेवाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं। इस समय वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय संदर्भ मास के लिए एक मास के भीतर समय निर्यात और आयात के अनन्तिम विदेश व्यापार आंकड़े रिलीज करता है। मुख्य वस्तु ग्रुपों देशों बन्दरगाहों द्वारा आयत और निर्यात अनन्तिम आंकड़ें 2 डिजिट स्तर पर बुलेटिन के रुप में मासिक तौर पर जारी किए जाते हैं।

ताप विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन अनुबंध

5715. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि., देश में चल रही 33 ताप विद्युत परियोजनाओं के साथ ईंधन अनुबंध संबंधी दीर्घावधि नीति की पुनरीक्षा कर रही है;

(ख) क्या इन थर्मल विद्युत परियोजनाओं के कुछ प्रबंधक सी.आई.एल. द्वारा मांगी गई बयाना राशि अदा करने में हिचकिचा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और उन मामलों में जिनमें बयानों की राशि नहीं दी गई है, सी.आई.एल. द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (घ) तापीय विद्युत गृहों के लिए, दीर्घ-अवधि कोयला संयोजनों पर, कोयला मंत्रालय में कार्यरत स्थाई संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा विचार किया जाता है। हां ईंधन आपूर्ति करार के निष्कर्ष की शर्त पर दीर्घ-अवधि कोयला संयोजनों की स्वीकृति दी जाती है, विद्युत संयंत्रों को कोयला कंपनियों के साथ ऐसे करारों में शामिल किया जाना अपेक्षित होता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) बोर्ड ने ईंधन आपूर्ति करार से संबंधित मामले की समीक्षा की है और बोर्ड के अनुमोदन से, कोल इंडिया लि. ने, अन्य बातों के अलावा, यह नीति बनाई है कि ईंधन आपूर्ति करार के निष्पादन के समय स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) को एक महीने के कोयला आपूर्ति के मूल्य के बराबर बयाना राशि का भुगतान करना होगा। चूंकि अभी तक किसी स्वतंत्र विद्युत उत्पादक के साथ कोयला आपूर्ति करार नहीं किया गया है, अत: बयाना राशि को भुगतान किए जाने का अवसर नहीं आया है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को जिनके साथ ईंधन आपूर्ति करार किए जाने की कार्रवाई आरम्भ की गई है, उन्हें बयाना राशि का भुगतान किए जाने कर आवश्यकता के विषय में बता दिया गया है।

[हिन्दी]

कपड़ा इकाइयां

5716. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री अशोक प्रधान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वस्त्र उद्योग के मामले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य का क्या स्थान है;

(ख) हथकरघा, विद्युतकरघा, मिश्रित सूत, तैयार वस्त्र, सूती वस्त्र, होजरी और खादी उत्पादन करने वाली इकाइयां कितनी हैं तथा इन राज्यों में उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उनकी मात्रा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इन इकाइयों द्वारा उत्पादित कपड़े में से निर्यात किए गए कपड़े की मात्रा क्या है तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) देश में वस्त्र उद्योग में संबंधित विभिन्न प्राचलों के अनुरुप वस्त्र उद्योग में राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात की स्थिति (दर्जा) नीचे दी गई है:

स्थिति (दर्जा)

क्रमांक	प्राचल	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात
1.	मिलों की संख्या	नौवां	पांचवीं	तीसरी
2.	कताई क्षमता	नावां	चौथी	तीसरी
3.	स्पन यार्न का उत्पादन	पांचवां	छठी	तीसरी
4.	करघा क्षमता	आठवां	तीसरी	पहली
5	विद्युतकरघों की पंजीकृत संख्या	नौवां	पांचवीं	दूसरी
6.	हथकरघों की संख्या	17वीं	पांचवीं	20वीं
7.	मिल कपड़े का उत्पादन	छठां	सातवीं	दूसरी

(ख) राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में एककों की संख्या और उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार है:-

विवरण		राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात
(1)	हथकरघों की संख्या	30959	190286	21414
(2)	हथकरघा उत्पादन	-	आंकड़े नहीं रखे जाते	-
(3)	विद्युतकरघों की पंजीकृत संख्या (31-12-1995 की स्थिति अनुसार)	31471	65366	302280
(4)	सिंथेटिक यार्न विनिर्माताओं की संख्या	42	54	55
(5)	ब्लैंडिड कपड़े और 100 प्र.श. गैर-सूती कपड़े का उत्पादन	19.0 मि. वर्ग मीटर	8.3 मि. वर्ग मीटर	203.4 मि. वर्ग मीटर
(6)	सूती कपड़ा एककों की संख्या	7	14	90
(7)	सूती कपड़ा उत्पादन	38.4 मि. वर्ग मी.	22.1 मि. वर्ग मी.	248.2 मि. वर्ग मी.

+ इन क्षेत्रों के विकेन्द्रीकृत स्वरुप के कारण खादी तथा सिले-सिलाए परिधानों के आंकड़ें नहीं रखे जाते।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन राज्यों के लिए संघ सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात
विद्युतकरघा क्षेत्र			
1993-94	3.90	3.36	4.46
1994-95	4.15	4.12	5.33
1995-96	5.28	5.16	6.29
हथकरघा क्षेत्र			
1993-94	495.56	3352.50	454.27
1994-95	239.00	1953.08	297.51
1995-96	524.67	1515.34	95.51

(घ) कपड़े के निर्यात के आंकड़े एकक-वार तथा राज्य-वार नहीं रखे जाते। वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निर्यात की न्यूनतम फ्लोर कीमत की शर्त को हटाना, विद्युतकरघा विकास व निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना, सर्वाधिक आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 58 प्रतिशत करना, सामान्य आयात शुल्क पर फैब्रिक्रों के आयात के लिए विशेष विन्डो स्थापित करना तथा देश में विभिन्न स्थानों में पारिस्थितिकी-प्रयोगशालाओं की स्थापना करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल्स में विदेशी/संयुक्त उद्यम

5717. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में दो पहिए और तिपहिए वाहनों समेत विभिन्न तरह के आटोमोबाइल वाहनों के उत्पादन में लगी भारतीय, विदेशी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो वाहनों के निर्माण और संयोजन में लगी हैं;

(ग) इन कंपनियों द्वारा लाभ, रायल्टी, वेतन, बोनस तथा दूसरे प्रभारों के माध्यम से विदेशी विनिमय का कुल निर्गम क्या है;

(घ) क्या और अधिक विदेशी आटोमोबाइल निर्माता भारत में आने की योजना बना रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह सूचना उद्योग मंत्रालय द्वारा रखी नहीं जाती है।

(घ) तथा (ङ) सवारी कारों के विनिर्माण हेतु मैं. मेनु-अमेरिगन तथा मैं. शकुन्स मोटरिक से दो औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए हैं।

विवरण

विभिन्न प्रकार के आटोमोबाइल वाहनों के विनिर्माण में लगी प्रमुख भारतीय, विदेशी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं:

कार

(क) भारतीय कंपनियां :

हिन्दुस्तान मोटर्स
टेल्की
प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड

(ख) संयुक्त उद्यम :

मारूति उद्योग लि.
जनरल मोटर्स इंडिया लि.
पाल-प्यूजियों लि.
सियल-होंडा मोटर्स लि.
मर्सिडीज-बेंज इंडिया लि.
डीसीएम-देऊ लि.
बीएमडब्ल्यू जर्मनी के साथ हीरो साइकिल्स
महिन्द्रा फोर्ड इंडिया लि.
सियानी लि.-यू.के. का रोबर्स ग्रुप

(ग) 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी :

कोरिया की हिनोर्डन मोटर कंपनी

व्यावसायिक वाहन

(क) भारतीय कंपनियां :

टेल्की
अशोक लीलैंड लि.
बजाज टेम्पो लि.
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा

(ख) संयुक्त उद्यम :

स्वराज माजदा
डीसीएम देऊ
ईचरमामोटर्स लि.

दुपहिया/तिपहिया वाहन

(क) भारतीय कंपनियां :

बजाज ऑटो लि.

(ख) संयुक्त उद्यम :

एल एम एल लि.
टी वी एस सुजूकी
हीरो होंडा
एस्कोर्टस् यामाहा लि.
काइनेटिक होंडा

सवारी कार क्षेत्र में हाल ही में अनुमोदित संयुक्त उद्यमों में शुरूआती दौर में एस के डी/सी के डी आयात के माध्यम से मात्र कारों के संयोजन की ही परिकल्पना है।

[हिन्दी]

वित्तीय सेवा योजना

5718. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग निगम के लिए वित्तीय सेवा योजना प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहा है:

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता/सेवा का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की वित्तीय सेवा योजना पूरे देश में फैले हुये इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अधिकांश राज्यों में परिचालन में है।

(ख) यह निगम, वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत उद्यमियों के लिये चार योजनाओं की पेशकश कर रहा है नामत: (1) कच्चे माल की सहायता (2) बिल वित्तपोषण (3) कार्य पूंजी वित्त तथा (4) निर्यात विकास वित्त।

इस योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने के लिये अपनाया गया मानदण्ड इस प्रकार है (1) इकाई लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत होनी चाहिये (2) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण का समय पर पुनंभुगतान सुनिश्चित करने के लिये इकाई की तकनीकी आर्थिक जीवनक्षमता (3) इकाई को बैंक गारन्टी/शाख पत्र/शेयर/फिक्सड डिपाजिट आदि के रूप में प्रत्याभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) निगम की योजनायें इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। क्षेत्र-वार आंकड़े नीचे दिये गये हैं:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	622.00	4444.29	4175.69
2.	कलकत्ता	666.00	2503.01	2382.55
3.	मद्रास	2522.00	9778.91	16923.11
4.	नोयडा	156.00	778.08	742.06
5.	अहमदाबाद	744.00	4465.60	19064.75
6.	मुम्बई	2525.00	5745.71	8156.00
7.	गुवाहाटी	11.00	442.41	674.36
8.	मुख्यालय दिल्ली	1786.00	856.77	1563.11
		9032.00	29,014.78	53,681.63

राज्य-वार आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं तथा सभ पटल पर रख दिये जायेंगे।

[अनुवाद]

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज

5719. प्रो. ओम पाल सिंह "निडर" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी बैंकों/कंपनियों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक के लिए जमा राशि पर ब्याज की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या विदेशी बैंकों तथा अन्य संगठनों की तुलना में सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सामान्य भविष्य निधि पर भी ब्याज दर बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में निर्धारित किए गए ब्याज की दर ढांचे के अंतर्गत, बैंक एक वर्ष से अधिक वाली घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपने स्वयं के जमा दर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों द्वारा यथासूचित भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुख्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा एक वर्ष से अधिक की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर दी जानी वाली ब्याज दर नीचे दी गई है:-

अवधि	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
(1) राष्ट्रीयकृत बैंक	
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	11.0
दो वर्षों से अधिक और तीन वर्षों तक	12.0
तीन वर्ष से अधिक	13.0
(2) विदेशी बैंक	
एक वर्ष से अधिक और दो वर्षों तक	12.0 से 14.0
दो वर्ष से अधिक	12.5 से 15.0

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को एक वर्ष और उससे अधिक

और पांच वर्षों तक की अवधि वाली जमाराशियों पर 15.0 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक की ब्याज दर देने की अनुमति दी जाती है। तथापि, पंजीकृत एनबीएफसी, जो विवेकपूर्ण मानदंडों, न्यूनतम निवेश ग्रेड ऋण दर-निर्धारण और अन्य विनियमों का पालन करती हैं, को अन्य बातों के साथ-साथ एक वर्ष और पांच वर्षों तक की जमाराशियों पर उनके द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार ब्याज दर निर्धारित करने की अनुमति तब ही दी जाती है जब वे उपर्युक्त अपेक्षाओं का पालन करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेती हैं।

(ख) से (छ) जीपीएफ पर दिया जा रहा ब्याज 12 प्रतिशत है। ब्याज को बिना किसी उच्चतम सीमा के आय कर से पूर्णतया छूट दे दी गई है और अभिदान भी कर छूट के लिए पात्र होते हैं। जीपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चाय और काफी का आयात तथा निर्यात

5720. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में चाय और काफी का आयात/निर्यात किया गया।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन मदों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मदों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान काफी और चाय के निर्यात/आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

काफी का निर्यात

(मात्रा टन में) (मूल्य : करोड़ रु.)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1993-94	136690	586.99
1994-95	137395	1096.33
1995-96	167956	1492.60

काफी का आयात

रोस्टिड/डीकैफीनेटिड काफी के आयात की अनुमति 1.4.95 से दी गई थी।

चाय कर निर्यात

(मात्रा : मिलियन कि.ग्रा. में)
(मूल्य : करोड़ रु.)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1993-94	154.55	1062.04
1994-95	152.16	986.41
1995-96	163.65	1191.19

चाय का आयात

(मात्रा : मिलियन कि.ग्रा. में)
(मूल्य : करोड़ रु.)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1993-94	0.87	3.99
1994-95	0.20	1.10
1995-96	0.46	2.41

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए चाय और काफी के निर्यात के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

चाय	- 180 मिलियन कि.ग्रा.
काफी	- 1,50,000 टन

(ग) काफी बोर्ड द्वारा निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में यह शामिल हैं:-

(1) विदेश में महत्त्वपूर्ण काफी मेलों में नियमित रूप से भाग लेना;

(2) भारतीय काफी पर टी.वी. फिल्म का निर्माण करने के अतिरिक्त भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए जन प्रचार अभियान चलाना;

(3) विदेशी बाजारों का नियमित रूप से बाजार सर्वेक्षण करना तथा व्यापार वार्ता शिष्टमंडल भेजना; और

(4) भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में विदेशी बाजार दलों को आमंत्रित करना।

चाय बोर्ड द्वारा संवर्धनात्मक अभियानों के माध्यम से निर्यातों को बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं:-

(1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता; (2) भारतीय चाय की अद्वितीय विशेषताओं के बारे में उपभोक्ता की जागरुकता में वृद्धि करने के लिए जन प्रचार अभियान; (3) चाय बोर्ड के विपणन चिह्न के माध्यम से भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए जन प्रचार अभियान और (4) भारतीय चाय वाले विभिन्न विदेशी ब्रांडों को समर्थन देना। चाय बोर्ड ने क्लासिक भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक संवर्धन योजनाओं के साथ-साथ यू.के. (इंग्लैंड) में "दार्जिलिंग" तथा "असम" लोगो अभियान भी शुरू किए है।

[अनुवाद]

साइकिल निगम का जीर्णोद्धार

5721. श्री हाराधन राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का भारतीय साइकिल निगम का आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार करने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने अपनी पिछली सुनवाई में, प्रथम दृष्टया यह विचार बनाया था कि साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दीर्घकालिक आधार पर जैव्य नहीं है। बी.आई.एफ.आर. की अगली कार्यवाहियों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है तथा यह मामला न्यायाधीन हैं।

सीमेंट का निर्यात

5722. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के दौरान अब तक निर्यात लक्ष्यों के अनुसार रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) यद्यपि आठवीं योजना के दौरान सीमेंट के निर्यात के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है; फिर भी, वर्ष 1995-96, जिसमें मुख्यतः घरेलू बाजार में उच्चतम मांग के कारण कमी आ गई थी, को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमेंट/ खंगर का निर्यात बढ़ता रहा है। सीमेंट/खंगर का वर्षवार निर्यात इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्यात (मिलियन टन)
1992-93	1.18
1993-94	2.85
1994-95	3.17
1995-96	2.38

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क से बचना

5723. श्री छीतू भाई गामीत :
श्री राम सागर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद राजस्व के भुगतान के कई मामलों में उत्पादकों द्वारा दण्डाभाव के साथ टालमटोल की जा रही है और केन्द्रीय उत्पाद कर प्राधिकारी इसके प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन कर राजस्व से बचने के कितने मामलों में कर-निर्धारण किया गया है और यह कुल मिलाकर कितनी राशि बनती है; और

(ग) केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग को मजबूत करने और उत्पादकों के पास और अधिक दौरे कर इस तरह की टालमटोल को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी विनिर्माताओं द्वारा किए जा रहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता लगाने का कार्य गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वर्ष 1995 के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 5566 मामलों को दर्ज किया गया है जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लगभग 1276.16 करोड़ रुपये की राशि ग्रस्त है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निवारक कार्य-कलापों में तेजी लाई गयी है। जिसके परिणामस्वरुप, शुल्क्य माल का चोरी-छिपे विनिर्माण करने और उसकी निकासी करने को रोकने की दृष्टि से आसूचना

एकत्र करने, उत्पादन और निकासी की आकस्मिक तौर पर जांच करने और मार्गस्थ जांच करने के कार्य में तेजी लाई गई है।

शुल्क की विलम्बित राशि पर ब्याज लगाने के लिए व्यवस्था करने, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अपवंचित राशि के बराबर अनिवार्य अर्थदंड लगाने और स्वत: निर्धारण पद्धति को लागू करने और चयनात्मक आधार पर लेखा परीक्षा करने आदि जैसे कुछेक ऐसे विधिक परिवर्तन हैं जिनका उद्देश्य विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकना है।

[अनुवाद]

विनिवेश के लिए पैनल

5724. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए कोई अध्ययन/कार्यकरण किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण एककों के अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण औद्योगिक एककों को उनके पुनरुद्धार/पुनर्वास पैकेज के लिए औद्योगिक वित्तीय एवं पुनर्निर्माण मंडल को सौंपा जाता है। घाटा उठाने वाले एककों के बारे में संबंधित प्रबंधनों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के सहयोग से उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं ताकि उनकी कुशलता, उत्पादकता और लाभकारिता में सुधार किया जा सके।

चीनी सौदों में एस.टी.सी. द्वारा किया गया निवेश

5725. श्री शिवराज सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीनी सौदों में राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि निवेश की गई;

(ख) उक्त निवेश के परिणामस्वरुप एस.टी.सी. को कितनी उपलब्धि हुई; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान चीनी की बिक्री/निर्यात के लिए एस.टी.सी. द्वारा क्या अनुमान लगाया गया अथवा योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के व्यापार के संबंध में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया। तथापि, चीनी के आयात के लिए कारपोरेशन द्वारा एल/सी सीमाओं का प्रयोग किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से चीनी के कुल आयात और निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

(मात्रा मी. टन में)

	1992-93	1993-94	1994-95
आयात			
	-	-	4,70,685
निर्यात			
	13,585	46,565	35,000

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान चीनी के आयात/निर्यात के संबंध में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा कोई अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं। एस टी सी ये कार्य सरकार द्वारा प्राधिकृत करने पर करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

5726. श्री डी. पी. यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता देने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रशिक्षित किए गए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षिदत किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अभिकरणों, जिन्होंने युक्तिकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण और तैनाती देने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से कर्मचारी सहायता केन्द्रों की स्थापना की है, द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 11,751 कर्मचारियों ने 31 जुलाई, 1996 तक पुन: प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अभिकल्प तथा तकनीकी विकास हेतु क्षेत्रीय केन्द्र

5727. **श्री सौम्य रंजन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभिकल्प तथा तकनीकी विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र का नाम और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में निपटाए जा रहे अभिकल्पों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान व्यवसाय द्वारा स्वीकृत किए गए अभिकल्पों का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों के तकनीकी स्कन्धों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की स्थिति निम्नवत है:-

1. क्षेत्री डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, ओखला इंडस्ट्रीज इस्टेट, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, (डिजाइन विंग), चर्च स्ट्रीट बंगलौर।
3. क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (तकनीकी विंग), विक्टोरिया रोड, बंगलौर।
4. क्षेत्री डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, ओल्ड कोर्ट हाऊस, कलकत्ता।
5. क्षेत्री डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, गोविन्दपुरा, भोपाल - 462016।
6. क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, तीसरी मंजिल, सीताराम मिल कम्पाऊन्ड, लोअर पेरल, मुम्बई।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान विकसित डिजाइनों की कुल संख्या और उक्त अवधि में व्यापार के दौरान स्वीकृत डिजाइनों का प्रतिशत इस प्रकार है:-

विकसित डिजाइन

		1994-95	1995-96
1.	क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	17 (50.0 प्रतिशत)	368 (58.0 प्रतिशत)
2.	क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, कलकत्ता	426 (84.5 प्रतिशत)	612 (96.2 प्रतिशत)
3.	क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (डिजाइन विंग) बंगलौर।	166 (57.8 प्रतिशत)	192 (31.3 प्रतिशत)
4.	क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, भोपाल	44 (20.0 प्रतिशत)	शून्य

(कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़ें उन डिजाइनों का प्रतिशत है जिन्हें व्यापार के लिए स्वीकृत किया गया है।)

बंगलौर स्थित विक्टोरिया रोड केन्द्र एक तकनीकी विंग है और मुम्बई स्थित डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अभी काम शुरू किया जाना है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अब तक तकनीकी विंग का मूल्यांकन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों के तकनीकी विंग, सरकार द्वारा निर्मित कार्य योजना के तहत कार्य कर रह हैं।

[हिन्दी]

कोयला स्टाकयार्ड

5728. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खासकर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किये गये कोयला स्टाकयार्डों की संख्या और स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला स्टाकयार्ड स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले नये कोयला यार्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्तमान में 11 स्टॉकयार्ड परिचालित किए जा रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

पश्चिम बंगाल	6
उड़ीसा	2
मध्य प्रदेश	2
उत्तर प्रदेश	1

इन स्टॉकयार्डो को अवशिष्ट स्टाक के निपटारे के पश्चात् बंद कर दिया जाएगा।

वर्तमान नीति के अंतर्गत नए स्टॉकयार्डो को स्थापित किए जाने तथा उनके प्रबंधन का दायित्व संबंध राज्य सरकारों में निहित है। कोयला कंपनियां राज्य सरकारों से प्राप्त प्रायोजनों के आधार पर इन स्टॉकयार्डो हेतु कोयले की पेशकश करती हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ व्यापार

5729. श्री चित्त बसु :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा पर पेट्रोपोल निगरानी चौकी से भारत और बंगलादेश के बीच होने वाले व्यापार में 1990 से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष मदवार कितने मूल्य का व्यापार हुआ और कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या सीमा पर भारतीय क्षेत्र में आधारभूत कमियां उपर्युक्त निगरानी चौकी से होने वाले व्यापार में बाधा डालती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कमियों में से राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर यातायात भीड़ और कूचबिहार में चंगराबंधा में सड़क का अनपयुक्त होना भी कारण है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान दोनों देशों के बीच पेट्रापोल लैंड कस्टम्स स्टेशन के माध्यम से किए गए कुल व्यापार का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल व्यापार (करोड़ रु. में मूल्य)/अनन्तिम
1993-94	955.90
1994-95	1409.13
1995-96	1759.59

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

मदवार व्यापार आंकड़ों के लिए डी जी सी आई एंड एस का भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी मार्च, 1995-1996 नामक प्रकाशन जो की संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है, को देखा जा सकता है।

(ग) से (च) अवस्थापनापरक कमियां जैसे तंग सड़कें, पार्किंग स्थान का अभाव, भंडारण संबंधी सुविधाओं की कमी आदि के परिणामस्वरुप पैट्रापोल लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भीड़भाड़ तथा विलंब हुआ है। सरकार ने एल सी एस में अवस्थापनापरक सुविधाओं में सुधार करने के लिए कुछ परियोजनाओं की मंजूरी दी है। जिसमें पैट्रापोल एल सी एस में भंडारण सुविधाओं का निर्माण, हरिदासपुर इंटरनेशनल चैक पोस्ट पर चार मार्ग बाह्य पथ का निर्माण, बोंगॉव में ट्रक टर्मिनश का विकास; पहुंच सड़क को सुदृढ़ करना तथा चौड़ा करना, राष्ट्रीय राजमार्गः 35 के फैलाव को और चौड़ा करना आदि शामिल हैं।

कूच बिहार में चंगराबंधा में सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है परन्तु व्यापार इस सड़क से अब भी चल रहा है।

चावल की तस्करी

5730. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम से बंगलादेश को बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इस तरह की तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) सरकार को ऐसी किसी घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तस्करी रोधी एजेंसियां असम से बांग्लादेश को चावल की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क है।

उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5731. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्व बैंक की सहायता से कुछ अन्य परियोजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उड़ीसा राज्य में विश्व बैंक की सहायता से आठ राज्य/बहुराज्यीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है। इन आठ परियोजनाओं के अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के दौर में हैं।

(ख) से (घ) दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो पहले से ही विश्व बैंक से सम्भावित सहायता प्राप्त करने के लिए विचाराधीन हैं, ये परियोजनाएं राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य सड़क परियोजना से संबंधित हैं। विश्व बैंक समयोचित तरीके से इन दोनों परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है।

कपास की ओटाई और दबाने की मिल

5732. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का कपास की ओटाई और "प्रेसिंग" मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरानी ओटाई और "प्रेसिंग" मिलों को उन्नत बनाने और इन पुरानी मशीनों में धागे की हानि को रोकने और धागे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास के धागे की क्या स्थिति है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के धागे के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) भारतीय कपास निगम कपास में संदूषण नियंत्रित करने के उद्देश्य से कपास की जिनिंग, प्रसंस्करण तथा वर्गीकरण के सामान्य मानकों का सुधार करने के लिए जिनिंग तथा प्रैसिंग फैक्ट्रियों को वित्तीय प्रोत्साहन देता है।

(घ) असम कोमिला जैसी (कताई न की जा सकने वाली कपास से लेकर 80 से 120 तक के काउंटों में कातने योग्य डी सी एच-32 सुवीन किस्म की गुणवत्ता वाली कपास की व्यापक श्रृंखला के कारण ही भारतीय कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुविख्यात है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(लाख गांठ में)

वर्ष	निर्यात	प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.
	अपेक्षित मात्रा	लदान किया गया
1992-93	17.855	13.766
1994-94	5.695	3.90
1994-95	1.855	1.08

केन्या और तंजानिया में निवेश

5733. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियों ने केन्या और तंजानिया में पूंजी निवेश किया है और वहां अपने एकक स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां भारतीय कंपनियों ने पूंजी निवेश किया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केन्या और तंजानिया में भारतीय कम्पनियों को कागज, आटो के पुर्जे, केबल, रसायन, दवाई सूत्रीकरण, सूत ओटाई आदि के विनिर्माण और बीमा-व्यवसाय, पर्यटन के विकास आदि के क्षेत्रों में विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में निवेश करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

लद्दाख में बैंकों का कार्य निष्पादन

5734. श्री पी. नामग्याल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थानवार कितने राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार स्थानीय वाशिन्दों द्वारा बैंक-वार कुल कितनी-कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान बैंक-वार स्थानीय निवासियों को कुल कितनी धनराशि अग्रिम के रूप में दी गई;

(घ) क्या बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि इस हेतु निर्धारित मानक अनुपात के अनुसार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) लद्दाख जिले के अग्रणी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ने सूचित किया है कि लेह में वाणिज्यिक बैंकों की 13 शाखाएं काम कर रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक की चार शाखाएं हैं और जम्मू व कश्मीर बैंक लिमिटेड की नौ शाखाएं हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे नारियल पानी की मांग

5735. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे नारियल पानी की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) कच्चा नारियल पानी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम मात्रा में व्यापार किया जाता है।

(ख) नारियल विकास वोर्ड ने रक्षा उत्पादन अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर के माध्यम से कच्चा नारियल पानी के परिरक्षण और पैकिंग के लिए एक परियोजना आरम्भ की है और तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के पश्चात, इसके निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। कच्चा नारियल पानी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) नारियल उद्योग के संघटित विकास के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रों तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के लिए आठवीं योजना में व्यय में वृद्धि;

(2) अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर फसल के क्षेत्र में फैलाव, नवीकरण व्याधि प्रबंध और कार्यकलापों में वृद्धि करके नारियल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।

व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायता

5736. श्री महबूब जहेदी : क्या कोयला मंत्री 18 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 94 व्यक्तियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायक (प्रशिक्षार्थी) के रुप में नियुक्त किया गया था। ऐसी कोई भी नियुक्तियां न तो पिछले अथवा न ही बाद के वर्ष में की गई थीं। यह नियुक्तियां तदर्थ आधार पर आवश्यकता को पूरा करने हेतु की गई थीं, अतः इनके लिए न तो कोई योग्यताएं निर्धारित की गई थी और न ही इनके लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया अपनाई गई थी। अतः छात्रवृत्ति प्रशिक्षार्थी के रुप में ये नियुक्तियां राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के अन्तर्गत नहीं आती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मसालों का निर्यात

5737. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्यात किए जा रहे विभिन्न प्रकार के मसालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के लिए प्रत्येक मसाले के संबंध में वार्षिक निर्यात लक्ष्य क्या है तथा अभी तक इस संबंध में वास्तविक उपलब्धि क्या रही है; और

(ग) मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) मुख्य मसाला मदों/समूहों के निर्यात में शामिल हैं: (1) काली मिर्च; (2) इलायची (छोटी); (3) इलायची (बड़ी); (4) मिर्च; (5) अदरक; (6) हल्दी; (7) धनिया; (8) जीरा; (9) अजमोद; (10) सौंफ; (11) मेथी; (12) अन्य मसाले जिनमें शामिल हैं, सौंफ, अजवायन, सोआ इत्यादि; (13) लहसन;

(14) मसाले जिसमें शामिल हैं, इमली, हींग, दालचीनी, अमलतास, कोकम, केसर इत्यादि; (15) करी-पाउटर; (16) पुदीना तेल; मसाले के तेल और तेलीय रेजिन।

(ख) सरकार ने निर्यात के लिए मसाला-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि योजना आयोग ने 8वीं योजना अवधि (1991-92 के मूल्यों पर) के प्रत्येक वर्ष के लिए समग्र रुप से मसालों के लिए निर्यात प्रेक्षपण किया है और वास्तविक निर्यात (मामूली मूल्यों पर) नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़)

वर्ष	निर्यात प्रेक्षपण (1991-92 के मूल्यों पर)	निर्यात (मामूली मूल्यों पर)
1992-93	384	418.64
1993-94	398	547.25
1994-95	414	607.34
1995-96	431	785.89
1996-97	447	-

(ग) मसालों के उत्पादन/उत्पादकता और निर्यात में वृद्धि के लिए किए गए कुछ उपाय हैं:-

(1) उत्पादन/उत्पादकता

(1) उच्च उपज श्रेणी की रोपण सामग्री की आपूर्ति;

(2) निरुपण प्लांट की स्थापना;

(3) तुरन्त मुरझाने के विरुद्ध रोगनिरोधक पौध सुरक्षा उपाय करना;

(4) मिनी किट की आपूर्ति;

(5) क्षेत्र विस्तारण;

(6) पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण; और

(7) मृदा संरक्षण उपाय।

(2) निर्यात

सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अलावा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के जो उपाय किए गए हैं उनमें काली मिर्च (लवण जल में हरी मिर्च को छोड़कर) केसर, इलायची और मसालों के तेल और तैलीय रोडीन के निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार ब्रांड संवर्धन योजना जैसे "लोगो संवर्धन" "मसाला सदन प्रमाण-पत्र" में मूल्यस्पर्धी बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप उत्पाद विकास और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना है।

मानव सामग्री का निर्यात

5738. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11-17 अगस्त, 1996 के "संडे आब्जर्वर" में प्रकाशित "इंडियन जिनेटिक रिसौंसिस सोल्ड टू यूएस ऑन स्लाई" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका स्थित ह्यूमन जिनेमी डाईवरसीफाई प्रोजेक्ट देश के कई अस्पतालों के माध्यम से स्वदेशी भारतीय समुदायों से मानव के जेनेटिक स्रोत प्राप्त कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मानव सामग्री के निर्यात को रोकने अथवा विनियमित करने और अमरीका पर यह दबाव डालने कि वे प्रौद्योगिक के अंतरण और दूसरे आर्थिक लाभों के लिए एक विशिष्ट करार करे क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी. हां।

(ख) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तथापि, अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों, जिसमें विदेशी सहयोग/सहायता शामिल होती है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति है जो कुछेक परिस्थितियों और दशाओं में केवल अनुसंधान प्रयोजन के लिए विदेश में जैविकीय सामग्री के प्रतिबंधित अंतरण की अनुमति देती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भविष्य निधि

5739. श्री परस राम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिक्की" द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को भविष्य निधि के एक भाग को पूंजी बाजार में निवेश हेतु अलग रख लेना चाहिए ताकि प्रणाली में तरलता समाहित की जा सके;

(ख) क्या वर्तमान में सरकारी प्रतिभूतियों में बड़े पैमाने पर रुकी पड़ी धनराशि के भविष्य निधि अंशदाताओं को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस संबंध में भारतीय वाणिज्य मण्डल संघ से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भविष्य निधि राशि का निवेश सरकार द्वारा निर्धारित निवेश ढांचे के अनुसार किया जाना होता है जिसका उद्देश्य जोखिम रहित, पर्याप्त एवं कर मुक्त लाभ प्रदान करना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम का कार्य-निष्पादन

5740. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों से लेकर अब तक दिल्ली में जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये कुल कारोबार का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त की तुलना में दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान किया गया निवेश कितना है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम जिन राज्यों में अपना कारोबार कर रहा है वहां निवेश करते समय कुछ विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए कारोबार के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमित राशि	प्रथम प्रीमियम	कुल प्रथम वर्ष प्रीमियम (कालम 3 में दिए गए प्रथम प्रीमियम सहित)	कुल नवीकृत प्रीमियम	कुल आय (प्रीमियम)
		(करोड़ (रु. में)	(लाख रु. में)	(लाख रु. में)	(लाख (रु. में)	(लाख (रु. में)
1993-94	312036	1725.89	6771.20	8898.79	4406.38	52905.17
1994-95	331639	2439.00	7168.29	9298.68	52838.20	62136.88
1995-96	343867	2252.35	9066.26	11273.45	51250.38	62523.83

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान दिल्ली में की गई निवेश राशि निम्नलिखित है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1993-94	130.17
1994-95	449.34
1995-96	606.26

(ग) और (घ) निगम की निधि का निवेश बीमा अधिनियम, 1938 की संशोधित धारा 27क में दिए गए प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त धारा में की गई सांविधिक संघटना में जो भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए लागू है और जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, यह बात ध्यान में रखी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक वर्ष निवेश करेगा और हर बार निम्नलिखित रुप में जमा रकमों से निर्वाशित राशि को अलग रखकर नियंत्रित निधि में डाला जाएगा।

समाजोन्मुखीय क्षेत्र

1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां जो कम नहीं हैं (जिसमें राष्ट्रीय आवासीय बैंकों को दिए गए 5 प्रतिशत से अधिक ऋण शामिल नहीं हैं।	25 प्रतिशत
2.	उपर्युक्त (1) सहित सरकारी गारंटी शुदा बिक्री योग्य प्रतिभूतियां के साथ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां जो कम नहीं हैं।	30 प्रतिशत
3.	सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र पासिलीधारकों द्वारा भवन निर्माण, उपर्युक्त (2) में शामिल ओ वाई एच योजनाओं सहित समाजोन्मुख क्षेत्र	75 प्रतिशत

शेष जिसका निवेश किया जाना है (प्राप्त होने वाली निधियों को छोड़कर)

1. गैर सरकारी क्षेत्रों में,
2. पालिसीधारकों को जारी ऋण, और
3. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्माण कार्य और अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण।

समाजोन्मुख क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का निवेश राज्य सरकारों को ऋणों के माध्यम से योजना आयोग द्वारा जीवन बीमा निगम को किए गए राज्यवार और क्षेत्रवार आबंटन के अनुसार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब कभी राज्य सरकार को ऋण घोषित किए जाते हैं तो जीवन बीमा निगम कुल राशि को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित करने का निर्णय लेता है और जो जारी करते समय इसकी निधि की स्थिति पर निर्भर करता है। जीवन बीमा निगम राज्यवार अंशदान का भी उल्लेख करता है जो जीवन बीमा निगम प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए निर्गम के आकार को ध्यान में रखते हुए कमोवेश आनुपातिक आधार पर करेगा, लेकिन वास्तविक राज्यवार आबंटन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम निर्णय लेगा।

इलैक्ट्रो-मेग्नीज-डाइआक्साइड परियोजनाएं

5741. श्री गिरिधर गमांग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. ने देश में ई.एम.डी. परियोजना सहित प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन और अंतरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना के अंतर्गत कई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो ई.एम.डी. परियोजना संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और परियोजना प्राधिकरण द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक नई ई. एम. डी. परियोजना को स्वीकृत करने से पूर्व केरल में एक और ई.एम.डी. परियोजना थी जिसके लिए आई.डी.बी.आई. धनराशि मुहैया करा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो नई परियोजना के लिए धनराशि किस आधार पर मुहैया कराई जाती है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि उसने ई.एम.डी. के विनिर्माण के लिए एक टी पी डी क्षमता वाले पायलट संयंत्र की स्थापना हेतु जून, 1989 में एक कम्पनी को सहायता दी थी। इस परियोजना ने अपने कार्यान्वयन में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।

(ग) जी, हां।

(घ) आई. डी. बी. आई. ने सूचित किया है कि वर्ष 1974 में केरल में शुरू की गई परियोजना राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला (एम. एम. एल.) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। यह प्रौद्योगिकी विफल रही है और कम्पनी वर्ष 1984 से बन्द है। बाद में, एन एम एल ने अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन किया और नई परियोजना परिवर्तित प्रक्रिया को स्थापित करने तथा पायलट पैमाने पर शुष्क सैल विनिर्माताओं की सन्तुष्टि के अनुरूप गुणवत्ता के ई एम डी बनाने का एक प्रयास थी।

[हिन्दी]

कोयले का प्रेषण

5742. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. में रेलवे साइडिंग तथा प्रेषण चौकियां कितनी हैं;

(ख) इनमें से कितनी रेलवे साइडिंग तथा प्रेषण चौकियों पर तौल-सेतु की सुविधा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयला, कोक, वाश-कोक, डिलिंग तथा अन्य कोयले का तौल-सेतु (वेब्रिज) पर तौल तथा बिना तौल के कितनी मात्रा में रेलवे द्वारा प्रेषण किया गया;

(घ) क्या रेलवे तौल-सेतु पर तौल के बिना भेजे गए कोयले में कमी की शिकायतें उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अलग-अलग कमी की मात्रा क्या थी; और

(च) तौल और बिना तौल के भेजे गए कोयले की कमी के कारण कितनी हानि हुई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) में वर्तमान में 62 रेलवे साइडिंग हैं। सभी साइडिंगों में कोयले का प्रेषण किए जाने हेतु भार किए जाने की व्यवस्था है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान भा.को.को.लि. द्वारा प्रेषित किए गए कोयले, कोक, धुले कोयले की मिडलिंग्स की भारित तथा आभारित मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)
(आंकड़े (अनंतिम)

मद	1993-94			1994-95			1995-96		
	रेल द्वारा प्रेषित कुल मात्रा	भारित मात्रा	अभारित मात्रा	रेल द्वारा प्रेषित कुल मात्रा	भारित मात्रा	अभारित मात्रा	रेल द्वारा प्रेषित कुल मात्रा	भारित मात्रा	अभारित मात्रा
कोयला	139.61	90.74	48.87	141.69	100.59	41.1	129.37	94.44	34.93
कोक	1.68	1.68	शून्य	1.37	1.37	शून्य	1.02	1.02	शून्य
धुला कोयला	140.51	40.51	शून्य	42.80	42.80	शून्य	41.16	41.16	शून्य
मिडलिंग्स	10.84	10.84	शून्य	9.35	9.35	शून्य	11.16	11.16	शून्य

(घ) से (च) कोयले का प्रेषण रेल द्वारा अफओआर के आधार पर किया जाता है और कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी तभी समाप्त हो जाती है जबकि कोयले का प्रेषण साइडिंगों से कर दिया जाता है और इसके बाद कम प्राप्ति के दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। भा.को.को.लि. ने सूचित किया है कि विशिष्ट रूप से कोयले की कम आपूर्ति प्राप्त किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु, कोयले के रैकों के संबंध में बड़े उपभोक्ताओं के साथ हुए करार के अनुसार, जिन रैकों का लदान स्थल पर भार किया गया है, इस तरह का किया गया भार ही बिल तैयार किए जाने का आधार होता है और तदनुसार् अदायगी की जाती है। किन्तु भार न किए गए वैगनों के मामले में प्रारंभिक रुप में वैगनों की लदान क्षमता के आधार पर बिलिंग की जाती है। उतराई स्थल पर किए गए भार को बाद में स्वीकार किया जाता है तथा दावे स्वीकार किए जाते हैं यदि उतारई स्थल पर उपभोक्ताओं द्वारा भार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ऐसे दावे आवधिक रुप में प्राप्त होते हैं और विचार-विमर्श के बाद उनका निपटारा कर दिया जाता है।

भा.को.को.लि. द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान भार में अंतराल होने संबंधी स्वीकार्य दावे नीचे दर्शाए गए हैं:-

वर्ष	राशि
1993-94	556 लाख रु.
1994-95	330 लाख रु.

वर्ष 1995-96 के लिए भा.को.को.लि. द्वारा 2 लाख रु. की राशि के विद्युत गृहों से दावे प्राप्त किए गए हैं। ये दावे निपटारा तथा समझौता किए जाने की प्रक्रिया के अधीन हैं। वास्तविक दावे जिनकों किया गया है, उनकी जानकारी अंतिम रुप में मामलों का निपटारा किए जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

कपड़े का उत्पादन

5743. श्री नवल किशोर राय :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ग) विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में अलग-अलग कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में कपड़े का कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उक्त वर्षों के दौरान निर्यात के संबंध में कपड़ा उद्योग को दी गई रियायतों के लाभ की तुलना में हथकरघा क्षेत्र को कम लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनमें क्षेत्रवार उत्पादित कुल कपड़े में से वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में जिसमें इन वर्षों के दौरान किया गया पुंजी निवेश शामिल है, कितने रुपए के कपड़े का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 6.8 मिलियन तथा 12.9 मिलियन (लगभग) है।

(ख) विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कपड़े की मात्र निम्न प्रकार है:-

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
विद्युतकरघा	15994	15976	16332
हथकरघा	5851	6180	7020

(ग) जी नहीं। वास्तव में हथकरघा क्षेत्र ने 1993-94, 1995-96, 1994-95 को छोड़कर, के दौरान लक्ष्यों से अधिक सूती फैब्रिक तथा मेडप का निर्यात किया है।

(घ) हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती कपड़ा फैब्रिक्स तथा मेडप्स का मूल्य निम्न प्रकार है:

करोड़ रु. में

क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96 (लक्ष्य)
मिल निर्मित/विद्युतकरघा	3394.47	4620.64	5335.53
हथकरघा	1297.48	1504.60	1491.32

वस्त्र क्षेत्र के उपरोक्त प्रखण्डों में से प्रत्येक खण्ड के व्यापक सीमान्त विकेन्द्रीकृत स्वरुप के कारण उनमें निवेसित पूंजी के आंकड़ें तथा पृथक क्षेत्रों के लिए मात्रा-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सीमेंट के मुल्य में बढ़ोत्तरी

5744. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान सीमेंट के मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्य को 1994-95 के स्तर पर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की कीमतों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। 1993-94 के दौरान मांग में कमी तथा सामान्य व्यापारिक मन्दी की स्थितियों के कारण वृद्धि नहीं हुई। 1994-95 के दौरान 50 किलोग्राम सीमेंट के प्रत्येक बैग पर औसतन 20-25 रुपये कीमतें बढ़ी। ऐसा मुख्य रूप से निविष्टों के मूल्य, ईंधन की लागत, परिवहन तथा ऊपरी खर्च में वृद्धि के कारण हुआ था। दिसम्बर-मार्च की अवधि, जो सीमेंट की महत्वपूर्ण अवधि है, को छोड़कर 1995-96 के दौरान सीमेंट की कीमतें स्थिर रही हैं। बम्बई जैसे कुछ बाजारों में परिवहन संबंधी बाधाओं, हड़तालों इत्यादि के कारण हुई अस्थायी कमी के फलस्वरुप कीमतों में अल्पावधि वृद्धि हुई थी।

(ख) 1 मार्च, 1989 से सीमेंट की कमीतों से नियंत्रण हटा दिया गया है। सीमेंट उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकार सीमेंट के अतिरिक्त क्षमता के सृजन तथा उच्च उत्पादन को बढ़ावा देती रही है ताकि बाजार में अच्छी स्पर्धा तथा कीमतों पर नियंत्रण हो सके। सरकार प्राथमिकता के आधार पर कोयले तथा माल डिब्बों की आपूर्ति करके सीमेंट उद्योग को सभी आधारभूत सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"एस्सार" ग्रुप को बैंककारी समर्थन

5745. श्री सी. नरसिम्हन :
श्री छीतु भाई गामीत :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने "एस्सार" ग्रुप के साथ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय संव्यवहार में की गई अनियमितताओं के बारे में हाल ही में जांच की है;

(ख) क्या उक्त विभाग की इस जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि सभी बैंकों और संस्थाओं द्वारा वित्तीय संव्यवहार में की गई अनियमितताओं में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त थी जो इस ग्रुप के समूचे कारोबार से भी कहीं ज्यादा थी;

(ग) क्या उक्त विभाग ने यह सुझाव दिया है कि "एस्सार" ग्रुप में वित्तीय संस्थाओं के इस पूरे संव्यवहार को अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई एक शिकायत के आधार पर, एस्सार कम्पनी समूह द्वारा बैंकों की निधियों के कथित दुरुपयोग के मामले की भारतीय स्टेट बैंक ने जांच की थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि कतिपय मामलों में, अंतरण केवल बही में प्रविष्टियों तक सीमित थे और उनके अन्तिम प्रयोग के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को सलाह दी जा रही है कि वह मामले की जांच किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म से कराये।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

गरीबी उन्मूलन योजना

5746. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके पुनर्गठन की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऋण से जुड़ी हुई स्वरोजगार-योजना को पुन: आरंभ किया है;

(ग) क्या ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी परिणति नुकसान में हुई है;

(घ) क्या सरकार सभी योजनाओं को लाभप्रद बनाने के लिए उन्हें पुन: शुरु करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) ऋण से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ऋण से जुड़ी गरीबी उन्मूसन और स्वरोजगार योजनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए, इन योजनाओं को सुबोध पद्धतियों वाली सरल श्रेणियों में युक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता थी। इस बैठक में इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि ये योजनाएं अपनी निजी विशेषताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति निर्दिष्ट थीं। अत: यह सिफारिश की गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक योजनाओं के अध्ययन और उसके एकीकरण और युक्तियुक्तकरण के बारे में विस्तृत सिफारिशें करने के लिए एक समूह का गठन करेगा। तदनुसार, कुछ राज्य सरकारों, कुछ सरकारी क्षेत्रों के बैंकों और केन्द्र सरकार के कुछेक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को लेकर एक समूह गठित किया गया है।

जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती और वह स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक वर्तमान गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार सृजन योजनाओं के पुनर्गठन का ब्यौरा दे पाना संभव नहीं है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम

5747. श्री तारिक अनवर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 में कुछ संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संशोधन कब तक किए जायेंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वित्त मंत्री जी के 1996-97 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने संसद में एक नया विधेयक लाने के आशय से रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका)तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफ़र) के क्रियाकलापों की पूर्णरूपेण समीक्षा करने की पहल की है।

कोयले की आपूर्ति

5748. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार का विशेष संदर्भ देते हुए क्या छोटे उद्योगों और आम उपभोक्ता को कोयले के वितरण हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिहार में कोयले की अनुपलब्धता की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो बिहार के कमी वाले क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक तथा अन्य गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, जिसमें बिहार के उपभोक्ता शामिल हैं, कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु एक सुविचारित नीति का अनुसरण किया जाता है। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति उन्हें कोयला कंपनियों द्वारा दिए गए संयोजनों के अनुसार और/अथवा संबद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों से प्राप्त प्रायोजनों के आधार पर की जाती है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार में उपभोक्ताओं को किए गए कोयले के प्रेषण में काफी वृद्धि हुई है। बिहार के सभी उपभोक्ताओं को कोयले का कुल 12.993 मि. टन प्रेषण किया गया है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 11.874 मि. टन प्रेषण किया गया था।

(घ) कोयला कंपनियां देश में सभी उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, जिसमें बिहार के उपभोक्ता भी शामिल हैं और ये कंपनियां कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके यह प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कई कोलियरियों से कोयले की पेशकश उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत की जा रही है और उक्त योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रायोजन के की जाती है।

रेशम का निर्यात

5749. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान रेशम के निर्यात में मूल्य और मात्रा दोनों के संबंध में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी कमी आई है;

(ग) किन-किन देशों ने भारत से रेशम के आयात में कमी की है; और

(घ) रेशम के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) जी हां। वर्ष 1995-96 के दौरान 49.2 मिलियन मीटर रेशमी वस्तुओं का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 845.16 करोड़ रु. था जबकि इसकी तुलना में 1994-95 के दौरान 61 मि.मी. रेशमी वस्तुओं का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 927 करोड़ रु. था।

(ग) ऐसे प्रमुख देश जिन्होंने भारत से रेशमी वस्तुओं का आयात कम किया है, यू एस ए, जर्मनी, यू.के., फ्रांस, नीदरलैंड, यू.ए.इ., कनाडा, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया हैं।

(घ) रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, टेक्सटाइल इंडिया जैसे घरेलू मेलों में व्यापक संवर्द्धन स्टाल लगाना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, बिक्री-सह-अध्ययन दौरों तथा क्रेता विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचना का प्रसार करना आदि जैसे विभिन्न निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद को सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने रेशम निर्यात को बढ़ाने के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत कच्चे माल का कर मुक्त आयात की सुविधा देने, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत मालों का आयात करने आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए आई डी बी आई से ऋण

5750. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या है तथा उनमें से अनुमोदित तथा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या अलग-अलग राज्यवार क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त राज्यों के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की प्रत्यक्ष वित्त पोषण योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश गुजरात राज्यों में प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	उत्तर प्रदेश			गुजरात		
	आवेदन			आवेदन		
	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत
1993-94	100	93	1	197	225	7
1994-95	154	120	2	261	211	3
1995-96	135	97	1	163	138	3

(ख) आईडीबीआई की प्रत्यक्ष वित्तपोषण योजनाओं के अंतर्गत 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में उद्योगों को संवितरित की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	गुजरात
1993-94	395.7	737.7
1994-95	646.7	1575.3
1995-96	742.2	1634.9

लातिन अमरीका देशों को निर्यात

5751. श्री भक्त चरण दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लातिन अमरीकी देशों के "थ्रस्ट मार्केट" को किये जाने वाले निर्यात को दुगुना महत्त्व देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 1.8.96 की सार्वजनिक सूचना सं. 363 (पी एन)/92-97 के द्वारा निर्यात घराने, व्यापार घराने, स्टार व्यापार घराने तथा सुपर स्टार व्यापार घराने के रुप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता का दावा करने के उद्देश्य से सभी लैटिन अमरीकी देशों सहित 43 देशों को 1 अप्रैल, 1996 को या इसके बाद किए गए निर्यातों से होने वाली आय को एन एफ ई या एफ ओ बी आधार पर डबल वेटेज के लाभ उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संसद की लाइब्रेरी में उपलब्ध है।

नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

5752. श्री एन. एस. वी. चित्यन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1996 में अब तक नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु को योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) इसमें उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य के विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) उनसे अब तक ऋण की कितनी राशि वसूली की गई है; और

(घ) नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी देने का क्या मानदण्ड है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुख्य रुप से एक शीर्ष पुनर्वित्तीयन संस्था है जो बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। तमिलनाडु में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (31.8.1996 तक) के दौरान संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त की राशि का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नाबार्ड किसानों को सीधे ऋण प्रदान नहीं करता है। तथापि, नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए पुनर्वित्त से किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होती है।

(ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, तमिलनाडु में विभिन्न संस्थाओं की मांग की तुलना में वसूली की समग्र प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

समाप्त वर्ष	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
जून, 93	76	60	73
जून, 94	78	71*	62
जून, 95	85	82*	68

*अनन्तिम

(घ) वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:-

(1) तकनीकी रुप से व्यवहार्य, आर्थिक रुप से अर्थक्षण और बैंक योग्य स्कीम नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता की पात्र है।

(2) पुनर्वित्त की मात्रा इसके उद्देश्य और एजेंसी पर निर्भर करती है।

(3) योजनाबद्ध ऋण के अधीन नाबार्ड से पुनर्वित्त आहरित करने की बैंकों की पात्रता उनके वसूली कार्य से भी सम्बद्ध है।

(4) नाबार्ड विकास परियोजनाओं, 100% निर्यातोन्मुखी योजनाओं, बंजर भूमि विकास परियोजनाओं जैसे महत्व वाले क्षेत्र के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने संबंधी पात्रता मानदंडों के मामले के गुण-दोषों के आधार पर और बैंकों से प्राप्त विशेष अनुरोधों पर विशेष छूट/रियायत प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

विवरण

1993-94, 1994-95, 1995-96, और 1996-97 (31.8.96 तक) के वर्षों के दौरान तमिलनाडु को योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

उद्देश्य	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (31.8.96 तक)
लघु सिंचाई	729.8	536.5	455.8	153.1
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1340.3	2199.8	1275.5	-
भूमि विकास	55.2	32.7	106.4	1.4
कृषि यंत्रीकरण	4112.3	4585.5	4654.8	2312.5
बागान और बागवानी	754.8	1368.9	553.2	215.1

उद्देश्य	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 31.8.96 तक
डेयरी विकास	2870.0	3183.0	3662.8	1143.8
मुर्गी पालन	650.7	1006.3	1624.4	148.5
भेड़/बकरी/सुअर-पालन	2818.4	3365.9	3470.6	1343.1
मछली पालन	693.1	689.8	674.0	10.2
रेशम उत्पादन	151.1	95.5	136.1	79.4
गोदाम/बाजार केन्द्र	2.8	10.4	37.7	-
नानिकी	151.0	145.2	88.9	27.7
बीज	-	93.1	36.7	0.2
कृषि उद्योग	168.1	71.3	547.4	0.5
बायोगैस	233.0	163.1	117.7	31.9
आईआरडीपी	-	1531.3	1160.2	514.1
गैर-कृषि क्षेत्र	6676.0	3401.8	4394.4	3369.1
अन्य	-	3338.9	3610.7	64.0
जोड़	21406.6	25818.0	26607.3	9414.6

[हिन्दी]

ओवरा कालीन उद्योग

5753. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार का ओवरा कालीन उद्योग, जिसे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था, काफी समय से बंद पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्योग को पुनजीर्वित करने हेतु सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि बिहार का ओवरा कालीन उद्योग कुछ समय से बन्द है। अनुमान है कि ओवरा में व इसके आसपास लगभग 276 करघे क्रियाशील हैं।

(ख) बिहार राज्य में ओवरा कालीनों के विकास हेतु भारत सरकार ने खरानती, डाकघर ओवरा में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है जो क्षेत्र के कालीन बुनकरों का कौशल उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। वर्ष 1987 में इसके प्रारम्भ से अभी तक 165 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वे इसी लाभप्रद व्यापार में रोजगार पर लगे हुए हैं। अन्य कालीनों के साथ-साथ ओवरा कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

5754. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के प्रस्ताव के क्या कारण हैं और इनके विलय के क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अभ्रक और अभ्रक पेपर का उत्पादन और निर्यात

5755. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष अभ्रक और अभ्रक पेपर का कुल कितना उत्पादन हुआ और देश-वार कुल कितना निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) क्या छठी और सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना में उपर्युक्त मदों के निर्यात में कोई कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मदों के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान अभ्रक तथा अभ्रक कागज के उत्पादन निर्यात की गई कुल मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सी. आई. एस. तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रौद्योगिकीय अप्रचलन मांग में कमी सिंथेटिक एवजी और एम.एम.टी.सी. के साथ विलय से पहले मिटको के सामने आई कठिनाईयों के कारण अभ्रक तथा अभ्रक के उत्पादों के निर्यातों में कमी आई।

(घ) सरकार संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों की सहायता से उत्पादों तथा बाजारों के संबंध में वस्तुवार निर्यात कार्यनीति तैयार करती है। अत: अभ्रक तथा अभ्रक कागज उद्योग के निर्यात को बढ़ाने के लिए निवेश तथा संवर्धनात्मक सहायता दी जाती है।

विवरण

उत्पादन

(यूनिट : एम टी)

वर्ष	भारत में उत्पादन (अपरिष्कृत और अवशिष्ट)	अभ्रक का कागज
1991-92	5957	79.00
1992-93	3997 (अ)	77.00
1993-94	3113 (अ)	123.00
1994-95	उ.न.	107.00
1995-96	उ.न.	85.00

स्रोत : आई बी एम, नागपुर

एम.एम.टी.सी. (भूतपूर्व मिटको) के अभ्रक प्रमाण का उत्पादन।

निर्यात की गई कुल मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1992-93	29930	4168
1993-94	33899	4332
1994-95	33116	4397
1995-96	7443	1181

स्रोत : एम.एम.टी.सी. लिमिटेड

स्वर्णकारों के लिए विदेशी-मुद्रा में ऋण योजना

5756. डा. राम कृष्ण कुसमरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नौभारोत्तर वित्त पर ब्याज की रियायती दरों तथा रत्नों और स्वर्णाभूषणों के निर्यात के संबंध में विदेशी मुद्रा नौभारोत्तर ऋण योजना को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार को इस संबंध में रत्न और स्वर्णाभूषण निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 8 फरवरी, 1996 से प्रभावी पोत लदान की तारीख से 90 दिन से अधिक और 6 महीने तक की अवधि के लिए लदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण को ब्याज दर से मुक्त कर दिया गया है और बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि ऐसे ऋण पर वे स्वयं ब्याज की दर निर्धारित करें। 90 दिन तक के लदानोत्तर ऋण पर ब्याज की दर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष ही रहेगी। अमेरिकी डालरों में आंके गए लदानोत्तर निर्यात ऋण योजना को 8 फरवरी, 1996 से समाप्त कर दिया गया था क्योंकि बड़े वायदा विनिमय प्रीमिया के सन्दर्भ में, इस सुविधा पर प्रभावी ब्याज दर नकारात्मक हो गई थी और आयात आय के असामान्य प्रत्यावर्तन को निरुत्साहित कर रही थी। ये सामान्य नीति परिवर्तन थे और इन्हें रत्नाभूषणों जैसी किन्हीं विशेष वस्तुओं तक सीमित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को फरवरी और मार्च, 1996 में अन्य बातों के साथ-साथ, पीएससीएफसी पर ब्याज की दर के संबंध में जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन उपायों के औचित्य के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने काउंसिल को बता दिया है।

अपारंपरिक और प्रदूषण रहित उद्योग

5757. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईंट और भट्टा उद्योग सहित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उत्पन्न हुई औद्योगिक रिक्तता के मद्देनजर आगरा में अपारंपरिक, प्रदूषण रहित उद्योग शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा में निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले किसी भी गैर-प्रदूषणकारी उद्योग को उन्हें कानून के अनुसार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यक अनुमति से और उच्चतम न्यायालय के विचारों तथा निदेशों/आदेशों के अनुसार स्थापित करना होगा। उद्यमी उपर्युक्त मानदण्डों के भीतर निवेश संबंधी निर्णय लेने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

विदेशी मालकियत वाले म्यूच्युअल फन्ड

5758. **श्रीं जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मालकियत वाले म्युच्युअल फंड जिन्होंने भारत में कारोबार आरम्भ किया है, की कुल संख्या कितनी है और उनमें भारतीय साझेदारों की संख्या कितनी है;

(ख) इन फंडों के माध्यम से कितनी धनराशि जुटायी जाती है;

(ग) क्या इन फंडों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशी वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदार परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी (ए. एम. सी.) वाले 14 म्यूच्युल फंडों को सेबी (म्यूच्युल फंड) विनियम, 1993 के अंतर्गत सेबी में पंजीकृत किया गया है।

(ख) 1.9.96 की स्थिति के अनुसार इन म्यूच्युल फंडों ने 41.46 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है।

(ग) और (घ) सभी म्यूच्युल फंड सेबी (म्युच्युल फंड) विनियम 1993 के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं। म्यूच्युल फंड विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सेबी उपयुक्त कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

गुजरात की एन.टी.सी. मिलों में अनियमितताएं

5759. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेषतौर पर अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में वर्तमान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की संख्या और उनके स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में अशांति कुप्रबंध तथा अनियमितताओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए तथा उन्हें गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के विकास के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता देने की घोषित स्कीम के कार्यान्वयन की योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) एन टी सी (गुजरात) लि. के अधीन 11 मिलों के नाम तथा अवस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मिलों का नाम	अवस्थिति
1.	अहमदाबाद जूपीटर टेक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद
2.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद
3.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद
4.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद
5.	न्यू मानक चौक टेक्स मिल्स	अहमदाबाद
6.	राजनगर टेक्स. मिल्स नं. 1	अहमदाबाद
7.	राजनगर टेक्स. मिल्स नं. 2	अहमदाबाद
8.	महालक्ष्मी टेक्स मिल्स	भावनगर
9.	पेटलेड टेक्स. मिल्स	पेटलेट
10.	राजकोट टेक्स. मिल्स	राजकोट
11.	विरामगम टेक्स. मिल्स	विरामगम

जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में कोई मिल नहीं है।

(ख) और (ग) पूर्व में प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है तथा अधिकांश मामलों में इन्हें अवास्तविक पाया गया है। तथापि, कुछ आरोपों जिनमें चिकित्सा दावा, लिग्नाइट परिवहन तथा घटिया रंजकों एवं रसायनों की खरीद आदि शामिल हैं, की सी बी आई द्वारा जांच की गई थी जिसने आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें की सिफारिश की है। ये मामले अहमदाबाद के न्यायालयों में न्यायाधीन हैं। समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की आवश्यक कार्यवाही के लिए छानबीन की जाती है।

(घ) एन.टी.सी. (गुजरात) लि. के लिए अनुमोदित संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के माध्यम से बेशी कार्यबल का सुव्यवस्थीकरण भी शामिल है। सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सुव्यवस्थित किए गए कामगारों के पुनर्वासन के लिए एक योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत कामगार एन टी सी से नाममात्र की

कीमत पर पुराने करघे खरीद कर अपना प्रोजेक्ट शुरु कर सकते हैं अथवा मशीनरी विनिर्माताओं से नए विद्युतकरघे/रिलींग मशीनें खरीद सकते हैं। आवश्यक वित्त बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। कंपनी ऐसे उद्यमों को आरंभ करने की तारीख से उनके छः माह तक सफल प्रचालन के पश्चात् उत्पादन प्रोत्साहन भी देगी। दिनांक 30.6.95 तक की स्थिति के अनुसार 1715 करघे ऐसे 419 कामगारों को वितरित किए गए हैं जिन्होंने इस योजना को अपनाया है।

इसके अतिरिक्त गुजरात में एन टी सी प्रत्येक मिल में कर्मचारी संसाधन केन्द्र (ई आर सी) स्थापित किया गया है, जिसका श्रम कल्याण अधिकारी प्रभारी है। यह केन्द्र कामगारों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पद्धतियों का सुझाव देकर कर्मचारियों को वी आर एस को अपनाने में सहायता करता है। सरकार ने अहमदाबाद स्थित गांधी श्रम संस्थान को राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत नोडिए अभिकरण के रुप में घोषित किया है।

विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

5760. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए प्राप्त विदेशी सहायता की संपूर्ण राशि को राज्यों को देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कुल कितनी विदेशी सहायता दी गयी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर राज्यों द्वारा किए गए व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता राज्यों को शत-प्रतिशत संयोज्य रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में स्वीकृत की जाती है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता की समरुपी शर्तों पर ही स्वीकृत की जाती है, जिसमें संवितरित की जा रही राशि का 30 प्रतिशत अनुदान के रुप में और 70 प्रतिशत ऋण के रुप में होता है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए अनुदान और ऋण का अनुपात क्रमशः 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राज्यवार कुल विदेशी सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	1993-94 में दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1994-95 में दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1995-96 में दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	893.65	570.38	444.10
2.	असम	3.64	6.67	2.81
3.	बिहार	24.89	72.01	32.02
4.	गोआ	0.00	0.73	0.11
5.	गुजरात	147.45	141.05	106.12
6.	हरियाणा	79.56	74.92	87.52
7.	हिमाचल प्रदेश	38.61	38.20	40.16
8.	जम्मू और कश्मीर	7.87	11.10	6.51
9.	कर्नाटक	349.40	373.90	145.76
10.	केरल	118.43	126.82	29.37
11.	मध्य प्रदेश	78.38	94.31	67.69
12.	महाराष्ट्र	927.56	562.58	721.20
13.	उड़ीसा	128.72	201.72	142.33
14.	पंजाब	54.14	99.39	96.75
15.	राजस्थान	151.94	197.77	301.54
16.	तमिलनाडु	502.35	671.69	320.60
17.	उत्तर प्रदेश	316.09	497.80	369.71
18.	पश्चिम बंगाल	88.24	163.20	85.75
	जोड़	3910.92	3904.24	3000.05

[अनुवाद]

आयकर में छूट

5761. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मजदूरी/वेतन भोगियों द्वारा प्राप्त महंगाई भत्ते को आयकर से मुक्त करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) कर नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार को अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनकी बजट-प्रक्रिया के भाग के रुप में जांच की जाती है। सरकार की वर्तमान नीति को वित्त (संख्या-2) विधेयक, 1996 में निहित प्रस्तावों में दर्शाया गया है जिसमें "वेतनों से प्राप्त आय" शीर्ष के अन्तर्गत महंगाई भत्ते पर कर लगाने की सरकार की नीति को दोहराया गया है।

कपास नीति

5762. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास उद्योग में व्याप्त अराजकता को रोकने, जहां कीमतों में हेर-फेर होता है तथा कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने के लिए बिचौलियों को हटाने और देश में कपास के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए कोई नई कपास नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सुझाव प्राप्त या आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई नीति कब तक घोषित होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (घ) सरकार की चालू नीति के अनुसार, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय कृषि लागत तथा कीमत आयोग की सिफारिश पर कपास की दो किस्मों एफ-414/एच-777 तथा एच-4 का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। उसके बाद ही कपास की अन्य किसमों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा सामान्य कीमत विभेदों के आधार पर किया जाता है क्योंकि कपास एक आवश्यक वस्तु है इसलिए सरकार इसकी कीमत की गहन मानीटरी करती है। कीमत के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, भारतीय कपास निगम को मूल्य समर्थन अभियान चलाना अपेक्षित होता है। तथापि, कपास की कीमत अब कुछ वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बनी रही। इस प्रकार भारतीय कपास निगम केवल वाणिज्यिक खरीदारियों में लगा रहा है।

सूती धागे की आपूर्ति

5763. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र की सूती-धागे की मांग कितनी है तथा उपरोक्त अवधि में सूती धागे की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सूती धागे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) सूती धागे की मांग कई पहलुओं पर निर्भर करती है जैसे सूती कपड़े के मूल्य और उसकी मांग, सूती धागे के मूल्य आदि और यह समय-समय पेर भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: हथकरघा और साथ ही पावरलूम क्षेत्र के लिए सूती धागे की मांग की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों में धागे की आपूर्ति इस प्रकार थी:-

वर्ष	आपूर्ति किए गए कुल सूती धागे की मात्रा (मिलियन कि.ग्रा. में)	
	पावरलूम क्षेत्र को	हथकरघा क्षेत्र को
1993-94	632	422
1994-95	567	438
1995-96 (अनन्तिम)	557	493

(ख) सूती धागे की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं जैसे- (1) आवश्यकतानुसार नीति हस्तक्षेप से कच्चे माल, कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, (2) देश में सूती धागे की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इसके निर्यात को सीमित करना। वर्ष 1996 के दौरान 40 काऊंट से कम काऊंट के सूती धागे का निर्यात 40 मिलियन किलो ग्राम की दो छमाही किस्तों में कुल 80 मिलियन किलो ग्राम तक ही सीमित किया गया है। कुछ विशेष श्रेणी के सूती धागे को इस सीमा से मुक्त किया गया है जैसे 100 प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाईयां, ई.ओ.यू., ई.पी.सी.जी. इकाईयों द्वारा निर्यात, द्विपक्षीय कोटे के विरुद्ध सभी निर्यात, 41 काऊंट और उससे अधिक काऊंट के धागे का निर्यात और प्रोसेस किए गए धागे का निर्यात। इसके अतिरिक्त 1 से 60 काऊंट के हैंक यार्न के निर्यात की भी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता

5764. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक निर्णय लेने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 14 राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों से राष्ट्रीय नवीकरण कोष से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तथा संचालनात्मक विधियों को अन्तिम रुप दिए जाने के पश्चात् ही राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशालाएं

5765. श्री संदीपान थोरात : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 4 वर्ष पहले विशेष तौर पर ताप विद्युत एककों की धुले हुए कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा साथ ही राख से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निविदाओं की जांच करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) कोयला धोवनशालाओं का नेटवर्क स्थापित करने हेतु प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) प्रथम बार में, कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) ने एक निविदा सूचना, अगस्त 1993 में "स्वनिर्मित स्वचालित" आधार पर वाशरियों की स्थापना के लिए पेशकश आमंत्रित करते हुए, जारी की थी। घरेलू निविदाकर्ताओं द्वारा अपर्याप्त दिलचस्पी दिखाए जाने के कारण जून, 1994 में को.इं.लि. ने एक विश्वव्यापी निविदा जारी की थी। 14 पूर्वअर्हक निविदाकर्ताओं में से बारह निविदाकर्ताओं ने पेशकश प्रस्तुत किए।

(ग) निविदाकर्ताओं से प्राप्त तकनीकी वाणिज्यिक पेशकशें जो कि निविदा विशिष्टताओं की अपेक्षाओं के अनुरुप नहीं थी तथा "स्वनिर्मित स्वचालित" एक नई संकल्पना होने के कारण निविदाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगे जाने अपेक्षित थे। अत:, निष्पादन प्रक्रिया में अधिक लंबी समयावधि लगी।

वाणिज्यिक निविदाओं के अंतिम मूल्यांकन के आधार पर, कोल इंडिया लि. ने चार स्थलों पर "स्वनिर्मित स्वचालित" आधार पर वाशरियों की स्थापना के लिए अप्रैल, 1995 से जून, 1995 के दौरान निजी निवेशकों को आशय पत्र निर्गत किए हैं।

(घ) इन चार वाशरियों को स्थापित किए जाने में 500 करोड़ रु. का कुल निवेश होने का अनुमान लगाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता

5766. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के विशेष उल्लेख सहित विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार, बैंकवार प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को दी गई वित्तीय सहायता की धनराशि कितनी है; और

(ख) विशेषकर असम में उससे राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1984 में बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देश जारी किये हैं जिनका पालन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्येक समय अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बगैर प्राकृतिक आपदाओं/दंगों आदि द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए करना है। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये भी सम्मिलित हैं: (1) अल्पावधि उत्पादन ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन; (2) वर्तमान मीयादी ऋण किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन; (3) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान और (4) जमानत और मार्जिन मानदण्डों में छूट। इन मार्गनिर्देशों में 1,000/- रुपए तक के उपभोग ऋण का भी प्रावधान है। ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार बैंकों द्वारा प्रभावित की जानी हैं। तथापि, वे उधारकर्ता जो विभेदक

ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अन्तर्गत पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं, को डीआरआई योजना के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाना होता है। चालू देयराशियों के बकाया होने की स्थिति में दण्डस्वरुप कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंक भी प्रभारित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज को उपयुक्त रुप से आस्थगित कर देते हैं।

उपर्युक्त मार्गनिर्देश को समान और ठोस कार्रवाई शीघ्र करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने हेतु असम राज्य सहित देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित हुए, विशेष रुप से कृषकों, लघु औद्योगिक इकाइयों, कारीगरों, लघु व्यवसाय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए थे। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है।

मूंगफली का निर्यात

5767. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में देशवार, कुल कितनी मात्रा में मूंगफली का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) क्या यूरोपीय संघ को मूं फली का निर्यात करने की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मूंगफली की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा : मीट्रिक टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1993-94	254207	171.12
1994-95	51123	101.32
1995-96 (अ.)	1000953	224.35

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता)

निर्यात का देश-वार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन/फॉरैन ट्रेड स्टेटिसटिक्स ऑफ इंडिया के वार्षिक अंक में दिया गया है। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदम ये हैं:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के बारे में निर्यातकों/प्रवर्धकों को सूचना उपलब्ध कराना;

(2) अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं में भागीदारी;

(3) विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना;

(4) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना; और

(5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को घटिया किस्म के चावल का निर्यात

5768. **श्री रनजीब बिसवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1996 के दौरान बांग्लादेश को घटिया स्तर के चावल का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और वाणिज्यिक संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस समस्या में दोषी पाये गये व्यक्तियों, संस्थानों के खिलाफ और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) निम्न गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति के आरोप से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी इस समय जांच की जा रही है।

जिन मामलों में यह साबित हो चुका है कि वास्तव में घटिया माल का निर्यात किया गया है, उन्हें रोकने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित निर्यातकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई शुरु की गई है। जिससे संबंधित पार्टी का आयातक-निर्यातक कोड नंबर रद्द/निलंबित किये जाने सहित, जिसके बिना आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता और आर्थिक दण्ड लगाए जाने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

इस तरह की एकाध घटनाओं से दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित नहीं होंगे।

[अनुवाद]

कोयले का निपटान

5769. श्री महबूब जहेदी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का निपटान किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रति-वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा किए गए कोयले के प्रेषण की मात्रा नीचे दर्शायी गयी है:-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
ई.को.लि.	22.47	22.21	22.30	24.21	25.79
भा.को.को.लि.	24.98	26.72	28.55	28.34	26.49
सें.को.लि.	28.00	32.31	32.98	31.11	30.74
ना.को.लि.	30.37	30.30	32.37	32.91	35.08
वे.को.लि.	24.45	24.98	25.52	27.24	30.35
सा.ई.को.लि.	63.02	44.93	46.91	47.82	52.28
म.को.लि.	*	22.51	23.99	26.91	34.31
ना.ई.को.	0.99	0.86	0.75	0.83	1.03
जोड़	194.28	204.82	213.37	219.37	236.07

*टिप्पणी : म.को.लि. को सा.ई.को.लि. से दिनांक 3.4.92 को पृथक किया गया था।

ट्रैक्टर उद्योग

5770. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ट्रैक्टर उद्योग का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ट्रक्टरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ट्रैक्टर निर्माण इकाइयों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति के तहत ट्रैक्टरों के विनिर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है तथा अब ट्रैक्टरों के उत्पादन में कोई क्षमता बाध्यता नहीं है। ट्रैक्टरों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत की सामान्य दर तक घटाया गया है। 1800 सी सी तक की क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।

'मोडवेट' योजना का दुरुपयोग

5771. श्री सनत कुनार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मोडवेट योजना के दुरुपयोग से आज तक राजस्व का लगभग कितना नुकसान हुआ है;

(ख) सरकार ने मोडवेट योजना में क्या त्रुटियां पायी हैं; और

(ग) उन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पता लगाए गए मॉडवेट योजना के दुरुपयोग के कारण कथित रूप से हुई अनुमानित राजस्व हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु. में)
1994-95	696.00
1995-96	944.00

(ख) मॉडवेट योजना का कथित रुप से दुरुपयोग करने का मामला जो कि देखने में आया है उसमें अपात्र निविष्टियों पर, छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अथवा उसके संबंध में प्रयुक्त निविष्टयों पर क्रेडिट लेना और मॉडवेट-योग्य जाली बीजकों आदि को जारी करना शामिल है।

(ग) सरकार लगातार मॉडवेट योजना की समीक्षा तथा उसकी मॉनीटरिंग कर रही है और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रशासनिक और विधायी उपाय किए जा रहें हैं। इन उपायों में डीलरों का पंजीकरण करना, कतिपय दस्तावेजों का रखरखाव करना, मासिक विवरणियों आदि को दायर करना शामिल है। वर्ष 1996-97 के बजट के अनुसार सरकार ने डीलरों के दो स्तरों तक बीजक जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और दूसरे स्तर वाले डीलर द्वारा जारी बीजक को विभाग द्वारा निविष्ट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए और छूट प्राप्त माल के मूल्य के आठ प्रतिशत तक छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर क्रेडिट को परावर्तित करने के लिए पूर्व अधिप्रमाणित किया जाएगा। गलत क्रेडिट लेने पर ब्याज लगाने और अनिवार्य रुप से अर्थदण्ड लगाने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

आर. एन. मिश्र समिति की रिपोर्ट

5772. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. के कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आर.एन. मिश्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोप-पत्र दिए गए;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा किस प्रकार की कार्यवाही की गई;

(ग) शेष अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आर. एन. मिश्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कब तक की जानी थी;

(ङ) क्या कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर ही की जा रही है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) मिश्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पनी के ऐसे 90 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत कर दिए गए हैं जिन पर आर. एन. मिश्रा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षो के आधार पर मामले बनाए गए हैं।

(ख) भा.को.को.लि. के 90 आरोपित अधिकारियों में से एक के विरुद्ध कार्रवाई कोयला मंत्रालय द्वारा की जानी थी, क्योंकि आरोप-पत्र जारी किए जाने से पूर्व वह बोर्ड स्तर का अधिकारी बन गया था। कोयला मंत्रालय से 23.8.96 को जारी एक आदेश द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जिसमें उसकी उपदान की राशि में से 50% की वसूली किए जाने का दंड लगाया गया है।

ऐसे 9 मामलों में से जिन पर भा.को.को.लि. द्वारा कार्रवाई की जानी थी, उनमें 80 मामलों में कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सेवा से हटाए गए	:	3
पदावनत	:	13
निम्न पद में रखे गए	:	8
वेतनवृद्धि पर रोक	:	8
निन्दा की गई	:	2
चेतावनी दी गई	:	7
सचेत किया गया	:	2
निर्दोष ठहराए गए/मामले बंद किए गए	:	37
जोड़	:	80

(ग) शेष 9 अधिकारियों के विरुद्ध लंबित मामलों की स्थिति के संबंध में भा.को.को.लि. द्वारा निम्नलिखित रुप से ब्यौरा दिया गया है:-

जांच पूरी कर ली गई और सलाह के लिए रिपोर्ट कोल इंडिया लिमिटेड को संदर्भित की गई है		1
न्यायिक अधीन	:	1
जांच पूरी कर ली गई तथा रिपोर्ट जांच अधीन है		1
जांच प्रगति पर है		6
जोड़		9

(घ) आर.एन. मिश्रा समिति की रिपोर्ट में कार्रवाई पूरी किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) से (छ) अनुशासनात्मक कार्रवाईयों की प्रकृति न्यायिकवत् है और इन कार्रवाईयों को पूरा किया जाना कई मुद्दों पर निर्भर करती है। किन्तु, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड लंबित मामलों के शीघ्र अंतिम रुप दिए जाने पर निगरानी रख रहे हैं।

[अनुवाद]

पेप्सी द्वारा निवेश

5773. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेप्सी कंपनी का विचार भारत में इसके मुख्य तथा निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु 500 करोड़ रुपये का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कंपनी द्वारा कितने लोगों को नियोजित किया गया है तथा उक्त निवेश किए जाने के पश्चात् कितने और लोगों को नियोजित किया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। मेसर्स पेप्सी कंपनी इंक को निर्यात परियोजनाओं और फ्रुट जूस विनिर्माणकारी क्षमताएं आदि का संवर्धन करने के लिए 255 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की अनुमति दी गई है।

(ग) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी इस समय 35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त विपणन स्थल के कार्यकलापों में छोटे कारीगरों, पेंटरों और छोटे व्यवसाय वाले लोगों को सहायता प्रदान करके उनके लिए पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था करते हैं।

[हिन्दी]

कोयले के उत्पादन हेतु "लोंग वाल" तकनीक

5774. श्री नवल किशोर राय :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन में "लोंग वाल" तकनीक शुरु की है;

(ख) यदि हां, कब से और किन-किन कोयला संस्थाओं ने इसे शुरु किया है;

(ग) क्या इस तकनीक का प्रयोग करने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व भारतीय परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता के बारे में कोई विशेषज्ञ राय भी ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस तकनीक के प्रयोग में लाने हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस तकनीक के प्रयोग से कितनी मात्रा में कोयले का अतिरिक्त उत्पादन होगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) ने अपनी कुछ भूमिगत खानों में लांगवाल प्रौद्योगिकी लागू की है।

(ख) कोयला उद्योग के राष्टीयकरण के पश्चात् 1976 में परंपरागत लांगवाल उपकरण की शुरुआत कोल इंडिया लि. में की गई थी। सिं.को.कं.लि. में लांगवाल प्रौद्योगिकी की शुरूआत 1983 में की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्रिटिश ओवरसीज विकास एजेंसी के अभिकरणों के अधीन विशेषज्ञों द्वारा भारतीय परिस्थितियों में लांगवाल प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता की जांच की गई थी। कोल इंडिया लि. ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए विद्युत सपोर्ट बांगवाल फेस उपकरण प्राप्त किए हैं तथा इन उपकरणओं की प्राप्ति पर कुल 307.42 करोड़ रु. व्यय किए गए। सिं.को.कं.लि. में 403.38 करोड़ रु. के निवेश पर 9 लांगवाल फेसों की व्यवस्था की गई।

(ङ) को.इं.लि. की खानों में वर्तमान में कार्यरत 8 विद्युत सपोर्ट लांगवाल फेसों की क्षमता 15470 टन प्रतिदिन की है। सिं.को.कं.लि. में 9 लांगवाल फेसों की क्षमता 18,560 टन प्रति दिन की है।

[अनुवाद]

एफ सी बी तम्बाकू का निर्यात

5775. श्री के. सी. कोंडय्या :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में भारतीय तम्बाकू की मांग बढ़ रही है;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान फ्ल्यू क्यौर्ड विरजिनिया (एफ सी वी) तम्बाकू का निर्यात बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान उपर्युक्त किस्म के तम्बाकू का अनुमानित उत्पादन और निर्यात कितना होगा;

(घ) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्ल्यू क्यौर्ड विरजिनिया (एफ सी वी) तंबाकू के अंतर्गत कर्नाटक में कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के वास्ते क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हां।

(ग) तम्बाकू बोर्ड द्वारा 1996-97 फसल मौसम के दौरान उत्पादन के लिए 112.84 मिलियन किग्रा. एफ सी वी तम्बाकू फसल आकार को प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 1996-97 के लिए 54,500 मी. टन (पैकिंग वजन) का निर्यात किए जाने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एफ सी वी तम्बाकू की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में एफ सी वी तम्बाकू के लिए फसल आकार को 1995-96 में 25.24 मिलियन किग्रा. से बढ़ाकर 1996-97 में 29.50 मिलियन किग्रा. कर दिया गया है जिसमें क्षेत्रफल में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

(च) इसके साथ-साथ उत्पादकों को लाभकारी कीमतें दिलाने के लिए किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं:-

(1) एफ सी वी तम्बाकू फसल आकार को निर्धारित करना ताकि घरेलू और निर्यात मांग की आपूर्ति के साथ तुलना की जा सके।

(2) प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराने के लिए नीलामी मंच संचालित करना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) घोषित करना।

(4) व्यापार द्वारा न्यूनतम गांरटी शुदा कीमत की घोषणा हेतु जो कि सामान्यतया एम एस पी से अधिक होती है व्यापारी वर्ग के साथ बातचीत करना।

(5) तम्बाकू की गुणवत्ता तथा उपज में सुधार लाने हेतु विकास/विस्तार योजनाएं कार्यान्वित करना; और

(6) विदेशी बाजारों में भारतीय तम्बाकू का संवर्धन करना।

ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में वित्तीय अनियमितताएं

5776. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी :
श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच से ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में 30 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुम्बई स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ बड़ी शाखाओं की भी जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि ओरियंटल बैंक आफ कामर्स की मुम्बई स्थित कुछ शाखाओं में 15 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित एक मामला जनवरी, 1996 में दर्ज किया गया है और इस मामले को अभी तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि मुम्बई में ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के क्षेत्रीय कार्यालय एवं चार शाखाओं में निरीक्षण/विशेष छानबीन की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों की संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि से संबंधित अद्यतन सूचना निम्नलिखित है:-

	धोखाधड़ी का संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (करोड़ रु. में)
1994	2266	200.07
1995	1890	115.51

सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में बैंकों में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत् आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की पुनरीक्षा करना, बैंकों के विशिष्ट मामलों में कार्यप्रणाली और साथ ही उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा के संबंध में बताना, परिचालन कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देना तथा दर्ज किये गये प्रमुख धोखाधड़ी के मामलों की जांच एवं छानबीन करना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों में प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा नियंत्रण प्रबंधों सहित अचानक निरीक्षण करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पैकेज

5777. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के माध्यम से विदेशी निवेश सहित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज पर की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पैकेज के माध्यम से संभावित तैयार होने वाला कार्यक्रम क्या है;

(ग) इस पैकेज पर खर्च होने वाली संभावित धनराशि (विदेशी विनिमय सहित) क्या है; और

(घ) पैकेज के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (घ) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के द्वारा विदेशी निवेश सहित निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई भी विशिष्ट पैकेज तैयार नहीं किया गया है। फिर भी वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र सहित वस्त्र उत्पादन में विदेशी निवेश को आमंत्रण देने के लिए 24.7.91 को नई औद्योगिक नीति में अनेक उपायों की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए उद्योग को प्रेरित करने के वास्ते सरकार ने प्रसंस्कारण क्षेत्र में पूंजीगत माल के विशिष्ट मदों के आयात पर 1996-97 के बजट में सीमा शुल्क को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

हल्दी का उत्पादन और निर्यात

5778. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का 80% उत्पादन हमारे देश में किया जाता है;

(ख) क्या विकसित देशों में हल्दी की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हल्दी के उत्पादकों और निर्यातकों को विदेशों में इसकी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक है। विश्व हल्दी उत्पादन के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) हल्दी सहित सभी भोजन संघठकों के गुणवत्ता मांग में उपभोक्ता पसन्द और स्वास्थ्य मानकों के कारण संशोधन होता रहता है।

(ग) गुणवत्ता आवश्यकताओं के विषय में उत्पादकों/निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्न हैं:-

(1) आयातक देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर किसानों/निर्यातकों को नियमित प्रशिक्षण;

(2) फसल काटने के बाद संभालने तथा सफाई के लिए कम दरों पर निवेश की आपूर्ति;

(3) भण्डारगृह और सुखाने का बाड़ा निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(4) विवरण पुस्तिकाओं, हस्त पुस्तिकाओं, पोस्टर इत्यादि (क्षेत्रीय भाषाओं में छपे हुए) के वितरण के माध्यम से, प्रसंस्करण, सफाई, भण्डारण आदि में स्वास्थ्यवर्धक उपायों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करना;

(5) अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों को पैकेजिंग, संचालन और भण्डारण के विकसित तरीकों का प्रशिक्षण;

(6) खरीददार देशों द्वारा गुणवत्ता शर्तों के परिवर्तन के विषय में निर्यातकों का उत्पादकों के साथ मेल मिलाप की व्यवस्था करना;

(7) विश्लेषणात्मक प्रणाली पर विदेशी प्रयोगशालों में प्रशिक्षण हेतु गुणवत्ता/प्रयोगशाला कार्मिकों का प्रायोजन।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5779. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 1996 तक केन्द्र सरकार ने कितने विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी तथा उनमें शामिल विदेशी निवेश की धनराशि क्या है;

(ख) वर्ष 1994 और 1995 की समानान्तर अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों से ये किन अर्थों में तुलनीय हैं;

(ग) क्या सरकार के विचार में देश में विदेशी निवेश की मात्रा पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में और अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जनवरी, 1996 से जून, 1996 की अवधि के दौरान और 1994 और 1995 की इसी अवधि में स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों की संख्या तथा इनमें अंतर्ग्रस्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रु. करोड़ में)
1994	439	2454.44
1995	581	7716.09
1996	619	11719.43

(ग) और (घ) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् विदेशी निवेश की प्रवृति संतोषजनक है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) का पुनर्गठन करने और विदेशी निवेश संवर्धन परिषद (एफ आई पी सी) को गठित करने, पूंजीगत राजसहायता, बिक्रीकर की छूट, विद्युत राजसहायता प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास केंद्रों की स्थापना तथा परिवहन राजसहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

पटसन उपकर निधि

5780. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी पटसन उपकर निधि वसूल की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पटसन उद्योग से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार पटसन उद्योग में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए पटसन उपकर निधि के अतिरिक्त और धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन विनिर्माणों पर एकत्रित उपकर के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	एकत्रित उपकर
1993-94	1773 लाख रु.
1994-95	1692 लाख रु.
1995-96	1254 लाख रु.

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पटसन उद्योग से संबंधित अनुसंधान व विकास पर उपकर निधि में से कोई भी धनराशि खर्च नहीं की गई है।

(ग) तथा (घ) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, पैकेजिंग, पटसन की पोलीमरिक फिनिशिंग, पटसन के वस्त्र तथा गैर वस्त्र, पटसन मिश्रित यार्न, पटसन, ऊन तथा अन्य फाइबर से बहुघटक यार्न, खुली कताई प्रणाली में पटसन मिल्स, पटसन से गैर-बुने कालीनों, पटसन फाइबर, पटसन स्टिक्स तथा न्यूजप्रिंट और पेपर बनाने के लिए सफेद पटसन के वृन्त के क्षेत्रों में यू एन डी पी सहायित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान व विकास कार्यकलापों का वित्तपोषण कर रही है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बकाया कर

5781. **श्री एन. एस. बी. चित्यन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विभिन्न करों के मद में सरकार की ओर धनराशि बकाया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) अब तक कर अपवंचन के कितने मामले पाए गए हैं; और

(घ) इन कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में चाय की आपूर्ति और चाय का निर्यात

5782. **श्री पी.आर. दासमुंशी:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल चाय निर्यात में से मूल्य वर्धित चाय निर्यात का हिस्सा कितना है;

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए गए मूल्य वर्धित चाय के निर्यात में निर्यात संवर्धन जोन के एककों का हिस्सा कितना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में हुई आपूर्ति में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कुल हिस्सा कितना है और इनका मूल्य वर्धित निर्यात कारोबार कितना हुआ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैय): (क) गत तीन वर्षों में चाय के कुल निर्यात और मूल्य वर्धित चाय के निर्यात के संबंध में चाय बोर्ड में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा : मिलियन कि.ग्रा.)
(मूल्य : करोड़ रु.)

वर्ष	चाय का कुल निर्यात		मूल्य वर्धित चाय का निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1993-94	154.55	1062.04	67.05	500.86
1994-95	152.16	986.41	54.37	395.05
1995-96	163.65	1191.19	84.22	647.10

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नई कम्पनियों का पंजीकरण

5783. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में कम्पनी पंजीयक द्वारा राज्य-वार कितनी कम्पनियों को पंजीकृत किया गया है;

(ख) नई कम्पनियों के पंजीकरण के लिए कंपनी पंजीयक के पास राज्य-वार कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ग) इन आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अगस्त 96 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकृत कंपनियों की संख्या तथा पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदनों की संख्य संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निर्गमित क्षेत्र को शीघ्र सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस सुविधा के शुरु किए जाने से नई कंपनियों का पंजीकरण किए जाने में कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले समय में काफी कमी आई है। लम्बित आवेदनों का निपटान कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सभी सूचना/दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदनों के दायर किए जाने पर भी निर्भर करता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए पंजीकृत कंपनियों और लम्बित आवेदनों की संख्या

क्र. संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल 96 से अगस्त 96)	पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1732	2576	3763	1407	285
2.	असम	177	253	260	114*	-*
3.	बिहार	542	594	715	290	40
4.	गुजरात	2486	3554	3880	1435**	209**
5.	हरियाणा	293	356	409	221	21
6.	हिमाचल प्रदेश	80	108	111	49	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	36	47	94	39	02
8.	कर्नाटक	1279	2065	2655	889	69
9.	केरल	733	1050	1371	457	44
10.	मध्य प्रदेश	623	1031	1419	492	01
11.	महाराष्ट्र	6023	9581	11090	3728	208
12.	मणिपुर	12	7	8	-	-
13.	मेघालय	10	19	19	-	-
14.	नागालैंड	7	7	6	-	-
15.	उड़ीसा	266	374	440	197	-
16.	पंजाब	832	1169	1260	498	-
17.	राजस्थान	895	1540	2012	695	61
18.	तमिलनाडु	3093	4550	5329	1785	79
19.	त्रिपुरा	0	3	2	-	-
20.	उत्तर प्रदेश	1018	1508	1909	882	83
21.	पश्चिम बंगाल	4371	7925	8136	2169	23
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	अरुणाचल प्रदेश	13	15	17	-	-
24.	चंडीगढ़	282	483	431	201	-
25.	दादरा और नागर हवेली	1	20	24	-	-
26.	दिल्ली	5302	8811	10685	3839	376
27.	गोवा	206	242	230	118***	14***
28.	दमन और दीव	6	17	12	-	-
29.	मिजोरम	0	0	1	-	-
30.	पांडिचेरी	75	115	145	40	01
	कुल योग	30393	48020	56433	19545	1516

* इसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं।

** इसमें दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

*** इसमें दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

– इसका अभिप्राय शून्य है।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

5784. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में उत्पादन के स्तर के आधार पर कपास के निर्यात का कोटा निर्धारित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू मौसम में निर्धारित किए गए या किए जाने वाले कोटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) सरकार संपूर्ण देश में कपास के लिए पूर्ति तथा मांग के ठोस मूल्यांकन के आधार पर निर्यात के लिए कपास के कोटाओं को रिलीज करती है। 1995-96 के कपास मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम, राज्य परिसंघ, निजी व्यापार तथा आधुनिकी गिनिंग तथा प्रेसिंग एककों सहित विभिन्न निर्यात करने वाली एजेंसियों को कपास की 14.90 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया गया था। जबकि कुछ कोटा विशेष रुप से राज्य परिसंघों को दिया जाता है, बचे हुए कोटा को राज्यवार निर्धारित नहीं किया जाता है। 1996-97 मौसम के लिए कपास के निर्यात के लिए कोई कोटा अब तक घोषित नहीं किया गया है।

मुक्त पत्तनों की स्थापना

5785. श्री संदीपन थोरात : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुक्त पत्तनों की स्थापना के लिए आदर्श स्थान का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) समिति ने महसूस किया कि भारत में एक मुक्त बन्दरगाह की स्थापना वांछनीय और व्यवहार्य है तथा मुक्त बन्दरगाह के लिए आदर्श अवस्थिति के रूप में गोआ की अनुशंसा की है। समिति ने पूर्वी तट पर एक दूसरे मुक्त बन्दरगाह के लिए उपयुक्त अवस्थिति के रुप में तूतीकोरन का सुझाव भी दिया है। समिति की सिफारिशों में वित्तीय भार शामिल होने के अतिरिक्त, औद्योगिक, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कठिन क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया है और इनमें विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है जैसे पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय संरक्षण करना और मुक्त बन्दरगाह क्षेत्र को भीतरी प्रदेश से अलग करना। चूंकि इन मामलों की सावधानी से जांच करनी होती है इसलिए अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात का कोटा

5786. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 के लिए सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकर्ताओं के लिए निर्यात का कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकर्ताओं को उक्त कोटा जारी करने में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कोटा शीघ्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1996 के लिए परिधानों के निर्यात के लिए विभिन्न द्विपक्षीय करारों में अनुमत कोटास्तरों का वितरण पात्र परिधान निर्यातकों में निम्नलिखित प्रणालियों के अन्तर्गत किया जाता है:-

	प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(1)	विगत निर्यात-निष्पादन हकदारी (पी पी ई)	80
(2)	पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) में से	20
	नव निदेशक हकदारी (एन आई ई)	(10)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वेतनमान संशोधन

5787. **श्री रनजीब बिसवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, गुवाहाटी पीठ (शिलांग सर्किट) ने यह निर्णय दिया है कि विभिन्न राज्य ए.जी. (लेखा परीक्षा) कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकारों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रखते हुये 1640-2900 रु. का वेतनमान दिया जाना चाहिए;

(ख) क्या उक्त वेतनमान वरिष्ठ लेखाकार परीक्षकों को पहले ही दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, तथापि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ ने सरकार को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के वेतनमान को 1400-2600 रुपए से संशोधित करके 1640-2900 रुपए करने सम्बन्धी प्रश्न की पुन: जांच करने और उस पर उचित निर्णय लेने के लिए कहा है।

(ख) से (घ) माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सावधानी पूर्वक पुनरीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के वेतनमान में वृद्धि न की जाए क्योंकि इससे अन्य बातों के साथ-साथ बहुत सी अन्य समान श्रेणी के पदों के आतंरिक रुप से जुड़े मामलों को बढ़ावा मिलता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सिफारिशें करने के लिए इस मामले को विशेष रुप से 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग को भी भेजा गया है।

विद्युत और खनन क्षेत्र के लिये विदेशी सहायता

5788. **डा: टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत तथा खान क्षेत्रों में सीधे निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्रों में विदेशों से धन लेने के संबंध में मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां। विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ खनन के क्षेत्र में आज तक सरकार ने बहुत से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

(ख) विद्युत तथा खान क्षेत्रों में प्राप्त किए गए प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण में में दी गई है।

(ग) और (घ) विदेशी प्रत्यक्ष नीति की, जिसमें विद्युत तथा खनन क्षेत्रों में विदेशी निधियों के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, अवसंरचना सहित देश में विशेष रुप से प्राथमिकता/प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति को अधिक गतिशील बनाने के लिए, विस्तार से समीक्षा की जाती है।

विवरण

विद्युत मामलों की सूची

1. मै. ई.एस.बी. पावर सिस्टम्स लिमिटेड
2. मै. एस.टी. पावर सिस्टम्स इंक
3. मै. डाईबू पोरबा पावर प्रोजेक्ट
4. मै. सूर्यचक्र गुरुप ऑफ इण्ड.
5. मै. आ.पी.जी. इण्ड. लिमिटेड
6. मै. एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड
7. मै. ग्रीस्म इण्ड. लिमिटेड
8. मै. इन्डेक्ट एनर्डी सर्विसिज इंक
9. मै. इस्सार पावर लिमिटेड (हाजीरा)
10. मै. इन्डीपेन्डेंट पावर सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड

11. मै. यमुना नगर पावर कम्पनी प्रा.लि.
12. मै. ऐसेन्ट हाईड्री प्रोजेक्ट लिमिटेड
13. मै. डोडसन लिंडलोम हाईड्रो पावर लिमिटेड
14. मै. रिलायन्स पातालगंगा
15. मै. मैसको इन्डेक्ट पावर कार.
16. मै. एस.आर. विन्डोजन
17. मै. जिन्दल ट्रेक्टेबल पावर कम्पनी
18. मै. पीनिया पावर कम्पनी
19. मै. ग्वालियर पावर प्रा.लि.
20. मै. सोरोसखण्ड
21. मै. पब्लिक पावर इन्टरनेशनल
22. मै. पांडा पावर एनर्जी कार.
23. मै. गुलोबल बोर्ड्स लिमिटेड
24. मै. रस्मिका नरेन्द्र विन्ड सोर्स प्रा. लि..
25. मै. ग्रीन व्यू पावर प्रोजेक्ट्स लि.
26. मै. कि मुर्रास
27. मै. सी.ई.एस.सी.ई. लिमिटेड
28. मै. सी.आर.ए. एनर्जी
29. मै. जिन्दल पावर लिमिटेड
30. मै. पालक्कड पावर जनरेटिंग कम्पनी
31. मै. वामन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
32. मै. डी.ई.एम.आई. पावर ओरचा प्रा.लि.
33. मै. इलेक्ट्रिक सिटी डी फ्रान्स
34. मै. प्राइम पावर कार. लि.
35. मै. एस.पी.आई.सी. जेल इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिं.
36. मै. इलेक्ट्रिक सिटी डी. फ्रान्स
37. मै. श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कार.
38. मै. चौमुन्डी पावर कार.
39. मै. कंडिया पावर लिमिटेड
40. मै. कलिंगा पावर कार.
41. मै. उड़ीसा पावर पार्टनर्स
42. मै. दयाओगडेन पावर लिमिटेड
43. मै. इस्पात पावर (ग्वालियर) लिमिटेड
44. मै. रिलायन्स (जामनगर)
45. मै. रिलायन्स (बवाना)
46. मै. जमशेदपुर पावर कम्पनी
47. मै. कोस्टल पावर कम्पनी

खनन क्षेत्र की सूची

1. मै. बी.एच.पी. मिनरल्स
2. मै. डी बीरस कोन्ससोलिडेटिड माइन्स लि.
3. मै. फिनेक्स मेटल रिफाइनर्स
4. मै. मोनेट इन्टरनेशनल लिमिटेड
5. मै. लुम मावसुन मिनिरिल्स प्रा. लि.
6. मै. सी.आर.ए. एनर्जी
7. मै. बी.एच.पी. मिनिरल्स होल्डिंगस प्रा. लि.
8. मै. एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनी लि.
9. मै. यू.पी. हिपवर्थ प्रा. लि.
10. मै. आस्ट्रेलियन इंडिया रिसोसिस एन.एल.

समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना

5789. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चुने गए अथवा पता लगाए गए गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत इन गांवों में अभी तक क्या काम हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर 37 परियोजनाएं मंजूर की गई। इस योजना के अंतर्गत चुने गये और पता लगाये गये गांव इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	गांव
1.	आन्ध्र प्रदेश	पारला, बंदारूलंका, पयृकराओपेला, घट्टूपल, नारायणपुरम, येमीगनूर, तातीकोंडा, चिन्नापोरला, अमिस्तापुर, खिला गनपुर, थोम्मीदिरेकुला, बल्लाला,
2.	असम	गंदाराबील, लहालिटल, फुलवारी पाथेर, बुरा बुरी देओरीगांव, पुव-वारंगावारी, बोरा विन्नीखेता,

क्र.सं.	राज्य	गांव
3.	बिहार	पोखरीकालन
4.	मध्य प्रदेश	मुरा, प्रदापन, शिवानी, चन्दरपुर, मकशृदन गढ़, बहादुरपुर, रानीगांव
5.	उड़ीसा	कुल्लादा, मुकतानगर
6.	तमिलनाडु	दिन्दीगुल, अम्माईयप्पन, काल्लीपत्ती, नालकांय कान्दीगाई,
7.	त्रिपुरा	कायतीया, मोहनपुर
8.	उत्तर प्रदेश	गोरिया, गनेशपुर कोबिया
9.	पश्चिम बंगाल	दासपुर

चूंकि इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को मिलने वाली सुविधाओं में करघे के पूर्व/करघे के उपरांत व अवस्थानात्मक घटक शामिल हैं और साथ ही राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं से भी पर्याप्त सहायता अपेक्षित है इसलिए योजना को आरम्भिक स्तर से आरम्भ होने में कुछ महीने लग जाते हैं और परियोजना के पूरा होने में कुछ वर्षों का समय लग जाता है। अत: गत वर्ष के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्य का आंकलन करना असामयिक होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच

5790. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों संगठनों में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अपने सतर्कता कक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा चलाए गए पांच मामले, जिसमें राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) के छ: अधिकारी शामिल हैं, न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इन मामलों के नतीजों पर निर्भर करेगी।

(घ) दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सतर्कता कार्य इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कार्यपालक निदेशकों में निहित है। मंत्रालय में प्रमुख सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी.वी.सी.) के परामर्श से की जाती है जो कि सरकार में सतर्कता का समग्र प्रभारी है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

5791. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने दिल्ली में जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी परियोजना हेतु ऋण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि का परियोजनावार कितना आवंटन किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के एककों का पुनर्गठन

5792. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित पुनर्गठन संबंध में कोई रुपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस रूपरेखा की संक्षिप्त विषय-वस्तु क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्तावित रूपरेखा के अंतर्गत रूग्ण एककों के बंद किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले एककों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में रुपरेखा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

स्वदेशी उद्योगों संबंधी नीति

5793. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या इस नीति के अन्तर्गत आने वाले स्वदेशी उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित उद्योगों का मुकाबला करने में सक्षम हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में स्वदेशी उद्योगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) नये आर्थिक सुधारों के अधीन सरकार की औद्योगिक नीति पहले ही से प्राप्त किए गए लाभों को बनाए रखने, जो विकृतियां अथवा कमजोरियां आ गयी हों उन्हें ठीक करने, उत्पादकता और लाभप्रद रोजगार का सतत विकास करते रहने, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता प्राप्त करने और उद्योगों के सभी क्षेत्रों का विकास करने तथा उनके विगत कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन देने की है।

(ग) विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियों को एक समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में कमी करना, जहां अपेक्षित हो वहां प्रतिशुल्क लगाना, निगम कर में कमी करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

असम में उद्योगों को परिवहन सहायता की मंजूरी

5794. श्री उद्धव बर्मन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के उद्योग एककों को परिवहन राजसहायता नहीं दिए जाने के कारण औद्योगिक विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक परिवहन राजसहायता की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और इस धनराशि को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार को प्रतिपूर्ति के रुप में असम राज्य सरकार को करीब 70.00 लाख रुपये परिवहन राजसहायता की अदायगी करनी है। यह राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण के नहीं मिलने के कारण लंबित पड़ी है और अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इसे जारी कर दी जायेगी।

एस.एस.आई. और एन.एस.आई.सी. का निर्यात कारोबार

5795. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान लघु औद्योगिक इकाइयों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः 24,150 करोड़ रुपये और 13.21 करोड़ रुपए का कुल निर्यात कारोबार किया;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कम निर्यात कारोबार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र से 1993-94 में प्रत्यक्ष निर्यात 25307.09 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा 13.21 करोड़ रुपये का निर्यात निष्पादन किया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का उद्देश्य लघु उद्योग को निर्यात बाजार में उतारने के लिए विकसित करना है तथा इकाइयों को खरीददारों तथा अन्य अभिकरणों के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध बनाने के लिए आरम्भिक सहायता मुहैया करा कर प्रेरित कराना है। यदि एक बार इकाइयां स्थापित हो जाती हैं तथा उन्हें संयोजन और निर्यात की जानकारी हो जाती है तब वह सीधे ही निर्यात करना आरम्भ कर देंगी तथा उनका निष्पादन (टर्न ओवर) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के निर्यात में शामिल नहीं किया जाता है। बाहर जाने वाली इकाइयों के स्थान पर नई इकाईयां आ जाती हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की भूमिका विकासात्मक प्रवृत्ति है। यह निगम, लघु उद्योग इकाइयों की उनके उत्पादों की संपूर्ण विश्व में निर्यात के लिए उनके द्वारा या सीधे ही सहायता तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के मार्गनिर्देशन में सतत तथा स्थाई सहायता मुहैया करती है। निगम ने लघु उद्योग क्षेत्र से परियोजनाओं तथा उत्पादों के निर्यात में तीव्रता लाने के लिए एकल खिड़की सहायता प्रस्ताव को अपनाया है।

[हिन्दी]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

5796. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक उपक्रमों में कार्यरत चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारी आयकर अदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपक्रमों, बैंकों, मंत्रालयों और अनेक अन्य सार्वजनिक संस्थानों में वेतनमानों में भिन्नता है जिसके कारण कम

वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है और वे हतोत्साहित हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का वेतनमानों में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) किसी व्यक्ति द्वारा आयकर तब देय होता है जब सभी स्रोतों (वेतन सहित) से पूर्व वर्ष की उसकी कुल आय उस अधिकतम धनराशि से अधिक हो, जिस पर आयकर नहीं लगता। इस समय किसी "व्यष्टि" कर-निर्धारिती के मामले में कुल आय की सीमा 40,000/- रु. है, जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता। वेतनभोगी कर-निर्धारित को आय की विवरणी में श्रेणी (अर्थात् 1, 2, 3 या 4) जिससे कर्मचारी सम्बन्धित होता है का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा कुछेक सुधारों सहित सरकार द्वारा यथा-संस्वीकृत चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस आयोग ने सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की तुलना में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में समानता लाने के उद्देश्य से कर्मचारियों की मांग पर भी विचार किया। आयोग ने प्रथम-दृष्ट्या यह अभिमत व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार में किसी चपरासी/सन्देशवाहक का कार्य हर तरह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चपरासी/सन्देशवाहक के समान अनेक कारणों से नहीं हो सकता। चतुर्थ वेतन आयोग ने आगे यह अभिमत व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार एक विशाल और जटिल संगठन है। ऐसे संगठन के कर्मचारियों का वेतन ढांचा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में न्यूनतम स्तर के पदों के वेतनमानों की साधारण तुलना पर आधारित नहीं हो सकता। तदनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे और सेवा-शर्तों का निर्धारण उनके स्वयं की योग्यताओं के आधार पर करना होता है।

(ग) (ख) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5797. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की संख्या क्या है तथा उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) कुल मिलाकर देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उपक्रम हैं। सरकारी क्षेत्र के 228 उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1995 तक कुल 20,46,090 कर्मचारियों में से 1,61,023 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के थे।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों का निर्धारण करने तथा उन्हें विशेष भर्ती अभियान के जरिए 31-3-1997 तक भरने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग एककों की पूंजीगत समस्यायें

5798. श्री नन्द कुमार साय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के लघु उद्योग एकक पूंजीगत समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग एककों को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लघु एककों को दिए जाने वाला ऋण जो मार्च, 1995 के अन्त में 25,843 करोड़ रु. था बढ़कर मार्च 1996 के अन्त में 29,482 करोड़ रु. हो गया है। निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रुप में लघु उद्योग ऋण का हिस्सा जो मार्च, 1995 के अन्त में 15.29% था, बढ़कर मार्च, 1996 के अन्त में 15.99% हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग एककों को वर्ष 1995-96 में 2468 करोड़ रु. की प्रत्यक्ष सहायता दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रैंकफर्ट में ऑटोमोबाइल मेले में भाग लेना

5799. श्री पी. सी. चाक्को : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का फ्रैंकफर्ट में सितम्बर, 1996 में आयोजित होने वाले ऑटोमोबाइल मेले में भाग लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मेले में प्रदर्शित किए जाने वाले वाहनों इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् और ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इसका पर्याप्त प्रचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) मेले में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ मदें ऑटोमोटिव लाइटिंग तथा संघटक, आटोमोटिव रबड़ संघटक, शीट मैटल के पुर्जे, हाइड्रोलिक इंजिन तथा ट्रांसमिशन माउंटिंग, संस्पेंशन सहायक सामग्री, आटोमोटिव हेलोजन लैंम्पस विद्युतीय संघटक, लीफ स्प्रिंग्स, फोर्जिग्जस, सोल तथा गास्केट, सिलेंडर लाईनर्स, ट्रेलर पार्ट्स तथा रीयर एक्सेल साफ्ट्स।

(ग) जी, हां। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् तथा आटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा भारत तथा विदेश में पर्याप्त प्रचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इटपों, जो मेले में भाग ले रहा है, ने भी प्रचार किया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् और आटोमोटिव कम्पोनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा भारत संवर्धन संगठन द्वारा किए गए प्रचार उपाय नियमानुसार हैं:

ईईपीसी :

- सभी यूरोपीय (ईयू) देशों में प्रमुख फुटकर तथा वितरण परिसंघों के लिए मेलिंग अभियान चलाया गया।
- जर्मनी में प्रमुख क्रेताओं तथा ओ.ई.एम. को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं।
- ईईपीसी के बूथ पर वितरण करने के लिए निम्नलिखित पर बल देने वाले इश्तहार का प्रकाशन किया गया है:–

(क) इंडियन आटोमोटिव इंडस्ट्री की मुख्य बातें।

(ख) विश्व के आटो-संघटकों के प्रमुख कार विनिर्माता जिनका भारत में पहले से ही सहयोग संबंधी प्रबंध है।

(ग) विश्व के जिन आटो-संघटक के प्रमुख विनिर्माताओं के भारत में पहले से सहयोग प्रबंध है, उनके नाम।

(घ) भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओ.ई. शापिंग के नाम।

एसीएमए

एसीएमए ने इस अवसर के लिए "एक्जीबीटर्स केटेलॉग" प्रकाशित किया है। ए.सी.एम.ए. ग्रुप भागीदारों को एसीएमए ने, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को प्रत्यक्ष मेलिंग के माध्यम से, विश्वव्यापी प्रचार दिया है। यू.के., फ्रांस, यू.एस.ए., कनाडा, जापान, कोरिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि देशों में भी प्रचार किया गया है जहां ए सी एम ए ने प्रतिवारी संगठनों से समझौता करार किए हैं। ए.सी.एम.ए. वर्ल्ड वाईड-लैब आन इंटरनेट में अपनी भागीदारी का विज्ञापन भी दिया है।

इटपों ने जर्मनी से आटो संघटकों के 600 विशेष रुप से अभिज्ञात किए गए औटो-संघटकों आयातकों को आमंत्रित करके मेले से पूर्व प्रचार दिया है। इसने इस अवसर के लिए विशेष ब्रोचर भी प्रकाशित किया है जिसे मेले में सभी दर्शकों को वितरित किया जाएगा। यह आई जी ई पी, जर्मन के रोल में बड़ी संख्या में क्रेताओं को प्रचार देने के लिए भारत जर्मन निर्यात संवर्धन (आई.जी.ई.पी.) कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध है। आई जी ई पी ने प्रचार माध्यमों में इटपों की भागीदारी का अच्छी तरह से प्रचार किया है।

सीधा विदेशी निवेश

5800. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑटोमोबाइल क्षेत्र से सम्बन्धित सीधे विदेशी निवेश के संबंध में कितने प्रस्ताव तथा शेल तथा कालटेक्स के कितने प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमति हेतु सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) उक्त प्रस्ताव कब से लम्बित हैं तथा इन्हें कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार के पास आटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 8 प्रस्ताव लम्बित हैं। शेल अथवा काल्टेक्स का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) आवेदनों की प्राप्ति और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। सामान्यत: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव 6 सप्ताह में निपटा दिए जाते हैं।

सागोन की लकड़ी का जब्त किया जाना

5801. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में अधिकारियों द्वारा प्रवेश बिन्दुओं पर सागोन की लकड़ी के सामान्य व्यापार और वाणिज्य में सम्मिलित किए जाने के उपरान्त असम और नागालैण्ड में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत तीन माह के दौरान जब्त की गई सागोन की लकड़ी का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मणिपुर में आरम्भिक बिन्दु पर सागोन की लकड़ी की आवाजाही की जांच नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सागोन की लकड़ी के व्यापारियों द्वारा अनुपालन के लिए मानक दिशा-निर्देश निर्धारित करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार कड़ाई से काम करने के लिए निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मणिपुर में **प्राधिकारियों द्वारा प्रवेश बिन्दुओं पर सागोन की लकड़ी को छोड़े** जाने के उपरान्त सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने नागालैंड और असम में उसका अभिग्रहण नहीं किया है। तथापि, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गत तीन महीनों के दौरान नागालैंड और असम राज्य में पकड़ी गई तस्करी की सागोन की लकड़ी के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

मात्रा	मूल्य (लाख रु. में)
नागालैंड	
1529.326 घन फुट	5.79
असम	
8423.56 घन फुट	62.17

(ख) मणिपुर राज्य में भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करी-रोधी एजेंसियां सागोन की लकड़ी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क हैं। तथापि, भारत-म्यांमार सीमा के सुगम्य स्वरुप के कारण म्यांमार से भारत में सागोन की लकड़ी की तस्करी के मामले देखने में आए हैं। इस प्रकार तस्करी की गई सागोन की लकड़ी को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत करके उसे जब्त कर लिया जाता है।

(ग) और (घ) जहां तक म्यांमार से टिम्बर की तस्करी का संबंध है सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जहां तक टिम्बर के डीलरों द्वारा मानक मार्गनिर्देशकों का अनुसरण करने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत ऐसे कोई मार्गनिर्देश जारी करने पर विचार नहीं कर रही है।

एस्कार्ट के शेयर

5802. श्री विजय गोयल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्कार्ट ट्रैक्टर के शेयर गैर-सहयोगी कम्पनियों को बाजार की कीमतों से कम मूल्य पर हस्तांतरित कर दिये गए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण शेयर-धारकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है जबकि प्रवर्तकों का नियंत्रण 40% तक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो ये शेयरों की वही मूल्य और बाजार मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) **क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 12 अगस्त, 1996 के इकानमिक टाइम्स में "एस्कार्ट्स मर्जर ब्लूज: शेयर होल्डर्स डेप्राइव्ड ऑव करोर्स" शीर्षक से छपी खबर की ओर भी दिलाया** गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्दे को सुलझाने तथा शेयर धारकों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

5803. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक नई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना की रुपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को आरम्भ करने से पूर्व **सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या की पहचान कर ली है; और**

(घ) यदि हां, तो अप्रैल, 1996 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के

उद्देश्य से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए अक्तूबर, 1988 में एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की गई थी। यह योजना अब भी जारी है। इस योजना का लाभ उठाने का विकल्प कर्मचारियों को दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करते हैं।

नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

5804. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना किए जाने हेतु मंजूरी दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक उक्त प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी विषय पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ई.एम.डी. का उत्पादन

5805. श्री गिरिधर गमांग : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने इलैक्ट्रिलिटिक मैगनीज डाई आक्साडि (ई.एम.डी.) के उत्पादन के लिए कितने आशय पत्र जारी किए हैं तथा इनमें से ऐसे कितने पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में परिवर्तित किया गया है;

(ख) देश में शुल्क सेल बनाने वाले विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस धारकों की संख्या के सथ-साथ उनकी अधिष्ठापित और उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) उक्त लाइसेंस धारकों के लिए अनुमानित कितना कच्चा माल देश में उत्पादित किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) 2500 टन प्रति वर्ष की क्षमता तक इलैक्ट्रोलाइटिंक मैंग्नीज डाइऑक्साडि के विनिर्माण के लिए विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश में एक एकक की स्थापना के लिए मेसर्स मैग्नो माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद (आं.प्र.) के नाम 30.1.87 को जारी एक आशयपत्र को बाद में 2.4.1991 को एक औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था। देश में शुष्क सेल के विनिर्माण के लिए 22 लाइसेंस युक्त एकक हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 5872000 हजार नग है। वर्ष 1995-96 के दौरान वार्षिक उत्पादन 11,28,700 हजार नग था। इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

इमारती लकड़ी के व्यापार पर शुल्क

5806. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर में सीमा शुल्क अधिकारियों को भारत-म्यांमार सीमा पर इमारती लकड़ी पर लगाए गए जुर्माने में छूट देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन परिस्थितियों में जुर्माने में छूट बहुत अधिक है;

(ग) क्या सरकार का इस की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) म्यांमार से भारत में तस्करी की जाने वाली इमारती लकड़ी को जब्त कर लिया जाता है और अपराधियों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अर्थदण्ड लगाया जाता है। प्रत्येक मामले का निर्णय करने वाले न्यायानिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे मामलों में जब्ती के बदले जुर्माना अदा करने के लिए अपराधी को विकल्प देने की शक्ति प्राप्त है जिसे विमोचन जुर्माना भी कहा जाता है।

उपर्युक्त मामलों में पारित न्यायनिर्णयन आदेशों को त्रुटिपूर्ण पाया गया था, अतः सीमा शुल्क विभाग ने संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है। ये अपीलें अभी लम्बित पड़ी हुई हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग की दुर्घटनाएं

5807. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विभिन्न कोयला खानों में आजकल हुई आग की दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें खानवार कितने मजदूर मारे गए और कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ग) सरकार द्वारा इन खानों में मारे गए मजदूरों के परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयला खानों में अग्निकांडों को रोकने के लिए भी कोई विशेष योजना शुरु करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस योजना पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षो के दौरान को.इं.लि. की कोयला खानों में स्वत: ताप बढ़ने तथा आगों के लगने से संबंधित घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

राज्य	1993	1994	1995	1996 (जुलाई 1996 तक)
पश्चिम बंगाल	11	12	24	15
बिहार	1	1	–	–
मध्य प्रदेश	1	1	1	2
महाराष्ट्र	–	3	–	–
उड़ीसा	1	–	–	–
असम	–	1	–	–
जोड़	14	18	25	17

मृतक कामगारों तथा उक्त आग लगने की घटनाओं के परिणामस्वरुप वित्तीय हानि होने संबंधी कोयला कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

कोयला कंपनी	वित्तीय हानि (लाख रु. में)	उत्पादन हानि (000 टनों में)	मृतक कामगार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	805	237	55
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	10	34	–
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	–	–	3

(ग) घायलों के मामले में कामगारों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा यह कामगार की अपंगता की मात्रा, आयु तथा उनके मासिक आय पर निर्भर करती है। मृत्यु के मामले में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त कोल इंडिया लि. द्वारा मृतक कामगार के आश्रितों को क्षतिपूर्ति संबंधित राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों का भी भुगतान किया जाता है:

(1)	अंतेष्टि पर व्यय	रु. 500/-
(2)	अनुग्रह राशि	रु. 10,000/-
(3)	जीवन बीमा संबंधी राशि	रु. 15,000/- (एन सी डब्ल्यू ए-5 के अंतर्गत 20,000/- रु. की राशि तक संशोधित)

इसके अलावा, मृतकों के आश्रितों में से एक आश्रित को नियोजन की भी पेशकश की जाती है। वैकल्पिक रुप में, नियोजन के बदले में विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने/मृत्यु होने/पुनर्विवाह किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, तक 3000/- रु. मासिक पेंशन की राशि दी जाती है।

(घ) कोयला खान विनियम 1957, खान सुरक्षा महानिदेशालय के मार्ग-निर्देशों विरोधात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ-साथ विभिन्न अदालती जांचों की सिफारिशों, सुरक्षा कान्फ्रेस आदि में विस्तृत रुप से सुरक्षा संबंधी उपायों को खान प्रबंधनों द्वारा अपनाया जाता है। इन उपायों का बेहतर रूप अनुपालन किए जाने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित के माध्यम से कदम उठाए गए हैं:- आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा, सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भारीदारी, विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समीक्षाएं, कामगारों के प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण, सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा अभियानों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों का आयोजन किया जाना।

(ङ) से (छ) इन कम गहराई में लगी आगों की मुख्य समस्या बिहार के धनबाद जिले के झरिया कोयला क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जहां 114.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की ऐसी 22 अग्नि शमन परियोजनाएं इन आगों से निपटने के लिए क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। झरिया कोलया क्षेत्र की आगों की समस्या का दीर्घावधि निदान पाये जाने के लक्ष्य से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक नैदानिक अध्ययन जून, 1996 में पूरा कर लिया गया है। इस उद्देश्य से नियुक्त किए गए परामर्शदाता द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

कृषि ऋणों पर ब्याज दर

5808. कुमारी उमा भार्गवा :
श्री पंकज चौधरी :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु और सीमान्त किसानों को कृषि ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

5809. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान स्वदेशी/विदेशी कम्पनियों की सहायता से उत्तर प्रदेश में कितने लघु, मंझोले और बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है; और

(ख) इन स्वदेशी/विदेशी कम्पनियों और उनके द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1995 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 33 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये तथा इसी अवधि के दौरान 95 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) इसके ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र के मासिक न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं, और एस आई ए आंकड़े उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाले जाते हैं जिनकी प्रतियां नियमित रुप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदन के लिए हमेशा वित्तीय पैटर्न को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। इसलिए सरकारी, गैर सरकारी और विदेशी भागीदारों के साथ स्थापित परियोजनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात कोटा संबंधी नीति

5810. कुमारी सुशीला तिरिया :
डा. एम. पी. जायसवाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान तैयार वस्त्र और कपड़ा निर्यात कोटा नीति की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त किए गए कृत्रिम बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृत्रिम बल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कार्यबल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विनिवेश आयोग

5811. श्री अनंत कुमार :
डा. एम. पी. जायसवाल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश आयोग के सदस्यों कौन-कौन हैं और इस आयोग के निदेश पद क्या हैं; और

(ख) यह आयोग अपना कार्य कब तक शुरु कर देगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं। विनिवेश आयोग के विचारार्थ विषयों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

विनिवेश आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:-

(1) कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि के भीतर एक विस्तृत समग्र दीर्घावधिक विनिवेश कार्यक्रम तैयार करना।

(2) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में विनिवेश की सीमा (कुल/आंशिक प्रतिशतता दर्शाते हुए) निर्धारित करना।

(3) समग्र विनिवेश कार्यक्रम के संदर्भ में कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करना।

(4) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक अभिज्ञात उपक्रम के लिए विनिवेश के तरीकों (घरेलू पूंजी बाजार/अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार/नीलामी/अभिज्ञात निवेशकों को निजी बिक्री/कोई अन्य) की प्राथमिकता के बारे में अनुशंसा करना। बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों के उचित मिश्र के बारे में भी सुझाव देना।

(5) सरकार के उद्देश्यों, सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक व द्वितीयक विनिवेश मिश्र के बारे में अनुशंसा करना।

(6) बिक्री की पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना तथा उचित साधनों, मूल्यनिर्धारण और समय के बारे में निर्णय करना।

(7) विनिवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के विशिष्ट उपक्रमों के लिए वित्तीय सलाहकारों का चयन करना।

(8) विनिवेश प्रक्रिया के दौरान प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करना, जिसमें बिक्री संबंधी प्रक्रिया में कर्मचारियों की सहभागिता प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

(9) विनिवेश प्रक्रिया की प्रगति की जांच करना तथा आवश्यक उपाय करना और ऐसी प्रगति के बारे में समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट देना।

(10) लोगों में वचनबद्धता का विकास करने के लिए सरकार की विनिवेश नीति तथा कार्यक्रम के बारे में जन जागरुकता कायम करने में सरकार की सहायता करना।

(11) विनिवेश प्रस्तावों को व्यापक प्रचार देना, ताकि उद्यमों की शेयरधारिता में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

(12) यदि आवश्यक हो, न्यूनतम विनिवेश द्वारा उद्यमों के संभावित पूंजी पुनर्निर्माण पर सरकार को परामर्श देना ताकि विनिवेश द्वारा अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

अल्प सूचना प्रश्न

अ.सू.प्र. 3. श्री अशोक प्रधान : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र से बड़ी संख्या में दूध के करेटों की चोरी हो रही है जिस कारण दिल्ली में दूध की कमी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज दिन तक, दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र से इन दूध के करेटों की चोरी होने के कितने मामलों की संख्या की सूचना मिली है;

(ग) इसके परिणामस्वरुप पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) यह देखने के लिए कि दूध के करेटों की कोई चोरी न हो, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र से करेटों की चोरी होने के मामलों की कोई सूचना नहीं मिली है। दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन 3 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति को बनाए हुए है। फिर भी, मूल्यों में अंतर होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की भारी मांग है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 534/96]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 535/96]

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996 जो 18 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996 जो 18 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 536/96]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 1996 जो 18 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 521(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारी वृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) योजना, 1996 जो 18 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 522(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 537/96]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405(अ) जो 4 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य से आरम्भ होने वाले और निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात किये गये सोडियम फेरौसाइनाइड पर एंटी-डम्पिंग शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 538/96]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 397(अ) जो 2 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थे जो फोर्ड फाउंडेशन द्वारा अपने अधिकारिक प्रयोग के लिए भारत में आटोमोबाइल सामानों सहित आयात किये गये सामानों पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 288(अ) से सा.का.नि. 305(अ) जो 23 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 22 जुलाई, 1996 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क परिवर्तन और छूट देंने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 120(अ) जो 11 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों की प्रतीक्षा किए बिना अभिग्रहण के तुरन्त पश्चात् करेंसियों का तुरन्त निपटान सुगमता से करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 334(अ) और सा.का.नि. 354(अ) जो 24 जुलाई, और 6 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट संघटकों को ऐसे इलैक्ट्रानिक संघटकों की सूची में शामिल करना है जिन पर मूल सीमा शुल्क की 20 प्रतिशत की रियायती दर लागू है तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 338(अ) जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सख्या 47/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 396(अ) जो 2 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कढ़ाई किए गए वस्त्रों के निर्यात पर 16 जून, 1995 से प्रति अदायगी की समग्र उद्योग दर को बहाल करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 539/96]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 23 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/95 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 540/96]

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 जो 23 दिसम्बर 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम/1108/71/एसवी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 541/96]

(तीन) यूको बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 18 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/1/1995 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 542/96]

(चार) बैंक आफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 1 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/बीएम/5547/95 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 543/96]

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1994 जो 26 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/3/94 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 544/96]

(छः) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1976 की संशोधित अनुसूची 1994 जो 15 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/डीएम/10065/94 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 545/96]

(सात) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 15 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/0279 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 546/96]

(आठ) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1994 जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/आईआर/15/95 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 547/96]

(नौ) यूनियन बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1994 जो 10 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/10 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 548/96]

(दस) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी/आईआर/एसएएच/191 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 549/96]

(ग्यारह) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 जो 7 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 550/96]

(बारह) सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1994 जो 7 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 671/एस/0089/ पीडी/आईआरडी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 551/96]

(तेरह) यूनियन बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1994 जो 7 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/11 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 552/96]

(चौदह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 21 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/1995 में प्रकाशित हुए थ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 553/96]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या 11/1994 जो 13 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र और ट्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम संख्या 17(1) में किये गये संशोधनों को स्वीकृत किया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 554/96]

(7) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक आप इंडिया कर्मचारी पेंशन और गारन्टी निधि नियम और विनियम (संशोधन) 1995 जो 23 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/एएमडी/एसपीएल० 5328 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 555/96]

(8) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1995 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम (संशोधन) 1995 जो 23 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/एडीएम/एसपीएल/ 5329 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 556/96]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 306(अ) से सा.का.नि. 327 (अ) जो 23 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 22 जुलाई, 1996 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा

घोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 339(अ) जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1996 जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 341(अ) जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 11/96 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 557/96]

(10) विदुर ग्रामीण बैंक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 558/96]

(11) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(एक) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

(दो) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

(तीन) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 559, 560, 561/96]

(12) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 31 की उपधारा (5) और धारा 29 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी के संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 562/96]

(13) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तीसरे अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 563/96]

(14) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक आफ ट्रावणकोर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 564/96]

(15) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) बैंक आप बड़ौदा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 565/96]

(दो) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 566/96]

(तीन) केनरा बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 567/96]

(चार) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 568/96]

(पांच) देना बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 569/96]

(छह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलाप पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 570/96]

(सात) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 571/96]

(आठ) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 572/96]

(नौ) यूनाइटेड बैंक अफ इण्डिया के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 573/96]

(दस) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 574/96]

(ग्यारह) विजया बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 575/96]

(16) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित 1 जनवरी, 1995 से 1 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के पच्चीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 576/96]

(17) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 577/96]

(18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक गैसेस) नियम, 1996 जो दिनांक 9 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 578/96]

रमेश चन्द्र जांच रिपोर्ट और राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) स्टेट गेस्ट हाउस, लखनऊ में 2 जून, 1995 को हुई घटना और संबंधित घटनाक्रम के बारे में रमेश चन्द्र जांच रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 579/96]

(2) राज्यपाल (उपलब्धिया, मत और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत गुजरात के राज्यपाल को, राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-2 की मद 'बिजली' के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान अतिरिक्त

व्यय हेतु प्राधिकृत करने वाले राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 580/96]

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): श्री चतुरानन मिश्र की ओर मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पतों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 581/96]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 582/96]

(ग) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूवन्तपुरम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी.सं. 583/96]

(घ) (एक) असम कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि औद्योगक विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 584/96]

(ङ) (एक) महाराष्ट्र कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 585/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रबर बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 586/96]

(3) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 587/96]

(5) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के जर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 588/96]

भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : मैं श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 589/96]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपुर्यक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 590/96]

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री मुही राम सैकिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 591/96]

(3) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 592/96]

(5) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 की धारा 28 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 593/96]

(7) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 594/96]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (खंड 1 और 2) के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 595/96]

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** एल.टी.सं. 596/96]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 सितम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 सितम्बर, 1996 को पारित लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(दो) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996 को, जिसे लोक सभा द्वारा 9 सितम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996 को, जिसे लोक सभा द्वारा 11 सितम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1996
2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996

अपराह्न 12.04½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं "भारतीय रेलवे द्वारा लोक शिकायतों का निवारण" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों की कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से छोटी सिगरेटों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसों को तत्काल रद्द करने तथा एक स्पष्ट बीड़ी नीति तैयार करने के अनुरोध संबंधी श्री आर. बी. सुब्बा राव, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश, श्री आर. बी. मैत्रा, कलकत्ता और अन्य बीड़ी श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, शून्यकाल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 33 नाम हैं और मैं हरेक को बोलने का मौका दूंगा...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं क्रम से नाम लूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कल यह निर्णय किया गया था कि इसे शून्य काल के तुरंत बाद लिया जाएगा...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैंने नियम 193 के आधीन एक महत्त्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए कल सूचना दी थी, यह एक तात्कालिक मामला है, मै समझता हूं कि समय की कमी के कारण इस मामले को समायोजित नहीं किया जा सका है जैसा कि पुनरीक्षित कार्यसूची से स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति नियम 193 के अधीन एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मेरी सूचना को समायोजित नहीं कर सकी। मैं इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय से भी मिला था।

महोदय, मैं इस मामले को उठाने के लिए केवल आधा मिनट का समय लूंगा। यह पूरी सभा से संबंधित है। श्री मुरली मनोहर जोशी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा नौ-सेनाध्यक्ष श्री शेखावत और थल सेनाध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में है। उन्होंने भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और इसके परिणामों के संदर्भ में भारत रक्षा सेनाओं की तैयारी के बारे में गंभीर चिंता में है। मैंने सोचा कि रक्षा मंत्री जी दिल्ली में ही मौजूद हैं अत: कम से कम सभा के उठने से पूर्व उन्हें इस बरे में सरकार के दृष्टिकोण के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। सेनाध्यक्ष ने कलकत्ता में एक बयान दिया था कि सेना में अधिकारियों की कमी है और अधिकारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। श्री चिदम्बरम ने कहा है कि धन की कोई कमी नहीं होगी और उस पहलू की ओर ध्यान दिया जाएगा। रक्षा के बारे में चिंता के बावजूद रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को बिना चर्चा के पारित किए जाने के कारण रक्षा मंत्री इस बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके।

अन्य माननीय सदस्यों के अलावा डा. मुरली मनोहर जोशी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मैंने नियम 193 के अधीन चर्चा की सूचना दी थी; किंतु समय की कमी के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के मुद्दे को एक बार पुन: संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाएगा। आप जानते है कि पाकिस्तान में इसके क्या परिणाम सामने आए हैं। उसे हथियार दिए जा रहे है कल इसे टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। श्रीमती बेनजीर भुट्टों अपने अधीन सारी सेना को भारत के विरुद्ध कश्मीर सीमा पर तैनात कर रही है। इस समय नौ सेनाध्यक्ष

द्वारा समुद्र में नौसेना की क्षमता के बारे में और सेना की तैयारी के बारे में थल सेनाध्यक्ष के बयान बड़ी चिंता के विषय हैं और यदि सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, इसलिए प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या सरकार की ओर से किसी अन्य मंत्री को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है श्री राम टहल चौधरी

...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं श्री दासमुंशी की बात का समर्थन करना चाहता हूं। यह मामला बहुत ही गंभीर है। यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कल यह निर्णय किया गया था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा, किंतु अब आप शून्यकाल को ही चलने की अनुमति दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे प्रश्नकाल के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे अभी ही लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह हमारी समझ है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर के बाद नियम 377 होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, ऐसी व्यवस्था थी कि इसे अपराह्न 1 बजे तक दूसरी सभा को भेजा जाना है अतः हमें इसे प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कहा था...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : अन्यथा, हम इसे दूसरी सभा को कैसे भेज सकते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद विधेयक लिया जाएगा। अब इसका क्या हो रहा है? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं सबको चांस दूंगा

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर के बाद इसको लेना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसको खत्म होने दीजिए। एक घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा।

...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कल अध्यक्ष महोदय ने निर्णय किया था कि विधेयक को दूसरी सभा में भेजने के कारण हमें इस पर एक बजे तक चर्चा समाप्त करनी चाहिए। अब यदि आप शून्य काल लेते हैं तो हम उस विधेयक पर चर्चा पूरी कैसे कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस विधेयक को दूसरी सभा को भी भेजा जाना है।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मंत्री महोदय को वाद-विवाद का उत्तर भी देना है और आज इस सत्र का अन्तिम दिन है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या इस मामले पर यहां किसी दल से पुनः विचार-विमर्श हुआ है? हम इसे जानना चाहते हैं क्योंकि कल प्रत्येक दल ने इस विधेयक को पारित करने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। क्या इस पर पुनर्विचार हुआ है? हमें पता करना चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लेडी मेम्बर्स को चैम्बर में बुलाया है, बातचीत हो रही है। इसके बाद यहां बता दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इस मामले पर मेरी पार्टी में कोई पुनर्विचार नहीं हुआ है और यदि पुनर्विचार हुआ भी है तो वह दूसरी पक्ष की ओर से किया गया। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तब विपक्ष के नेता उस विधेयक को विचार के लिए तत्काल लेने पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप दूसरे पक्ष के सदस्यों से पूछिये?...**(व्यवधान)**

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, हमने अपने सदस्यों को तीन पंक्ति का व्हिप भी जारी किया है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। श्री राम टहल चौधरी

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुउद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना है। उस परियोजना से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं।...**(व्यवधान)** उस परियोजना में काफी लोगों की जमीन ली गयी है।...**(व्यवधान)** यहां बहुत बार किसानों और गरीबों के बारे में बातें होती हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतातन्त में शामिल नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों की जो जमीन बैंक में चली गई है, उसका भुगतान नहीं हो पाया है। ...**(व्यवधान)** यदि ये लोग ऐसे करेंगे तो हम भी बोलने नहीं देंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ कहना है।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह साढ़े नौ बजे सभी लीडर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें यह कहा गया था सभी लेडी मैम्बर्स को स्पीकर के चैम्बर में बुलाया जाए।

...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बैठक चल रही है। मैं आपको सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करूंगा।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बैठक चल रही है

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम टहल चौधरी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...**(व्यवधान)**

श्री राम टहल चौधरी : वहां सैकड़ों लोगों की जमीन ले ली गई है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप श्री राम टहल चौधरी को बोलने नहीं देंगे तब तक कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : वहां सैकड़ों लोगों की जमीन ले ली गई है।...(**व्यवधान**) और फसल बर्बाद होती है, उसका मुआवजा भी कभी नहीं मिला है। राज्य सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद भी विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न नौकरी दी गई है।

गांव की जो सड़क थी वह डैम में डूब गई है और आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। इसकी सुविधा नहीं की गई है, पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं की गई है। पुनर्वास के नाम पर जो बैंक के चैक दिये गये हैं, वह बैंक के अधिकारी बिना पैसा लिए हुए पुनर्वास का पैसा नहीं देने का काम कर रहे हैं। इस तरह वहां किसानों के बिल्कुल भूखे मरने की स्थिति हो गई है। लोग छह महीने टापू में रहते हैं। वहां की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से चाहूंगा, यह जो अपने को किसानों और गरीबों की सरकार कहते हैं, गरीबों की जमीन लेकर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल है, उसमें एक कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जाये और जितने विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, वह दिया जाये। नौकरी की व्यवस्था की जाये, पुनर्वास की व्यवस्था की जाये, विकास पुस्तिका दी जाये। दवा और सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां कुछ नहीं हुई है, मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं। अन्यथा वहां के लोग आन्दोलित हो रहे हैं और बहुत बड़ा आन्दोलन वहां हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उन गरीब किसानों को मुआवजे का भुगतान सरकार से शीघ्र करायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त सभा को अमरनाथ यात्रा की त्रासदी के बारे में बताना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैंने कल वचन दिया था कि अमरनाथ त्रासदी की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में आज सरकार के निर्णय की घोषणा की जाएगी। इसलिए, मैं सभा को सूचित करता हूं कि हमने 1957 बैच के एक वरिष्ठ सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी श्री नितीश सेन गुप्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। श्री सेनगुप्त ने भारत सरकार में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव, योजना आयोग में सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक, रह चुके हैं। वह 35 वर्षों की विशिष्ट सेवा करने वाले एक उत्कृष्ट सिविल सेवक हैं। सेवा-निवृत्ति के पश्चात् वह इस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धन संस्थान में महा-निदेशक के रुप में कार्य कर रहे हैं। हमने श्री सेन गुप्त से अपने जांच कार्य को एक महीने के भीतर पूरा करने के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा) : गुजरात में और सारे देश में एक, दो और पांच रुपये के बहुत पुराने नोट मिलते हैं, जिनको रिक्शे वाले, साग भाजी वाले, कोआपरेटिव बैंक तथा, शेड्यूल बैंक वाले भी लेने से इन्कार करते हैं। स्टेट बैंक के पास अच्छे नोट नहीं हैं, उनके पास एक, दो और पांच रुपये के सिक्के भी नहीं हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस बारे में मैंने वित्त मंत्री को और रिजर्व बैंक को भी खत लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोंचे और नये नोट या सिक्के जनता को मिलें, इसके बारे में कार्रवाई करें। धन्यवाद।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में इंडिया वर्कशॉप लिमिटेड है। हमारी जो नई सरकार आई है, उसके लिए भी यह शर्मनाक बात है। अब तक 104 महीने हो गए हैं, पर उनको वेतन नहीं मिल रहा है। वह ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन सरकार की यह स्थिति है कि मैं बार-बार मिलता हूं, भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी से मिला था, बाद में कई बार चिदम्बरम साहब से भी मिल चुका हूं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम पहले उनका वेतन दे देंगे। वह करोड़ों रुपये के शिप बेच रहे हैं, लेकिन जो सात या आठ करोड़ रुपया वेतन का हो जाता है, वह वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी सरकार से मांग कर रहा हूं, यहां तो अभी वित्त मंत्री नहीं हैं, लेकिन सदन उनको निर्देश दे कि उनका वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाय। अभी, कोई पार्लियामेंटरी मिनिस्टर होंगे, हमे आश्वासन दिया जाय कि उनका वेतन उन्हें मिल जाएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समस्या बड़ी गंभीर है। जयपुर शहर की आबादी इस समय लगभग 20 लाख से ऊपर हो गई है। नगर निगम बन जाने के कारण आबादी और बढ़ेगी। वहां 383 पोस्ट मैन वितरण के काम लगे हुए हैं। जबकि जयपुर शहर में प्रतिदिन 1 लाख 50 हजार पत्रों और पार्सलों की आवाजाही होती है। 383 पोस्ट मैन केवल 60 हजार पत्र वितरित कर सकते हैं। 90 हजार डाक को वितरित करने के लिए कोई पोस्ट मैन नहीं है। लोगों को सप्ताह, दो सप्ताह बाद जाकर पत्र मिलते हैं। अगर किसी की शादी का निमंत्रण पत्र हो और वह डाले तो जब वह मिलेगा, तब तक उनके बच्चा हो जाएगा, ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होने वाली है। इसलिए सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। हमने भारत सरकार के डाक विभाग से 120 नए पोस्ट मैन की नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन हमारी

बात कोई नहीं सुन रहा है। वहां नई कालोनीज जैसे वैशाली नगर, गांधी नगर, श्याम नगर, मालवीय नगर, विश्वकर्मा नगर, दुर्गापुरा, सांगानेर एयरपोर्ट आदि बनने से डाक व्यवस्था और भी निकम्मी हो गई है। इन कालोनीज में एक भी पोस्ट मैन नहीं जाता। नए पोस्ट मैन की नियुक्ति नहीं हो रही है और पुराने जो स्थान रिक्त हो गए हैं, उनको भी भरा नहीं जा रहा है। इससे वहां की डाक व्यवस्था महानिकम्मी हो गई है। मैं भारत सरकार से और उसके डाक विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि नई नियुक्ति करने पर जो पाबंदी लगा रखी है, उसको हटाया जाए और पुराने जो रिक्त स्थान हैं, उनको अविलम्ब भरा जाए। यदि यह व्यवस्था समय पर नहीं हुई तो मैं जयपुर शहर के लोगों को यहां लाकर प्रधान मंत्री जी के सामने धरना देने का कार्यक्रम बनाऊंगा। इसलिए भारत सरकार वहां नए पोस्ट मैन की नियुक्ति करे और रिक्त पड़े स्थानों को भरने का काम करे।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अति-गम्भीर मामला यहां उठाना चाहता हूं। चीन आक्रमण के बाद फारबिसगंज और दरभंगा लेटरल रोड़ की स्वीकृति हुई थी। यह लगभग 1600 किलोमीटर लम्बी रोड है। इसमें काफी इलाका छूटा हुआ है। यह इलाका भारत-नेपाल सीमा से सटा हुआ है। नेपाल में चीन बहुत आगे तक रोड बना चुका है और अन्य कार्यवाही कर चुका है। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए फारबिसगंज और दरभंगा लेटरल रोड को नेशनल हाई-वे में बदलकर अविलम्ब कार्य पूरा कराये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि योजना आयोग से और रेलवे से यह रोड पास हो चुकी है। बनारस होते हुए गोरखपुर और दरभंगा होते हुए फारबिसगंज और वहां से बलिया तक की 1600 किलोमीटर रोड है, जिसमें से 205 किलोमीटर बची हुई है, जो लिंक नहीं है। इसलिए सरकार इसकी अनुपालना करे। एक सप्ताह पूर्व जब प्रधान मंत्री जी किशनगंज आए थे तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। मैं चाहता हूं कि इसको अविलम्ब बनाया जाए।

श्री नंद कुमार साय (रायगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय देश भर में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 382 जिलों में लगभग 14500 से अधिक शाखाएं कार्यरत हैं। जिनमें लगभग 70 हजार अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसलिए की गई थी कि उन क्षेत्रों में जहां ग्रामीण रहते हैं, उनकी जरूरतें और उनके हितों का संरक्षण ये बैंक कर सकें। किंतु ग्रामीण बैंकों का संरक्षण अन्य बैंकों के पास होने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर जो जरूरत है, ये उसको पूरी नहीं कर पाते। इसलिए हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, अलग-अलग जोन्स हैं, वहा जोनल बैंक्स की स्थापना की जानी चाहिए। दो सितम्बर से छः सितम्बर तक दिल्ली में ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का धरने का कार्यक्रम था, जहां उन्होंने अपनी कुछ मांगें भी रखी थी। सरकार की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट बैंक्स उन क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका ये अधिकारी विरोध कर रहे थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मियों को बैंकिंग उद्योग में छठवें वेतन समझौते का भी लाभ नहीं मिल रहा है, मेरा निवेदन है कि वह लाभ भी उन्हें अविलम्ब दिया जाना चाहिए।

इस बात से तो आप अवगत ही हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मियों को राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल एवार्ड निर्णय अनुसार प्रायोजक व्यावसायिक बैंक कर्मियों की भांति वेतन-भत्ते सुविधायें एक जनवरी, 1991 से किए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही लिया जा चुका है, किन्तु इसका इम्पलीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के अधीन आपस में मिलाकर राष्ट्रीय एपैक्स बाडी के तहत प्रदेश स्तरीय जोनल बैंक बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस विषय पर तुरन्त विचार करे।

[अनुवाद]

डा. बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश के मिरयालगुडा से हूं। वहां पर एक अमृता नगर चीनी मिल है जिसका निजीकरण किया जा रहा है। जिसमें लगभग 185 स्थायी कर्मकार तथा 285 मौसमी कर्मकार है। यदि इसका निजीकरण कर दिया जाता है तो वे यकायक बेरोजगार हो जाएंगे घाटे के नाम पर वह मिल बन्द कर देंगे और कर्मकारों के लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। कर्मकारों से उनकी नौकरी और घरबार सब कुछ छिन जाएगा। सरकार एक ओर तो अधिकाधिक रोजगार पैदा करने की सोचती है। किसी इकाई का निजीकरण करने के पूर्व या एक इकाई को बन्द करने के पूर्व, हमें कर्मकारों को पुनः रोज़गार प्रदान करने तथा उनके लिए भोजन तथा आवास के बारे में सोचना चाहिए। यह करने के बजाय आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी से यह निर्णय लिया कि इस मिल को बन्द कर दिया जाये या इसका निजीकरण कर दिया जाये। इस निर्णय से प्रभावित होने वाले कर्मकार धरना दे रहे हैं और उनकी ओर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है।

इन परिस्थितियों में नया प्रबन्धन किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार तथा उद्योग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस इकाई के बारे में कुछ करने से पूर्व तथा अन्य लोगों, जो इसे अपने ढंग से चलाएंगे, के हाथों में सौंपने से पूर्व यहां कार्यरत लोगों की भलाई के लिए कुछ उपाय किये जायें।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोटा नगर में एक मात्र सार्वजनिक उद्योग इन्स्ट्रमेंटल लिमिटेड कार्य करता था। प्रशासनिक अक्रमण्यता के कारण, अकुशलता के कारण और अक्षमता के कारण वह लाभ का उद्योग अचानक नुकसान की स्थिति में चला गया है। जहां पहले पांच हजार व्यक्ति काम करते थे, वहां अब स्वैच्छिक नियुक्ति के आधार पर सिर्फ 3,200 लोग मात्र रह गए हैं। उद्योग में निरन्तर नुकसान चल रहा है। कर्मियों की संख्या घटकर 3,200 रह गई है। ऐसी स्थिति में कर्मियों के आश्रित परिवार, जिनकी संख्या 20-25 हजार है, भूखों मरने की स्थिति में है। उनको वेतन नहीं मिल रहा है। मैं और जसवन्त सिंह जी लगातार प्रयत्न करते रहे हैं कि किसी भी तरह से इसका विलीनीकरण बी.एच.ई.एल. में कर दिया जाए, तो शायद यह उद्योग पुन: जीवित हो सकता है। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि उक्त उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बी.एच.ई.एल. में विलीनीकरण कर मजदूरों के तुरन्त वेतन देने की व्यवस्था की जाए।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, यह उद्योग नुकसान में चल रहा है। इतना बढ़िया उद्योग होते हुए भी टैलिकाम्युनिकेशन से काम करने के लिए आदेश नहीं मिल रहा है। सुखराम जी ने अपनी फैक्ट्री लगाकर इस उद्योग को हतोत्साहित किया है इसके आदेश को निरस्त कर दिया। आज आदेश नहीं मिलते हैं, इसके बावजूद भी इसके उच्च अधिकारी विदेशों की यात्रा आदेश प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। विदेश यात्रा के क्या परिणाम रहे, इसका कोई पता नहीं लगता और आज करोड़ों में नुकसान में चलने के बावजूद भी अधिकारी लाखों रुपए विदेश यात्राओं पर व्यय कर रहे हैं।

इसलिए मेरा पुन: पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि कृपया इस उद्योग को जीवित रखने के लिए इसको भेल के अंदर मर्ज किया जाए।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : विनिवेश समिति के कार्य करने के पहले तथा सरकार के समक्ष सिफारिश करने के पहले संभवत: कल या परसों माननीय वित्त मंत्री ने एक संगोष्ठी में एकपक्षीय रुप से यह घोषणा की थी कि 74 प्रतिशत अलाभप्रद सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किया जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा गठित यह विनिवेश आयोग तथा उनके द्वारा बजट भाषण में घोषित किया जाना क्या सामान्य रुप से एक संदर्भ के रुप में उल्लेखित किया गया था या इसका कोई गम्भीर अर्थ भी है?

दूसरी बात जो मैं आपके सामने तथा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं वह इराक में शुरु हुए युद्ध तथा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर भारत के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में हिन्द महासागर में युद्धपोतों के बेड़ों, जिनका कि सैन्य संचालन अड्डा डियगो गारसिया में है, के जमाव के परिणामस्वरुप उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि तथा इराक की स्थिति के बारे में भारत के दृष्टिकोण के बारे में भी जानना चाहता हूं। इस पृष्ठभूमि में, अमेरिका द्वारा युद्ध बेडों का डियगो गारसिया में तथा हिन्द महासागर में जमा किया जाना हिन्द महासागर की शांति को एक गम्भीर खतरा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तरित वरण तोपदार : मैं चाहता हूं कि सभा इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत – अनुपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहरी) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत गंभीर मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिहार के अंदर एक करोड़ की आबादी बाढ़ की विभीषिका में फंसी हुई है। 80 करोड़ की फसल, मकान और सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है। छह हजार गांव जलमग्न हैं और छह लाख से ज्यादा जानवर भी फंसे हुए हैं। वहां ऐसी हालत है जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार की यही स्थिति है। आज बिहार की एक-चौथाई आबादी तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ी है और वहां की सरकार बिल्कुल मूकदर्शक बनी हुई है। महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय कृषि मंत्री जी बिहार गए थे, उन्होंने बिहार का दौरा किया था और उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया था कि बिहार की सरकार राहत के प्रति गंभीर नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने तो उनको फटकारा है और कहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी बिहार सरकार को इस बात के लिए जोर डालें और जो एक करोड़ की आबादी फंसी हुई है, इसमें सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि पिछले वर्ष बाद में वहां 526 लोग मरे थे, ये संख्या सरकारी रिकार्ड में दर्ज हैं। इस वर्ष सितम्बर महीने तक दो सौ से ज्यादा लोग बाढ़ में मर चुके हैं लेकिन एक पैसा भी आपातकाल राहत के नाम पर, जो पिछली बार मरे हैं न ही उनके और न ही इस बार मरने वालों के आश्रितों को मिला है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिणी कलकत्ता) : हम सभा को यह नहीं करने देंगे (**व्यवधान**)... मैं अभी बैठक से आ रही हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार अपने दृष्टिकोण से विचलित हो रही है। (**व्यवधान**) सरकार यह कह रही है कि वह अगली बार विधेयक लाएगी। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है? यह अच्छी बात नहीं है।

कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

अपराह्न 12.34 बजे

(इस समय श्रीमती ममता बनर्जी आयीं तथा सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गई)

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर चले जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हमें इस विधेयक को पारित करना होगा। हमें इस पर चर्चा करनी होगी तथा इसे पारित करना होगा। (**व्यवधान**)

जब तक इस बिल पर चर्चा नहीं की जाती, कोई भी अन्य मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी. सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : सभा को वचन देने के बाद, वह पीछे क्यों हट रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल जब सभा स्थगित हुई तो हमने यह समझा कि इस विधेयक को पारित करना एक राष्ट्रीय वचनबद्धता और इस सभा की वचनबद्धता है। अत: हम आपसे अनुरोध करते है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाये और कुछ न लिया जाए। चर्चा पूरी हो चुकी है। अब विधेयक पारित होने दें।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, प्रश्न काल का निलंबन कर विधेयक पुर:स्थापित किया जाना कोई सामान्य बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल वायदा किया था कि आज मध्याह्न 12 बजे के बाद विधेयक पारित कर दिया जाएगा। अब, उस वायदे से पीछे हटने का क्या कारण है? यदि यही करना था तो कल प्रश्न काल का निलंबन कर विधेयक पुर:स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? यह कोई तमाशा नहीं है। यह कोई मजाक की बात नहीं है। सभा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस अवसर को शून्य काल की भांति उपयोग क्यों नहीं करती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नीतिगत बातों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। कल हमने यह निर्णय किया था कि यदि इसमें आगे कोई संशोधन करना है तो वह किया जाएगा। सभा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। ओ.बी.सी. का मुद्दा बाद में लिया जा सकता है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं?

...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री रुपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...(**व्यवधान**)

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष अभी कोई मुद्दा नहीं है अत: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मीटिंग चल रही है। जो डिसीजन होगा आपको बता दिया जाएगा। इस समय को जीरो आवर के लिए इस्तेमाल किया जाए। समय बरबाद नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

बैठक में जो फैसला होगा उसके बारे में माननीय मंत्री आपको सूचित कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : बैठक समाप्त होने तक आप सभा स्थगित कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : महोदय, बैठक जारी है और मुझे वहां जाना है...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह आज की कार्यसूची में शामिल है। आप इसे क्यों नहीं ले रहे हैं?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं चाहते कि शून्य काल लिया जाए। बैठक चल रही है और मंत्री जी आपको इसके परिणाम से अवगत करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस विधेयक के बाद शुन्य काल लिया जा सकता है ...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप संसदीय कार्य मंत्री से एक वक्तव्य देने को कह सकते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चित्त बसु को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आपकी अनुमति से...**(व्यवधान)** मैं कुमारी ममता बनर्जी का भी सहयोग चाहता हूं...**(व्यवधान)** मुझे बोलने दें। मैं आपका भी समर्थन करुंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए और बैठ जाएं।

श्री चित्त बसु : यह हम सभी के लिए दुखद समाचार है कि सरकार ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित शासकीय अभिलेख हमारे विद्वानों और इतिहासकारों से अलग रखे है।

अपराह्न 12.44 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी अपने स्थान पर वापस चली गईं)

श्री चित्त बसु : महोदय, यह तो और भी दु:खद है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जैसी संस्थानों के शोधकर्ताओं को आज हिन्द फौज, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने और अगस्त 1945 से उनके क्रियाकलापों और उनके पता-ठिकानों से संबंधित साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अंतर्गत इन सभी तथ्यों की जानकारी से लोगों को शोधकर्ताओं और अन्य इतिहासकारों को वंचित रखा जा रहा है।

महोदय, इसके परिणामस्वरुप इतिहास में तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किये गये हैं और हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की गलत व्याख्या की गयी है। यह हमारी समृद्ध धरोहर और समृद्ध विरासत है। हमारा देश जब स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है तो ऐसे समय में हम संसद सदस्यों, सार्वजनिक जीवन से जुड़े अन्य सदस्यों, पुरुषों और महिलाओं को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के परम्परागत इतिहास के बारे में जानना चाहिए।

महोदय अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त मोर्चा के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में वचन दियां गया था कि पारदर्शिता, वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जिसकी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत गांरटी दी गई है को ध्यान में रखते हुए, शासकीय गुप्त बात अधिनियम की समीक्षा की जायेगी और उसमें संशोधन किया जायेगा।

महोदय, इसकी महत्ता को देखते हुए मैं समस्त सभा से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस-आई के नेताओं सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश की इतिहास से युवा पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराया जाये।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी उठाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सदन को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 23 जनवरी, 1997 से नेताजी सुभाषचंद बोस की शताब्दी मनाने का निश्चय सरकार कर चुकी थी और उसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई थी और उसमें यह तमाम बातें हमने उठाई थीं। लेकिन आज तक उस कमेटी ने

क्या किया, हमें पता नहीं है। मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। पिछले साल भर से उसकी कोई बैठक नहीं हुई और यह बताया गया था कि उसमें एक एक्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और वह आगे कार्यक्रम चलायेगी। अब जनवरी 1997 आने वाला है, मैं नहीं जानता कि इन प्रश्नों पर सरकार क्या करना चाहती है, यह बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री बोम्मई से अनुरोध करता हूं कि वह इस समिति की बैठक बुलायें...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने कहा था कि इसकी मीटिंग बुलाई जाए और इन तमाम बातों को उठाया जाए, अकादमियों का नाम नेताजी के नाम पर रखा जाए, नेताजी के नाम पर विश्वविद्यालयों में चेयर्स लगाई जाए, उनकी कॉरसपोन्डेंस छापी जाए, वह भी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, जो बताया जायेगा, जो रिकार्ड्स बाहर हैं, उनको लाया जाए। ये सारे सवाल हम उठा चुके हैं। लेकिन सरकार उस पर सो रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मेरा यह सुझाव है कि विद्यमान समिति की समीक्षा की जानी चाहिए और विभिन्न दलों के सदस्यों को इस समिति में शामिल किया जाना चाहिये। यह काम तेजी से किया जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। सुभाप चन्द्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को है...(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सुभाष चन्द्र बोस शताब्दी समारोह में कुछ नवयुवकों को शामिल किया जाना चाहिए...(**व्यवधान**)

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, सरकार नेताजी शताब्दी समारोह और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह संबंधी समिति गठित करेगी। उस समितियों में जो लोग 65 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए थे उन्हें ही उन समितियों में शामिल किया जाना चाहिए न कि उन्हें जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के 28 जिलों में बाढ़ की विभीषिका से लोग तबाह हैं दूसरी ओर बिहार सरकार ने पिछले पांच वर्ष के अंदर बिहार की किसी भी नदी के तटबंध की मरम्मत नहीं की है। तटबंध के मरम्मत की मद की जो राशि थी, उसकी या तो घोटालेबाजी हुई या प्रशासकीय व्यय में खर्च हुए, इसका नतीजा यह है कि तेजी से तटबंध कट रहे हैं और एक करोड़ से ज्यादा की आबादी आज बाढ़ की तबाही में फंसी हुई है। महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्री जी गये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको प्रति एकड़ पांच सौ रुपये की केन्द्रीय बाढ़ सहायता कोष से मदद की जायेगी। परंतु यह राशि अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। पिछले वर्ष 526 लोग बाढ़ से मरे थे। इस वर्ष भी दो सौ लोग मरे हैं। लेकिन अभी तक किसी को भी आपातकालीन सहायता राशि नहीं दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वह बिहार के मुख्य मंत्री से निवेदन करे कि वह पटना के रेल पुल का काम कराने की चिंता अभी छोड़ दे, पशुपालन घोटाले की उधेड़बुन को छोड़कर बिहार की पीड़ित जनता को शीघ्र राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सबके नाम मेरे पास हैं, मैं हर एक को बोलने का मौका दूंगा।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूप चन्द मुर्मू को बुलाता हूं।

...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें बोलने दीजिए।

श्री रूप चन्द मुर्मू (झाड़ग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में यात्री अपने काम धन्धे के लिए निमपारा रेलवे हाल्ट स्टेशन पर खड़गपुर रेलवे जंक्शन और टाटानगर के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में प्रतिदिन यात्रा करते है।

लेकिन वहां पर कोई टिकट काऊंटर नहीं है। अतः यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करनी पड़ती है जो अवैध और दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त स्टेशन का प्लेटफार्म नीचा है जिसके कारण यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने उतरने में बहुत असुविधा होती है। इस स्टेशन का उपयोग अधिकांशतः जनजातीय लोग करते है। इन्होंने बारम्बार स्थानीय अधिकारियों से न्याय करने की अपील की है जिसका कोई असर नहीं हुआ।...(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम फिर आ गये हैं। (**व्यवधान**)

श्री रूप चन्द मुर्मू : ऐसी परिस्थितियों में रेल मंत्री जी से आग्रह है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत निमपारा हाल्ट स्टेशन पर एक टिकट काऊंटर खोला जाये और प्लेटफार्म को ऊंचा उठाया जाये। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह पत्रकारों ने हमारी पार्लियामेंट की क्वैश्चन-ऑवर की 11.00 बजे से 12.00 बजे तक की प्रोसीडिंग्स का बहिष्कार किया है। हिन्दुस्तान में जितने भी पत्रकार संगठन हैं, वे सब मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.51 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी और एक अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के पास आकर खड़े हो गये)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : पत्रकारों की मांग है कि जो वेज बोर्ड ने पिछली बार रिकमेंड किया था, उस पर उन्हें कम से कम 50 परसेंट इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए। इस मांग को पत्रकार बहुत बार उठा चुके हैं और सरकार से भी मिल चुके हैं। आज पत्रकारों ने पार्लियामेंट के प्रश्न-काल को कवर नहीं किया।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उन्हें बेसिक पे पर 50 परसेंट इंटरिम रिलीफ के हिसाब से इन्क्रीज दी जाए। इस महंगाई में, लगभग बाकी सभी लोगों की सैलरी इन्क्रीज हो चुकी है, एन्हांस हो चुकी है। इस संबंध में, फाइनल रिकमेंडेशन कब आएगी, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पत्रकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए।

दूसरी बात यह है कि जो सरकारी मकान पत्रकारों को दिए जा रहे हैं, इस संबंध में अभी तक सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पत्रकारों के लिये प्रौब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकारों को सरकारी मकान देने के बारे में, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को मकान दिए जाते हैं, उसी आधार पर कानून बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं और उन नियमों के अंतर्गत पत्रकारों को मकान मिलने चाहिएं। जिसकी सैलरी 5 हजार या 7 हजार रुपए है, ऐसे पत्रकार को अगर आप दिल्ली में प्राईवेट मकान लेने के लिए बाध्य करेंगे तो वह ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकता, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। मैं चाहता हूं कि सरकार इन दोनों मांगों के बारे में शीघ्र निर्णय ले और उनकी उचित मांगों को स्वीकार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जी. ए. चरण रेड्डी।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनुमति दी है। कृपया इन्हें बोलने दें।

...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : माननीय महिला सदस्य एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हैं, कृपया उनकी बात सुनिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : ममता जी, आपकी सरकार बैक-आउट कर रही है, हम बैक-आउट नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार बैक-आउट कर रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, आपको कुछ कहना है?

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इनकी बात सुनिए।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें सुनिए।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

...**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.54 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी सभा पटल के पास आकर बैठ गईं)

अपराह्न 12.54 बजे

(इस समय श्रीमती संध्या बौरी अपने स्थान पर वापस चली गईं)

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.05 बजे

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करती हूं कि जैसा कि आपने वचन दिया था, लोक सभा तथा विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक को आज पारित किया जाए। **(व्यवधान)**

प्रो. पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, आपने वचन दिया है कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया जाएगा। आपको वह वचन निभाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा कि इसे पारित नहीं किया जाएगा? क्या किसी ने कभी ऐसा कहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आप ऐसे अनुमान क्यों लगा रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं, मुझसे यह नहीं कहा गया कि इसे पारित नहीं किया जाएगा मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा आभास क्यों हुआ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : तब ठीक है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा पुनः आरंभ करेंगे। पर इससे पहले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक, लोकपाल विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है और उसके बाद नियम 377 के अधीन मामले हैं, यह सदस्यों का अधिकार है। इन दो विषयों पर चर्चा समाप्त करके हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा पुनः आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि कल जो हिस्टौरीकल इनीशिएटिव आपने लिया, उसमें आपने क्वश्चन आवर तक सस्पैंड कर दिया, सारे नियमों को वेव करने की बात की और आज छोटी-छोटी चीजें जैसे मैटर अंडर रूल 377 ले लिया। अब आप एक बिल इंट्रोडयूस करवाएंगे। समय केवल डेढ़ घंटा बचा है। साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल ले लिया जाएगा। छः बजे सत्रावसान हो जाएगा, संसद का यह सत्र समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे रिकवैस्ट कर रही हूं कि जो हिस्टौरीकल इनीशिएटिव आपने कल लिया, पूरे विश्व को इस चेयर से संदेश गया। एक क्रांतिकारी पहल आपने की। आज आपके वे इनक्लाबी तेवर ढीले क्यों हो गए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं कहां ढीला हो गया। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बहुत रैवोलूशनरी बिल है, इसे एक साधारण बिल की तरह नहीं लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कल आपके इनीशिएटिव पर क्वश्चन आवर सस्पैंड करके आपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इंट्रोड्यूस करें। आपने कहा कि बिना डिस्कशन पास करें। यह बिल कल से कितने उतार-चढ़ाव देख रहा है और अल्टीमेटली सलैक्ट कमेटी तक की बात हो रही है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस बहुत हो चुका। अब आप मेरी बात सुनें। आप फिर से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। टाइम का सवाल है, इसलिए इसे वेस्ट मत करो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन रेल बजट पर चर्चा करने के लिए प्रातः 7.30 बजे तक बैठ सकता है तो इस विधेयक के लिए बैठने में क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं कल सुबह 6 बजे तक बैठ सकता हूं। मेरी कल सुबह 7 बजे बीजिंग के लिए फ्लाइट है। मैं यहीं से हवाई अड्डे पर जाने के लिए तैयार हूं। यह मेरी अपनी स्थिति है। मुझे सरकार की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। चर्चा पुनः आरम्भ की जायेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप जो रात की बात कह रहे हैं, उस समय जो हाउस चलता है, उसमें उपस्थिति क्या होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं वही करूंगा जैसा सदन कहेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सदन यह कहता है कि यह विधेयक आज ही बिना किसी और चर्चा के पारित किया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करती हूं कि यह विधेयक तत्काल पारित किया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे विधेयक को पुर:स्थापित करने दें। यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है और हम नियम 377 के अधीन मामलों पर भी चर्चा समाप्त करेंगे।

लोकपाल विधेयक, 1996*

अपराह्न 2.09 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और तत्संबंधी विषयों की जांच करने के लिए लोकपाल की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और तत्संबंधी विषयों की जांच करने के लिए लोकपाल की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में एक और महत्त्वपूर्ण विधेयक लिया जाना था। सामान्यत: नियमानुसार पुर:स्थापित किये जाने से पूर्व विधेयक सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए था। विधेयक की महत्ता को समझते हुए हम वह सब माफ कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार इसके लिए क्षमायाचना करे और इस असफलता के लिये आप सरकार की निंदा करें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक परिचालित नहीं किया गया है?

...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : इसे पढ़ने के लिए हमें 48 घंटे का समय चाहिए। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक है और हमें उस पर गौर करने के लिए समय चाहिए। **(व्यवधान)** यह कोई सामान्य विधेयक नहीं है....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

हम लोगों की तरफ देखिए, हाउस को कॉन्फिडेंस में लीजिए, यह ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरह से बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ माननीय सदस्यों की भावना से सहमत हूं राष्ट्र के समक्ष महत्त्वपूर्ण मुद्दे और कार्यक्रम जल्दबाजी में नहीं निपटाए जाने चाहिएं। यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। सदस्य यहां मौजूद हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक संभव हो, इस तरह के विधेयकों अथवा वर्तमान इक्यासीवें संविधान (संशोधन) जैसे विधेयक पर उचित विचार-विमर्श और गहन चर्चा के उपरांत ही हमें प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने से देश का भला नहीं होगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भविष्य में शांतचित होकर, प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

प्रश्न यह है:

"कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, हम आपत्ति उठाना चाहते हैं। हमने डिवीजन मांगा, आपने डिवीजन भी नहीं दिया और ये लोग बार-बार इस तरह से करेंगे। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम हर चीज को पढ़ना चाहते हैं। आज सुबह बिल सर्कुलेट होता है, सुबह 9.30 बजे हमारे घर पर आता है। हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाये हैं और हम 'आय' कर रहे हैं, यहां पर किस चीज के लिए 'आय' कर हो रहा है?...**(व्यवधान)** आपने पढ़ा होगा। आपको कल मिला होगा, आप सरकारी पार्टी हैं। आप लोगों को पहले मिला होगा। हम लोगों को आज सुबह मिला है। मजाक करेंगे।

[अनुवाद]

मैं ऐसी भावातिरेक और सभा के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकता। हर चीज की एक सीमा होती है। यदि उन्हें नियम का ज्ञान नहीं है तो उन्हें नियम पढ़ना चाहिए। वे सभा के समक्ष आकर ऐसा नहीं कह सकते कि हमें नियम का ज्ञान नहीं है।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 13.9.96 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

इस सदन में कब से लोकपाल बिल के ऊपर बहस कर रहे हो, आज पहली बार? एक जमाने से इस पर बहस चल रही है। आप लोग इतना क्यों उनके पीछे दोड़ रहे हो? आज सुबह हमारे पास आज के लिफाफे में आया है। हमने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नो कह रहा हूं। हम बिल के विरोध में नहीं हैं। हम इनका जो तौर-तरीका है, इसके विरोध में हैं और प्रधान मंत्री को यह आदत हो गई है, ये बाहर जाकर बोलेंगे कि अमुक कर रहे हैं। फिर पूछा जाता है तो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। आपको पहले कुछ सोचना चाहिए, आपको सोचकर बोलना चाहिए। जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज जी अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी करने के पश्चात्, मैं समझता हूं कि हमें आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

अपराह्न 2.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में विशेषत: इसके ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था ठप्प पड़ी है। टेलीफोन एक्सचेंज खराब रहते हैं। इस कारण महीनों टेलीफोन काम ही नहीं करते, उन्हें ठीक करने का दूरसंचार विभाग के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। टावर वाले टेलीफोन मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सिहोर तथा अन्य जिलों में लगने के बाद से ही खराब पड़े हैं। कई बार शिकायत करने पर भी इन्हें ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अनेक कस्बों के, जिनमें मध्य प्रदेश लाकुई, चकल्दी इत्यादि सम्मिलित हैं, के सैंकड़ों उपभोक्ताओं के नये फोन कनैक्शन हेतु धनराशि दो-दो वर्ष से जमा है, लेकिन अभी तक उन्हें कनैक्शन नहीं दिए गए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए।

(दो) बरेली स्थिति चीनी मिल को नए स्थल सैदपुर गांव (बरेली) में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम इकाई की नेकुपर, बरेली स्थित चीनी मिल, जो पिछले कई वर्षों से निरंतर घाटे में चल रही है, को 1988 में स्थानांतरित किए जाने तथा 2500 टन क्षमता में परिवर्तित कर लगाने का निर्णय लिया गया था तथा तभी (1988 में) ग्राम सैदपुर (विकास खंड विथरी थेनपुर) बरेली में इस हेतु जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया था, परंतु अभी तक इतना समय व्यतांत हो जाने के बाद भी उक्त चीनी मिल को लगाए जाने की कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस कारण क्षेत्र के गन्ना किसान प्रभावित हो रहे हैं तथा प्रदेश शासन को बिना कारण प्रतिवर्ष घाटा उठाना पड़ रहा है। इसे करोड़ों रुपये के घाटे से बचाए जाने एवम् गन्ना कृषकों की समस्या का तत्काल हल उक्त चीनी मिल परिवर्तित स्थान पर लगाए जाने से ही सम्भव है। इस संबंध में मैंने यह सुझाव भी दिया था कि यदि स्वयं राज्य सरकार द्वारा इस चीनी मिल को लगाया जाना संभव न हो तो यह कार्य निजी क्षेत्र में भी दिया जा सकता है तथा निजी क्षेत्र में कुछ उद्योगपति इस स्थान पर (जहां जमीन पूर्व में अधिग्रहीत हो चुकी है) लगाए जाने को तैयार भी हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस चीनी मिल को नए प्रस्तावित स्थान पर लगाए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

(तीन) अल्लपी, केरल में एक एफ.एम. रेडियो स्टेशन और मैट्रो चैनल ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एम. सुधीरन (अल्लपी) : महोदय, अल्लपी स्थित आकाशवाणी उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से लगभग समस्त केरल राज्य को सेवा प्रदान की जाती है। यह केरल राज्य की राजधानी तिरुअन्नतपुरम के आकाशवाणी केन्द्र से जुड़ा हुआ है। तिरुअनंतपुरम में होने वाले कार्यक्रम को माइक्रोवेव और उपग्रह के माध्यम से अल्लपी ले जाया जाता है और फिर उच्च शक्ति वाले इस स्टेशन से इसका व्यापक प्रसारण किया जाता है।

अल्लपी में लगा हुआ ट्रांसमीटर 25 वर्ष पुराना है और बेकार हो चुका है। इसे एक आधुनिकतम ट्रांसमीटर से बदला जा रहा है जिसकी क्षमता वर्तमान ट्रांसमीटर से दोगुनी है। इस परिवर्तन के बावजूद भी अल्लपी एक रिले केन्द्र ही बना रहेगा और उसके पास कार्यक्रम तैयार करने का अपना कोई स्टूडियो नहीं होगा।

लोगों द्वारा बहुत अर्से से की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिए अल्लपी में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन अधिमानत: एफ.एम. स्टेशन स्थापित करना आवश्यक है जिसका कार्यक्रम तैयार करने और प्रसार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अल्लपी के आस-पास काफी प्रतिभायें उपलब्ध हैं।

अल्लपी दूरदर्शन केन्द्र संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। यह कोचीन के एच.पी.टी. पर निर्भर करता है जो कि वहां से 70 किलोमीटर दूर है। इसके लिए दर्शकों को ऊंचे पोल पर महंगा बूस्टर युक्त एन्टीना लगाना पड़ता है जिससे कि वे दूरदर्शन का

संतोषजनक प्रसारण देख सकें। हाल ही में प्रारम्भ किया गया मेट्रो चैनल अल्लपी के दूरदर्शन पर नहीं दिखता। अल्लपी में मेट्रो चैनल हेतु एक ट्रांसमीटर लगाये जाने की बहुत मांग की जा रही है। मेट्रो चैनल पर लगने वाली पूंजी और अवसंरचना काफी कम है अत: इसे शीघ्र ही स्वीकृत किया जा सकता है।

(चार) उड़ीसा में राउरकेला-बिमलागढ़ तालचेर रेल संपर्क लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उड़ीसा में राउरकेला-बिमलागढ़-तालचेर रेल संपर्क लाइन के निर्माण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उड़ीसा के लोग इस रेल संपर्क लाइन के निर्माण के लिये विगत 30 वर्षों से मांग करते रहे हैं। इस रेल संपर्क लाइन के निर्माण से तटवर्ती उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इस रेल संपर्क लाइन के फलस्वरुप तटवर्ती उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा के अंतवर्ती क्षेत्रों के बीच विशेषकर राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और इस्पात नगर राऊरकेला के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो सकेगा। चूंकि इस लाईन के लिए सर्वेक्षण कार्य काफी पहले ही पूरा किया जा चुका है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान इस लाइन का निर्माण पूरा करने पर विचार करे।

(पांच) बिहार में बरौनी और पूर्णिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनिल कुमार यादव (खगरिया) : राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के बरौनी-पूर्णियां तक की सड़क का चौड़ीकरण एवम् मजबूतीकरण करने की अति आवश्यकता है क्योंकि भयंकर बाढ़, वर्षा एवम् वाहनों की बढ़ती संख्या से यह सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गई है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बरौनी से पूर्णियां तक राजमार्ग संख्या 39 को चौड़ा करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर को जलपाईगुड़ी से जोड़ने के लिए टेटुलिया गलियारा खोले जाने की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर बंगाल और इसके आस-पास रहने वाले लोगों की टेटूलिया गलियारे को खोलने की उचित मांग की ओर दिलाता हूं। जिससे कि बरास्ता बंग्लादेश कम दूरी वाले मार्ग की व्यवस्था हो सके। सिलीगुड़ी के बरास्ते जलपाईगुड़ी से दिनाजपुर जिला के चोपडा की दुरी 110 किलोमीटर है जबकि बंग्लादेश के टेटुलिया गलियारा के बरास्ते इन दोनों स्थानों की दूरी मात्र 27 किलोमीटर ही है। यदि इस रास्ते को खोल दिया गया तो न केवल दूरी कम हो जाएगी अपितु ईंधन की अत्यधिक कम खपत होने के कारण विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। यदि इस रास्ते को खोल दिया गया तो समस्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र को सीधे लाभ पहुंचेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परियोजना राष्ट्रीय हित में है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिनाजपुर को जलपाईगुड़ी से जोड़े जाने हेतु उपर्युक्त रास्ते को यथाशीघ्र खोलने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाए।

(सात) तमिलनाडु के इरोड और मोहुदन रेल फाटकों पर ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. के. पी. रामालिंगम (तिरुचेगोडे) : दक्षिण रेलवे में, विशेषकर पेरियार जिले के प्रमुख शहर इरोड, जिसकी जनसंख्या चार से पांच लाख के करीब है, अनेक ऐसे भूमिगत रेल उप मार्ग हैं जहां उपरि पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। वहीं एक ऐसा रेल फाटक है जिस पर यातायात का भारी दबाव होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं। यह इरोड-पलानी मार्ग पर है। इससे कार्यालय जाने वाले लोग और दूर की यात्रा करने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। इसी तरह, मोहुदन-जवाही मार्ग पर इदापड्डी में एक रेल फाटक है जहां पर शीघ्र ही एक रेलवे उपरि पुल के बनाये जाने की आवश्यकता है।

अत:, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि लोगों की आवश्यकता को देखते हुए वह इरोड और मोहुदन-जवादी मार्ग पर रेलवे उपरि पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें और तिरुचेगोडे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, तमिलनाडू के लोगों की समस्या का समाधान करें और इरोड में एक नया रेलवे डिवीजन भी बनाया जाए।

[हिन्दी]

(आठ) देश के विभिन्न भागों में मछुआरा समुदाय के समूहों के उपसमूहों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मछुआ समुदाय की उपजातियां दिल्ली में मल्लाह; उत्तर प्रदेश में मलवार, गोंड, सुरेहा, बस्ती जिले में केवट; बिहार में गोंड केलदार; मध्य प्रदेश में चांवर, माश्री, मलवार; उड़ीसा में जीवनर (केवर); गोवा में नायका; गुजरात में कोली, राजगोंड कर्नाटक में भोवी, गोंड, राजगोंड; महाराष्ट्र में कोली, रोजगोंड टोकरे, मल्हार; मेघालय में केवती, जलिया, जालो मालो भाई, सिक्किम में माली; पश्चिम बंगाल में मल्लाह, बिन्द, केवट तियार, केवती, गोंड; राजस्थान में कोली, डोर, टोकरा, बोली; केरल में धीवर आदि विभिन्न राज्यों

में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्ति जाति की श्रेणी में है। इनकी पर्यायवाची जातियों को आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। उन्हें पिछड़ी जाति की श्रेणी में माना जा रहा है, जबकि मछुआ समुदाय की उक्त सभी पयार्यवाची जातियों का पेशा मछली पकड़ना, नाव चलाना, जाल बुनना, मछली शिकार पकड़ना तथा सिंघाड़े लगाना आदि जल जलाशय से संबंधित है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति बहुत ही खराब है। ज्यादातर अशिक्षित होने के कारण नदियों, जलाशयों, समुद्र तटों के किनारे झुग्गी-झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण देश में मछुआ समुदाय की सभी पर्यायवाची जातियों को राज्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्ति जाति के जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सभी राज्य सरकारों को अविलम्ब आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपराह्न 2.23 बजे

[अनुवाद]

संविधान (इक्यासीवा संशोधन) विधेयक–जारी

(नये अनुच्छेद 330क और 332क का अंत:स्थापना)

अध्यक्ष महोदय : संविधान (इक्यासींवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया था और हमने पहले ही 35 मिनट अधिक समय लिया है। मेरे पास कई नाम हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप कृपया इसे पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप अन्य दलों को बोलने के अवसर से वंचित नहीं कर सकती हैं। अच्छा होगा यदि प्रमुख दल, जिनके दो-तीन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है अब अन्य छोटे दलों को अवसर दें।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इसे अपराह्न 3.30 बजे, जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक लिये जाएंगे, से पहले पारित किया जाना चाहिए।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अच्छा हो यदि आप आज मतदान का समय घोषित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप निर्णय करें।

श्री पी. आर. दासमुंशी : हमें व्हिप जारी किया गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हमने प्रश्न काल को इसलिए स्थगित किया ताकि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जा सके, फिर कुछ परिवर्तन हुए। सरकार को बताना चाहिए कि इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं।...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : मुझे अन्य सदस्यों के बारे में पता नहीं है। **(व्यवधान)** हम इस विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं। केवल महिला सदस्य बोलेंगी। चूंकि कांग्रेस के सदस्यों को व्हिप जारी किया गया है, यदि आप हमें मतदान का अनुमानित समय बता दें तो हम ग्रंथालय में थोड़ा कार्य कर लेंगे और वापस आ जाएंगे **(व्यवधान)** हम लम्बे समय तक इस तरह से कार्य नहीं कर सकते। आप कृपया हमें बताएं कि क्या एक या दो घंटे में यह निपट जाएगा। हमें व्हिप जारी किया गया है। इसीलिए मैंने आपसे मतदान का अनुमानित समय बताने का आग्रह किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं यह कहूं कि मंत्री जी अपराह्न तीन बजे उत्तर देंगे?

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी तीन बजे उत्तर देंगे। कल मैंने मंत्री जी से पूछा कि वह कितना समय लेंगे। उन्होंने कहा कि वह 10 से 15 मिनट लेंगे।

...**(व्यवधान)**

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : इसमें केवल पांच मिनट लगेंगे। **(व्यवधान)**

डा. के. पी. रामालिंगम (तिरुचेंगोडे) : यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है, प्रत्येक सदस्य इस चर्चा में भाग लेगा। द्रमुक, तमिल मनिला कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। आप कृपया हमें बोलने का समय दें।

डा. गिरिजा व्यास : तीन बजे गिलोटीन किया जाएगा और प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। वह ऐसा पांच मिनट में कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा। आपको बोलने का अवसर मिलेगा, अब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे।

...**(व्यवधान)**

डा. के. पी. रामालिंगम : वह पहले ही अपना भाषण दे चुके हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मुझे आपके सामने दो बातें इस पर कहनी हैं। कल जब यह विधेयक यहां पर

प्रस्तुत किया गया तो सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल इसको यहां पर प्रस्तुत किया था। अब पता नहीं कि उनके नाम पर आर्डर पेपर पर लिखा हुआ था या कानून मंत्री के नाम पर लिखा हुआ था, क्योंकि विधि मत्री जी की तरफ से ही बिल पेश होना चाहिए था। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत उत्साहित होकर कानून मंत्री जी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली तो मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं कहना है। हम यह मानते हैं कि यह जो यहां पर विधेयक आया है यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। इस विधेयक पर इस सदन में गंभीरतापूर्वक बहस होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं कि इस सदन में किसी भी दल की इस विधेयक के बारे में कोई अलग राय है। हर दल के मेनिफेस्टों में किसी न किसी रूप में यह कल्पना व्यक्त हो चुकी है, लेकिन पार्टियों के मेनिफेस्टों में यह चीज छप कर आना एक चीज है और पार्टियों की तरफ से अपनी-अपनी राय पर विस्तार में इस सदन में दर्ज होना, यह एक अलग चीज है।

महोदय, मैंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और ऐतिहासिक विधेयक का यह मतलब नहीं कि इस सदन में यह विधेयक इस क्षण अगर पास न होता हो तो फिर इतिहास, जैसे कि कुछ खत्म ही यहां पर होना है, इस प्रकार का कोई भी एक हालात को पैदा करना है। अब इस विधेयक में देखिए, आप बार-बार 81 अमेंडमेंट कह रहे हैं और इसमें भी 81 अमेंडमेंट ही लिखा है। इसलिए आप ठीक पढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक संशोधन कानून मंत्री जी की ओर से भी आया है। लिस्ट नम्बर वन, और इसमें यह अमेंडमेंट है।

[अनुवाद]

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"इक्यासीवां" के स्थान पर "उन्यासीवां" प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

यानि कौन सा अमेंडमेंट है यह भी इनके केबिनेट को मालूम नहीं था, जब प्रधानमंत्री जी यहां पर खड़े होकर पढ़ने लगे। केबिनेट है, इतना बड़े सेक्रेटेरियट है, इतनी बड़ी भारत सरकार आपके पीछे है और आप कानून को यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर खड़े होकर रख रहे हो और अमेंडमेंट 81 करके रख रहे हो, जब कि वह 79 अमेंडमेंट है, यह बात कोई हल्की नहीं है। इस सदन के साथ इस प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिए। यह इस सदन के साथ मजाक है। महोदय, आगे देखिए कि आज विधि मंत्री का संशोधन आता है अध्यक्ष जी, आगे आकर देखिए। आप विधि मंत्री का संशोधन आता है, जिसमें आप कह रहे हैं,

[अनुवाद]

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"इक्यासीवां" के स्थान पर "उन्यासीवां" प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

लेकिन आपको यह याद नहीं आया कि कानून का नाम अभी भी ज्यों का त्यों है कांस्टीट्यूशन 81 अमेंडमेंट बिल। उस पर आपने अभी तक अमेंडमेंट भी नहीं दिया है।

अब अगर मैं अध्यक्ष जी यह कहूं कि यह विधेयक एब-इनिशिओ गलत है क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि 81वां अमेंडमेंट बिल है तो यह बिल एब-इनिशिओ वॉइड हो जाता है-यह कहने में हमारी कोई गलती या गुनाह नहीं होगा। अब अगर कोई यह कहे कि यह टाइप की गलती है तो मैं यह कदापि मान नहीं सकता हूं। यह टाइपोग्राफिकल गलती नहीं है। कानून मंत्रालय के पास सब कुछ जानकारी होती है। तो क्या कानून मंत्रालय को यह मालूम नहीं कि यह कौन सा संवैधानिक अमेंडमेंट है। हम लोग अभी तक 78वें संशोधन पर थे और अब 79वें पर आ रहे हैं, क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं रही होगी। मैं समझता हूं कि इतनी तेजी से प्रधान मंत्री को दौड़ना नहीं चाहिए कि तीन चार संवैधानिक संशोधनों को छोड़ कर आप सीधे 81वें पर पहुंच जाएं। आप कहें कि हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अध्यक्ष जी, हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे एक प्रकार की लापरवाही दिखाई दे रही है, इसमें मुझे किसी प्रकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। आप कहें कि इस बिल को पास करना है, जल्दी करो, हाउस एडजोर्न हो रहा है, तत्काल पास करो और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर कहें कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाकर आए हैं, महिलाओं को सब कुछ दे रहे हैं। मगर इसमें कितना झूठ है, वह इसी कानून से मालूम होता है। इसकी ड्रॉफ्टिंग के मामले में ही नहीं बल्कि आप इसका सैक्शन 4 पढ़िये। सैक्शन चार में क्या है? धारा 4 में बताया गया है:

[अनुवाद]

इस अधिनियम द्वारा संविधान में किया गया संशोधन, इस अधिनियम के [illegible] होने के समय विधिमान लोक सभा अथवा विधान सभा [illegible]स्थिति, के भंग होने तक लोक सभा अथवा किसी [illegible] विधान सभा में लोक प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं [illegible]

[हिन्दी]

[illegible] मानकर चलते हैं कि प्रधान मंत्री और उनकी 13 पार्टियां [illegible] आपकी 14वीं पार्टी सब मिलकर इस संसद को 5 साल

चलाना चाहते हो। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल तक आप महिलाओं को इस सदन में आने देना नहीं चाहते। यह बात इसी में लिखी है। मैं यह मानकर चलता हूं कि प्रधान मंत्री जो कर्नाटक विधानसभा के भी अभी सदस्य हैं उनके मन में यह बात नहीं होगी कि कर्नाटक की विधान सभा तत्काल हमको भी भंग करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को वहां लाना है। मैं मानता हूं कि उनके मन में इस प्रकार का विचार नहीं होगा, भले ही सोच उनकी कर्नाटक पर ही केन्द्रित हो, लेकिन ऐसा सोचा तो नहीं होगा। अपने और प्रदेश के साथियों से और बंगाल के साथियों से भी उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि हम लोग कानून पास करने जा रहे हैं, इसलिए आपको विधान सभा भंग करनी चाहिए और फिर आपको एक-तिहाई महिलाओं को वहां लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं तो फिर इतनी जल्दी किसलिए है? यह उत्तर प्रदेश के लिए है।...(**व्यवधान**)

अपराह्न 2.33 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

आपके कानून में अगर यह नहीं लिखा होता तो मैं आपको शक का लाभ दे देता लेकिन अब तो मैं आपको शक का लाभ भी नहीं दे सकता। क्या इसके माध्यम से महिलाओं का कल्याण करने की कोई बात थी या आपको किसी बड़े दर्शन का साक्षात्कार हुआ था, यह बात भी मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपने उसमें सीधे लिख दिया है कि यह लागू नहीं होगा। आप रोज यहां कह रहे हैं कि यह संसद पांच साल चलेगी। आपके सारे समर्थक और आपके साथ जुड़ी हुई 13 पार्टियां कह रही हैं कि 5 साल हमारी सरकार चलनी है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यह जल्दबाजी का आग्रह किसलिए है? अगर आज शाम 5 बजे तक पास नहीं होता है तो आसमान टूटने वाला है, इतनी जल्दी किसलिए? यह आपका तरीका क्या है?...(**व्यवधान**) समता पार्टी में विभाजन हो जाएगा तो हम फिर जुड़ जाएंगे। आपमें से कुछ लोगों को लेने के लिए भी हम तैयार हैं।...(**व्यवधान**) आप में से कुछ लोग आ सकते हैं। हम लोग आपके बारे में विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, हम इस विधेयक के पक्ष में अपना भाषण कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि हमने इस विधेयक को बहुत विस्तार से, इस सदन के पहले सत्र में, पहले ही दिन जब प्राइवेट मेम्बर बिल पेश करने का मौका मिला था, यह विधेयक हमने इस सदन में पेश किया है। मेरा विधेयक इस सदन में है और इसलिए हम को इस पर कोई नयी बात न सुनानी है और न कुछ कहने की जरूरत है। हमने विधेयक क्यों पेश किया, इसके तर्क हमने दिये हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स में हमने बहुत विस्तार से तर्क दिये हैं। आपके वह तर्क नहीं हैं क्योंकि आपने इस पर सोचा नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। कानून को सही ढंग से कैसे ड्राफ्ट करके यहां पर लाना है, इन सब चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं है। चूंकि अमल करने की बात नहीं है। साढ़े चार साल यहां पार्लियामेंट चल सकती है, यह आपकी खुद की भावना है और विधान सभाओं की भी स्थिति वही है कि कहीं भी चुनाव आज के दिन नहीं हैं। अगर सबसे पहले किसी विधान सभा के चुनाव होंगे तो वह पंजाब के हैं। मैं नहीं मानता हूं कि प्रधान मंत्री इलैक्शन कमीशन को ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हम एक नया विधेयक पारित कर सकते हैं इसलिए आप चुनाव को स्थगित करके 33 प्रतिशत महिलाओं का फिर से मानांकन करके फिर से चुनाव करें। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में ऐसा कोई इरादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक पर गंभीरतापूर्वक सदन में बहस होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सदन में जितने भी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, वे इस बहस से क्यों भाग रहे हैं? यह एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं को इस देश में कितने साल इसके लिए लड़ना पड़ा और केवल महिलाएं ही नहीं लड़ीं। राजनीतिक दल इन चीजों पर अपने-अपने ढंग से प्रयास करते रहे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों में इस चीज के बारे में जो भी मानसिकता रही हो, जो भी सोच रही हो, उसके चलते ऐसा विधेयक आने में देर हुई है। इस विधेयक को सत्र के अंतिम दिन पारित करके हम दुनिया को यह नहीं बता पाएंगे कि हिन्दुस्तान की महिलाओं को ऐसे विधेयक का निर्माण करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमारे समाज में किस प्रकार की व्यवस्था है, वह महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है और इतनी भारी लड़ाई के बाद आज ऐसे मोड़ पर आकर देश की महिलाएं खड़ी हैं, भविष्य को देखने का उनका क्या दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें इस सदन के रिकार्ड पर मैं कहना चाहता हूं। इस सदन के काम का मतलब यह नहीं है कि हमने यहां पर भाषण दिया, कल अखबारों में दो लाइन आ गई और हमारा समाधान हो गया कि हमारा भी नाम अखबारों में आया है। हमारी बात देश के सामने गई है। इस सदन में जो बहस होती है, इसका एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द लिखा जाता है। यह सदन इतिहास बनाने वाला सदन है और यह कानून इतिहास बनाने वाला कानून है और हम चाहेंगे इस सदन की जितनी महिलाएं हैं जो आज इस सदन में हैं, आज से बीस साल के बाद हममें से बहुत लोग इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, लेकिन किसी दिन हिन्दुस्तान की महिला-मुक्ति के आंदोलन का इतिहास लिखने के लिए जब कोई खड़ा होगा तो वह इस सदन की तरफ भी देखेगा और इस सदन में इस मसले को पारित करते हुए सदस्यों ने क्या-क्या सोचा था, क्या-क्या कहा था, देश की महिलाओं की क्या समस्याएं थीं और उनके मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ा था, ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि इस सदन के रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिएं ताकि भविष्य में देश का या दुनिया का कोई भी इतिहासकार जब हिन्दुस्तान की स्त्री मुक्ति के आंदोलन के बारे में कुछ लिखना या समझना चाहेगा तो उसके सामने इस सदन के, इस 11वीं लोक सभा के इस सत्र के या अगले जिस सत्र में यह पास होगा, उसकी कार्यवाही को देखकर

वह इसे समझ सकेगा। इस मसले पर इस देश की लोक सभा के सद्सयों के किये हुए काम की वह तारीफ करेगा। इसलिए हमारा इस विधेयक के बारे में सुझाव यह है कि यह विधेयक पास होना चाहिए लेकिन जिस तरह से प्रधान मंत्री चाहते हैं और जिस नीयत से चाहते हैं उस नीयत से नहीं। यह विधेयक हम सब की राय इस सदन में दर्ज करके पारित होना चाहिए और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर और कोई भी कारण न हो तो जिस रुप से इसको पेश किया गया है, 81वें संशोधन के रुप में, इसी जुमले के आधार पर इस विधेयक की बहस को समाप्त किया जाए और नये सिरे से इस विधेयक को सदन में लाने के लिए सरकारी पक्ष को कहा जाए। इतना ही आज मुझे इस पर कहना है।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अमेंडमेंट के बारे में बोलना है या बिल के बारे में?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संशोधन के बारे में बोलूं या विधेयक के बारे में?

***उपाध्यक्ष महोदय** : बिल के ऊपर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, कल की कार्यसूची के अनुसार माननीय विधि मंत्री, श्री रमाकान्त डी. खलप ने विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव पेश करना था लेकिन इस विधेयक को परसों ही परिचालित किया गया था। हमें इस विधेयक के उपबन्धों को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला है। हमने सोचा था कि विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा और कुछ समय पश्चात्, इस पर विचार किया जाएगा।

कल प्रश्न काल के दौरान केवल एक प्रश्न का ही उत्तर दिया गया था कि अचानक महिला सदस्यों ने एक साथ मांग की कि विधेयक पर विचार किए बिना ही इसे पारित किया जाना चाहिए। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और उनकी यह मांग कि इस संशोधन को बिना विचार-विमर्श के पारित किया जाए आश्चर्यचकित करने वाली बात है और वह भी जबकि कुछ विद्वान संसद सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया है। तो इस माननीय सदन का क्या महत्त्व रह जाता है?

लोगों के प्रतिनिधियों के रुप में यहां आने के बाद यह सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम प्रत्येक संशोधन अथवा विधेयक, जिसे हम पारित करना चाहते हैं, को पूरी तरह से जांचें, उस पर विचार करें और फिर कोई अंतिम निर्णय लें। मैंने देखा कि सभी लोग राजनैतिक लाभ पाने के लिए, इस देश की महिलाओं की सहानुभूति और मत प्राप्त करने के उद्देश्य से यह मांग कर रहे थे। महिलाओं की अधिकाधिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

पहले प्रश्न काल और शून्य काल को रद्द कर दिया गया। बाद में, प्रधानमंत्री जी विधेयक लेकर सदन में आए। विधि मंत्री, श्री खलप विधेयक पुर:स्थापित करने वाले थे परन्तु सारे सदन ने मांग की कि प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य विधेयक पुर:स्थापित नहीं करेगा। ऐसी मांग करना उचित ही था और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अत: उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया। परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि विधेयक पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाए। तब मैंने उठकर कहा कि हम भी विधेयक का समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हमारा इरादा इसका विरोध करने का नहीं है, परन्तु सदन में हम जो भी काम करें, वह उचित ढंग से दिमाग लगाकर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्त्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस सदन में 287 नये सदस्य हैं जो पहली बार सदन में आए हैं। उनमें से अधिकांश को सदन की प्रक्रिया के बारे में समझ नहीं है। उन्होंने इस विधेयक को पढ़ा भी नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान) : ऐसा मत कहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। उन्हें बोलने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कोई गंभीर बात नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं एकदम अलग बात कर रहा हूं। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें...**(व्यवधान)**

श्री बलाई चन्द्र राय : पहले आप यह समझिये कि आप क्या कह रहे हैं।....**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या आपने विधेयक समझ लिया है? ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है...**(व्यवधान)** पर कई सदस्यों को प्रक्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।...

...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं कई संसद सदस्यों से मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विधेयक को नहीं पढ़ा है। यह एक सच है। कई सदस्यों ने कहा कि उन्होंने विधेयक को देखा तक नहीं है।

यदि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को देखा है तो अच्छी बात है। वह अध्ययनशील सदस्य हैं और इन्होंने इस विधेयक को समझा है। मैं इन्हें बधाई देता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समय का सदुपयोग करें। सर्पोतदार जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें.

...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, मेरा वक्तव्य प्रामाणिक है।

मैंने ऐसा कुछ नये संसद सदस्यों के साथ बात करके ही कहा है। यदि मेरी बात गलत है तो वे मुझे क्षमा कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूं। सभी सदस्य समान हैं। मैं किसी माननीय सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। यह मेरा काम नहीं है। मैं केवल अपना वक्तव्य दूंगा। ...(**व्यवधान**) मैंने केवल यही कहा है...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

(**व्यवधान**)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : यदि आप संतुष्ट नहीं है तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं?...(**व्यवधान**)

आज सुबह मुझे एक कागज मिला, जैसाकि माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज ने बताया...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पूरा करें; मंत्री जी को अपराह्न 3 बजे उत्तर देना है।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : नहीं महोदय, मैं विधेयक पर बोल रहा हूं। कोई भी मुझ पर समय की पाबन्दी नहीं लगा सकता क्योंकि मैं विधेयक पर बोल रहा हूं...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें।

...(**व्यवधान**)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, कृपया मुझे कुछ बातें बताने दें। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूँ।

कल परिचालित किया गया विधेयक संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक था। परन्तु आज मुझे एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि यह इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक नहीं है बल्कि इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक है। उन्होंने विधेयक का नाम भी नहीं बताया है। मैं समझ सकता हूं कि वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए वायदे को पूरा करने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया गया था। इसीलिए उन्होंने इस विधेयक को तैयार किया और अब यह पुर:स्थापना के लिए सभा के समक्ष आया है। इस विधेयक का उद्देश्य दो नए अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क को अन्त:स्थापित करना है।

यह लोक सभा तथा विधानसभाओं की सीटों के लिए है।

मैं जानता हूं कि कल सभा में किस ढंग से सारी कार्यवाही शुरु हुई थी। उसके पश्चात् बाकी सारे कामकाज को रद्द किए जाने का निर्णय किया गया था। हमने इस पर सभा में चर्चा शुरू की थी। मैं कल रात 8.15 तक यहीं बैठा था। मैं समझा कि हम शायद इस विचार विमर्श में भाग लेंगे जिससे हम जीत जाएंगें। क्या आप जानते हैं कि सभा में कितने लोग थे? इनमें से, जिन्होंने सुबह अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई थी, सभा में 50 प्रतिशत लोग भी नहीं थे।

जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यहां पर सुबह उपस्थित सभी महिलाएं रात में 8.15 पर उपस्थित नहीं थीं। तथापि जो वहां थीं मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि वह उनके हित में था। मैंने इस विधेयक को देखा है। विधेयक को पुर:स्थापित करते हुए माननीय विधि मंत्री जी ने कहा था कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। हम इस सभा में एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा था। मैं नहीं जानता कि वह कैसा ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी कि वह यह देखें कि महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। लेकिन वे उसमें बुरी तरह असफल रहे।

अब आप कह रहे हैं कि आप ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते थे उसे आप विधि के अन्तर्गत प्रावधान कर प्राप्त नहीं कर सके। आप इसे अब क्रियान्वित करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि यह आप केवल कानूनी तौर पर कर रहे हैं दिल से नहीं। किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान नहीं है कि महिलाएं किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकती, मतदान में भाग नहीं ले सकती और केवल पुरुषों को ही निर्वाचन में हिस्सा लेना चाहिये और मतदान में भाग लेना चाहिये। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी पार्टी कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं। वह भी निर्वाचित हो सकती है। इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। परन्तु किसी तरह इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है केवल इससे भयभीत होकर कि कहीं वे निर्वाचित न हो जाएं, इस प्रकार उन्हें अलग-थलग कर दिया गया था। यह एक गलत बात थी। यह पुरुषों की विफलता थी न कि महिलाओं की। हम यह कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं और सारी दुनिया इसकी ओर देख रही है। इस प्रकार जो गलतियां हमने अतीत में की थी उन्हें अब सुधार रहे हैं।

दहेज संबंधी मामलों के लिए भी अन्ततः हमें बाध्य होकर इसे अधिनियमित करना होगा। मद्य निषेध के लिए, गांधीजी सहित हमने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया कि लोग शराब न पियें।

[हिन्दी]

शराब नहीं पीनी चाहिये।

[अनुवाद]

हम बुरी तरह असफल रहे। अन्ततः हमनें एक कानून बनाया और मद्य निषेद के कारण पूरा देश और अधिक नशे की लत में पड़ गया। केवल मद्यनिषेध के कारण ही कुछ लोगों ने और अधिक शराब पीना शुरु कर दिया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो हम सामाजिक रुप से विधि में प्रावधान को बनाकर प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मुझे अत्यधिक खेद है। हम लोग अधिकाधिक महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं।

हमारा तर्क यह नहीं है कि हम महिलाओं को राजनीति की अगली पंक्ति में नहीं लाए। हमने यह कार्य आज नहीं बल्कि 20 वर्ष पहले ही शुरु कर दिया था। हम लोग महिलाओं को भी टिकटें देने लगे थे। उस समय विधि में एक प्रावधान था। परन्तु फिर भी हमने निर्णय लिया था कि महिलाओं को भी समान रुप से आगे आना चाहिए क्योंकि वे भी अपने समाज का अभिन्न अंग हैं। वे भी समान रुप से जिम्मेदार हैं, समान रुप से बुद्धिमान हैं, समर्थ हैं। मात्र एक महिला आगे बढ़ी थी। और ग्यारह वर्ष वह प्रधानमंत्री रही। उस समय इस देश में सभी पुरुषों की दशा और स्थिति क्या थी?

वे कांपते थे...(**व्यवधान**)....एक दुर्गा आई थी....(**व्यवधान**)... मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं कह रहा हूं। महोदय, लोग कांपते थे। कल जब कार्य की इस मद विशेष पर चर्चा में माननीय सदस्य सुषमा जी ने भी इस चर्चा में भाग लिया था। जो लोग कांपते थे उन्होंने जान लिया था कि वह मन्त्र कैसा था।

श्री एस. बंगारप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुतः वह कांपना कैसा था।

श्री मधुकर सर्पोतदार : जो कांप रहे थे वह इसे जान गए हैं और मैं उन्हीं के लिए यह कह रहा हूं....(**व्यवधान**)

श्री एस. बंगारप्पा : मैं किसी व्यक्ति का विशेष रुप से उल्लेख नहीं करना चाहता। (**व्यवधान**)...क्या वह किसी लोगों समूह विशेष को या उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : जो कांप रहे थे वह इसको जान गए हैं। अन्य लोग इसका गलत अर्थ न लें। यही मैं कहना चाह रहा हूं।

कल चर्चा में भाग लेते समय मैं शांतिपूर्वक सुषमा जी को – उनके दृष्टिकोण, उनकी अभिव्यक्ति के ढंग को तथा उनके आक्रमक भाषण को सुन रहा था। मैंने सोचा कि यहां जो बैठे थे वे सारे महिषासुर हैं और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा यहां पर बोल रही है। मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा था। वह एक आक्रामक भाषण था। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अपनी बात को स्थापित करने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने को उस ढंग से प्रस्तुत करें। परन्तु सौभाग्यवश मुझे उसके पश्चात् गिरिजा जी को सुनने का अवसर मिला। एक देवी मर्दिनी ने अपने को अभिव्यक्त किया और इसके पश्चात् मैंने मंच पर गिरिजा जी को देखा जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किया...(**व्यवधान**) तीन देवियों का नाम लिया गया था। वे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा थी। मैंने यहां पर दुर्गा जो कि सुषमा जी हैं, को देखा और मैंने सरस्वती को वहां पर देखा। परन्तु मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा था। परन्तु वह मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी है। यह हमेशा होता है कि जब भी हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी दूर भागती है। यह हमेशा होता है...(**व्यवधान**)...

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यहां क्या हो रहा है? इसका विधेयक के साथ क्या सम्बन्ध है?....(**व्यवधान**)...

श्री मधकुर सर्पोतदार : कल जब यह विधेयक लाया गया था तब किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की थी तथा जब मैं इन नामों के बारे में बोलने लगा तो मैं नहीं जानता कि आप लोग इसके बारे में असन्तोष क्यों प्रकट कर रहे हैं। जबकि मैं विधेयक पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मुझे कुछ बातें ही कहनी हैं, उन्हें कहकर मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जब दूसरे सदस्य बोलते हैं मैं कभी व्यवधान नहीं डालता हूँ। मैं शांतिपूर्वक बैठकर रात 8 बजे तक उनको सुन रहा था...(**व्यवधान**) कृपया मुझे भी कुछ देर सुनिए। धैर्य देखिए। मैं न तो किसी पर आरोप लगा रहा हूं और ना ही विधेयक के विरोध में बोल रहा हूं। मैं तो केवल महिलाओं का समर्थन करने की कोशिश कर रहा हूं परन्तु मेरा तरीका अलग है....(**व्यवधान**) जब सभा में यह मांग उठाई गई थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय को एक घण्टे के लिए सभा को स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। हमने इस मामले पर नेताओं की बैठक में चर्चा की थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और परिचर्चा शुरू हुई थी तथा कई सदस्यों ने परिचर्चा

में भाग लिया था। महाराष्ट्र में हमने इस आरक्षण को 1990 में लागू किया था तब श्री शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। मैं भी विधान सभा का सदस्य था। उस समय भी मैंने यही विचार व्यक्त किए थे।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके लिए एक कानूनी व्यवस्था के बजाय, हमें पूरे समाज को विश्वास में लेकर उसमें धीरे-धीरे और क्रमिक रुप से परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए; पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन लाकर। हमें उन्हें जीवन की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : पचास साल बीत गए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं जानता हूं पचास साल बीत गए हैं और उसके लिए मैं पुरुषों को दोष दे रहा हूं न कि महिलाओं को। मैं भी एक पुरुष हूं अत: स्वाभाविक रुप से मैं स्वयं को भी दोष दे रहा हूं।

महोदय, कल मैंने एक बात और नोट की और वह इस विधेयक को लाने में जल्दबाजी है। इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में लाना क्यों आवश्यक था? यदि इस विधेयक को लम्बित रखा जाता या स्थगित रखा जाता या किसी प्रवर या स्थायी समिति को सौंपा जाता तो क्या देश पर पहाड़ टूट जाता, तथा फिर इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाया जाता? यही बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। प्रत्येक वर्ग को इसमें शामिल करने तथा उचित विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को लाया जाना चाहिए। आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल किया गया है किंतु अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में क्या स्थिति है जिन्हें इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है? मेरा माननीय प्रधान मंत्री सदन के नेता से विनम्र निवेदन है कि ऐसा उपबंध भी किया जाना चाहिए क्योंकि हमें किसी विधेयक को टुकड़ों में पुर:स्थापित नहीं करना चाहिए। आज हम जो कुछ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं वह जल्दबाजी की द्योतक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार : कल जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा वह मैंने भी सुना है।

[हिन्दी]

हिन्दी में इन्होंने कहा कि पुरुषों की मानसिकता बदलनी चाहिए। क्या कानून से यह अचीव कर सकते हैं, यह मेरा सवाल है।

[अनुवाद]

क्या इस उपबंध को इस विधेयक में शामिल कर,

[हिन्दी

मानसिकता बदलने में हम क्या कामयाब होंगे, क्या कानून हमारी मानसिकता बदल सकता है? हमने कानून से क्या अचीव किया है?

[अनुवाद]

इसी प्रश्न को मैं इस माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इस देश की संस्कृति कई बचनों के साथ जुड़ी हुई है। 'जब नारियस्य पूंजते। रमन्ते तत्र देवता:।' ऐसा हमारे देश में कहा जाता है। हकीकत में क्या होता है, यह अलग बात है। अगर हकीकत में नहीं होता तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति हम अपने देश में आदर नहीं रखेंगे तो 33 प्रतिशत करने के बाद भी जो अन्य जगहों पर चल रहा है, यहां भी चलेगा।

[अनुवाद]

मैंने अच्छी तरह देखा है कि आरक्षण प्रदान करने से क्या हुआ है। विभिन्न निकायों, नगर परिषदों, ग्राम पंचायतों और निगमों के लिए अनेक महिला उम्मीदवार चुनी गई और हमने इन निकायों का कार्य संपादन भी देखा है, मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं और जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा किंतु इस संबंध में हमारे अनुभव अच्छे नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए?

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार : हमारी साथी उमा भारती जी ने बहुत अच्छा बयान दिया।

[अनुवाद]

महोदय मैं उमा भारती जी के बयान की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

सब कुछ न्यौछावर करने की बात हमारे प्रति जो भावना रखती हैं, हिन्दू संस्कृति की महानता जिनके हर लफ्जों में प्रतिबिम्बित

होती है, पिछड़े समाज के प्रति जो प्रयास करने का इरादा व्यक्त करती है, क्या यह देश की विचारधारा नहीं है, क्या इससे हमारा सिर ऊंचा नहीं होगा यह मुझे सदन से पूछना है? बहुत अच्छे लफ्जों में उन्हें जो कुछ कहना था, उन्होंने कह दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने हमेशा अच्छा प्रयास किया है। हम महिलाओं के लिए कानून बनाने के विरोधी नहीं हैं। हमारा प्रयास परिस्थितियों को बदलना है।

[हिन्दी]

हम लोगों को पुरुषों की मानसिकता को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम महिलाओं को इस तर्क को लाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर यह बिल यहां सदन में मंजूर होता है। ऐसा नहीं है कि हम विधेयक के विरोध में मत देंगे। हम विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। मैंने अपने विचारों को इस माननीय सदन के समक्ष रखा है और मुझे आशा है कि पूरी सभा उन्हें समझेगी मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को विशद विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति या प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसके पश्चात् एक व्यापक विधेयक लाया जा सके। धन्यवाद।

अपराह्न 3.06 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तीन बज गए हैं। अब मुझे क्या करना है।

...(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय इस विधेयक पर सभी पार्टियों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हम को बोलने का मौका देना चाहिए। सारी दुनिया इस बात को देख रही है और हम इस के माध्यम से इस सरकार की पोल खोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके से यह बिल सदन में लाया गया है। सब लोगों को दो-दो, पांच-पांच मिनट बोलने का मौका देना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सब को पांच मिनट बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि तीन बजे मंत्री जी रिप्लाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : आप मंत्री जी को जवाब देने के लिए बुलाइये...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई कहता है कि इस विधेयक को अभी पारित किया जाय और कोई कहे कि न करो तो मैं क्या कर सकता हूँ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बाकी बिलों में क्या करते हैं? जो समय रखा गया था, उससे ज्यादा समय हो गया है। तीन बज गए हैं, मंत्री जी जवाब दें। मोशन वोट के लिए सदन में प्रस्तुत करें।...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : ऐसे ही बहस करते रहे तो एक महीने लगेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : आप मंत्री को अपना उत्तर समाप्त करने के लिए और मतदान शुरु करने के लिए क्यों नहीं कहते है...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : सभी लोग यह सोच रहे हैं कि इस विधेयक को आज पारित किया जाएगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। कई अन्य पार्टियां भी विधेयक पर बोलना चाहती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप मतदान प्रक्रिया शुरु करवाइये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बाकी बिलों पर भी तो करते है। बी.ए.सी. में दो घन्टे का समय तय हुआ और साढ़े तीन घन्टे चर्चा हो गई। कितने घन्टे चर्चा और करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : ये माननीय सदस्या भी बोलना चाहती हैं, बताइए क्या करें।

(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष जी, हमें किसी भी तरह इस बिल को पास करना है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर दें। हम कितनी देर प्रतीक्षा करें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने बहुत ही अहम बिल आया है। इसकी अहमियत और इसकी नोयीयत का सब को एहसास है। इस बिल के बारे में कहा गया है, इस बिल की जरुरत इस लिए महसूस हुई कि खुवातौन की पूरी नुमाइन्दगी पार्लियामेंट और एसेम्बलीज में नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सोसायटी के हर वर्ग को, हर हिस्से को भरपूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इस कसौटी पर देखा जाए तो मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ओबीसी की नुमाइंदगी, माइनोरिटी की नुमाइंदगी खसूसी तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी काबिले रहम हालत के अंदर है।

महोदय, आजादी से लेकर आज तक जिस तरह माइनोरिटी और मुसलमानों के साथ जिन्दगी के हर शोबे के अंदर मामलात पेश आए हैं और गिरावट हुई है वह काबिले रहम है। मुझे तो अपनी बहनों से यहां यह उम्मीद थी, चूंकि ओ.बी.सी., माइनोरिटीस, मुसलमानों की हालत इनसे और भी ज्यादा काबिले रहम है। आज ऐसी भी लेजिस्लेटिव असेम्बली हिन्दुस्तान के अंदर मौजूद है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बातचीत मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपस में विचार विमर्श करने का स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश का हवाला देता हूं। मध्य प्रदेश असेम्बली में आज एक भी मुसलमान नुमाइंदगी करते हुए वहां नहीं है। यह काबिल रहम हालत है, महिलाओं और औरतों से भी ज्यादा काबिले रहम हालत हैं, इसलिए मैं अपनी बहनों के इंसाफ के जज्बे के साथ यह तवक्को रखता था कि वे आगे बढ़ती और कहती कि हमसे ज्यादा काबिले रहम हालत ओ.बी.सी., मुसलमानों और माइनोरिटीस की है। पहले उनको रिजर्वेशन दो, उसके बाद में हमारे बारे में सोचा जाए। लेकिन आज इंसाफ के पैमाने अलग-अलग नजर आ रहे हैं। हमारा मामला तो यह है, अगर मैं उन हालात को आपके सामने तफसील के साथ रखूं तो काफी वक्त की जरूरत होगी। लेकिन जो मुसलमत-मुसलसल गिरावट अकलियतों और मुसलमानों के मामलात के अंदर आती रही, हम तो शायर की जुबान में यह महसूस करने पर मजबूर हो गए कि-

> "ख्वाब में भी न सोचा था हमने कभी, ये आलम भी चमन में गुजर जाएगा,
>
> बागबां छीन लेंगे लिबास-ए-बहार और फूलों का चेहरा उतर जाएगा।"

आज यह हालत है कि कॉम्प्रीहेंसिव बिल की जरुरत है। एक ऐसे बिल की जरूरत है जो सोसाइटी के तमाम वर्गों के साथ इंसाफ करते हुए नज़र आए। यहां पर एक गैर दानिशमंद और इंतहाई बिला वजह की जल्दबाजी के साथ, जिसे हम कहते हैं,

[अनुवाद]

अदूरदर्शी और अनुचित जल्दबाजी

[हिन्दी]

यह जो जल्दबाजी है, दानिशमंदाना है यह भी बिला वजह है। हां, अगर दुल्हनों के जलाये जाने के वाक्यात होते, अगर औरतों के खिलाफ अत्याचार, तशदुत, जुल्म और सितम की बात होती, और जल्दबाजी बताई जाती तो समझ में आता। जबकि यह बताया जा चुका है कि हाउस के डिजोल्व होने पर यह बिल लागू होगा यानि आज की बात यह नहीं है। किसी भी हाउस के डिजोल्व होने और इलेक्शन का वक्त होने पर यह लागू होगा। इसलिए जल्दी किस बात की है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाऊं

[अनुवाद]

खंड 1, उपखंड 2 में यह कहा गया है:

> "यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

ऐसा नहीं कहा गया है कि, "यह तुरंत प्रवृत्त होगा।"

[हिन्दी]

यह कैसी हिप्पोक्रेसी है? बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है लेकिन बिल में यह नहीं कहा जा रहा है कि यह फौरी तौर पर अमल में लाया जाएगा। फिर इस बिल के अंदर कितनी टैक्नीकल खामियां हैं, कितने सवालातों पर यहां गौर करना पड़ेगा।

कई चीजें यहां पेश की गयी हैं। औरतों के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन, एस.सी.एस.टी. के लिए 22.5 प्रतिशत का रिजर्वेशन, इस प्रकार से यह 55 प्रतिशत हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैंने ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के रिजर्वेशन के बारे में भी कहा है और माइनोरिटीज में जहां तक मुसलमानों का सवाल है तो जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त 10 प्रतिशत रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए ड्रॉफ्ट में था। एक मुस्लिम बहन के ऐलान के बाद ड्रॉफ्ट से वह क्लॉज खत्म किया गया। लेकिन जिस वक्त वह खत्म किया गया था उस वक्त कुछ वायदे भी किये गए थे। 25 नवम्बर 1949 को पट्टाभाई सांतारमैय्या ने जो कहा था उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"यह एक अलिखित करार है।"

[हिन्दी]

कब कह रहे हैं, जब संविधान सभा में मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन के ड्रॉफ्ट का खात्मा हो रहा है।

[अनुवाद]

"यह एक अलिखित करार है जिसके फलस्वरुप हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि हमने उनसे अर्थात मुसलमानों से कहा है कि वे अपने लिए आरक्षणों की और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग न करें। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के अधीन उन्हें मुसलमानों के कम से कम उतने प्रतिनिधि तो निर्वाचित करने ही चाहिएं जितने पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधीन निर्वाचित होते हैं। यही भारतीय ईसाईयों तथा अन्य लोगों के संबंध में कहा जा सकता है।"

आज इस जैंटलमैंन एंग्रीमेंट की धज्जियां उड़ गयी हैं। यहां असेम्बली है, पार्लियामेंट है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं है। आज महिलाओं से भी कम, ख्वातीन से भी कम वे हैं, जबकि इफांस के पहले मुस्तहक तो वे ही थे।

जिस समय बी.जे.पी. की सरकार केन्द्र में आयी और अटल बिहारी बाजपेयी प्रधान मंत्री बने, उस वक्त सबको सेक्यूलरिजम याद आया था, उस वक्त सबको माइनोरिटीज के अधिकार याद आए थे। हमने उस सरकार को विदा किया, माइनोरिटीज की दुहाई दे देकर विदा किया। लेकिन आज जब यह बिल आ रहा है तो उनकी तरफ से आ रहा है जो आज माइनोरिटीज के अपने आपको मसीहा कह रहे हैं, जो अपने आपको उनकी समस्याओं से जूझने वाला चैम्पियन कह रहे हैं। वे सिर्फ एक वर्ग का सोचते हैं और हमें सोचना पड़ेगा कि ओ.बी.सी., माईनौरिटीज मुसलमान व क्रिश्चियन्स का रिज़र्वेशन कितना हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो 50 परसेंट कहती है। इससे ज्यादा न हो तो इसमें इसको कैसे बैठाया जायेगा? क्या यह टैक्नीकल फ्लॉ ऑफ लॉ है। यदि 33.3 परसेंट औरतों के लिये हैं 22.5 परसेंट एस.सी.एस.टी. के लिये हैं तो यह 55.8 परसेंट हो गया जबकि यहां पर और बात थी। तमिलनाडु के अंदर एक मामला पैदा हुआ कि रिजर्वेशन आगे ही बढ़ गया जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार सर्विसेज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए डायरेक्शन्स देती रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

हमने कहा कि तमिलनाडु और दूसरी जगहों के लिये कास्टीटयूशन अमेंडमेंट लाया जाये ताकि जो 50 परसेंट से ज्यादा रिज़र्वेशन का कांटा हो रहा है, उसकी हिफाज़त हो। इस अहम मसले में रिज़र्वेशन की ओ.बी.सी. के साथ इन्साफ करने के सिलसिले में कोई बात नहीं आयी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खवातीन और रिज़र्वेशन देने की बात और इस बिल के साथ इल एडवाईज्ड, अनवारेंटेड गैर-दानिशमंद और बिलकुल जल्दबाजी है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

हम स्वयं को इस अनुचित अदूरदर्शी और अविवेकपूर्ण विधेयक के साथ नहीं जोड़ेंगे।

[हिन्दी]

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल के सिलसिले में जितने भी प्रौसेस होंगे, वे हेस्ट के साथ हो रहे हैं आपको एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाना होगा तभी इस मामले पर गौर करेंगे नहीं तो हम साथ नहीं दे सकते। यह इन्तहा होगी। वरना हम इस मामले में साथ नहीं दे पायेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल आना है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : इसके बारे में जानने के लिए बाहर अनेक लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें भी तो पता चले कि क्या होने जा रहा है। हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : हम सारी रात बैठ सकते थे।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 362 के अधीन प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि अब प्रश्न रखा जाए ...**(व्यवधान)** उसका तात्पर्य समाप्त ...**(व्यवधान)**

मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अब प्रश्न रखा जाए''

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, वे इस तरह प्रस्ताव नहीं कर सकते...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्ट कीजिए, प्रस्ताव क्या है?

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझने दीजिए कि प्रस्ताव क्या है। मैं नहीं जानता।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मोशन सदन के सामने विचार के लिये रखने से पहले हम यह समझना चाहेंगे कि आखिर जिस विधेयक पर अभी तक चर्चा हो रही है, उसके बारे में क्या आम राय बनी है? साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल शुरु होना है, क्या उसे आगे बढ़ाना है?

महिलाओं से संबंधित जो विधेयक है, उसके बारे में चिन्तन क्या है? अगर कोई कठिनाइयां हैं तो सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए, एक राय यह है और हम लोग इस राय के हैं कि विधेयक जिस रुप में प्रस्तुत हुआ है, उसे पास कर दिया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिना ओ.बी.सी. को इनक्लूड किये यह बिल पास नहीं होगा...**(व्यवधान)** हम भी अपनी बात रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग पार्टी का एक सदस्य यह कह रहा है।

...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : कृपया हमें भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दें। यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वधेयक है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल यह चर्चा हुई थी कि वर्तमान विधेयक जिस स्वरुप में है, उसे पारित कर दिया जाए और प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि आगे संविधान में संशोधन का एक और विधेयक लाया जाएगा जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।...**(व्यवधान)** यह महिलाओं की ही बात हो रही है। यह कल की आम सहमति थी। इस सहमति को किसने तोड़ा? इस सहमति के ऊपर सत्ता पक्ष क्यों नहीं चल रहा है? हम पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप इसको पास नहीं होने देना चाहते। इससे संदेह होता है कि आप इसमें भी रोढ़ा लगा रहे हैं। सभी महिलाओं के लिए हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : हम रोढ़ा नहीं लगाना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो इसको पास होने दें और प्रधान मंत्री आश्वासन दें। समस्या हल हो सकती है।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह इतना आसान नहीं है। हमारी बात भी सुनिये।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सरकार से कहें कि सारी स्थिति स्पष्ट करें।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : हम लोगों को भी मौका दीजिए। डिसकशन के बिना यह बिल पास नहीं होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक मिनट का वक्त ले सकता हूँ? मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने यह प्रस्ताव क्यों पेश किया।

विधेयक पर चर्चा के पूर्व कल एक बैठक हुई थी और अन्ततः इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी, जहां तक मुझे स्मरण है-किसी ने इसका विरोध नहीं किया था-कि इस विधेयक को पारित किया जाए और एक सुझाव यह भी था कि इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाए। फिर यह राय बनी की इस पर एक या दो घंटे चर्चा की जाए जिससे कि...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : यह ठीक नहीं है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ माननीय सदस्यों ने ज्यादा वक्त लिया होगा **(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि उस बैठक में क्या बात हुई थी और समूचे राष्ट्र को यह जानना चाहिए कि क्या हुआ था। महोदय, यह निर्णय किया गया था कि चर्चा के लिए दो घंटे का वक्त दिया जाएगा और सभी दल के लोग कुछ बोलेंगे। कल हमें कहा गया कि मतदान आज सुबह होगा। चूंकि इस विधेयक को इसके पश्चात् राज्य सभा में जाना है और जब हमने देखा कि चर्चा समाप्त ही नहीं हो रही तो मैंने यह प्रस्ताव पेश किया।

महोदय, हमारे नियम में यह प्रावधान है कि यदि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इसे मतदान के लिए रखें। इसलिए हमने आगे चर्चा की और मुख्य प्रश्न को मतदान के लिए रखा, अर्थात् नियम 362 के उपबंधों के अनुसार विधेयक को विचार के लिए रखा। अतः, कोई भी यह नहीं कह सकता कि विधेयक पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। अतः, विधेयक इसी स्वरुप में पारित किया जा सकता है। जहां तक अन्य मुद्दों का संबंध है तो सभा उन्हें निश्चित रुप से लेगी और समय आने पर उन पर विचार करेगी। इसलिए, मेरा विचार है कि ऐसा करना उचित है। अब यह कहा जा रहा है कि कोई जल्दी नहीं है **(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : सभी दल इसे पारित करने पर सहमत थे और यह बात रिकार्ड में है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमें भी बोलने दीजिए। हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, मैं खड़ा हूं इसलिए आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते। कृपया शांत रहें। यह एक गलत परंपरा कायम हो रही है।

अब, अपराह्न 3.30 बजे हैं। यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का है। हमें क्या करना चाहिए? क्या आप इसे जारी रखना चाहते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : हां, महोदय।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय को मतदान के संबंध में स्पष्ट करना चाहिए। **(व्यवधान)** हम अब मतदान चाहते हैं।

डा. गिरिजा व्यास : महोदय मतदान प्रारम्भ किया जाए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको क्या कहना है? हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हैं?

डा. गिरिजा व्यास : हम एक अन्य प्रस्ताव लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप वैसा नहीं कर सकतीं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कल लिए गए निर्णय के हम पक्षधर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उसका समर्थन करते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : हां **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अतः, अब सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमारा मर्गदर्शन कीजिए। इसमें सरकार की स्थिति बिलकुल स्पष्ट है कि इसे पारित किया जाएगा। मतदान कराया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूँ।

(व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मतदान के पूर्व आपको हमारी बात सुननी होगी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अपनी वचनबद्धता के अनुसार हमने सदस्यों को व्हीप जारी करते हुए उनसे कहा था कि ये सारी प्रक्रिया गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक से पूर्व समाप्त हो जाएगी **(व्यवधान)**। अब मेरा अनुरोध है कि यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का समय भी बढ़ाते हैं तो भी हमें मतदान के लिए वक्त चाहिए। अनेक लोगों ने पांच बजे की उड़ान का टिकट ले रखा है। उन्हें यहां से चार बजे जाना होगा। अन्यथा आप यह कहें कि आप इसे दो घंटे बाद लेंगे, कोई निर्णय लें जिससे कि वे अपनी टिकट रद्द करा सकें। एक ठोस निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम इसे पारित करना चाहते हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इसे पारित किया जा सकता है अथवा नहीं।

सभा के माननीय अध्यक्ष और कुछ अन्य लोग **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कल की मीटिंग में फैसला हुआ था कि इस पर सभी बोलेंगे। केवल इन लोगों के कहने से पार्लियामेंट थोड़े ही चलेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए प्रस्ताव पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने नियम 362 के अंतर्गत एक समापन प्रस्ताव पेश किया है। नियम 362 में स्पष्ट कहा गया है

> "किसी प्रस्ताव के पेश किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा 'कि अब प्रश्न रखा जाये' और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है। अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा 'कि प्रश्न रखा जाए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यह रिजनेबल डिबेट का इनफ्रिंजमेंट है। इस सदन में डिबेट होनी चाहिए...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, दो घंटे की जगह चार-पांच घंटे की डिबेट हो गई है।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस सदन को गुमराह भी किया जा रहा है।...**(व्यवधान)** वहां लोग चुप बैठे हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वह बात छोड़कर तमाशा देखती है। कल आपने सभा में वक्तव्य दिया था। कल की कार्यवाही यह है।

आपका कल का वक्तव्य यह है कि सभी दलों के नेताओं की बैठक का निर्णय निम्न प्रकार है। **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : वे एक प्रवचन दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री नीतिश कुमार : यह सब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि इस पर बहस होगी।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, आपने कल जो कुछ कहा था इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

आपका व्यक्तव्य बहुत स्पष्ट है। आपने कहा था:

"सभी दलों के नेताओं की बैठक का निर्णय निम्न प्रकार है।"

यह आपका सभा में दिया गया व्यक्तव्य है और आपने कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। फिर श्री सोमनाथ चटर्जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा था कि "उसी रुप में" और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि "उसी रुप

में"। उसी रुप में, यह 81वां संशोधन है, न कि 79वां संशोधन। यह 81वां संशोधन है जिसे अब आप उसी रुप में पारित करना चाहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जहां तक लोक सभा का संबंध है, और यदि श्री गौड़ा की चली तथा उनकी सरकार चार वर्ष और नौ माह तक चली तो यह विधेयक उसी रुप में लागू होगा। 'उसी रुप' में लागू होगा इसका यही तात्पर्य है। इस विधेयक की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक के सभी पहलूओं की जांच किये जाने की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय को इस संबंध में कोई वादा नहीं करना चाहिए। सभी दलों के नेताओं की बैठक की ओर से ऐसा कोई व्यक्तव्य नहीं दिया गया है कि इसे आज ही पारित कर दिया जायेगा। इस सभा को गुमराह क्यों किया जा रहा है? हर कोई खड़ा होकर क्यों चिल्ला रहा है? क्या वे यह सोचते हैं कि जितनी जोर से वे चिल्लायेंगे उतनी ही उनकी बात सही होगी? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह गलतफहमी थी।

प्रधानमंत्री (श्री एच. डी. देवगौड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुद्दा यह नहीं है कि हम 79वें अथवा 81वें संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक आप द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि क्या यह 79वां संशोधन विधेयक है अथवा 81वां संशोधन विधेयक तो माननीय विधि और न्याय मंत्री इसको स्पष्ट करेंगे।

कल, मैं राज्य सभा में था क्योंकि मेरा प्रश्न वहां सूचीबद्ध था यहां सदन में कार्यवाही रोक दी गई और इस सदन के नेता दूसरे सदन में मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ महिला सदस्यों के उत्तेजित होने के कारण लोक सभा की कार्यवाही रोक दी गई है। और उन्होंने मुझसे सभा में अवश्य आने का आग्रह किया। उस सदन में सभापति की अनुमति से मैं यहां आया। उस समय भी पुन: यह मुद्दा उठाया गया था। वास्तव में, एक प्रश्न को पहले ही उत्तर के लिए लिया जा चुका था। उस समय आपने हस्तक्षेप किया था। कृपया यह नोट कीजिए कि मैंने उस समय क्या कहा था। मैंने कहा था कि, 'यदि समस्त सभा सहमत होती है, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है।' यह एक प्रश्न है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

दूसरे, माननीय महिला सदस्य, कुमारी उमा भारती ने पिछड़े वर्गों के बारे में अपनी शंकाए व्यक्त की थी। मैंने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि सभा इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करना चाहती है तो उनमें विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही बात मैंने उस समय स्पष्ट की थी जब आपने सभा को स्थगित किया था और आपने कक्ष अपने में चर्चा के लिए सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी।

मैं श्री जार्ज फर्नांडीज, जो एक वरिष्ठतम सदस्य हैं, को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हो सकता है कि मुझे आप जितना अनुभव न हो। जब मैं इस सदन में था तो दो संविधान (संशोधन) विधेयक, अर्थात् 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन विधेयक इसी सदन में प्रस्तुत किए गये थे। मैं संयुक्त प्रवर समिति का भी सदस्य रह चुका हूं। कोई भी संविधान (संशोधन) विधेयक इस तरह से नहीं दबाया गया है। मुझे इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मैं संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य था। इसकी लगभग दो माह तक बैठक हुई थी। उसके पक्ष-विपक्ष पर हमने चर्चा की थी। तत्पश्चात् हमने इस सभा में सिफारिश की थी और इस सभा ने अन्ततः स्थानीय निकायों और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित करने के बारे में निर्णय लिया था।

दोनों विधेयक यहां हैं। क्या उनके बारे में इस तरह से जल्द बाजी की गई थी? उस समय सरकार की मंशा इस तरह की नहीं थी। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इन सब बातों के लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने कहा है कि लगभग सभी राजनैतिक दलों ने लोक सभा चुनावों से पूर्व अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया है।

अत: इस पृष्ठभूमि में, जब महिला सदस्य आकर मेरे से मिली हों मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया। कल प्रात: कई प्रतिनिधि मण्डल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इस बात के लिए राजी किया कि महिलाओं को कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ, मैंने उनसे वायदा किया कि इस सत्र की समाप्ति से पूर्व मैं लोक पाल और महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में संविधान (संशोधन) विधेयक लाऊंगा। मैंने यह कुछ कहा था।

लेकिन, दुर्भाग्य से, कल जब यह मामला आया हो प्रश्न काल को भी स्थगति कर दिया गया था। सुबह, जब महिला सदस्य मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आयी तो मैंने उनको बताया कि: "हम इस विधेयक को पुर:स्थापित कर रहे हैं और इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए और हम समस्त पहलूओं की जांच करेंगे। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। इन सबकी उचित रुप से जांच की जानी चाहिए और फिर इसे सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने मुझे यह कह कर मनाने का प्रयास किया कि इसे कल ही पारित किया जाना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि यदि समस्त सदस्य इसके लिए सहमत हो जाते हैं तो मैं रुकावट नहीं डालूंगा। मैंने केवल यही कहा था। मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। श्री बनातवाला ने 'पाखण्ड' शब्द का प्रयोग किया था। बनातवाला जी, मैं कोई पाखण्ड नहीं करना चाहता। अपने जीवन काल में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : पचास साल से हिपोक्रेसी हो रही है?

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौड़ा : मैं कल से यह सुन रहा हूं कि मानों सरकार इस आरक्षण मुद्दे से पीछे हटना चाहती है। ऐसा नहीं है। लेकिन एकमात्र बात यह है कि इस मुद्दे पर विधेयक गिरना नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत स्पष्ट रुप से बताउंगा। यदि आप

इसमें सुधार करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने न केवल देश को बल्कि पिछड़े वर्गों को भी सरकार की मंशा के बारे में बता दिया है।

पहले पारित किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक में एक उपबन्ध किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने राज्यों ने इसको क्रियान्वित किया है। कई ऐसे राजनैतिक दल हैं जो अपने राज्यों में शासन कर रहे हैं। कितने राजनैतिक दलों ने संविधान (73वां संशोधन) तथा (74वां संशोधन) विधेयकों में किए गये उपबन्धों को क्रियान्वित किया है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने कर दिया है?

श्री एच. डी. देवगौड़ा : हां, मैंने यह कर दिया है। **(व्यवधान)** जब श्री जार्ज फर्नांडीज इस तरह टिप्पणियां कर रहे थे तो उस समय मैं खड़ा नहीं हुआ था। मैं इससे सहमत हूं कि मुझे कई बातें सीखनी हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपके पास संसदीय जीवन का विस्तृत ज्ञान है। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। उसी संविधान (संशोधन) विधेयक जिसकी संयुक्त प्रवर समिति का मैं सदस्य था–में हमने एक प्रस्ताव किया है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। "इसमें कोई बात राज्यों के विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी नगरपालिका अथवा निगम में पदों अथवा नगरपालिकाओं में सभापति के पद का आरक्षण कहने से नहीं रोकेगी।"

इसी आधार पर हम कर्नाटक में विधान लाये। यह केवल पिछड़े वर्गों के लिए ही नहीं था बल्कि और आगे जाकर हमने जातियों का पता लगाकर पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ दिया। उनमें से कई अपने जीवन काल में, उन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते थे। हमने नगरपालिकाओं, तालुक नगरपालिकाओं, कस्बा नगरपालिकाओं, निगमों तथा जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों में आरक्षण दिया। आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया है। **(व्यवधान)** हां, यह आरक्षण अल्पसंख्यकों को भी प्रदान किया गया था, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक भी शामिल थे, मैंने उन्हें यह आरक्षण दिया था।

आज सदन सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं ले पाया है। कल, जब हमारी अन्य बहन, श्रीमती सुषमा स्वराज जी बोल रही थीं, तो मैं यहां उपस्थित नहीं था। महोदया, जब आप बोल रहीं थीं, तो मैं यहां नहीं था।

मेरी ओर से किसी को सरकार की मंशा पर शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं इसके लिए तैयार हूं। मुद्दा केवल यह है कि विधेयक गिरना नहीं चाहिए। मैं इस मामले में आपसे साग्रह अपील करना चाहता हूं। सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित होने चाहिएं और उनमें उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान लाना चाहिए। विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरी साग्रह अपील है इस मामले पर मैं सरकार के दृष्टिकोण के बारे में अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार यह नहीं कहने जा रही है कि हम अपने निर्णय को बदलने जा रहे हैं। मुद्दा केवल यह है कि उस उद्देश्य हेतु विधेयक अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

वास्तव में, मूल विचार यह था कि इन दो विधेयकों–लोकपाल विधेयक और महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। यही सरकार का इरादा था। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। मैंने समय पर नोटिस दिया है।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : कल आप स्वयं यहां नहीं थे। आप कल यहां नहीं थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि मैं कल यहां होता तो महोदय मैं आपको इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : बहुत बहुत धन्यवाद।

मुद्दा केवल यह है कि समूची सभा इस पर चर्चा किये बिना ही इसे स्वीकार करने के मूड में थी और तब उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा स्थगित कर दी और मेरे विचार को बहुत स्पष्ट कर दिया था।

कुमारी उमा भारती द्वारा व्यक्त विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यही मेरा इरादा है, मैं सभा को गुमराह नहीं करना चाहता। अब भी यदि सभा इस विधेयक को इसी रुप में पारित करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यदि सभा यह चाहती है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। क्योंकि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है। यदि आप सब इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं, तो मैं सहमत हूं; इस विधेयक को पारित होने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप बाद में मौका नहीं देंगे। हमारी कुछ भावना है या नहीं? प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही है।...**(व्यवधान)**

हमारी बात सुनिये तो सही। अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार आपसे समय मांग रहा हूं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं पांच मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।...**(व्यवधान)** आप मेरी बात सुन तो लीजिए। यह ऐतिहासिक मौका है, आप सुन लीजिए। मेरी कुछ भावनाएं हैं, मैं यहां रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिंड मुझे भी दीजिए न। यह काम होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बोलकर ज्यादा वक्त नष्ट करना उचित नहीं है, यही मैं कहना. चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, आप पांच मिनट घड़ी देखकर हमको दीजिए, हम पांच मिनट से एक सैकिंड भी ज्यादा नहीं लेंगे।

यह ऐतिहासिक विधेयक है, इसको दोहराने की जरुरत नहीं है। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**) यही मुश्किल है। हमने आपसे पांच मिनट समय मांगा है। अध्यक्ष महोदय, कृपा करके हम लोगों को मजाक मत बनाइये। कोई विचार भी तो है...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप चेयरमेन के पेनल में हैं। अब सभा को निर्णय लेना है कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित करना है या नहीं। उस पर निर्णय लिये बिना मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक का वक्त है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप यह काम 3.30 बजे करते। लेकिन जब आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने हाउस की सेंस ले ली और इसके आगे एक्सटेंड कर दिया। आपको 3.30 बजे यह करना चाहिए था। हम आपके करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके पांच मिनट का वक्त दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य को स्थगित कर दिया है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस बारे में निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने पहले ही डिसाइड कर दिया, अब आपने प्राइम मिनिस्टर को मौका दे दिया तो डिसीजन तो माना ही गया न। आपने कन्सेंट नहीं ली है तो एक तरह से तो आपने दे ही दिया ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा की सर्वसम्मति है कि गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य को स्थगित कर दिया जाये?

कई माननीय सदस्य : नहीं (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सभा इस पर निर्णय नहीं ले सकती। गैर सरकारी सदस्यों के समय को सभा द्वारा बदला नहीं जा सकता। आप इसे बदल नहीं सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, आप इसे बदल सकते हैं। ऐसे बहुत से पूर्वोदारण हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का समय अनुल्लंघनीय है। कृपया नियम देखिये।

अध्यक्ष महोदय : वह नियम कौन सा है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास नियम 26 है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या कहा गया है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, नियम 26 इस प्रकार है:

"शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत किये जायें"

महोदय, आपके पास केवल यही विकल्प है:

"परन्तु अध्यक्ष भिन्न-भिन्न वर्गों के ऐसे कार्य के निपटाने के लिए भिन्न भिन्न शुक्रवार नियत कर सकेगा और किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य की पूर्ववर्तिता होगी:

"परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन नियत कर सकेगा:

"परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य.के लिए सप्ताह में किसी अन्य दिन ढाई घंटे नियत कर दिये जायें।"

महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है। और गैर-सरकारी सदस्यों के समय को नहीं बदला जा सकता। यही नियम है। इस सभा का यही नियम रहा है। इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, ऐसे कई पूर्वोदाहरण हैं जब गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित किया गया है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे कुछ कहने दीजिए। कृपया धैर्य से मेरी बात सुनिये। मैं सहयोग देने का प्रयास कर रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये गए व्यवस्था संबंधी इस प्रश्न से सहमत हूं। अतः, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 6.00 बजे समाप्त होगा। आधे घण्टे की चर्चा छह बजे शुरु की जायेगी। बहस अपराह्न 6.30 बजे प्रारम्भ होगी और मंत्री अपराह्न 8.30 बजे उत्तर देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। इस नियम की यह सही व्याख्या नहीं है। इसका जो अर्थ उन्होंने निकाला है, वह बिल्कुल गलत है ...(**व्यवधान**)। यदि वह गत शुक्रवार है, तो यह नियम नहीं हो सकता ...(**व्यवधान**)। वे इस विधेयक का समर्थन करने के प्रति ईमानदार नहीं हैं ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह हिन्दुस्तान की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है ...(**व्यवधान**) पुरुषों की मानसिकता हावी हो गई है ...(**व्यवधान**) हम लोग इसके विरोध में वाकआउट करती हैं।

अपराह्न 3.52 बजे

तत्पश्चात् श्रीमती सुषमा स्वराज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

अपराह्न 3.52 बजे

तत्पश्चात् कुमारी ममता बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मदन से बहिर्गमन किया।

अपराह्न 03.53 बजे

बेरोजगारी के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा शुरू होगी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अनेक ऐसे पूर्वोदाहरण हैं, जबकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित किया गया है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस कार्य को आज ही किया जाएगा।

श्री राजेंद्र अग्निहोत्री - अनुपस्थित।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज - अनुपस्थित।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि इस कार्य को आज ही किया जाएगा। मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया है।

श्री सी. नारायण स्वामी - अनुपस्थित।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री पी. षणमुगम - अनुपस्थित

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र डोम - अनुपस्थित

श्री आर. एल. पी. वर्मा - अनुपस्थित

श्री सन्तोष कुमार गंगवार

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई श्री प्रभु दयाल कठेरिया ने जो निजी संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विषय पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अपराह्न 03.54 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

परिणाम यह है कि इस देश के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा की तादाद में ऐसे नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं और उनको कोई काम नहीं मिल रहा। अगर हम देखें तो पांच करोड़ के करीब नौजवानों के नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज हैं। उनको निरंतर प्रयासों के बावजूद भी काम नहीं मिलता। वे आयु सीमा पार कर जाते हैं तथा उनका नाम रोजगार दफ्तर में ही लिखा रहता है, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता। लेकिन रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत नामों के अलावा उन नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको काम नहीं मिलता। पहले हमारे देश में छोटे उद्योग धंधों की, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था थी, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को काम मिलता था। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म होती जा रही है। इस दिशा में सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि उनको रोजगार मिले। हम कोई भी काम करें, वह इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि देश को किस बात की आवश्यकता है। देश की दो-तिहाई आबादी गांवों में रहती है, लेकिन गांवों की चिन्ता नहीं की जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गांवों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि कृषि भी लाभप्रद नहीं रही है। अगर हम कृषि को रोजगार से जोड़ दें, तो निश्चित रुप से गांव में रहने वाले नौजवानों को काम मिलेगा और सही दिशा मिलेगी। देश के बहुत से गांवों में सड़कें नहीं हैं, न वहां पर बिजली की व्यवस्था है और जब बिजली की व्यवस्था नहीं है तो उद्योग धन्धे भी नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए, हर गांव में बिजली की सुविधा हो, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिल सकता है और साथ ही नौजवानों की गांवों से शहर की ओर भागने की जो प्रवृत्ति है, उसको रोका जा सकता है। गांवों के अन्दर सुविधायें मिलेंगी, तो नौजवान छोटे उद्योग-धन्धे लगा सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो

सरकार केन्द्र में है, उस सरकार की इस समस्या की ओर चिन्ता नहीं है। हमारे देश को आज आजाद हुए पचास साल हो गए हैं, लेकिन देश में गरीबी और बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस सरकार द्वारा देश में इन समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। जब इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है, तो कैसे हम नौजवानों को सही दिशा दे पायेंगे और जब सही दिशा नहीं दे पायेंगे, तो नौजवान गलत रास्ते पर जाएगा और जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सही दिशा दें। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कम्प्यूटर चिप्स आयात किए जायें, लेकिन हम आयात कर रहे हैं पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स आयात करने से इस देश का भला नहीं हो सकता है। यदि वास्तव में गांवों के लोगों को सुविधायें मिले, उनको सही दिशा मिले, तब ही हमारी समस्यायें हल होंगी।

आज समस्या इस बात की है कि हमारे देश में जनसंख्या इतनी बड़ी है कि हम हर हाथ को काम नहीं दे सकते हैं। हमारी सरकार खेती के विकास तक के लिए भी सही दिशा नहीं दे पा रही है। जब तक सही दिशा नहीं देंगे, तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। हमारे देश के अन्दर गरीबी बढ़ गई है और हमारी समस्यायें बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से हमारे देश की समस्यायें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से हम विकास के काम नहीं कर पा रहे हैं।

मैं अधिक न कहते हुए, सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कठेरिया जी ने जो संकल्प सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है, वह स्वागत योग्य है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में विचार करे और खाली बयानबाजी से समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जितनी भी योजनायें हैं, उन योजनाओं के द्वारा वास्तव में नौजवानों को काम नहीं मिल पा रहा है। हम इस प्रकार काम करें कि नौजवानों को रोजगार मिले। प्रधान मंत्री जी द्वारा बहुत सी योजनायें घोषित की गई हैं और बहुत सी योजनायें चल भी रही हैं, लेकिन देखा जाए तो नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को वास्तविक रुप में काम मिले और सही दिशा मिले। यदि सरकार द्वारा इस ओर कदम उठाया जाएगा तो हम नौजवानों को सही दिशा की ओर ले जाने में सफल होंगे। मैं पुन: कठेरिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के संदर्भ में यह प्रस्ताव विचार करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया है और मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। साथ ही आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कठेरिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक विषय को सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है। योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में आंकलन किया और उससे पहले जब योजना आयोग योजना बना रहा था, तब उस समय उसका ख्याल था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद ही पचाल लाख बेरोजगारों की फौज में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए, जिससे देश में रोजगार बढ़ सके। रोजगार परक नीतियां हों, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि देश में मल्टी-नेशनल्स को बढ़ावा मिल रहा है। इस वजह से देश में आटोमैटिक मशीने देश मे आ रही हैं ओर लोगों के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। यह ठीक है कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

अपराह्न 04.00 बजे

हमें इस देश में रोजगार-परक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा।

माननीय उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमरीका के पैटर्न पर बड़ी-बड़ी मशीने लगाकर उत्पादन तो हम कर लेंगे लेकिन अपने लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। जब लोगों को रोजगार मुहैय्या नहीं होगा तो उनकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी मिटे। सब लोग जानते हैं कि 30 प्रतिशत से ऊपर निर्यात लघु उद्योगों के माध्यम से ही होता है। आज लघु उद्योग ही रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज सरकारी नौकरियां देने के लिए आपके पास स्थान नहीं है, साथ ही साथ जो लोग रिटायर होते हैं या नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पदों को भी भरा नहीं जाता है। इसलिए लघु उद्योग ही आज लोगों की जीविका काम मुख्य साधन है। लघु उद्योगों के माध्यम से ही सारी अर्थव्यवस्था में जान डाली जा सकती है तथा जो दबाव आर्थिक साम्राज्यवाद का गैट के माध्यम से या अन्य माध्यम से आ रहा है उससे भी मुक्ति मिल सकती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक हाथ और पूंजी का रिश्ता आप कायम नहीं करेंगे तब तक इस देश से बेरोजगारी दूर नहीं होगी।

आप बड़े-बड़े कारखाने लगा लीजिए लेकिन जब बेरोजगार युवक बगावत करेंगे तो उसकी बगावत के आगे ये कारखाने धरे रह जाएंगे। पहले हमारे मार्क्सवादी मित्र सर्वहारा की क्रांति की बात किया करते थे लेकिन आज वे चुप हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग भूखे होंगे, जब नौजवान बेरोजगार होंगे तो उनके हाथ मचलने लगेंगे और फिर उनके द्वारा होने वाली क्रांति को कोई रोक नहीं पाएगी। मैं चाहता हूं कि क्रांति आए लेकिन शांतिपूर्ण

क्रांति आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हर हाथ को काम और हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकेगा।

प्रधान मंत्री कह रहे थे कि हम नदियों को जोड़कर पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे देश का कोई भी स्थान पानी से अछूता न रहे। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल भाषणों तक ही सीमित न रहे बल्कि इसको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

मोरारजी भाई जब वित्त मंत्री थे तब से लघु उद्योगों पर कुठाराघात किया जा रहा है, कारीगरों और श्रमिकों के हितों को नकारा जा रहा है, उनका गला काटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाए। आज सहायता की बातें बहुत की जा रही हैं। मैं प्रधान मंत्री की रोजगार योजनाओं के आंकड़े देख रहा था। नरसिंह राव जी के जमाने के आंकड़े भी देखे और देवगौड़ा जी के भी देखे। उन योजनाओं में बैंकों से ऋण की बातें भी पढ़ी। लेकिन आज पढ़े-लिखे नौजवानों को भी बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी पैसा देने में आनाकानी करते हैं। अगर आपको बैंक से पैसा लेना है तो पहले उनको कुछ दो। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो बैंक से ऋण नहीं मिलता हैं। अगर इस तरह भ्रष्टाचार के माध्यम से युवकों को ऋण मिलेगा तो उनके मन में बगावत की भावना पैदा होगी और उनके मन में कुंठा जन्म लेगी। बैंकों से पैसा न मिलने की स्थिति में वह अपना काम शुरु नहीं कर पाता है और फिर बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाता है। इस कारण भी सैंकड़ों बेरोजगार युवक आत्महत्या कर लेते हैं। यह राजनैतिक लोगों के लिए भी एक चुनौती है। आज हालत यह है कि इस देश में भूख से पीड़ित होकर 40 प्रतिशत लोग रात को सोते हैं। समाज में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगे हैं, जो तेंदू पत्ता खाते हैं और अपने व्यवसाय के लिये अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। इस प्रकार से उनके साथ अन्याय करते हैं। उनके लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, लघु उद्योग स्थापित किये जायें। ऐसे उद्योगों के लिये ऋण, बिजली आवश्यक है। जहां तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, उसके लिये हर नेता कहता हैं, हर सरकार कहती है लेकिन वास्तव में इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता। मैं यह मांग करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री इस तरह की कारगर व्यवस्था बनायें। सिंगल विंडो सिस्टम के नीचे हर नौजवान को ऋण भी मिले, बिजली मिले और विपणन की व्यवस्था भी हो। यदि वह माल नहीं बना पायेगा तो उसका सारा उद्योग ही चौपट हो जायेगा। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि सारी बुनिग्रादी सुविधाओं का पैकेज बनाया जाये। यदि इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलती है तो काम नहीं हो सकता है।

मान्यवर, इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि लघु उद्योगों के उत्पादन के लिये कतिपय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाये। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, गांव गांव में फलों के जूस की फैक्ट्रियां लग सकती हैं। लेकिन इन छोटे उद्योगों में भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला। अब तो हल्दीराम, जो नमकीन बनाती है, उसका पेटेंट करके विदेशी आ गये हैं। इससे बीकानेर भुजिया बनाने वाले हजारों कामगर भूखे मरने के कगार पर आ जायेंगे। इस तरह से इस उद्योग में भी बड़े लोगों का एकाधिकार होता जा रहा है। आखिर क्यों आप समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने की साज़िश कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र आरक्षित किया जाना चाहिये। जब तक इनका आरक्षण नहीं होगा, तब तक लघु उद्योगों को मदद नहीं मिल पायेगी। लघु उद्योगों को थोड़े मदद की आवश्यकता है, सरकार की मदद की आवश्यकता है और सरकार की सद्भावनाओं की आवश्यकता है और उन बड़े एकाधिकार क्षेत्रों से संरक्षण की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको खूब महंगा माल बेचने दीजिये लेकिन प्रतिस्पर्धा बराबर की होती है। इसके लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार हैं तो इसके लिये नार्मस बनाने चाहिये। मैं देखता हूं कि चिप्स बनते हैं, एक अच्छा रैपर है जिस पर 10 रुपये खर्च आता है लेकिन वह 50 ग्राम चिप्स का पैकेट जितना सस्ता दिया जाना चाहिये, दुकानदार महंगे दाम पर और कई दफा कई गुना दाम पर बेचता है। बहुराष्ट्रीय कंपनिया विज्ञापन के जरिये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर देते हैं और ऐसा लगता है कि ये चिप्स ज्यादा अच्छे होंगे। इसलिये हमारे देश की संस्कृति और उमभोक्ताओं के जो विचार हैं, उनको भी बतलाना होगा।

एक बात महात्मा गांधी की की जाती है। उन्होंने जो सपना संजोया था कि विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था होगी, लोग स्वावलम्बी बनेंगे तो उस पर चोट पहुंचायी जा रही है। इसलिये स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिये आवश्यक है कि लघु उद्योगों के विकास के लिये पूरे अवसर दिये जायें, सरकार उसके लिये सुविधायें प्रदान करें, एक राष्ट्रीय कामगार बैंक के निर्माण की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि छोटे-छोटे कारीगर पत्थर और सोने का काम करते हैं। अब सुनार की स्थिति यह हो गयी है कि कारखानों में बड़ी-बड़ी डाइयां आ गयी हैं और उस पर काम किया जाये तो काम जल्दी और सस्ता होता है। सरकार उसको प्रोत्साहित करती है लेकिन कारीगर को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। जितना इस ओर ध्यान दिया जायेगा, देश की अर्थ-व्यवस्था स्वावलम्बी होगी, सुदृढ़ होगी, सामाजिक ढांचा ठीक बनेगा। जिस सामाजिक न्याय की बात कही जाती है, वह तभी मिलेगा। आज हम रिज़र्वेशन की बात तो करते हैं लेकिन रिज़र्वेशन के लिए रोज़गार के अवसरों की बात कोई नहीं कहता। आज सारे देश के

अंदर कुछ नारेबाजी के आधार पर शासन को चलाने की कोशिश हो रही है। रिज़र्वेशन तब लो जब नौकरियां होंगी। मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार से पूछना चूहंगा कि जब से रिज़र्वेशन चला है, पिछले पांच साल के अंदर सरकारी नौकरियों में कितना इजाफा हुआ है और कितने लोगों की भर्ती हुई? आज मेरी जानकारी है कि रेलवे के अंदर नौकरियों की जो स्थिति पांच साल पहले थी, उस संख्या में कमी आई है। आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉइज़ की पोज़ीशन में पिछले पांच सालों में कमी हुई है। यह सरकारी आंकड़ें हैं जिनकी प्रतियां मेरे पास हैं। इसलिए जब तक लघु उद्योग के क्षेत्र को मजबूत नहीं किया जाता है, सरकार इसके लिए कृत-संकल्प नहीं होती। तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। पारस्परिक जिरह की जा सकती है, राजनैतिक हितसाधन किये जा सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को तभी उन्नत किया जा सकता है जब उत्पादन बढ़ाया जाएगा और इसके लिए लघु उद्योग को बढ़ाना अत्यावश्यक है।

मैं एक बिन्दु कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था जिसमें कृषि के विकास की बात कही गई थी। सरकार कहती है कि कृषि में स्टैगनैन्सी आ गई है, ठहराव आ गया है, उत्पादन में वृद्धि रुक गई है और उसके पीछे कारण बताया गया है कि एक करोड़ ऐसे खातेदार हैं, जिन खातेदारों की भूमि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज़ हैं। खेती तो बढ़ेगी नहीं, जमीन को रबर की तरह चीरा नहीं जा सकता, उसका व्यास नहीं बढ़ाया जा सकता। आज किसान में खुशहाली तब आएगी जब वह खेती करे, लेकिन खाली समय में वह और उसके परिवारजन, उसकी बीवी और बच्चे कुछ लघु उद्योग करें। मैं जानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के अंदर किस प्रकार से लोग छोटे उद्योग में लगे हैं। आज वहां औद्योगिक क्रांति आई है क्योंकि परिवार की महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। उसके बाद उनको चराकर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सबसे पहले महिलाएं ही औद्योगिक क्रांति लेकर आई। परिवार में पहले लोग सोचते थे कि महिला दूध बेचेगी तो शायद पूत बेचना हो जाएगा, लेकिन जब उनको समझ में आया कि यह पूत बेचना नहीं, बल्कि हमारी खुशहाली का साधन बनेगा तो आज वहां की महिलाएं खुशहाल हुई हैं और दूध उत्पादन का व्यवसाय परिवार की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और इसके लिए एक राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं। पहले उस्ताद हुआ करते थे और चेले रखते थे और गुरुजी चेलों को शिक्षा देते थे। आज बदलती हुई सामाजिक मानसिकता, जातीय दुर्भाव और उसके साथ जो आर्थिक बेरोज़गारी से जो तनाव समाज में पैदा हो गया है, तो न गुरु के पास शिक्षा है और न चेलों के पास श्रद्धा है कि वह गुरु के पास जाए। इसलिए पहले जो काम होता था कि गुरु शिष्य को फ्री ट्रेनिंग देते थे, उसी प्रकार के ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जाएं और इसके लिए एक विकास बैंक बनाया जाए जो उन बेरोजगार लोगों का मार्गदर्शन करें। आई.टी.आई. के माध्यम से भी इस काम को किया जा सकता है। कुछ और ऐसे केन्द्र खोले जाएं जहां लोगों को तकनीकी ज्ञान दिया जा सके, ऐलीमेण्टरी नौलेज दी जा सके। आई.टी.आई. और इंजीनियरिंग कालेज इन कामों को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ऐलीमेंटरी नौलेज चाहिए। ऐलीनेंटरी नौलेज कारीगर को दी जाए जिससे वह काम कर सके। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई तो निश्चित रुप से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं सांसद श्री प्रभु दयाल कठेरिया जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करके बढ़ती हुई बेरोजगारी और हमारे नौजवानों में इसके कारण जो निराशा की भावना बढ़ती जा रहा है, उसके संबंध में न केवल चिन्ता जताई बल्कि हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पूरे देश पर निगाह डालें, पूरे भारतवर्ष में गरीबों पर निगाह डालें तो उनकी संख्या देश की कुल जनसंख्या की आधे से अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधे से अधिक है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज न खाने के लिए अन्न हैं, न पहनने के लिए कपड़ा है और न रहने के लिए घर है। जिस तेज रफ्तार से इस देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज हमारा देश जिस स्थिति में पहुंच गया है, मैं समझता हूं कि अगर उस पर निगाह नहीं डाली जाएगी तो देश में बेरोजगारी की स्थिति में जीने वाले लोग मरणासन्न हो जाएंगे।

इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है और हर स्तर पर सोचने की जरूरत है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर कैसे काबू पाया जाए, उसे कैसे रोका जाए। यहां माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान कई तरह के सुझाव दिए और मैं भी इस विषय पर कुछ निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। उद्योग मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। देश से बेरोजगारी उस समय तक दूर नहीं की जा सकती जब तक कि हम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करते। मैं समझता हूं कि इस ओर देश के आजाद होने के बाद बहुत कम ध्यान दिया गया है। गांधी जी ने कहा था कि बड़े उद्योगों को हम जरूर देखें मगर छोटे उद्योगों पर ध्यान देने की जरूरत है, छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मेरा मत है कि अगर हमने इस सिद्धांत का अनुसरण किया होता तो आज जिस बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ती जा रही है, नौजवानों में बेकारी है, वैसी स्थिति न होती।

आप देखें कि आज क्या हालत है। छोटे और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले हाथ बेकार हो रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ नही रही है बल्कि निरंतर कम होती जा रही है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। सरकारी स्तर पर ऐसे उद्योगों में लगे लोगों की तरफ हमारी निगाह नहीं गई है। यही कारण है कि देश में अधिकतर छोटे और कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उनमें जो हाथ लगे हैं, वे बेकार हो रहे हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि देश में जितने छोटे उद्योग हैं उन्हें गवर्नमेंट की मदद से पूरे तौर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। छोटे और कुटीर उद्योगों में जितने लोग काम करते हैं, जितने हाथ लगे हैं, उन्हें अच्छे ढंग से तकनीकी शिक्षा देने की जरूरत है और हर स्तर पर उनकी मदद करने की आवश्यकता है। जब तक देश में छोटे और कुटीर उद्योग नहीं पनपेंगे, उन्हें बढ़ावा नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि देश से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। इसलिए यदि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो निश्चित तौर पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में लगने वाले जो हाथ हैं, उनको मजबूती देनी होगी, उनको शक्ति देनी होगी, उनको सक्षम बनाना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा। तभी मैं समझता हूं कि छोटे और कुटीर उद्योग में लगने वाले हाथ और भी मजबूती पकड़ेंगे। इसके लिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इन उद्योगों में लगे हाथों को मदद मिल सके तथा वे और व्यापक बन सकें।

महोदय, आज क्या हो रहा है, कम्प्यूटर लाया जा रहा है। कई तरह के वैज्ञानिक बढ़ाए जा रहे हैं। मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि छोटे उद्योगों में लगे लोगों को तकनीकी रुप से शिक्षित करना जरूरी है। आज स्थिति यह है कि बड़े उद्योगों में लगे लोगों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसको रोका जाना चाहिए और इन उद्योगों में लगे लोगों के कल्याण की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि हम छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। उनको इतनी बिजली और ऋण दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अच्छे ढंग से चल सकें और उनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोग सही ढंग से अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। इससे एक फायदा यह भी होगा कि हम बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी दूर कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो शिक्षा का रुप है वह ठीक नहीं है। आज हमें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। आज हम इस बात पर जोर देते हैं कि लड़का बी.ए. और एम.ए. कर ले, लेकिन तकनीकी शिक्षा देने के लिए सही ढंग से प्रयास नहीं करते। जो प्रयास किए भी जाते हैं वें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अपने देश के नौजवानों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उत्साहित करना चाहिए। यदि हम अपने देश के युवाओं के कैलीबर का सही ढंग से प्रयोग करें और उस कैलीबर का उपयोग करने के लिए हम यदि उनको तकनीकी रुप से शिक्षा दें, तो मैं समझता हूं कि वे उद्योगों को चलाने में सक्षम हो सकते हैं और अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। इसलिए हमारे यहां जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे नौजवान बी.ए. और एम.ए. कर के ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने के भरोसे न बैठ जाएं क्योंकि आज के युग में कोई भी सरकार, चाहे वह प्रदेश की सरकार है या चाहे वह केन्द्र की सरकार है, कोई भी देश के सभी शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि यदि हम बेरोजगारी को रोकना चाहते हैं और उन नौजवानों को काम देना चाहते हैं, तो शिक्षा में परिवर्तन करके उनको तकनीकी शिक्षा देकर छोटे और कुटीर उद्योग में लगाना होगा। हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनमें काम करने की क्षमता है, कैलीबर है, यदि हम उनकी इस क्षमता को पहचान कर अनुकूल वातावरण बनाएं तो वे अच्छी तरह से उद्योग को चला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विधेयक के माध्यम से जो भाई श्री कठेरिया जी ने यहां प्रस्तुत किया है उसके अनुसार जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिए और जो आज छोटे और लघु उद्योगों का विखंडन हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि एक व्यापक योजना बनाए और एक व्यापक औद्योगिक नीति बनाए जिससे जो उद्योग धंधों में लगे रहने वाले हाथ हैं वे सक्षम हो सकें और हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वे चलें और उनको मजबूती मिल सके तथा भारतवर्ष में जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोका जा सके। इसलिए सरकार को एक अच्छी नीति बनाने की आवश्यकता है। इस नीति को बनाने पर तुरंत ही विचार करने की आवश्यकता है। इस बात के ऊपर अगर हम सोचने का काम नहीं करेंगे तो हर दृष्टि से आने वाले दिन हमारे देश के लिए घातक साबित होंगे। इसलिए उन दिनों के आने से पहले ही जो हमारे नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, बहुत सारी स्थितियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं, उनको रोकने के लिए निश्चित तौर पर हमें कदम उठाने चाहिएं। जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग विपन्नता की दृष्टि में हैं, उनके लिए कोई कारगर कदम उठाकर उन्हें सक्षम करें और ऐसी पालिसी लायें जिससे घर-घर में लघु उद्योग व छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले नौजवान, जो गरीब तबके के हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। जो कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर बंद पड़े हैं, उनको चालू किया जाये ताकि देश के बेरोजगार नौजवान निराश न हों। उनके जो बढ़ते हुए गलत कदम हैं, उनको रोका जा सके इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कठेरिया जी ने जिन बातों की चर्चा की है, उन बातों पर

निश्चित रुप से ध्यान दें और इस पर कोई कारगर कदम उठायें ताकि कठेरिया जी की भावना और सदन की भावना रखी जा सके।

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे इस अति महत्त्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का मौका दिया। मैं कठेरिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अति महत्त्वपूर्ण संकल्प लाये और वह संकल्प लाये जिस पर आज चर्चा करने की जरूरत है, उसका निदान करने की जरुरत है। हर साल देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। नौजवान शिक्षा ग्रहण करके महसूस करता है कि उसका जीवन अंधकार में है। वह नौकरी की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती। जब इस देश के नौजवान का भविष्य अंधकार में होगा तो यह देश आर्थिक रुप से तरक्की नहीं कर पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिएं। सरकार को इस तरह की पालिसी बनानी चाहिए जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार या इससे पहले की कांग्रेस ई की सरकार इस तरह की पालिसियां बनाती आ रही है जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बरबाद होती जा रही हैं या सिक यूनिट होती जा रही हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नौजवानों को रोजगार देती है। यदि वे बंद हो जायेंगी तो उसमें लगे हुए मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और आगे नौजवानों को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा? इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, यहां पर उद्योग मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह की नीतियों का निर्धारण करें जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। उनको एक ही विंडो के तहत लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। बिजली की सुविधा व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो जरुरतें हैं, वे उनको मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई नौजवान पढ़कर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और लोन लेने के लिए जाता है तो उसे बगैर पैसे के ऋण नहीं मिलता। बैंक से लोन पास नहीं होता। नौजवान दर-दर की ठोकरें खाता फिरता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसलिए मेरा आपसे अर्ज है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, कुटीर धंधों को बढ़ावा दें। आप मल्टी नेशनल कम्पनियों को इन्वाइट करने जा रहे हैं। मेरा आपसे यह अर्ज है कि आप हर क्षेत्र में मल्टी नेशनल कम्पनियों को इन्वाइट न करें। जिस क्षेत्र में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा काम किया जा सकता है, उस क्षेत्र में मल्टी नेशनल कम्पनियों को बढ़ावा न दें। जैसे चिप्स का मामला है, साबुन है, कोल्ड ड्रिंक्स आदि हैं, वे सब कुटीर धंधों द्वारा तैयार की जा सकती हैं। आप उनके लिए मल्टी नेशनल कम्पनियों को इन्वाइट न करें क्योंकि ओटोमेटिक प्लांट लगाकर हमारे नौजवानों को और बेरोजगार बना रही हैं। बेरजागारी बढ़ रही है, इस पर काबू पाना होगा। बेरोजगार को रोजगार मिले, यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मेरा यहां तक कहना है कि आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि कोई बेरोजगार नौजवान इन्टरव्यू देने के लिए जाता है तो उसके लिए यात्रा भत्ता फ्री होना चाहिए और जब तक आप नौकरी न दें तब तक बेरोजगार नौजवान को बेरोजगार भत्ता भी देना चाहिए व छोटे-छोटे कामों में मदद मिलनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की थी लेकिन वह कागज पर है। उससे जिन नौजवान को सहायता मिलनी चाहिए थी, वह सहायता नौजवान को नहीं मिली है। कमेटियों में पास कर दिया गया कि बेरोजगारों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे लेकिन बैंक वाले उस प्रोजेक्ट को पास नहीं करते और वे कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है। इसलिए आपको इसमें भी सुधार करना पड़ेगा। इसमें सुधार करेंगे तभी इस देश का भला हो पाएगा। कामगार गरीब किसान अपने बच्चों को बड़ी तमन्ना से शिक्षा दिलवाता है। उसके मन में यह इच्छा रहती है कि मेरा बेटा शिक्षा ग्रहण करके आएगा तो उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन वह नौकरी की तलाश में दर-दर ठोकरें खाता है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की पारदर्शी नीति बनाई जाए जिससे स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। कुछ एरिया रिजर्व कर दें कि इस एरिया में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगी। इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए मल्टी नैशनल्स को बढ़ावा नहीं दिया जाए।

मैं उद्योग मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश की कंडीशन और विदेश की कंडीशन में बहुत अंतर है। हमारे यहां मैन पावर बहुत तादाद में है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हो सकता है कि विदेश में ऑटोमैटिक प्लांट्स हों, नौजवान बेरोजगार न हों। इसलिए वहां छोटी-छोटी चीजों के लिए ऑटोमैटिक प्लांट्स लग सकते हैं। लेकिन हमारे यहां इस तरह की आवश्यकता नहीं है। कारीगर काम करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। उनको पैसे की कमी हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना कर देनी चाहिए।

कठेरिया जी जो संकल्प लाए हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस अति महत्त्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। लघु और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा मिले। सिक इंडस्ट्रीज को फाईनैंशल असिस्टैंस देकर उनको चालू करवाएं। ऐसी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित ही बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

मैं ज्यादा बात न कहते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूं और उद्योग मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस संकल्प को पास करें और ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे बेरोजगार नौजवानों को यह लगे कि केन्द्र में बैठी हुई सरकार कोरी घोषणाओं की सरकार नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मित्र कठेरिया जी, जो यह प्रस्ताव लाए हैं, को भी धन्यवाद देता हूं। बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है। इस पर हमें जिस रुप में सोचना चाहिए था, वास्तव में उस रुप में नहीं सोच रहे हैं। वैसे इस प्रस्ताव पर प्रारंभ से ही गंभीरता से विचार करना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक करोड़ रुपये की राशि दी थी और बेरोजगारों को ऋण देने का वचन दिया था। लेकिन वह कुछ लोगों को ही मिल पाता है, एक प्रतिशत लोगों को भी नहीं मिल पाता। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि बेरोजगार लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। कई महीनों तक लगातार दौड़ने के बावजूद भी बैंक से लोन नहीं मिल पाता। देश की जो व्यवस्था बनी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को रिश्वत चाहिए। उनको पता नहीं होता है कि बेरोजगार लोगों पर परिवार का बोझ है, बूढ़े माता-पिता का बोझ है और जब वह आने वाले समय की ओर निगाह डालता है तो देखता है कि कई महीने दौड़ने के बाद भी ऋण नहीं दिया जाता। तो उस वक्त सोचा जाए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सरकार को चाहिए था, यहां पर हमारे उद्योग मंत्री जी हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जिस तरह महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसमें एक लाख रुपये से नहीं, कम से कम प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को 5-5 लाख रुपया छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज के लिए देना चाहिए, उसमें जो भी काम या इण्डस्ट्री वह लगाना चाहे, उसको करने के लिए अपनी ओर से स्वीकृति देकर पांच लाख रुपया देना चाहिए। जिन लोगों ने पांच सात साल पहले ऋण लिया था, पांच से 10 हजार रुपये, 10 हजार से 20 हजार रुपये, अधिकतम सीमा शिक्षित बेरोजगार के लिए 25,000 रुपये थी। जहां तक हमें जानकारी है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं कि एम.पी. साहब हमने पांच, सात और 10 हजार रुपया ऋण लिया और हमारे ऊपर वारंट, कुर्की निकाल दी। हमारा रोजगार जो हम चलाते थे, ठीके ढंग से नहीं चल पा रहा है और हमें बैंक वाले और पुलिस परेशान करते हैं, हम लोग क्या करें।

कुछ माह पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवकों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग आये थे, बहुत से एम.पी. लोगों के पास भी उनका निमंत्रण गया होगा। उनकी यह मांग है कि सबसे पहले हमारे ऊपर का ऋण माफ किया जाय, क्योंकि हम लोग नये थे, सही ढंग से हम बैंक का ऋण नहीं दे पाये, हमें अपने काम को सुचारू रुप से चलाने के लिए फिर ऋण दिया जाय ताकि हम सरकारी कर्ज को किसी न किसी रुप में अपना रोजगार, उद्योग चलाकर रुपया वापस दें, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। शिक्षित बेरोजगार, जो ऋण से दबे हुए लोग हैं, उनके ऊपर वारंट, कुर्की निकालकर उनको परेशान किया जाता है। हम उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अविलम्ब वारंट, कुर्की को रोका जाय ताकि शिक्षित बेरोजगार किसी न किसी तरह से अपना रोजगार करके बैंक या रुपया अदा कर सकें।

आज सबसे मुख्य समस्या बेरोजगारी की कैसे बढ़ी, यदि हम विचार करें तो निश्चित रुप से हम कहना चाहेंगे कि जितनी भी सरकारें रही हैं, निश्चित रुप से इसके लिए दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि जब तक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की नीति निर्धारित नहीं की जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, तब तक काम नहीं चलेगा। आदमी बेरोजगार क्यों बनता है? स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल या कालेज में पढ़ते हैं, अगर उनको रोजगार से जोड़ने का शुरु से प्रशिक्षण दिया जाएगा तो बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। निश्चित रुप से कहीं न कहीं अपने उद्योग में लोग लग जाएंगे। अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए लोग लग जाएंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में अभी देश में बेरोजगारों की जो एक भीड़ खड़ी हुई हैं, उनकी एक लम्बी कतार है, उसको निश्चित रुप से बहुत ही कम करने का अवसर मिलता। लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं कर पाई। कोई निश्चित ठोस निर्णय अभी तक सरकार नहीं ले पाई है कि बेरोजगारों की समस्या को किस तरीके से दूर करने का उपाय करे।

बेरोजगारों के लिए उम्र की सीमा तय है। जब हमको नौकरी ही नहीं मिलती है तो उम्र की सीमा क्यों निर्धारित की गई है? उम्र की सीमा नहीं रहनी चाहिए। युवक जब तक बेरोजगार हैं, तब तक उसको नौकरी मिल जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो। इस ढंग की व्यवस्था नहीं होने से काफी आक्रोश है। अभी कुछ प्रदेशों में उग्रवाद का भी एक कारण है। बेरोजगारी की समस्या, चाहे कश्मीर हो, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, कुछ इलाकों में जो उग्रवादियों की समस्या हमारे सामने खड़ी है, वह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगर बेरोजगार लोग रोजगार में लग जाएंगे तो निश्चित रुप से जो उग्रवाद की लोगों में प्रवृत्ति पनप रही है, उसमें भी निश्चित रुप से रुकावट आएगी।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग इण्टरव्यू देने के लिए जाते हैं,

चाहे केन्द्रीय सरकार की नौकरी के लिए हो या राजय सरकार की नौकरी के लिए हो, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार की तरफ से निर्देश जाना चाहिए कि जो भी शिक्षत बेरोजगार इण्टरव्यू देने के लिए जाएं, ट्रेन से जाएं या राज्य परिवहन की बस से जाएं, उनको आने-जाने की पूरी छूट मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो बेरोजगारी की समस्या की स्थिति है, मेरा अपना विचार है कि जैसे हम लोक सभा में किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर विचार करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारी की समस्या का इस देश से कैसे निदान किया जाए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

1974 में जय प्रकाश नारायण जी के आंदोलन के सिलसिले में जब हम जेल गए थे, तो उस समय भी उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी दूर करना और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने का था। वह आंदोलन बिहार और गुजरात से शुरू होकर पुरे देश में फैल गया। अगर हम बेरोजगारी की समस्या को गम्भीरता से नहीं लेंगे तो एक न एक दिन यह ज्वालामुखी बनकर देश में फट जाएगा। इसलिए सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस उपाय करे ताकि इस देश से यह समस्या दूर हो।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में रखे गए संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

बेरोजगारों को रोजदार देने सम्बन्धी बहुत से विचार सामने आए हैं। जब भी चर्चा होती है तो बहुत जोरों से बेरोजगारों के प्रति हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। मगर जो व्यावहारिक तौर पर कठिनाइयां है, वे भी हम लोग देखते हैं। यहां पर लघु उद्योगों के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पहले काफी लघु उद्योग थे। लेकिन वे धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। नए उद्योग धंधे खोले जाएं, यह देखने में नहीं आ रहा। इसका कारण यह है कि जहां पर भी लघु उद्योग हैं, उनको जो सुविधाएं और राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। ऊपर से भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कोई भी उद्योग धंधा लगाने में भयभीत ही रहता है और जो लगे हुए हैं, वे भी धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। उनको परेशान किया जा रहा है, विभागीय पदाधिकारियों की तरफ से भी परेशान किया जाता है, अन्य वजहों से भी हमारे देश में खासकर बिहार और वहां भी रांची में जो झारखंड वनांचल का क्षेत्र है, लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं। जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि देश में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में हाई टेंशन नालंदा सेरेमिक उद्योग था, जहां हजारों आदमी काम करते थे। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण वह उद्योग बंद हो गया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस उद्योग का मैंने नाम लिया, वहां से जो सामान बनकर निकला, जोकि बिजली विभाग ने खरीदा, सिंचाई विभाग ने खरीदा, लेकिन इन पर करोड़ों रुपया इस उद्योग का बकाया पड़ा है, जिसकी वजह से उस उद्योग की पूंजी खत्म हो गई और वह बंद हो गया। सरकार की तरफ से अगर उपेक्षा हो तो मैं नहीं समझता कि हम लोग जो यहां सुझाव दे रहे हैं, उससे उद्योग धंधे पनप पाएंगे। गांवों में कुटीर उद्योग खोलने की बात कही गई है, लेकिन गांवों में कुटीर उद्योग तभी चल सकता है, जब गांवों में बिजली और आवागमन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। जब आप आवागमन की सुविधा, बिजली की सुविधा कर देंगे, तब हम समझ सकते हैं कि गांवों में आधी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यह ठीक है कि गांवों में अस्पताल हैं, स्कूल हैं, लेकिन सड़कों की सुविधा न होने की वजह से कोई भी डाक्टर हैल्थ सैन्टर्स में जाना नहीं चाहता है। वे समझते हैं कि शहरों में ही रह कर अपने बाल बच्चों को पढ़ायें और...

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल पर विचार करने के लिए जो समय निश्चित किया गया था, वह समाप्त हो गया है। आपकी राय है कि इसका समय एक घन्टे और बढ़ाया जाए?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल पर विचार करने के लिए एक घन्टे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री राम टहल चौधरी : महोदय, आजादी के इतने सालों के बाद भी हम इस समसया को हल नहीं कर पाये हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर लोक डाकू का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, छोटी-छोटी राशि उपलब्ध न होने के कारण, आवागमन की सुविधायें न मिलने के कारण, बिजली न मिलने के कारण, पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण इस तरह की घटनायें हो रही हैं। शिक्षा और दवा तक की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इस तरह की सुविधायें बहुत कम पैसे में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए, तो देश में बहुत बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं और एक-एक आदमी के पास इतना पैसा निकल रहा है कि उससे एक राज्य का विकास हो सकता है। हम चाहते हैं कि वहां पर पुल की व्यवस्था हो, लेकिन कहा जाता है कि पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि घोटालों की संख्या कम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, गांवों का विकास हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने का कोई प्रयास नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

जहां तक बैंकों की बात है, स्थिति यह है बैंकों द्वारा कह दिया जाता है कि ऋण उपलब्ध नहीं है। और यदि ऋण उपलब्ध होता भी है, तो जितना पैसा देना होता है, उसका आधा ही पैसा मिलता है। मान लीजिए, किसी को एक लाख रुपया कर्ज के रुप में मिलना है, तो बैंकों के द्वारा उसको 40-50 हजार रुपया ही मिल पाता है। बाकी रुपया बैंक के अधिकारियों को देने और आने-जाने में खर्च हो जाता है। जिसको काम करने के लिए ऋण मिलना है, उसके मन में मंशा होती है कि बैंक से रुपया मिलने पर वह छोटा उद्योग खोल सकता है, लेकिन जितना उसको पैसा मिलता है, उसको देखते हुए उसकी मंशा पूरी नहीं होती है और वह काम नहीं कर पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था भी गड़बड़ है और इसको रोकने की आवश्यकता है।

महोदय, एक सिंचाई योजना की बात थी, जिस योजना के द्वारा बिहार, बंगाल और उडी़सा को पानी, बिजली और सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। वह योजना अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। इस योजना को पूरा करने के लिए जमीनें तो लोगों से ले ली गई हैं, लेकिन उसका मुआवजा आज तक लोगों को नहीं मिला। उस योजना का नाम चांडिल योजना है। इस प्रकार ऐसी बहुत सी योजनायें हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हैं। मैं चाहता हूं कि देश में इस तरह की जितनी भी योजनायें हैं, जो अधूरी पड़ी हुई हैं और जिन लोगों की जमीनें ले ली गई हैं, ऐसी योजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। जब सब गांवों में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, तब जाकर कुछ स्थिति में सुधार होगा। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही छोटे-छोटे सामान जो बड़े लोग बनाते हैं, उनको छोटे लोगों को बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

उनके माध्यम से बनने चाहिए, इससे भी बेरोजगारी दूर हो सकती है।

उपाध्यक्ष जी, अगर हम गांव में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो गांव के जिन लघु और कुटीर उद्योग-धंधों की बात हम करते हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि गांव के विद्युतीकरण की ओर सरकार विशेष ध्यान दे। जो आंकड़े गांव में विद्युतीकरण के बारे में दिए जा रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि गांव में बहुत बिजली दी गयी है। लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि गांव में अगर बिजली का खम्भा भी गाढ़ दिया जाता है तो उसको भी बिजली उपलब्ध हो गयी वाले आंकड़े में शामिल कर लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए तथा जो भी काम हो वह ईमानदारी से होना चाहिए, केवल आंकड़ेबाजी के लिए या दिखाने के लिए यह नहीं होना चाहिए। यह तो देश और समाज को धोखा देने वाली बात है। इसलिए इस ओर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, साक्षरता के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन गांव में पहले तो विद्यालय ही नहीं हैं, अगर हैं तो उनमें शिक्षक नहीं हैं। अगर वहां विद्यालयों की व्यवस्था कराई जाए तो एक-एक राज्य में 40-50 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आज सरकारी नौकरियों की हालत यह है कि जिन लोगों का देहांत हो गया है या जो लोग नौकरी से रिटायर हो गए हैं उनके स्थानों पर दूसरे लोगों की बहाली नहीं की गयी है। मेरा आग्रह है कि ऐसे हर विभाग में लोगों को नौकरी मिले।

बिहार में हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से विद्यालयों में काम करते हैं। इन विद्यालयों को वित्त-रहित विद्यालय कहते हैं। ये लोग भूखे पेट रहकर सेवा करते हैं। मेरा आग्रह है कि जिस भी प्रदेश में इस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है वह बंद किया जाए और लोगों को पैसा दिलाया जाए। आज लूट और शोषण बढ़ रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ लोग उग्रवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जब तक लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिलेगी, तब तक नौजवान उग्रवाद की ओर बढ़ते ही जाएंगे तथा यह रोग घटने की बजाए बढ़ता ही जाएगा। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरुरत है जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल सके। जो पैसा सरकार की ओर से विकास के कामों के लिए दिया जाता है, बेरोजगारी दूर करने के लिए दिया जाता है, इसका ईमानदारी से बंटवारा हो, तभी उग्रवाद का और इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। सिर्फ कागज पर या विचार करने या बात करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान व्यावसायिक शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोगों को उस तरह की शिक्षा मिले और साथ ही छोटे-छोटे उद्योग धंधे खुलें। गांव में बिजली, रास्ता की व्यवस्था हो तो इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है।

अंत में श्री कठेरिया जी द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि यह एक सराहनीय कार्य है कि सदन में बहस के लिये लाया गया है। मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और इस बात का आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। अपने साथी श्री कठेरिया जी इस महत्त्वपूर्ण विषय को इस सदन में बहस के लिये लाये हैं, उनका आभार मानता हूं।

उपाध्यक्ष जी, बेरोजगारी और गरीबी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की हालत में सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। देश के कर्णधारों, जिनके हाथों में इस देश की बागडोर है, उनकी बेरोज़गारी के बारे में चिन्तन करना चाहिये, मनन करना चाहिये और इस समस्या के समाधान के लिये कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज जो नवयुवक पढ़-लिखकर जिस विषय में ट्रेनिंग लेकर, चाहे वह इंजीनियर है तो वह वकालत कर रहा है, अगर वह वकील है तो अध्यापकी कर रहा है या जिस विषय में उसकी रुचि है, उधर नहीं जा पाता है क्योंकि उस क्षेत्र में उसे नौकरी नहीं मिलती है वह मजबूर होकर उस स्थान पर नौकरी करने लगता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि नॉन-एडेड शिक्षण संस्थानों में अपने जीवन का स्वर्णकाल नष्ट कर देता है क्योंकि उसे वेतन ही नहीं मिलता है और बुढ़ापा आते आते इसको कुछ पैसा मिलने लगता है। इस प्रकार से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक लेकर अपना जीवनयापन करता है। हमें इस बात पर मनन करना होगा, ध्यान देना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। अभी जो बेरोजगार लोग हैं, जब वे दूसरा रास्ता खोजते हैं, चाहे कुटीर उद्योग हो या छोटा उद्योग लगाना चाहता हैं तो जिला उद्योग केन्द्र में पैसा लेने के लिये जाता है और बैंक उसे पैसा देता भी है तो उसका वहीं से बंटवारा हो जाता है। इससे बेरोज़गार व्यक्ति चिन्तित रहता है, कारगर ढंग से कोई रोज़गार नहीं कर पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खलीलाबाद से आता हूं जहां पर मगहर में बुनकर लोग रहते हैं। वे लोग अपना धंधा चलाते हैं, देश को कपड़ा देते हैं। हमारे वहां पर राष्ट्रीय स्तर की कपड़ा मंडी है मगर सूत महंगा होने के कारण और बिजली नहीं मिलने के कारण कारगर ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है। इस सदन में हमने बार-बार मांग की है और बार-बार मंत्रीगण के सामने, हमारे देश के कर्णधारों के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए।

उपराह्न 5.00 बजे

मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद जरूर दूंगा कि इन्होंने सदन में भी ऐलान किया और बाहर भी कारगर ढंग से प्रयास करके बिजली की जो खराब स्थिति थी, उसको सुधारने का प्रयास किया है। हमारे क्षेत्र में आजकल बिजली के मामले में लोग राहत महसूस करते हैं। वहीं हमारे बगल में खलीलाबाद के बगल में बखिरा बाज़ार है जहां बहुत बड़ा बरतन उद्योग है। हमारे तमाम ऐसे कसैरा बिरादरी के साथी जो बरतन उद्योग चलाते थे और राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम हो रहा था, आज उनका धंधा खत्म हो रहा है। पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी नहीं पाते हैं। अगर वह बरतन उद्योग चलाना चाहते हैं तो वहां उसको सहयोग नहीं मिलता है। गरीबी की वजह से, अपनी लचर आर्थिक स्थिति की वजह से उसे कोई उन्हें उनको सहारा नहीं मिल पाता है और बखिरा का उद्योग-धंधा बिल्कुल मृतप्राय हो गया है। हमें और हमारे साथियों को या राजनीति में जो लोग इन लोगों की पैरवी करते हैं, चाहते हैं कि इस तरह के उद्योग जिन्दा रहें, आगे बढ़ें, प्रभावशाली बनें, उन्हें काफी चिन्ता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आमी नदी में मछुआरे समुदाय के बेरोज़गार नौजवान लोग तंग आकर मछली मारने का धंधे का सहारा लेते हैं। जब वह नदियों में जाते हैं तो हमारे यहां जो खलीलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तमाम मिले हैं। संजय पेपर मिल का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां आमी नदी का किनारा है। इस मिल से वहां का जल प्रदूषित होता है। वहां जो एम.एल.ए. तथा एम.पी. होते हैं वह कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इन नदियों में प्रदूषण न हो लेकिन उसमें किन्हीं कारणों से वह निस्तेज हो जाते हैं और कारगर ढंग से कार्यवाही नहीं कर पाते। परिणाम यह है कि आज हमारे मछुआ समुदाय के लोग हमसे बार-बार आग्रह करते हैं कि नदियों को प्रदूषण रहित किया जाए। यह स्थिति घाघरा की है जो हमारे यहां सरयू कहलाती है। यह स्थिति राप्ती और बूढ़ी राप्ती की है। इससे हमारा जो मछुआ समुदाय है वह तंग आ गया है, परेशान है और बार-बार चारों तरफ जिला प्रशासन से और सबसे कहता है मगर उसका भी कोई रास्ता नहीं बनता है। माननीय मंत्री जी जो सदन में बैठे हैं, कैप्टन निषाद जी से मैंने आग्रह किया है और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं पूरी तरह से कोशिश करके आपके संसदीय क्षेत्र में जो नदियां हैं उनको प्रदूषण रहित बनाउंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारी के सवाल पर मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो बुनकर का धंधा है, मछुआ समुदाय के लोगों का धंधा है, जो बरतन उद्योग है, इसमें जो परेशानियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। हमारे इलाके में सनई पैदा होती है। सनई लोग अपने हाथ से कुटीर उद्योग के रुप में सनई कातते हैं। सन से और चारपाई बनने के काम में रस्सियों का प्रयोग होता है, उसे बनाते हैं। यहां एक जूट का उपजाऊ क्षेत्र है। जहां जूट मिल लगाई जा सकती है मगर सहजनवा गोरखपुर में मात्र एक जूट मिल है। खलीलाबाद का हैसरबाज़ार सरयू नदी के किनारे का इलाका है जहां जूट मिल कारगर ढंग से चल सकती है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं है। परिणाम यह होता है कि जो कुटीर उद्योग धंधे के रुप में सनई का धंधा और जूट का धंधा हमारे इलाके में चल रहा है वह बहुत खतरे में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज नौजवान तबाह है, नौकरी खोजता है, अपनी डिग्री फाड़कर फेंक देता है और जला देता है। कहता है कि इस डिग्री से, इस सर्टिफिकेट से क्या फायदा जिससे हमें रोज़ी-रोटी नहीं मिलती है। मैं आपको अपने खलीलाबाद का उदाहरण देना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल में मोहन अली नाम

का एम.ए., बी.एड. किया हुआ एक नौजवान 12 रुपए वेतन पाता है। आश्चर्य है कि इस देश में अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? एक एम.ए. और बी.एड. नौजवान जो अपनी तरुणाई में है, जिसके सामने तमाम उसकी समस्याएं हैं। मगर कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह हेला का बेटा है, अनुसूचित जाति का, जिनको हमारे मुसलमान भाइयों में सफाई कर्मचारी कहा जाता है। मोहर अली नौजवान है, एम.ए., बी.एड. है, मगर 12 रुपये महीना पाता है। आज ट्यूशन करके, एल.एल.एम. करके, एल.एल.बी. करके और इंजीनिरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद भी विभिन्न विभागों में नौजवान अल्प वेतन पर काम करके गुजारा कर रहे हैं। यह आज हमारे देश में बेरोजगारी का आलम है। इसलिए मैं इस सदन के सामने कहना चाहता हूं कि यह जो बेरोजगारी की समस्या है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर मंडल में रेलवे के 180 कर्मचारी जो प्रशिक्षित हैं, लेकिन तीन-तीन बार जी.एम. के कार्यालय के सामने धरना दे चुके हैं, तीन बार जेल जा चुके हैं। उनको धरना देने नहीं दिया जाता है। अगर वे रोते हैं तो उनको रोने भी नहीं दिया जाता है। मैंने तीन बार रेलवे मंत्री जी से कहा कि ट्रेंड लोग हैं, इनको काम दिया जाना चाहिए। लेकिन नई भर्ती हो जाती है, मगर वे जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी उम्र भी खत्म हो चुकी है, उनको काम पर नहीं लिया जाता है। अभी महीना भर पहले की बात है वे फिर से जेल गये। मैं सदन में इस बात को रखना चाहता हूं कि जो लोग रेलवे में ट्रेनिंग कर चुके हैं जो बाल-बच्चेदार हैं, जिनका परिवार बड़ा है, जिनकी उम्र भी खत्म हो चुकी है उनको इस तरह से त्रस्त होने दिया जाता है। क्यों नहीं उनकी रेलवे में नौकरी लगाई जाती है। माननीय रेल मंत्री जी यहां नहीं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको चाहिए ये जो नौजवान लाठियों से पीटे जा रहे हैं, यह जो पुलिस उनको जी.एम. कार्यालय के सामने से उठाकर उनको जेल भेज देती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से संचार विभाग में जो कर्मचारी हैं जो अधिक से अधिक संख्या में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं या जिनको निकाला जा चुका है, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिनके मां-बाप मर चुके हैं, उनको रेलवे में संचार विभाग में रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सुरेन्द्र जी आप समाप्त कीजिए। आप इसी मुद्दे पर पहले भी बोल चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। गोरखपुर में जमीन का मामला था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जितने किसान है, उनके लड़के बेरोजगार हैं मगर उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। उनकी जमीने ऐसे भाव में ली जा रही हैं कि जो एकदम गलत है। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो जमीन वह ले रहे हैं उसके ज्यादा पैसे दिये जाएं, जिससे कि वे कोई रोजगार कर सकें। महोदय, जो विषय मैंने सदन में रखा है, मेरा आपसे आग्रह है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ताकि जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके साथ कुछ हमदर्दी हो, उनको कोई रास्ता खुले और वे रोजगार की तरफ बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत ऐसा देश है जो सभी दृष्टि से साधन-संपन्न है। यहां खनिज संपदा है, वन संपदा है, कोयला, लोहा, अभ्रक है। अन्य प्रकार के सब साधन होने के बाद भी इस देश में बहुत से ज्यादा गरीबी है और जो गरीबी है उसका कारण बेरोजगारी है और यह बेरोजगारी लघु और कुटीर उद्योग न होने के कारण निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार की गलत नीतियों से आज यह स्थिति पैदा हुई है। सरकार को वास्तव में हर हाथ को काम देने की योजना बनानी चाहिए, उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। परंतु इस सरकार ने और उसके पहले वाली जो भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस बात को ध्यान में रखकर जो योजना बनानी चाहिए, वह नहीं बनाई। इस कारण हमारे देश में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आनुपातिक दृष्टि से लघु और कुटीर उद्योग, बड़े उद्योगों की तुलना में कम होते जा रहे हैं और पहले से स्थापित लघु और कुटीर उद्योग निरंतर बंद होते जा रहे हैं। इन उद्योगों की ऐसी दुर्गति का मुख्य कारण सरकार की गलत नीति है। सरकार को इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि जितना पैसा हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति पर खर्च करना पड़ रहा है, अगर उस पैसे को लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना में लगा दिया जाए तो मेरा मानना है कि देश में जितनी आपराधिक गतिविधियां हैं, चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, वे निश्चित रुप से कम हो जाएंगी और इन घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने के लिए, पता लगाने के लिए, अपराधियों की खोज में जितना पैसा खर्च करते हैं, वह अपने आप बच जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती।

जब हम बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जर्मनी, जापान, फ्रांस, आस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है। दूसरे विश्वयुद्ध में जापान और जर्मनी जैसे देश नष्ट हो गए थे। न उन देशों के पास कोयला था, न लोहा था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई रॉ-मैटीरियल नहीं था। ठीक वैसी ही

स्थिति स्विटजरलैंड और फ्रांस की भी थी। ये सभी देश भारत की तुलना में बहुत छोटे देश हैं। वे काफी समय तक रॉ-मेटीरियल, कोयला; लोहा आदि हिन्दुस्तान से ले जाते रहे, हमारे मध्य प्रदेश से ले जाते रहे और उससे सामग्री तैयार करके विश्व के दूसरे देशों में बेचकर खूब कमाते रहे। आज उन देशों में कोई बेरोजगारी नहीं है और वे साधन-सम्पन्न देश माने जाते हैं। हमारा देश साधन-सम्पन्न होने के बावजूद विकासशील देशों की लाइन में यदि आप देखें तो नीचे से तीसरे, चौथे या पांचवें स्थान पर होगा। विकसित देशों की गितनी में हमारे देश का नाम ढूढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। आज भी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण मिले हैं। देश के अन्य राज्यों की स्थिति भी ऐसी ही है।

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में एक लाख पद शासकीय विभागों में समाप्त कर दिए और 28,000 सेवारत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ठीक वैसी ही स्थिति केन्द्रीय सरकार के संस्थानों की है, एन.टी.सी. मिलों में है, सरकारी उपक्रमों में चल रही है। ये सब संस्थान निरंतर रुग्णता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मिलें बंद होती जा रही हैं और उनमें जो लोग काम कर रहे थे, वे बेरोजगार होते जा रहे हैं। नये नौजवान लोगों को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में सरकार किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है।

मैं मध्य प्रदेश की हालत से ज्यादा अवगत हूं। हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों की हालत का अगर मैं वर्णन करूं तो इस संकल्प का जो विषय है, वह बहुत व्यापक है, उस पर यदि एक घंटे तक भी अगर भाषण दिया जाए तो भी बहुत से मुद्दे अधूरे रह जाएंगे। हिन्दुस्तान में केवल लुधियाना ही ऐसा शहर है, जिसे मैंने तो नहीं देखा, उप्राध्यक्ष -जी आपने निश्चित रुप से देखा होगा, जिसे भारत का जापान कहा जाता है। यदि लुधियाना में घर-घर में लघु और कुटीर उद्योग हो सकते हैं, वहां तैयार सामान हिन्दुस्तान के कोने कोने में बेचा जा सकता है तो हिन्दुस्तान के अन्य बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में उसी प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। सभी जगह लघु और कुटीर उद्योग क्यों स्थापित नहीं हो सकते? परन्तु इस सरकार की नीयत खराब है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आज तक का इतिहास अगर देखें तो यहां बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जितनी सुविधाएं हैं, उस आनुपातिक अंतर को यदि आप निकालें तो यहां लघु और कुटीर उद्योगों को सुविधाएं न के बराबर हैं। आप सब्सिडी के मामले में देख लीजिए। बड़े उद्योग, वृहद् उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग और छोटे उद्योगों को जितनी सबसिडी दी गई है, जितने उद्योग इस देश में लगे हैं, उनमें ओटोमेशन के कारण कहीं मुश्किल से 100 लोग, कहीं 200 लोग, कहीं 300 लोग, कहीं 400 लोग या कहीं 500 लोग काम कर रहे हैं। बहुत कम उद्योग आपको ऐसे मिलेंगे, जिनमें पूंजी के अनुपात में नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। यदि वही सबसिडी की राशि, कुछ अनुपात में उसमें से काटकर, अगर लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार खर्च कर दे आज भी अगर सरकार खर्च करना प्रारम्भ कर दे तो अगले 5 सालों में इस देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है, इस देश से बेरोजगारी मिट सकती है। इस देश से बेरोजगारी मिट सकती है, इस देश के नौजवानों को काम मिल सकता है और इस देश में अमन-चैन और आशा का वातावरण निर्मित हो सकता है। यदि सरकार की यह नीति रही तो किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा और आप और हम चाहें या न चाहें, इस देश में अनावश्यक दंगे-फसाद होंगे, लूट-पाट की संख्या बढ़ेगी। एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग भटकते फिर रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे देश का इंजीनियरिंग पास युवक यहां पर दो हजार रुपए की नौकरी करने के लिए दर-दर भटक रहा है और वही युवक विदेशों में जाकर 40-40 और 50-50 हजार रुपए प्रति माह कमाता है और हिन्दुस्तान में जो सामग्री निर्मित होती है, उससे अच्छी सामग्री वहां जाकर निर्मित करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से सोच-समझ कर जिस प्रकार से योजनाएं बनानी चाहिएं, इस देश के ग्रामीण और कृषि परिवेश को देखकर जैसी योजनाएं बनाई जानी चाहिएं वैसी योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं, जिससे इस देश में एक तरफ उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। जिस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, वह काम हमारे देश में नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में एक समय था जब स्कूलों में रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षा दी जाती थी वह लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायक हुआ करती थी और इसके साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से खेलकूद का पीरियड भी अनिवार्य हुआ करता था। वहां जो स्वरोजगार स्थापित करने वाली रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाती थी उसको स्थापित करने पर आज बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। आज जहां कंप्यूटराइजेशन की शिक्षा दी जाती है, लघु या कुटीर उद्योग खड़ा हो जाए या शिक्षा प्राप्ति के बाद सीधा-सीधा लघु उद्योग खड़ा कर सके, ऐसी शिक्षा के केंद्र आज हिंदुस्तान में बहुत कम हैं। इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की शिक्षा दिए जाने की बहुत जरुरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कठेरिया जी ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है मैं उसका दिल से समर्थन करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि जो सबसिडी बड़े उद्योगों को लगाने के लिए दी जा रही है उसमें कटौती करें और उसके स्थान पर कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। जिस दर पर बिजली बड़े उद्योगों को दी जाती है उसी दर पर छोटे उद्योगों को दी जाए बल्कि मेरी मांग तो यह है कि और कम रेट पर दी जानी चाहिए। लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के नियमों में परिवर्तन करके उदार बनाया जाए। जिला रोजगार कार्यालय और जिला उद्योग कार्यालयों की हालत बहुत खराब है। वहां बहुत भ्रष्टाचार होता है और अनियमितताएं होती हैं। यदि कोई छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति जिला रोजगार कार्यालय में पहुंच जाए और यदि वह प्रोफाइल मांगता है, तो उसे प्रोफाइल नहीं मिलती है। यदि वह सिलेंडर बनाने या माचिस बनाने या स्लेट फैक्ट्री खोलने के लिए प्रोफाइल मांगता है तो उसको वहां से किसी प्रकार की प्रोफाइल या कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और यदि कोई व्यक्ति यहां केन्द्रीय मंत्री, वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री की सिफारिश लेकर पहुंचता है, तो अधिकारी उसके घर पर खुद दौड़-दौड़ कर पहुंचते है और सारी सुविधाएं और सहूलियतें देने की बात करते हैं। बड़ा उद्योगपति तो पैसे के बल पर उद्योग लगा लेता है लेकिन छोटे उद्योगपति को कोई सहायता इन केंद्रों से नहीं मिलती है। छोटे-छोटे उद्योगपति तो भटकते फिरते हैं उनको कोई सहायता नहीं मिलती है। उद्योग कार्यालय में प्रबंधक नहीं मिलता, यदि प्रबंधक मिला जाता है, तो इंसपैक्टर नहीं मिलता और यदि वह भी मिल जाए, तो बाबू नहीं मिलता। इसलिए मेरी मांग है कि इन बातों की ओर ध्यान देकर इन बातों को सुधारा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े उद्योगों को एक्साइज में सात साल की छूट, सेल्स टैक्स में पांच साल की छूट, दो साल तक लेबर रेट में छूट मिलती हैं, लेकिन छोटे और कुटीर उद्योगों को ये सब छूट मिलने में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। इसलिए सब लोग बड़े उद्योगों की तरफ जा रहे हैं और छोटे उद्योग चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानूनों की सारी पेचीदगियां छोटा उद्योग चलाने वाले के माथे पर मढ़ दी जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार और इससे पहले की सरकार के समय में भी होता रहा है कि उद्योगों में लगे श्रमिकों के उत्थान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण उद्योग और उद्योग में लगे श्रमिकों में जो तालमेल और समन्वय होना चाहिए वह नहीं रहा। उद्योगों को चलाने के लिए श्रमिकों में मन में राष्ट्र उत्थान की भावना होनी चाहिए। उस उद्योग को अपनाना उनके दिल-दिमाग में होना चाहिए लेकिन वह नहीं रहा। गुप्त मतदान प्रणाली के कारण श्रमिक संगठनों को मान्यता नहीं देने के कारण वहां चंद लोग बैठे रहे और उन्होंने गलत तरीके से अपना प्रभाव जमाकर उन उद्योगों को घाटे में लाने की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं आज भी यदि ये अपनी श्रम नीति में सुधार कर लें तो जो उद्योग बंद हो रहे हैं या बीमार होते जा रहे हैं, वे उद्योग फिर से चालू किए जा सकते हैं। जो बीमार हो रहे हैं, उनको ठीक किया जा सकता है और वे उस देश के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं। ये सब बातें हैं। कुल मिलाकर इस संकल्प के माध्यम से मैं सरकार से यह सब बातें कहते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रुप से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से कानूनों में उदारता लाये। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नीति बनाये। यदि कोई आयोग बना हुआ हो तो उस आयोग को पुनर्जीवित करें, सक्रिय करें। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग से बैंक बनायें और बैंक का कर्त्तव्य इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मदद देने के लिए और बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से होना चाहिए। इस प्रकार के सुधार और इस प्रकार की नीति अगर यह सरकार बनायेगी तो निश्चित रुप से बेरोजगारी कम हो सकती है।

लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित होने से इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। अमन चैन और कानून व्यवस्था लाने का प्रयास किया जा सकता है। नहीं तो जिस ढर्रे पर यह सरकार चल रही है वैसे ही चलती रहेगी जिससे आज नहीं तो कल यह देश बरबादी के रास्ते पर बढ़ेगा। मैं यह मानता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर समुचित कदम उठायेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या का हमारे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं द्वारा फायादा उठाया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय बेरोजगारी के आंकड़े लगभग 3.5 करोड़ है। अगर ग्रामीण बेरोजगारी की गणना की जाए तो यह और अधिक है। केरल में 45 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तीन प्रकार की है-शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी। हम अपनी आजादी का पचासवां वर्ष मना रहे हैं और अब हम नौंवी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा कर रहे हैं। यदि हम बेरोजगारी को पर्याप्त रुप से कम करना चाहते हैं तो हमें अपना कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषि ढांचे में सुधार करना होगा।

लेकिन, इस दिशा में रिकार्ड बहुत ख़राब रहा है। यही वजह है कि औद्योगिक क्षेत्र भी गतिरोध की स्थिति में है। गत पांच वर्षों

से आर्थिक सुधार एक तरफ तो समस्याओं और दूसरी तरफ अधिक उलझा दिया है तथा तीव्र गति से मशीनीकरण से बेरोजगारी और बढ़ी है। मितव्ययिता के नाम पर, सरकार ने भिन्न-भिन्न विभागों में लाखों रिक्तियों को नहीं भरा है। कम्प्यूटरीकरण होने से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

यद्यपि इससे बचा नहीं जा सकता, इस संदर्भ में, मैं सरकार से सम्पूर्ण देश में व्यापक बेरोजगार राहत योजना क्रियान्वित करने और काम के अधिकार को भारत के संविधान में मौखिक अधिकार के रुप में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तीव्र गति से कृषि सुधार और संगत औद्योगिकरण इस समस्या का अंतिम समाधान है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष जी, कठेरिया जी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए, रोजगर पैदा करने के लिए गांव में लघु उद्योग स्थापित करके उनको आर्थिक सहायता दी जाये का जो संकल्प पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, देश में लाखों क्लर्क बनाये जाते हैं। बी.ए., एम.ए. पास करने के बाद यदि आप उससे यह आशा करेंगे कि वह खेती का काम करे, पान की दुकान करे तो वह इसे नहीं कर सकता। शिक्षा का सवाल बुनियादी सवाल है। बाहर के मुल्कों में जो छात्र जिस लायक होता है, उसे उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां बेकारी की डिग्री दी जाती है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन किया जाए। मिसाल के तौर पर यदि लड़का गरीब परिवार का है, बी.ए., एम.ए. नहीं कर सकता तो यदि उसे हाई स्कूल तक की शिक्षा में कोई टैक्नीकल शिक्षा दे दी जाए जैसे साबुन बनाने की शिक्षा, टायर का पंचर जोड़ने की शिक्षा, ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने की शिक्षा आदि, तो मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। आज पान की दुकान करने वाला व्यक्ति पढ़े-लिखे लोगों से ज्यादा कमाता है।

आज सबसे अधिक संख्या पढ़े-लिखे बेरोजगारों की है। जब कोई नौजवान एम.ए. पढ़कर भी काम नहीं पाता तो परेशान होकर वह क्राइम करने लग जाता है। आज देश में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उसे मजबूर होकर स्मगलिंग, डकैती, चोरी करनी पड़ती है। हमारे शास्त्रों ने लिखा है-

वुभुक्षितम किम् न करोति पापम्
शिलाजरानि निष्करुणा भवन्ति।

इसका अर्थ यह है कि भूखा इंसान संसार के सारे अपराध कर सकता है। आज यह जो कलंक लगा हुआ है, यह बेरजोगारी की वजह से है। यदि बेरोजगारी नहीं रुकी तो देश में अमन नहीं रहेगा।

मैं गन्ने के इलाके का रहने वाला हूं। वहां लोग कोल्हू चलाते हैं और गन्ने से गुड़ बनाते हैं। लेकिन उन्हें बिजली से कोल्हू चलाने की इजाजत नहीं मिलती। यदि उन्हें बिजली से कोल्हू चलाने की इजाजत मिल जाए तो उनकी लागत कम आएगी जिससे मुनाफा अधिक होगा और बेरोजगारी दूर होगी। मैं कहना चाहूंगा कि यह उनका मौरल राइट है।

मैं जिस जनपद से आता हूं वहां पीतल के बर्तन बनते थे लेकिन आजकल उन लोगों की हालत खराब हो गई है। बैंक उनको लोन नहीं देता। सोसाइटी बनाई, वह भी लोन नहीं देती। बैंक का यह नियम है कि वह जितना रुपया देता है उस पर कुछ प्रतिशत ब्याज लेता है। हमारे यहां पडरौना, मिर्जापुर का पीतल का उद्योग सबसे ज्यादा मशहूर था किन्तु आज बेकार हो गया है। मैं चाहूंगा कि पीतल के बर्तन बनाने वाले लोगों को बैंक द्वारा ऋण दिलवाया जाए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और बिहार का पश्चिमी इलाका सबसे ज्यादा गरीब है। आप बम्बई, कलकत्ता जाएंगे तो गोरखपुर और बिहार के लोगों को मजदूरी करते हुए पाएंगे। जवाहर लाल जी के समय में एक कमीशन बना था, एक पूर्वी आयोग बना था और उस आयोग में था कि उसको विशेष सुविधा दी जाए, किन्तु वह आयोग केवल कागजों में रह गया, कोई सुविधा नहीं मिली। आज मैंने आपसे एक छोटा सा उदाहरण दिया है। हमारे यहां जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि सरही और जूट होता है और उसकी बहुत बेहतरीन चटाई बनती है, जो कि हर जगह भेजी जाती है, किन्तु उनके पास इतने साधन नहीं होते। अगर उस कुटीर उद्योग को साधन दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वहां की चटाई जो हम लोगों के घर में यहां दिल्ली में बिछाई जाती है, उससे भी बेहतरीन बनती हैं, वह सप्लाई करते हैं।

हमारे यहां बैंत होता है, बैंक की बेहतरीन कुर्सियां बन सकती हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह काम नहीं कर सकते हैं। उनको अगर आर्थिक सहायता मिले तो वह बेहतरीन अपनी कारीगरी दिखा सकते हैं। हमारे यहां एक करघा का उद्योग भी था, उनको समय पर सूत नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, वह ठप्प है। बराडा एक गांव है, जिसने काफी नाम कमाया था और बेहतरीन कपड़ा बनाते थे, उनको भी न समय से सूत मिलता है, न बैंक से लोन मिलता है। आज वह उद्योग भी ठप्प पड़ा हुआ है।

दूसरा में यह निवेदन करूं कि शहर में तो दूध मिल जाता है, सरकार ने योजना भी बनाई की गांव के रहने वाले लोगों को दुधारू पशु दिए जाएं, गाय और भैंसें दी जाएं, लेकिन धन्य हैं हमारे अफसरान और धन्य है करप्शन। एक शेर है, कोई मौलाना

साहब मस्जिद में शराब पी रहे थे तो किसी ने कहा कि अरे खुदा की पाक इबादतगाह है, यहां क्यों शराब पीते हो तो उसने कहा कि:

''मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे साकी,
वरना वह जगह बता, जहां खुदा न हो।''

ठीक उससे उल्टा यह है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सी जगह है, जहां रिश्वतखोरी नहीं है। आज हालत खराब है। अब पशुपालन में यह है कि सरकार सब्सिडी देती है। अधिकारी क्या करते हैं कि फर्जी कागज में लिख देते हैं। सब्सिडी ले लेते हैं और जिस पर ब्याज देना पड़ेगा, वह रुपया किसान को दे देते हैं। सच्चाई तो यह है कि गांवों में दुधारू गाय या भैंस एक-एक परिवार को देकर डेयरी फार्म खोला जाय तो उनका बड़ा भला हो सकता है। उनका काम अच्छा चल सकता है, बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। मुर्गीपालन है, हालांकि मैं मुर्गीपालन का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, क्योंकि हमारे एक कृषि मंत्री हुए थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी तुम अपने यहां मुर्गीपालन कर लो तो मेरा विभाग तर जाएगा। हमने कहा कि विभाग तरे, न तरे, मैं तो पंडित हूं, मुर्गीपालन नहीं करूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि देहात के लोगों ने...(**व्यवधान**) सुनिए साहब। मैं यह सही कह रहा हूं, बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है, हमारे यहां जो मुर्गीपालन करते हैं, अंडो को बाजार में बेचते हैं, उनकी काफी आमदनी है। मुर्गीपालन पर जोर दें तो वह काम चल सकता है, उनको भी पैसे मिल सकते हैं। अभी मछली की बात है, गांव-गांव में तालाब हैं, लेकिन मछली विभाग वाले लोग पता नहीं कहां रहते हैं, अगर वे थोड़ा सा ध्यान दें तो तमाम मछुअरों का कम चले, पैसा मिले, लोगों को मछली भी मिलें। मैं अपने गांव की बात करता हूं। मेरे यहां तालाब हैं, पहले उसे 10,000 रुपये में बेचते थे, मैं थोड़ा सा सक्रिया हुआ तो वह तालाब एक लाख 60 हजार रुपये में बिका है और कुछ थोड़ा सा मैटीरियल डालेंगे तो कम चल जाएगा।

हमारे यहां हल्दी की खेती बड़ी अच्छी होती है। शायद कोई भी घर ऐसा नहीं है, जिसमें हल्दी का इस्तेमाल न होता हो, किन्तु उसके लिए छोटी सी मशीन नहीं हो सकती है, कोई उद्योग नहीं है। आज हल्दी का चूर्ण बनाकर विदेश में भेजा जा सकता है। हमारे यहां हल्दी की सबसे बढ़िया उपज है। कटहल हमारे यहां सबसे अच्छा होता है, उसका फर्स्ट क्लास अचार, मुरब्बा बन सकता है, किन्तु वह तो विदेशियों की कम्पनियां मुरब्बा बनाएंगी तो देहात का आदमी कटहल का मुरब्बा कैसे बनाएगा। मैं तो शासन से यह चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे उद्योगों को आप तरजीह दें। गांवों में अगर 10-5 औरतों को एक साथ सिलाई मशीन का काम दे दिया जाय तो कपड़े सीने का काम भी करेंगी, उनको भी पैसा मिलेगा, किन्तु मैंने देखा है कि सिलाई की मशीन सब्सिडी पर गरीबों को दी जाती है, उसकी सब्सिडी भी ले ली जाती है।

एक बात और है। चाहे आप एक लाख रुपया दीजिए, केवल सरकारी सहायता से ही गरीबी नहीं जाएगी। आपको शिक्षा में भी एक परिवर्तन करना पड़ेगा, इस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी कि अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता भी लोगों में आये और साथ-साथ शासन को चाहिए, जो छोटे-छोटे गांव के लोग उद्योग चला रहे हैं, उनकी आर्थिक सहायता करें। जैसे तेल है, गांव में यह उद्योग ठप है। लोगों को बजारा से तेल खरीदना पड़ता है। अगर वहां बिजली मिले और मशीने लग जाएं तो लोगों को तेल भी मिल सकता है, काम भी मिल सकता है और रोटी भी मिल सकती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ऐसे उद्योग गांवों में लग सकते हैं।

जहां तक सहकारिता का सवाल है, यह महाराष्ट्र में बहुत सफल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह बिल्कुल असफल रही है। सहकारिता में आई त्रुटियों को दूर करके इसके माध्यम से गांव-गांव में सहकारी संस्थाएं बनाकर ऐसे उद्योग चलाए जा सकते हैं जो काफी हद तक बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देश से रिश्वतखोरी दूर नहीं करेंगे, सहकारिता से रिश्वतखरी दूर नहीं करेंगे तो सहकारिता नहीं पनप पाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी मिटाएं। अभी हमारे कई मित्रों ने कहा कि आप सब्सिडी तो देते हैं, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाती या कम पहुंचती है। आप गांवों में कुटीर उद्योगों के लिए सब्सिडी दें और कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था करें।

हमारे यहां फल और सब्जियां बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सड़क नहीं है, बिजली का अभाव है। पडरौना का उत्तरी इलाका तो आज भी बिजली से महरूम है। इसलिए बिजली की व्यवस्था छोटे-छोटे उद्योगों को चलाने के लिए की जाए। मैं जानता हूं कि जो कुछ हम यहां कहते हैं वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह जाता है, मंत्री महोदय, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान देंगे तो गरीबों का कुछ न कुछ जरूर भला होगा।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दामोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभु दयाल कठेरिया जी ने बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का संकल्प यहां रखा है, यह देश की दुखती नब्ज को पकड़ा है। इससे उनकी वह पीड़ा व्यक्त हो रही है कि किस प्रकार हमारा देश बेरोजगारी और महंगाई के कारण गरीबी की गर्त में चला गया है। इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा गरीबी है। हमारे देश के बड़े-बड़े नेता, कई पूर्व प्रधान मंत्री गरीबी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। आज भी लोग गरीबी

उन्मूलन की बात कहते हैं। लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उसका परिणाम यह है, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है-

नहीं डारद सम दु:ख जग माहीं।

डारद से बड़ा यानी गरीबी से बड़ा दु:ख और कोई नहीं है।

भटकते नौजवान को रोजी न मिले

भूख से तड़पते इनसान को रोटी न मिले

तुम्हारी सियासी तकरीरों को चाटें श्रीमन

जब नंगे इनसान को लंगोटी न मिले।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और श्रम प्रधान देश भी है। जो भी कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग हमारे देश के अंदर थे, वे अब धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। हमारे देश को पूर्व में, इतिहास में सोने की चिड़िया कहते थे, जहां घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। आखिर इतनी समपन्नता होने के बाद भी देश की हालत क्या हो गई, इसका कारण यह है कि असली चीज जो होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता सही ढंग से तय नहीं की गई। यदि खेती से संबंधित उद्योग लगाए जाते, जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी कह रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ स्थिति बदल जाती। हमारे यहां ताम्बे और पीतल का धन्धा होता है, स्थिति यह है कि वह बन्द हो रहा है। जौनपुर से लेकर मिर्जापुर तक कालीन का धन्धा होता है। लेकिन गैट समझौते के कारण उस पर भी बैन लग गया है। जब निर्यात नहीं होगा, तो लोग उसको क्यों बनायेंगे। इस वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और माननीय कठेरिया जी ने अपने बिल में मांग की है कि विद्यमान लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, नए लघु उद्योग स्थापित किए जायें और ऐसे उद्योगों को बिजली आदि आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें तथा लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कतिपय क्षेत्र आरक्षित किए जायें। साथ ही राष्ट्रीय विकास बैंकों की स्थापना की जाए। इन सारी चीजों के अभाव में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण हमारे उद्योगों पर तुषारापात हो रहा है। इन तमाम सुविधाओं का हरण किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां डायमन्ड सीमेंट फैक्ट्री है, जो कि बिरला ग्रुप की है। इस फैक्ट्री में सारा काम बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। वहां पर मजदूरों द्वारा काम नहीं होता है। इस प्रकार उस क्षेत्र का पूरा शोषण हो रहा है। जो मजदूर उस उद्योग में लगे हुए थे, उनको क्रम से निकाला जा रहा है। इन्दौर में अनेक मिलें बन्द हो गई हैं। इस तरह से जो व्यवस्था थी, वह टूट रही है। जो कुटीर उद्योग लगे हुए है, वे टूट रहे हैं। वहां पर भी मजदूरों की हालत खराब हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जहां पर चम्बल नदी बहती है, वहां पर लाखों एकड़ बीहड़ जमीन पड़ी हुई है, जहां पर डकैती होती है। डकैती से निपटने के लिए अरबों रुपया खर्च किया जाता है। मेरा सुझाव है कि इसको समतल करके बेरोजगार नवयुवकों को वह जमीन दे दी जाए, तो वहां पर खेती की जा सकती है। जो नई कृषि नीति आई है, उसके तहत यदि बीज उनको उपलब्ध करा दिया जाए, तो वहां पर खेती की जा सकती है। लेकिन हमारा सारा का सारा ध्यान लॉ एंड आर्डर पर लग रहा है और डकैतों को पकड़ने के लिए हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि उस जमीन को समतल बनाकर खेती योग्य बना दिया जाए और चम्बल नदी से सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जाए, तो बेरोजगारी समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। इसी प्रकार ऐसी कई चीजें हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि वास्तव में इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए, तो उस क्षेत्र का भी विकास हो सकता है।

महोदय, इसके साथ-साथ कृषि से लगा हुआ एक और भी महत्त्वपूर्ण उद्योग है और वह उद्योग पशु-पालन का है। यदि गाय का संवर्धन किया जाए और इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो डेयरी उद्योग का धन्धा भी अच्छी तरह से चल सकता है। यह उद्योग पहले तो चलता था, लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। आज तो कत्लखाने खुल गए हैं और उनमें गाय कट रही हैं। एक समय ऐसा आएगा, जब लोग गाय माता के दर्शन भी नहीं कर पायेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस देश की परम्परा है, जो इस देश की संस्कृति है, उस संस्कृति को और उन मर्यादाओं को समझ कर हमारे जो उद्योग हैं, उनको एकत्र करके योजना बनाये, तो निश्चित रुप से बेरोजगारी की समस्या से हम निपट पायेंगे और साथ ही हम गरीबी से निजाद पा सकेंगे।

हमारे देश में बहुत प्रतिभाएं हैं। हमारे डाक्टर, इंजीनियर जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन क्या कारण हैं कि हम उन्हें देश में उनकी प्रतिभा के अनुरूप काम नहीं दे पा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कुसमरिया जी, आप जरा ठहरिये। एक घंटा जो बढ़ाया गया था वह पूरा हो गया है, इसलिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां जो प्रतिभाएं हैं उनसे हम काम नहीं ले पा रे हैं। यही कारण है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारी प्रतिभाओं का शोषण विदेशी लोग कर रहे हैं। हम उन प्रतिभाओं का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, दोहन और शोषण

में फर्क है। गाय को चारा खिलाकर जब हम उसका दूध निकालते हैं, तो वह दोहन है, लेकिम हमारी प्रतिभाओं का शोषण किया जा रहा है।

आज हम देखते हैं कि नमक बनाने के लिए जो बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे यहां आयी हैं, उनके कारण हमारे यहां के लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमने जो उनसे समझौते किए हैं उनके कारण हमारे देश के मूल धंधे नष्ट होते जा रहे हैं और उन धंधों में लगे हमारे गरीब मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है जिससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष जी, अंत में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं अगर हमें उन्हें बचाना है तो उनमें लगे लोगों को प्रशिक्षण देकर तथा उनके अनुकूल उद्योग धंधे खोल करके उन्हें काम में लगाएं।

आज प्रधान मंत्री रोजगार योजना का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां कई ऐसे लोग हैं जिनके केसेज बैंक में पड़े हुए हैं लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि हम ऋण नहीं देंगे, उनको फाइनेंस नहीं करेंगे। बैंकों के ऊपर हम लोगों का रुतबा नहीं रहता है, न ही वे हमारी बात मानते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि बैंकों को भी निर्देश होना चाहिए कि वे बेरोजगार लोगों को ऋण उपलब्ध कराएं।

मेरे क्षेत्र दमोह में पन्ना क्षेत्र हैं जहां पर पत्थर और हीरे की खदानों में हजारों मजदूर काम करते हैं। आज वहां पर क्या हो रहा है। आज वहां पर कार्पोरेशन को खदाने दी जा रही हैं; जो बाहर से मजदूरों को लाकर काम पर रखते हैं। एन.एस.बी.सी. जो वहां काम कर रही है, उसके तहत जो हीरा निकलता है उसकी चोरी होती है, भयंकर चोरी होती है। वहां पर पत्थर और हीरे की खदानें हैं, इसके अलावा वहां पर कोई उद्योग-धंधा नहीं है।

पन्ना जिले में बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के स्थानीय लोगों को उनमें काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी और भी बढ़ने वाली है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन खदानों में स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाए क्योंकि वे लोग इस काम को परम्परागत रुप से कर रहे हैं। आज वहां अरबों-खरबों की तस्करी हो रही है जिसका उदाहरण मैंने पिछले दिनों दिया था। कि कोहिनूर से बड़ा हीरा पन्ना से निकला लेकिन प्रशासन ने उसकी जगह नकली हीरा रख दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी गरीब को कोई हीरा मिल जाता है तो उसको करंट सा लगता है लेकिन यदि वही हीरा किसी बड़े व्यक्ति को मिल जाये तो उसको करंट नहीं लगता है। गरीब आदमी उस हीरे को छुपा नहीं सकता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्पोरेशन में बड़े बड़े लोग हैं जिनका दिल मजबूत है और भ्रष्ट हैं जो डरते नहीं। इसलिये उन खदानों को मुक्त किया जाये और वहां के लोगों को उसमें रोजगार दिया जाये। पहले जहां खदानें चलती थी, लेकिन अब वहां पर वन विभाग वालों ने नई लाईन लगा दी कि यह वन विभाग की जमीन है। मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थानों को लोकेट कर लें और सर्वेक्षण करवा लें और उसकी जगह, राजस्व की जमीन ले लें। बार-बार अलाट करके उसको निकालने का काम न करें ताकि राजस्व बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा।

अंत में यही कहूंगा:

जोर जुल्म के होने से शुरु होती है, किसी गरीब के रोने से शुरु होती है,

भस्म होते तख्ते-ताउस भी, जब आग किसी कोने से शुरु होती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इन गरीब लोगों की चिन्ता की जाये, बेरोजगारों को काम दिलाया जाये। इसी भावना के साथ हमारे साथी श्री कठेरिया जी द्वारा लाये गये इस संकल्प का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करके गरीबों के हितों में अच्छा कदम उठायें।

[अनुवाद]

श्री एस. के. कारवेंधन (पलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा सही समय पर दिया गया सुझाव है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक है। सम्पूर्ण भारत, ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में अनेक नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोगों और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देना महत्त्वपूर्ण है। यह माननीय सदस्य द्वारा समय से दिया गया सुझाव है।

हमारे देश में, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उदाहरण के लिए मैं चार महत्त्वपूर्ण योजनाओं को जो लागू की गई हैं, उद्धृत कर सकता हूं, ये आई.आर.डी.पी., डी.पी.ए.एफ., जे.आर.वाई. और एन. आई. ई. पी. योजनाएं हैं। इस देश में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश नौजवान कोई रोजगार प्राप्त किए बिना शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बेकार घूम रहे हैं। भारत सरकार को लघु उद्योग शुरु करने के लिए सभी मोफुसिल क्षेत्रों में समुचित स्थानों की पहचान करनी चाहिए और लघु उद्योग शुरु करने के लिए वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए। यह एक महत्त्वपूर्ण सुझाव है।

मैं एक बात कह सकता हूं कि वर्ष 1973 में, बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए माननीय न्यायाधीश भगवती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की अपनी

रिपोर्ट में, यह दर्शाया गया था कि हमारे देश में, 18.7 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार थे और 9.7 मिलियन व्यक्तियों को एक सप्ताह में केवल चार घंटे का रोजगार प्राप्त था। उनमें से 86 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

लघु उद्योगों को शुरु करने के संबंध में, इन दिनों हालांकि सरकार लघु उद्योग शुरु करने के लिए लाइसेंस दे रही है, लेकिन बैंक प्राधिकारी लघु उद्योग शुरु करने के लिए लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं। लघु उद्योग शुरु करने के लिए लाइसेंस अथवा बिजली प्राप्त करने से पहले ही बैंक प्राधिकारी इन युवाओं से धन वसूल करना प्रारम्भ कर देते हैं। इसके परिणामस्वरुप, इन नौजवानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उद्योग बंद हो जाता है। पूर्व सरकार के शासन काल में बेरोजगार स्नातकों ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन किया था और उनके आवेदन पत्र प्राधिकारियों को भेजे गए थे। प्राधिकारियों ने भी आवेदकों को लघु उद्योग शुरु करने के लिए एक लाख रुपए अथवा इसके आस पास स्वीकृत करने की सिफारिश की थी। लेकिन बैंक प्राधिकारी इन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं कर रहे हैं। वे इन आवेदन पत्रों को पूर्णरुप से अस्वीकृत कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैं यह कह सकता हूं कि तमिलनाडु में अथवा केरल में अधिकांश नौजवान अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् चाय की दुकान, मेकेनिकल वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं अथवा ऑटोरिक्शा चला रहे हैं।

लघु उद्योग शुरु करने के लिए केवल वित्तीय सहायता ही पर्याप्त नहीं है। हमें, नौजवानों को अन्य सभी सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। सहायता की राशि प्रत्येक योजना के लिए 2 से 3 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बैंक प्राधिकारियों को अनुदेश देने चाहिए। केवल तभी सभी बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिया जा सकता है। यदि हम अपने देश के नौजवानों को अन्य देशों के नौजवानों के साथ देखें तो सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश नौजवान ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। कार्य भागीदारी दर राज्य के आर्थिक विकास से प्रत्यक्षरुप से जुड़ी है। इंग्लैंड और जर्मनी में कार्य भागीदारी दर 45 से 50 प्रतिशत है। लेकिन भारत में यह केवल 30 से 35 प्रतिशत है। चूंकि नौजवानों द्वारा कार्य भागीदारी दर कार्य की अनुपलब्धता के कारण बहुत कम है, इसलिए भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हों।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : यह बेरोजगारी से संबंधित है। इसे 81वें (संशोधन) विधेयक के साथ जोड़ा जा सकता है क्योंकि हममें से अनेक बेरोजगार हो जाएंगे। यही वजह है कि इस पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी ने कहा है कि–

"तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है।
भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वाले,
भूख इंसान को गद्दार बना देती है।"

हम लोग नौजवानों से अपेक्षा करते हैं कि वह देशभक्त हों, चरित्रवान हों, ईमानदार हों, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब रहने के लिए छत होती है, पहनने को कपड़े होते हैं और खाने को भोजन होता है तब देशभक्ति याद आती है, तब साहित्य, कला और संस्कृति याद आती है, लेकिन जब खाने को अन्न के दाने नहीं होते तो एक ही चीज़ दिखाई देती है और वह होती है भूख भूख भूख। यह भूख पैदा करती है चंबल के बीहड़ में दुर्दांत दस्युओं को, यह भूख पैदा करती है हाथ में ए के–47 हाथ में लेने वाले आतंकवादियों और माफिया सरगनाओं को।

उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं बेरोज़गारी पर बहस कर रहा हूं। लगातार सात घंटे से यह चर्चा चल रही है। देश कुछ वर्षों के बाद 21वीं सदी में प्रवेश करेगा लेकिन जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे, तब इस देश के 10 करोड़ नौजवानों के 20 करोड़ हाथ रोज़गार मांगेंगे और उनकी सूनी और उदास आंखे, उनके पेट पर पड़े हाथ और उनके पिचके हुए गाल उनकी बेरोज़गारी की कहानी कहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद हमने अपनी प्राथमिकताएं क्या तय की। हमने हमेशा हर मामले में पश्चिम का अंधानुकरण किया। चाहे वह शिक्षा नीति हो, कृषि नीति हो या उद्योग नीति हो, अपने यहां से ऐसा कुछ है जिस पर चलकर हम अपने देश को दिशा दे सकते हैं? यहां हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज एक बड़ी समस्या पैदा हुई है। शिक्षा में वही नीति लागू है जो लॉर्ड मैकाले ने काले अंग्रेज देश में पैदा करने के लिए बनायी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मैकाले की शिक्षा हमारे देश में लोगों के मस्तिष्क और चिन्तन को प्रभावित कर रही होगी।

यहां रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात हम करते हैं। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग जैसे कई कमीशन हमने बैठाए लेकिन आज तक रोज़गारोन्मुखी शिक्षा हम नहीं दे सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि कई सरकारें आई और चली गईं।

अपराह्न 6.00 बजे

(**श्री चित्त बसु** पीठासीन हुए)

माननीय सभापति जी, हमने यह कहा कि काम के अधिकार को, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करेंगे। अनेकों बार यह बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बारे में विचार करेंगे। नौजवान को काम उसकी योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिया जाए. जब तक इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक यह बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। महात्मा गांधी का रामराज्य, ग्राम स्वराज्य का सपना था। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज गांव की क्या हालत है। 25-30 साल पहले गांव एक स्वालम्बी इकाई थे। एक गांव में अनेक लोगों को रोजगार मिलता था। लोहार, बढ़ई, सुनार सभी को रोजगार मिलता था। गांव में एक तेली होता था, जो शुद्ध तेल निकालकर पूरे गांव की आवश्यकता पूरी करता था। गांव में मोची जूते-चप्पल बनाता था। इस प्रकार एक गांव में अनेक कारीगरों को रोजगार मिलता था, काम मिलता था, धंधा मिलता था।...(**व्यवधान**)

अपराह्न 6.02 बजे

[**अनुवाद**]

आधे घंटे की चर्चा

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, यह साढ़े तीन बजे नहीं लगभग 4 बजे शुरु हुआ था। आप मेरी बात मानिए, नहीं तो इसको रिकार्ड से चैक कर लीजिए। (**व्यवधान**)

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, समय मिलना चाहिए।

[**अनुवाद**]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : कल हमारे अनुरोध करने पर वह आज इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई हैं। हमें उनके आभारी होना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, यह सरकारी रुप में अपराह्न 3.30 बजे ही शुरु की गई थी।

श्री पी. आर. दासमुंशी : प्रधान मंत्री जी ने उस समय हस्तक्षेप किया था और अंत में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया था।

श्री पी. एम. सईद : मेरा निवेदन यह है कि हमने सरकारी रूप से अपराह्न 3.30 बजे चर्चा शुरु की थी। इसमें लगभग 10 मिनट की देरी हुई थी। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : यह चर्चा 10 मिनट देर से नहीं शुरु हुई थी।

[**हिन्दी**]

महोदय, पूरा समय मिलना चाहिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : इस पर ढाई घंटे की पूरी चर्चा होनी चाहिए...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : उन्होंने मांग की है कि यह चर्चा 6 बजे की जानी चाहिए।

श्री पी. आर. दासमुंशी : उन्होंने कल हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया था। हमें उनका आभारी होना चाहिए।

[**हिन्दी**]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो यातायात है, चाहे सड़क का हो या रेल का हो, कोई भी यातायात हो, यह देश के विकास का पैमाना होता है। सुगम यातायात विकासशील देश का द्योतक है। वैसे तो किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर कोई देश सम्पन्न है तो वह अपनी रोड्स के कारण संपन्न है। यदि रोड्स ठीक हैं तो देश संपन्न है। यह जो वाक्य कहा गया है-

[**अनुवाद**]

यह एक अच्छी सड़क है इसलिए नहीं कि देश सम्पन्न है। लेकिन यह एक अच्छी सड़क है इसीलिए यह देश सम्पन्न है।

[**हिन्दी**]

यह जो कहावत है अगर इसी दृष्टिकोण से हम हिंदुस्तान की बात देखें तो हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। जब हम पूरे हिन्दुस्तान की बात करते हैं तो पूरे देश में केवल 2 प्रतिशत नेशनल हाईवेज हैं और यदि इस दो प्रतिशत की लम्बाई देखें तो पूरे हिन्दुस्तान में केवल 34291 कि.मी. है। इसमें यदि हम यातायात की दृष्टि से देखें तो पूर्ण ट्रांसपोर्टेशन इसी से चलता है और इसका 70 प्रतिशत भार ये सड़कें उठाती हैं। लेकिन 70 प्रतिशत

भार उठाने के बाद सड़कों की क्या दशा है वह तो बाद में देखी जायेगी। लेकिन आज हम देखते हैं इतना कम प्रतिशत हमारे यहां राष्ट्रीय राजमार्गों का है जो कि संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ती हैं। जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के वाहन चलते हैं और वे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल की ढुलाई करते हैं, साधन पहुंचाते हैं। लेकिन यदि सड़के नहीं हैं तो साधन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। अब यदि साधन नहीं जा सकते तो देश साधन-संपन्न कैसे हो सकता है। फिर हम यह कहेंगे कि जाने के लिए रास्ते ही नहीं हैं, इसलिए सामान नहीं जा सकता, यदि सामान नहीं जा सकता तो देश संपन्न नहीं हो सकता। यह समीकरण सतत् चलता रहेगा। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि हमारा देश सम्पूर्ण अंतराष्ट्रीय स्तर पर कंपीटीशन में आ जाए। इसलिए बड़े-बड़े उद्योग खोलने की बातें होती हैं। लेकिन यह सब बातें करते समय हम ध्यान ही नहीं देते हैं आज हमारे देश में सड़कों की क्या हालत है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। वही स्थिति आज हर प्रदेश की है चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। मैं एक उदाहरण केवल इसलिए देना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश, जिस प्रकार उसका नाम है उसी प्रकार वह मध्य में स्थित है यानी करीब सात राज्यों से यह जुड़ा हुआ है और किसी भी राज्य में जाना हो तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जिस प्रदेश की हो, तो बाकी की क्या होगी। यह उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रही हूं कि उस प्रदेश की क्या स्थिति है।

इतने बड़े देश में अब हम नेशनल हाईवेज की लम्बाई की बात लेते हैं जो प्रति वर्ग कि.मी. पर केवल 0.7 इतनी ही कई सालों से नेशनल हाईवेज की लम्बाई है। यह केवल मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण देकर सम्पूर्ण देश का चित्र खींचना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश की गत कई सालों से यह स्थिति है। 8 रोड्स हैं, उन 8 रोड्स के लिए मांग होती रही है कि इन्हें नेशनल हाईवेज घोषित किया जाए। ये रोड्स, अगर हम लिस्ट देखें तो लिस्ट में समझ में आ जाते हैं कि जहां-जहां ऐसे साधन हैं, जहां-जहां खनिज हैं, उस खनिज को लाने, ले जाने की भी वहां बहुत बातें होती हैं। कोई ऐसा पर्यटन केन्द्र है जो देश की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जिससे हमें विदेशी धन अर्जित होता रहता है। हो सकता है और भी ज्यादा वह मार्ग भी इसमें जोड़े गये हैं। कई इस प्रदेश के ऐसे औद्योगिक भाग हैं उनको दूसरे प्रदेशों से जोड़ने के बात की गई है। तो यह जो 8 मार्गों की जो लिस्ट है जिसमें ग्वालियर, झांसी, खजुराहों और रीवा हैं, ये भी पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। नागपुर, ओबेदुल्लागंज, भोपाल ये भी देखें दो प्रदेशों को जोड़ने की दृष्टि से और बीच में जो खनिज वाला हिस्सा पड़ता है, वह भी महत्त्वपूर्ण है।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : हमारा भी इसमें पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपका भी आता है इसलिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन मैं देश की दृष्टि से इसको महत्त्वपूर्ण मान रही हूं। इसी प्रकार से राजामुंदरी, जगदलपुर, बस्तर वाला जो हिस्सा है या जहां-जहां भी खनिज है और यह खनिज संपदा इस देश के विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण संपदा है। इस प्रकार से अलग-अलग 8 प्रस्ताव कई सालों से दिये जा रहे हैं लेकिन मान्य नहीं होते हैं। अभी-अभी मंत्री महोदय ने बीच में किसी प्रश्न का उत्तर दिया था तब यह कहा था कि तीन साल में हमने नेशनल हाईवेज की लैंथ 240 किलोमीटर बढ़ाई है, वास्तव में यह हास्यास्पद बात है। तीन साल में हम इस देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई इतनी ही बढ़ा सके हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं भी बता रही हूं कि 8 मार्गो की डिमांड हमारी सालों-साल से मध्य प्रदेश में चल रही है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है, हर प्रदेश में वही स्थिति है। लेकिन मांग पूरी नहीं होती है और उत्तर एक ही आता है कि पैसे नहीं हैं। उस दिन भी हम सभी लोग प्रश्न पूछ रहे थे तो उत्तर था कि पैसे नहीं हैं और पैसे नहीं हैं इसलिए रख-रखाव नहीं हो सकता है। हमारी रख-रखाव की कल्पना भी क्या है। अभी जैसा मैंने कहा कि 34291 कि.मी. रोड्स की लम्बाई है, उसके लिए हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है, मैं अभी श्री शिवराज सिंह जी के साथ हिसाब लगा रही थी, जो कि 284 करोड़ रुपये हैं। अब इस पैसे से क्या मेंटीनेंस होगा। एक कि.मी. पर न जाने दो हजार या ढाई हजार भी शायद पड़ता है कि नहीं? इस प्रकार यह हमारी मेंटीनेंस की आज स्थिति है। जब हम कई ऐसे बड़े-बड़े नेशनल हाईवेज का नाम लेते हैं तो पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार इन सबको लेते हुए नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं। वनांचल की भी यहां बातें होती हैं, आदिवासी इलाकों के औद्योगिक विकास की बातें होती हैं। नार्थ-ईस्ट एरिया में जो एन.एच-31 हाईवे है, उस रोड़ के जरिए मिलियन एंड मिलियन टन सामान उस एरिया में सप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर आप उस रोड की हालत देखें, उसकी स्थिति आज से नहीं, हमेशा से बहुत खराब है क्योंकि इसकी मेंटनेंस के लिए पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता। वही हालत ग्रांड ट्रंक रोड की है। वैसे तो हम शेरशाह सूरी या चन्द्रगुप्त रोड उसे नाम देते हैं, बड़े-बड़े लोगों के नाम से उन रोड्स को संबद्ध किया जाता है लेकिन आज अगर आप बिहार से गुजरें तो उन रोड्स की हालत क्या है। कटक-भुवनेश्वर नेशनल हाईवे नं. 5 की स्थिति भी ऐसी ही है। इस रोड पर दृष्टि जाना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नुकसान भी कई प्रकार का होता है। इस रोड की खराब स्थिति के कारण सामान ढुलाई का नुकसान तो होता ही है उसके कारण हमारे देश की सम्पन्नता पर फर्क पड़ता है, देश के विकास पर असर पड़ता है। रोड्स हमारे देश के विकास का बेसिक स्ट्रक्चर हैं इसलिए यह रोड महत्त्वपूर्ण है। कटक-भुवनेश्वर रोड मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि उस रोड की हालत एक समय

इतनी खराब थी जिसके कारण हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, जस्टिस पटनायक उस रोड पर एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए।

रोड्स की मेन्टेनैंस के लिये इस बार बजट में जो प्रावधान रखा गया है, वह बहुत ही नगण्य है। आप देखें कि कुल बजट का कितने प्रतिशत भाग रोड्स की मेन्टेनैंस के लिए रखा गया है–0.6 परसेंट...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। नियमों के अनुसार आपको संक्षेप में अपना वक्तव्य देना है और केवल कुछ विशिष्ट प्रश्न ही पूछिए। कृपया नियमों को याद रखिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : ठीक है, मैं प्रश्न ही रखती हूं मगर सभापति जी, हाफ-एन-ऑवर रखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उस दिन माननीय मंत्री जी ने हर प्रश्न के उत्तर में यही कहा कि बजट एलोकेशन नहीं है – मंत्री जी क्या मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं – आपने कहा था कि बजट एलोकेशन नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप मानते हैं तो मैं आपके सामने एक सजैशन भी रखती हूं क्योंकि हमने कभी इस विषय पर सोचा नहीं है, गवर्नमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है।

एक मेरा निवेदन यह है कि हमने सड़कों की लम्बाई बढ़ाने के बारे में कुछ बात की थी, लेकिन हमने क्या कोई प्रोपोजल रखा, क्या इस दृष्टि से क्या कभी विचार किया? जब हम देश के विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि नेशनल हाईवेज की लम्बाई बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोड्स बजट में सम्मिलित होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देश में बढ़ सके क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, आवागमन के साधन सुलभ हो जाते हैं, जिससे देश के विकास में महत्त्वपूर्ण मदद मिलती है- क्या हमने कभी इस दृष्टि से सोचा है, क्या हमने इसके लिए कोई योजना बनाई है?

दूसरी बात यह है कि हमने कुछ समय पहले नेशनल रोड्स सेफटी कौंसिल की स्थापना की थी। स्थापना के बाद, उसकी जो पहली रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें इस समस्या का कोई सर्वमान्य समाधानकारक परिणाम नहीं निकता है। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि रोड्स खराब होती हैं, इसलिए एक्सीडैंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमने कौन से उपाय किए हैं? पैट्रोलिंग की बात भी हमने की थी, लेकिन पैट्रोलिंग के लिए कौन से स्टेशन हमने बनाए? उसके लिए वास्तव में ट्राउमा सैंटर्स बनने चाहिए क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है, उसमें जवान लोग सबसे ज्यादा मरते हैं। क्या इस दृष्टि से कभी सोचा गया?

तीसरी बात यह कहना चाहूंगी कि जब रोड्स के प्राइवेटाईजेशन की बात की जाती है, इस संबंध में मेरा इतना ही सुझाव है कि कुछ हद तक तो प्राइवेटाइजेशन ठीक है, लेकिन हमारे यहां जब सड़कों पर होकर गुजरना पड़ता है, अगर हम केवल नेशनल हाईवेज की ही बात करें, कई छोटे-छोटे गांव उसके आसपास बसे होते हैं, उन पर कई प्रकार के व्हीकल्स चलते हैं, अगर हम पूरे रोड का प्राइवेटाईजेशन करने की सोंचे, कुछ कर लगाएं, या सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स लगाने की सोंचे, जिसे मैं ठीक नहीं मानती हूं, उसके स्थान पर क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सोच सकते कि जितनी उस रोड पर पुल-पुलिया हैं, जितने बाईपास शहरों के बाहर से गुजरते हैं, उनके प्राइवेटाईजेशन की बात की जाए।

चौथी बात यह है कि क्या हमने कभी ऐसा सोचा है, कोई योजना बनाई है, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। हमारे यहां बम्बई-आगरा राजमार्ग पर इन्दौर-देवास के बीच 1983 में एक योजना बाईपास की बनी थी और उस समय 32 करोड़ की वह योजना थी। फिर चार लेनिंग का विचार है, डामरीकरण की जगह सीमेंटीकरण होगा। इसलिए 32 करोड़ का 1983 का प्राक्कलन 1996 में बढ़कर 105 करोड़ रुपए का हो गया। इसलिए मेरा पूछना मंत्री महोदय से यह है कि जो प्रकरण लंबित हैं, क्या उन के विषय में जल्दी डिसीजन लेकर कुछ करने की सोच रहे हैं?

बार-बार पैसा नहीं है, यह बात कही जाती है। मेरा कहना यह है कि जो पेट्रोल, डीजल की खपत होती है, उस खपत का कुछ हिस्सा, पांच या दस प्रतिशत, यातायात पर, इनके मार्गों के रख-रखाव पर खर्च करने के लिए क्या सरकार सोच रही है? यदि ऐसा किया जाएगा, तो हम सब इसका सपोर्ट करेंगे। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार पेश करने जा रही है? इस प्रकार से यदि पेट्रोल और डीजल की खपत का कुछ अंश हम अपने यातायात के मार्गों पर खर्च कर सकें, तो यह बहुत अच्छा होगा। यह हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक बात है।

सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि यातायात की अच्छी सुविधाएं होना और नैशनल हाइवेज बनाना देश की संपत्ति बढ़ाने का मौलिक साधन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है? यह बात को हमें प्लानिंग कमीशन से भी कहनी है कि प्लानिंग कमीशन वातानुकूलित रूम में बैठकर जिस प्रकार से अच्छे प्लान में कटौती करता है, वह न करे और सही मायने में सड़क पर आ कर योजना पर विचार करें?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें चार अन्य नाम हैं। मैं माननीय सदस्यों को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे विचार से नियम का पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, पं. जवाहर लाल ने एक बार कहा था कि सड़कों और रेलों के बिना गति ही नहीं, विकास भी संभव नहीं है और सड़कें तथा रेलें राष्ट्र की वे धमनियां हैं जिनमें विकास का रक्त बहता है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए जैसा आपने आदेश दिया है उसके अनुसार में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार ने रेलों के विकास के लिए यूनीगेज सिस्टम बनाकर रेलवे लाइनों के विस्तार करने की योजना बनाई है, तो उसकी तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के बनाने की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? मेरे इसी प्रश्न का भाग ''ख'' यह है कि अभी मान्यवर देश में लगभग 34 हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन अभी जो प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों के केन्द्रीय सरकार के पास आए हैं उनके अनुसार लगभग 38 हजार कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रखरखाव होना है और उसके लिए 320 अरब रुपए की आवश्यकता है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या देश में और विशेषकर राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्रफल के प्रदेशों की दृष्टि से और अविकसित और पिछड़े राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव तथा निर्माण तथा बढ़ते हुए यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ऐसे पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता देगी?

सभापति महोदय, मेरे इसी प्रश्न का भाग ''ग'' यह है कि दिल्ली में मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, जिसका राजस्थान में अधिकांश हिस्सा है और उसमें भी खासकर दिल्ली और अजमेर के बीच में, जिसके लिए सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया था कि उसे चार लाइनों में बदला जाएगा, क्योंकि बस और ट्रक बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहे हैं और निरन्तर दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसको चार लाइनों में बदलने के प्रस्ताव को कब तक मूर्त रुप दिया जाएगा और सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की वृद्धि करने के लिए क्या कोई वृहद् योजना बनाई है?

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, हमने भी इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया है और हमारा नाम लिस्ट में भी है।

सभापति महोदय : यदि आपका नाम है, तो हम आपको अवश्य बोलने का समय देंगे। इसका जो सिस्टम है हम उसके अनुसार चल रहे हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं किन्तु सड़कों के बारे में हमने विचार करना छोड़ दिया है, ऐसा लगता है। आप राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करते थे, सुपर नेशनल हाईवे के बारे में बात करते थे। हम बातें तो बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं किन्तु उसे पूरा करने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किया। उसमें बार-बार व्यवधान होते रहे। जब-जब पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े, उसका कुछ निश्चित हिस्सा सड़कें बनाने के काम में आये, ऐसा भी हमने विचार किया किन्तु उस प्रकार का पैसा नहीं मिलने के कारण ये बातें नहीं हुई और जहां हर देश 10 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर, जो गाड़ियां उस पर चलती हैं उनकी मैनटेनैंस, जो अधिक तेल खर्च किया जाता है, उसके कारण खर्च हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि नये राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्ताव सब प्रदेशों से आये हैं उसमें मध्य प्रदेश का भी प्रस्ताव आया है और उसने 30 हजार करोड़ रुपये मांगा है। सब प्रदेशों से जो प्रस्ताव आये हुए हैं, उसके लिए नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की दृष्टि से कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस धनराशि की आवश्यकता को पारित करने के लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं? इतना ही मैं पूछ रहा हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, जब इस प्रश्न के ऊपर सदन में चर्चा हो रही थी तो जो महत्वपूर्ण विषय उठाया गया था, उस विषय को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उसके ऊपर सत्ता दल की ओर से माननीय मंत्री जी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था। 13 मई 1988 को सैंट्रल रोड फंड के संदर्भ में जो सर्वसम्मत संकल्प पारित हुआ था। ऐसा लगता है कि आठ वर्ष बीतने के बाद भी उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। किन राज्यों ने उसको सम्मान दिया? किन राज्यों ने इसका पालन किया? इस विषय की जानकारी माननीय मंत्री जी के द्वारा उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस विषय में सरकार की क्या राय है और माननीय मंत्री जी इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग को निजी क्षेत्र में दिये जाने की कोई योजना है? यदि हां तो उसके ऊपर पुल या बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव है? इसका क्रियान्वयन कब तक होगा? तीसरा, उत्तर प्रदेश जो इस देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बतायें तो राजस्थान में सड़कों की लम्बाई उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में सड़कों की लम्बाई इससे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सड़कों की लम्बाई इससे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों है? उत्तर प्रदेश के कितने प्रस्ताव आपके पास लंबित हैं और उसका अंतिम निस्तारण कब तक होगा?

सभापति जी, मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है और बरेली के ऊपर बाईपास प्रस्ताव बहुत दिनों से लंबित है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि

बाईपास जल्दी बनाये। इसके ऊपर आप कुछ सुझाव या निर्देश दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति जी, जिस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। उसकी पृष्ठभूमि सुमित्रा जी ने बहुत बढ़िया तरह से रखी। उन्होंने जितने तथ्य दिये, लगभग उतने ही तथ्य मैंने भी इस तरह से किये थे लेकिन एक बिन्दु मेरे दिमाग में जो आता है। मैं अपनी पीड़ा भी बताना चाहता हूं क्योंकि मैं बिहार राज्य से आता हूं और मेरा जो पैत्रिक गांव है, वह पटना से 70 किलोमीटर दूर है। पटना कैपीटल से 70 किलोमीटर दूर की यात्रा करने के लिए केवल एक बस चलती है, जो प्रखंड मुख्यालय है। उस बस सर्विस का नाम डे सर्विस है। आज भी बिहार जैसे प्रांत में 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस का नाम है वन डे सर्विस। यानि एक बार 70 किलोमीटर आप जाओ और 70 किलोमीटर में एक बार आओ। हिन्दुस्तान के नक्शे पर राजपथ की बात पर प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के संरचनात्मक विषयों में, संरचना में और विकास में सड़कों और यातायात की क्या पृष्ठभूमि है और कितना महत्व है, इस बात का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता लेकिन जब तक किसी राज्य में संरचनात्मक धारायें मजबूत नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगी तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता जिसमें बिहार पूरी तरह से उपेक्षित है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पथों के निर्माण किस तरह से राजनीति से प्रेरित रहते हैं। राष्ट्रीय पथों का मतलब राष्ट्र को जोड़ने वाले पथ होता है। किस परिस्थिति में कुछ राज्यो में सड़कों की दूरी अधिक स्वीकृत हो जाती है और कुछ राज्यों में कम स्वीकृत हो जाती है। जैसे मैं बताना चाहूंगा और उस पर सरकार का उत्तर भी चाहूंगा कि 1993-94 में आंध्र प्रदेश को 5,216 किलोमीटर दिया गया और बिहार में उस वर्ष 3000 किलोमीटर की स्वीकृति हुई थी। लेकिन 1994-95 में 1252 किलोमीटर आंध्र प्रदेश को और बिहार को 221 किलोमीटर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति से प्रेरित होकर भी सरकार दूरी तय करती है कि किस राज्य में कितनी दूरी स्वीकृति हो? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। राज्य सभा में स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष श्री प्रमोद महाजन थे, उसकी रिपोर्ट और नेशनल हाईवे में उन्होंने 16 अनुशंसाएं की। उनमें मुख्य रुप से जो बातें हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : 16 पाइंट बताने की जरूरत नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन 16 बिन्दुओं के कार्यान्वयन में पिछले दो वर्षों में इस सरकार ने और आपके मंत्रालय ने कितनी प्रगति की है? तमाम समस्याएं उस प्रतिवेदन में अंकित हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रगति की है। जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सभी कठिनाइयां उसमें अंकित है।...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में पांच आदमी मारे गए हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रूल बुक में जो है, यह उसके आधार पर होता है।...**(व्यवधान)** पहले आप रूल बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटारामन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने जो कुछ भी वर्तमान स्थिति के बारे में कहा है सही है। परन्तु इसके साथ ही...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, यह विधेयक के पारित होने से पूर्व की स्थिति है। मैं नहीं जानता कि विधेयक के पारित होने के बाद क्या होगा। वे हमसे स्थान खाली करने के लिए कह रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी को इस पर उत्तर देने की अनुमति दीजिए।

श्री टी. जी. वेंकटारामन : महोदय, मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात् 1947 से अब तक हुई प्रगति को ध्यान में न रखते हुए कहा है। वर्ष 1947 में हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 21,440 किलोमीटर थी। वर्ष 1996 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई बढ़कर 34,298 किलोमीटर हो गई है। अतः, 12,859 किलोमीटर की वृद्धि की गई है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह कार्य 50 वर्षों में किया गया है।

श्री टी. जी. वेंकटारामनः महोदया, यह बात ठीक है। आपने कुछ कहा और मुझे आपको संतुष्ट करना है। मुझे यह पता लगाना है कि यह कैसे हुआ है। तीन महीने के समय के अन्दर मैं जादू नहीं कर सकता। कृपया मेरी बात मानिए...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उनको इसका उत्तर देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछे हैं, उन्हें अब उत्तर देना है। आप उनके उत्तर से सहमत नहीं होंगे परन्तु उन्हें देना है।

श्री टी. जी. वेंकटारामन: महोदया, क्या मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं?

सभापति महोदय: जी हां।

श्री टी. जी. वेंकटारामन: महोदया, माननीय सदस्यों ने निजीकरण के संबंध में बहुत सी बातें कहीं पूछी है और मैं भी यह चाहता हूं कि इसमें सुधार हो। हम निजीकरण की नीति के अनुरुप प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में 1995 में संशोधन किया गया था। निजीकरण की नीति के अनुसार कोई भी गैर-सरकारी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है और...(**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इसमें कितना निवेश किया गया है?

श्री टी. जी. वेंकटारामन: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं हर प्रश्न का थोड़ा-थोड़ा उत्तर नहीं दे सकता।

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : नाराज मत होईए।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं। घोषित किए गए वित्तीय लाभ इस प्रकार है: पांच वर्षों तक पूर्ण रुप से कर में छूट और अगले पांच वर्षों में 30 प्रतिशत की छूट, बी ओ टी प्रक्रिया का मानकीकरण, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण लागत का वहन किया जाना, जनोपयोगी सेवाओं में परिवर्तन और पर्यावरणीय मुकद्मेबाजी संबंधी व्यय और बाजार से और वाह्य वित्तपोषण एजेंसियों से और अधिक निधियां प्राप्त करने के लिए इस पूंजी को उद्देश्यपूर्ण साधन में लगाने हेतु एन.एच.ए.आई. के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करना। बजट में हमें 200 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की गई है। हमें इस पूंजी को उद्देश्यपूर्ण साधनों के माध्यम से निवेश हेतु सस्ती दरों पर धन प्राप्त करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास वित्त निगम (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन) का सृजन करके भी सात से आठ गुना तक बढ़ाना है। यही नीति है जिसमें हम मानकों को उन्नत बनाने और सड़क क्षेत्र को दी गई अल्पराशि में करके इसका अनुसरण कर रहे हैं।

अपराहन 6.32 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्यों ने बी ओ टी परियोजनाओं में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहा है। कुछ बी ओ टी परियोजाओं को अंतिम रुप दिया जा चुका है। जिन परियोजनाओं में थोड़ी प्रगति हुई है वे हैं महाराष्ट्र में 17 करोड़ रु. की लागत वाली थाणे-बिमंडी बाई पास सं. 3 और सं. 4, राजस्थान में 24 करोड़ रु. की लागत की एन एच 8 उदयपुर बाई पास और गुजरात में 10 करोड़ रु. की लागत की एन एच 8 हेल्टन रोड ओवर ब्रिज (उपरि पुल)। इन सभी परियोजनाओं में कम प्रगति हुई है। वे परियोजनाएं जिस पर कार्य किया जाना है-कर्नाटक में 40 करोड़ रु. की लागत की हुबली धारवाड़ बाई पास, आंध्र प्रदेश में 80 करोड़ रु. की लागत की नेल्लोर बाई पास, तमिलनाडु में 80 करोड़ रु. की लागत का कोयम्बटूर बाई-पास, गुजरात में 45 करोड़ रु. की लागत का दूसरा नर्मदा पुल, पश्चिम बंगाल में 400 करोड़ रु. की लागत का विवेकानंद पुल और महाराष्ट्र में 350 करोड़ रु. की लागत का रीवेल बाई पास...(**व्यवधान**) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रु. का प्रावधान था जिसमें 12 करोड़ रु. का व्यय भी शामिल है...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रान्त है। उत्तर प्रदेश कहां गया? उत्तर प्रदेश इस देश का दिल है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।...(**व्यवधान**)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री महोदय से सवाल क्या पूछा गया है और जवाब क्या दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मंत्री जी ने एक भी सवाल का उपयुक्त उत्तर नहीं दिया। इतना महत्त्वपूर्ण विषय था और आपने इस विषय को ध्यान में रखकर हाफ एन ऑवर डिस्कशन स्वीकृत किया और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी के द्वारा कोई उपयुक्त समाधान या जानकारी नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि वे समुचित रुप से उत्तर नहीं दे रहे हैं जबकि उनका भाषण अभी जारी है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : हमारा कहना है कि वह कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ बात को कहिए। आपको कुछ कहना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से आगरा कलकत्ता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी हालत देखिये, क्या हो रही है। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में एक तो बात कह देते। कुछ तो आपको कहना चाहिए।...(**व्यवधान**)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वे कैसे बोलेंगे।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि मूलत: उसमें सड़क के लिए निधियां प्रदान की गई थी। 18.6.77 के प्रस्ताव जिसमें 3.5 पैसे प्रति लीटर का प्रावधान किया गया था और उसी के माध्यम से हम राज्यों को निधियां प्रदान कर रहे हैं...(**व्यवधान**)

श्री राजीव प्रताप रूडी : हमने वार्षिक रिपोर्ट में यह पढ़ा है।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आपको प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? जब मैं कोई जानकारी दे रहा होता हूं, तो कृपया मेरी बात सुन लिया करें...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : जो हमने पूछा है, उसका उत्तर दो न। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी. जी. वेंकटरामन : एक दूसरा प्रस्ताव था। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : जी हां, महोदय। 13.7.1988 को पारित संसद के दोनों प्रस्तावों के द्वारा उन्होंने प्रस्ताव किया था कि सड़क निधि हेतु 5 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल प्रदान किया जाये। ...(**व्यवधान**) यह सब क्या है? यदि आप जानते हैं तो कृपया इस स्थान पर आइये, मैं चला जाउंगा...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को तंग नहीं करें।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : इसलिए यह कार्यान्वित नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी. जी. वेंकटरामन : केवल कहने से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। (**व्यवधान**) यह कार्यान्वित नहीं हुआ था...(**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में लिखता रहा हूं। आप जानते हैं कि मैंने केवल तीन माह पूर्व कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व इसका उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ है। परन्तु बाद में एक बार अध्यक्ष ने इसे उठाया और बताया कि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है और इसका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए तथा इसके पर आधे घंटे की चर्चा अवश्य होनी चाहिए और जब तक मुझे मंत्रिमंडल से टिप्पण मिले मुझे रिपोर्ट देनी चाहिए। तत्पश्चात् जो कुछ भी हुआ, सारी बातें उसमें शामिल कर दी है तथा इस निधि की अनिवार्यता तथा आवश्यकता की बात भी शामिल कर दी है। यहां की भांति राज्य सभा में आधे घंटे की चर्चा हो रही है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं और इस निधि के संबंध में अपाकी जो धारणा और राय है, उन्हें भेज रहा हूं। यदि यह धनराशि प्रदान की जाती है, तो इसमें हर वर्ष 2000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, इससे मैं सभी नहीं तो कम से कम कुछ राज्यों को संतुष्ट कर सकूंगा। इसके कार्यान्वयन हेतु आप सभी को मेरी मदद करनी पड़ेगी। परन्तु यह कार्यान्वित नहीं हो रहा है और इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं इस संबंध में अनुरोध कर रहा हूं। आप लोगों की ओर से इस संबंध में मंत्रिमंडल को टिप्पण भेज रहा हूं जो बहुत आवश्यक है। बजट में जो धनराशि प्रदान की गई है वह बहुत थोड़ी है। अत: केन्द्रीय सड़क निधि हमें दी जानी चाहिए। मैं सरकार पर यह जोर डालूंगा कि उपकर प्रदान किया जाय। मैं आपकी भावनाएं भी समझता हूं। मैं और अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना भी कर रहा हूं।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मिलना चाहिए।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी. जी. वेंकटरामन : यह सब क्या है? मैं सभा को यह बता रहा हूं कि यह प्रस्ताव है और कार्यान्वयन भी है। ...(**व्यवधान**) आपकी ओर से, मैं सरकार पर यह जोर दे रहा हूं कि सड़क विकास हेतु वित्तीय कमी से राहत पाने हेतु पांच प्रतिशत उपकर से काफी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : मैं केवल एक पंक्ति का प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। यहां पर लेंथ आफ हाइवे के बारे में चर्चा हुई है, यह बहुत जरूरी है। ये इन्फ्रास्ट्रक्चरल बातें हैं, कहीं पर दिया गया है, कहीं पर नहीं दिया। जैसे बिहार के बारे में काफी बात हुई।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस चर्चा को दुबारा शुरु नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मुझे पूरी बात तो कहने दो।...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, बिल को पारित कराएं। आपने साढ़े छः बजे का कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक साढ़े छः बजे आया हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब तो पौने सात बज रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग-दिल्ली) : इसमें काफी विलम्ब हो गया है, अब और देरी न करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब बोलना चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है।

अपराह्न 6.40 बजे

[अनुवाद]

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक छोटी-सी घोषणा करनी है। मैंने सभा को यह सूचित करना है कि लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभा के शेष कार्यकाल के लिये सभापति तालिका में मनोनीत किया है (1) श्री बसुदेव आचार्य, (2) श्री चित्त बसु, (3) श्री पी.सी. चाक्को, (4) श्री नीतीश कुमार, (5) श्रीमती गीता मुखर्जी, (6) श्री पी.एम. सईद, (7) कर्नल राम राव सिंह और (8) प्रो. रीता वर्मा।

अपराह्न 6.41 बजे

[अनुवाद]

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेदों 330क और 332क का अन्त:स्थापन)

अध्यक्ष महोदय : अब हम लोग इस विधेयक के विषय में क्या करें?

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग-दिल्ली) : बिना किसी विलम्ब के, मतदान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): अब हम चर्चा आरम्भ करें। महोदय, आपने कहा है कि हम कुछ समय के लिए इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। श्री नीतीश कुमार बोल रहे थे। अत: हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और फिर मंत्री जी जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : कल एक ऐसा संदेश गया जिसके चलते विश्व में भारत प्रगतिशील देश की उपाधि हासिल कर सकता था। लेकिन इस समय जो दृश्य उपस्थित हो रहा है, कल से जिस तरह से उतार-चढ़ाव इस बिल में देखने में आए हैं, बिल में चर्चा में जिन आयामों को छू लिया, यकीन मानिए हमें बहुत दु:ख हुआ। लगता है हिन्दुस्तान की सारी महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। कल इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी गईं कि बिना चर्चा के बिल पारित होगा, प्रश्न काल स्थगित करके भी बिल पारित होगा, आज साढ़े छः बजे का समय आया, आज सदन में क्या दृश्य है, चार घंटे की चर्चा हो चुकी है ...**(व्यवधान)** हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। ...**(व्यवधान)** आप रिप्लाई कराएं और वोटिंग कराएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी का भाषण सुनने दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी दलों से एक से अधिक सदस्य बोल चुके हैं। जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है, उसमें जो भी समस्याएं हो सकती थीं वे कार्यवाही वृतान्त में शामिल की जा चुकी है अब इस विधेयक के पारित होने का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री जी कहां हैं?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : यह काम करने का कोई ढंग नहीं है। सभा को व्यवस्थित होने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें सरकार की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : विधि मंत्री सदन में नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : आप सुनते क्यों नहीं हैं? वह आ रहे हैं। वह दूसरे सदन में हैं।...**(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, अब यह केवल महिला सदस्यों का प्रश्न नहीं रहा।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : इस समय लॉ मिनिस्टर का यहां नहीं रहना, लॉ मिनिस्टर की मानसिकता को दर्शाता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : दूसरे सदन में भी कार्यवाही चल रही है।...**(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाक्को : वे इसे कैसे निपटाने जा रहे हैं, इस प्रकार ? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक-एक घन्टा करके कल सुबह से शुरु हुआ बिल आज शाम हो गयी और सात बज गए, और पास नहीं हो पाया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लिया गया था कि इक्यासीवां (संविधान संशोधन) विधेयक पर शाम 6.30 बजे फिर से चर्चा होगी। विधि मंत्री को यहां होना चाहिए था।

...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, वे दूसरे सदन में हैं। मैंने उनके पास संदेश पहले ही भेज दिया है। वह आ रहे होंगे। वह कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। ...**(व्यवधान)** दूसरे सदन में भी कार्यवाही चल रही है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक मंत्रीजी आते हैं। मैं इस विषय पर आपके विचार जानना चाहता हूं।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, इमचा जी, आप बोलें।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी है। उनकी एक विशेष समस्या है। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार हैं। मैं आपको भी अवसर दूंगा। मैं आपको समय दूंगा।

श्री इमचा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस सभा की महिला सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर उत्तेजित न हों। हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, जिन्हें मैं समझता हूं, उन्हें सुनना चाहिये।

महोदय, वास्तव में कल मैं प्रश्नकाल के बाद जब इस सभा में आया तो मैं यह जानकर चकित रह गया कि इस संशोधन पर मतदान कराया जाने वाला था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वर्तमान संशोधन को इस सभा द्वारा इसी रुप में पारित किया जाता है तो इसका सारे देश पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु यदि इसे इस रुप में पारित किया जाता है, तो इससे कई समस्याएं पैदा हो जायेंगी। अतः इसके बारे में, मैं एक-दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतीराज और नगरपालिका विधेयकों में भी नागालैंड को छोड़ दिया गया है क्योंकि यह अनुच्छेद 371 (क) में निहित उपबन्ध की भावना के विपरीत है। इससे उस भावना का अतिक्रमण होता है, इसीलिए इन दो अधिनियमों अथवा इस तरह के अन्य अधिनियमों में हमें छोड़ दिया गया है। अतः, यदि आप इस विधेयक को इसी रुप में पारित करते हैं तो इससे संविधान द्वारा प्रदत्त हमारी सुस्थापित सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप होगा। इससे हमारे राज्य में कई समस्याएं पैदा हो जायेंगी। यही कारण है कि, इन्हें कुछ विशेष संरक्षण दिए बिना मेरे लिए इस विधेयक का समर्थन करना कठिन होगा।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं तथा उनके परम्परागत कानून को देखते हुए ये सभी बातें अनुच्छेद 371 (क) में संरक्षित हैं इसे इस तरह पारित नहीं किया जाना चाहिये। इसी समस्या के कारण नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम नागालैंड में लागू नहीं होते। इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है अथवा इस पर विचार नहीं किया गया है। महोदय, यह एक बात है जिस पर इस विधेयक का समर्थन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।

दूसरी बात, वहां पर एक विचित्र स्थिति है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसे महिलाओं को स्वीकार करना है। यह अधिक महत्त्वपूण है। हमें अपने नगर-निकायों के लिए उम्मीदवार मिलने में भी कठिनाई हो रही है। **(व्यवधान)**

डा. गिरिजा व्यास : महोदय, यह बात सच नहीं है। **(व्यवधान)**

कुमारी शैलजा (सिरसा) : यह बात सही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री इमचा : महोदय, यदि आप 33.33 प्रतिशत अर्थात् एक तिहाई आरक्षण समान रुप से लागू करते हैं, तो हमें अपनी 60

सदस्यों की विधान सभा में ये 20 उम्मीदवार कहां से मिलेंगे। हमारे नगर निकायों में भी हमें कठनाइयां हो रही हैं। हमारा समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां नेतृत्व का अभाव होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे नेतृत्व का अभाव पैदा हो जायेगा। लोकतन्त्र में नेतृत्व का अभाव पैदा करने के अधिक खतरनाक बात और कुछ नहीं है। ऐसा केवल हमारे मामले में ही नहीं है। मैंने इस मामले पर असम के नेताओं के साथ चर्चा की है। यही समस्या असम, मेघालय, मणिपुर और यहां तक कि बिहार के कुछ भागों में भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु, मेरे विचार में हमें कुछ समय इस पर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिए कि इसे व्यवहार्य कैसे बनाया जाये।

हमें ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं करना चाहिये, जिससे समस्यायें विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे नाजुक क्षेत्रों में, पैदा हो जायें। महोदय, इसीलिए मैं आपसे और माननीय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय, हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। कृपया ऐसी और समस्याएं पैदा न करें।...(**व्यवधान**)। हमारे पास काफी समस्याएं हैं। इसीलिए, जैसा कि मैंने पहले अनुरोध किया है कि यदि आप इस विधेयक को पारित करना चाहते हं तो कृपया हमें छोड़ दीजिये। (**व्यवधान**)

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि महिलाएं नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

(**व्यवधान**)

श्री इमचा : कृपया यह मत सोचिए कि दिल्ली ही भारत है, यह मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश ही भारत है, और यह भी मत सोचिए कि कर्नाटक ही भारत है, (**व्यवधान**) हमारे पास ऐसे क्षेत्रों के लोग भी हैं जो इसी देश के भू-भाग हैं। हमें उनका भी ध्यान रखना है। इसीलिए, यदि आप इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं, तो आपको हमें इसके क्षेत्राधिकार के बाहर छोड़ना होगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड़) : यह संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। यह मैंन डोमिनैंस की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की बात कही है। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा। अब मैं श्री नीतीश कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंततोगत्वा आपने मुझको बोलने का समय दिया। कल मैं इस सदन में मौजूद नहीं था लेकिन सदन की कार्याही को देखने और पढ़ने का मौका मुझे मिला। समाचार पत्रों में कल की बहस पर रिपोर्ट भी पढ़ी और सदस्यों से भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मैं इसीलिए बोलना चाहता था क्योंकि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और संसद एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। इस अवसर पर मेरे मन में जो विचार हैं मैं उन्हों रखना चाहता था और एक सदस्य के नाते यह अधिकार है कि जो बातें मन में हों उसको आप रखें। इस नाते मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

जहां तक महिलाओं के अधिकारों का सवाल है तो लम्बे काल से अपने अधिकारों के लिए महिला ही नहीं लड़ी हैं बल्कि पुरुष भी उनके अधिकारों के लिए लड़े हैं और दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े हैं। यह सवाल महिला बनाम पुरुषों का नहीं है। महिलाओं को उनके अधिकार देने ही होंगे और अगर पुरुष समाज उन्हें अधिकार देने में कोताही करेगा तो वे ये हक लेकर रहेंगी। लोकतंत्र में उनको दबाकर नहीं रखा जा सकता है। अभी जो सवाल यहां पर आया है और जिस रुप में यह विधेयक रखा गया है तथा विधेयक की जो स्थिति है, उसके कानूनी पक्ष की ओर हम नहीं जाना चाहते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसमें ड्रॉफ्टिंग गलतियां हो सकती हैं। लेकिन उसके पीछे एक भावना है कि महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षित किया जाए। हालांकि इस विधेयक में राज्य सभा और विधान परिषद् छूटी हुई है। अभी तक महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और अन्य नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सका है। यह सब महिलाओं का अधिकार सब जगह मिलना चाहिये। मैं अब दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं। इसके कारण और उद्देश्य में जो बात कही गयी है उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्थान आरक्षित किये गये हैं उसी प्रकार संसद और विधानसभाओं में बढ़ाने के लिये कर रहे हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये संविधान में संशोधन किया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि ओ.बी.सी. के लिये भी होगा और इसका मामला विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया। मैं सलेक्ट कमेटी में एक सक्रिय सदस्य के रुप में भाग ले चुका हूं। लेकिन आज स्थिति क्या है? प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा कि यह कानून बन गया, विधेयक में संशोधन हो गया और राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया गया कि ओ.बी.सी. के लिये आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या आज सारे राज्यों में स्थान आरक्षित हो गये? लेकिन पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ...(**व्यवधान**)....ये लोग बार बार बात

बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... हमें इस बात पर बोलने के लिये रोक रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. की क्या स्थिति है, पश्चिमी बंगाल में।

श्री बासुदेव आचार्य : चुनाव के पहले हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : चुनाव हो गया है, लेकिन ओ.बी.सी. को पंचायत में नये सिरे से जब चुनाव होगा, तब लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिये अहमियत देते हैं। हमारे मन में उनके लिये पीड़ा और दर्द है। यह बिल महिलाओं के लिये आ रहा है और इसमें सर्वसम्मति है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि क्या ओ.बी.सी. महिलाओं ने कोई अपराध किया है ...(**व्यवधान**)... आप जात-पांत की कोई बात मत करें। मंडल कमीशन लागू किया गया जिसे सब को स्वीकार करना पड़ा ...(**व्यवधान**)... सी.पी.आई. तो मान रही थी लेकिन सी.पी.एम. वाले विरोधी रहे हैं...(**व्यवधान**)... अब सब ने स्वीकार किया कि मंडल आयोग को लागू किया है और फिर सब को स्वीकार करना पड़ रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी जबान को बंद नहीं कर सकते हैं और न ही बोलने से मना कर सकते हैं। आप जितनी टोका-टोकी करें, मैं अपनी बात कहकर रहूंगा ...(**व्यवधान**)... यह कोई मतलब नहीं है। मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है। जब आप बोलेंगे तो अपनी बात कहियेगा। लेकिन जो पिछड़े वर्ग का दर्द है और जो मंडल आयोग लागू हुआ है तो किस प्रकार इस देश में सभी आदमी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा। आज महिलाओं का बिल आया है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरी मांग है कि बाकी इसमें जो मुद्दे हैं उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और उनको एक तिहाई रिज़र्वेशन मिलना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ ओ.बी.सी. महिलाओं के लिये भी होना चाहिये। यह बात नहीं चल सकती है कि जैसा कहा गया है एस.सी.एस.टी. के लिए आरक्षित है।

अध्यक्ष महोदय, हर रोज एस.सी. की सूची में नयी जाति का नाम शामिल हो जाता है। जाति का नाम एस.सी. की सूची में शामिल हो जाये, इसलिये लोग आवाज उठाते रहते हैं। एस.टी. में जाति का नाम शामिल करने के लिये आवाज उठाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या बढ़ने के बाद इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। उनके लिये संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार आबादी के अनुरुप ही आरक्षित किया गया। जैसे आबादी बढ़ेगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उनके स्थान आगे बढ़ेंगें और जब महिलाओं के लिये रिज़र्वेशन होगा तो उसकी समझदारी हैं।

अपराह्न 7.00 बजे

यह आरक्षण होरिजेण्टल होगा। वर्टिकल आरक्षण होता है एस.सी. तथा एस.टी. का। यह वर्टिकल आरक्षण है। उसी तरह से हमारी मांग है कि पिछड़े वर्गों के लिए वर्टिकल आरक्षण आप दे दीजिए। इसके बाद होरिजेण्टल आरक्षण महिलाओं के लिए लाइए और एक तिहाई सीट्स रिज़र्व कर दीजिए और यह होना चाहिए। इससे कौन इंकार कर सकता है? इस अधिकार को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इस आड़ में आप पिछड़े वर्ग के लोगों को कहिए कि आप अपने वर्ग की वकालत न करें और कह दें कि आप इस बिल के खिलाफ हैं तो यह गलत संदेश देने की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि कल से देश और दुनिया को एक संकेत और संदेश मिल गया है और आज अगर कुछ नहीं होगा तो उल्टा संदेश चला जाएगा। यह मध्यम वर्ग का वेल्यू सिस्टम है। उच्च मध्यम वर्ग का यह वैल्यू सिस्टम है। यह संकेत और संदेश की राजनीति में करना चाहते हैं। ये वास्तव में महिलाओं की सेवा नहीं करना चाहते लेकिन एक संकेत देना चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। कब होगा? यह हाउस का टर्म 2001 में खत्म होने वाला है और 2001 में चुनाव होंगे। कोई नहीं जानता कि मिड टर्म पोल होगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहां बैठे हैं और हममें से कल कोई न रहे यह अलग बात है, लेकिन आज हम सदस्य हैं तो अगले पांच साल के बारे में सोचेंगे। यह लोक सभा पांच साल के लिए चुनकर आई है। हमें जो आईडेण्टिटी कार्ड मिला है, वह 2001 तक की कुछ तारीख के लिए मिला है। पांच साल बाद चुनाव होगा और पांच साल बाद महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। आज पार्लियामेंट डिजोल्व नहीं हो रही है कि आज हम इसको पारित नहीं करेंगे तो महिलाएं अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी। इस पर हल्के-फुल्के ढंग से बात नहीं होनी चाहिए और सदन में यह दृश्य उपस्थित नहीं होना चाहिए जैसे यह सिर्फ महिला सदस्यों का सवाल है। यह पुरुषों का भी सवाल है। जो लोग मेल सोवरनिज्म के खिलाफ हैं, वे इसका समर्थन करेंगे और हम रेकार्ड पर कहना चाहेंगे कि हम सब मेल सोवरनिज़्म के खिलाफ हैं। महिलाओं के हित उनको दिलाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी ख्याल करें। ऐसा नहीं हो कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया, जनरल कैटागरी में महिलाएं आ गई और पिछड़े वर्ग की महिलाएं पिछड़ जाएं। मुझे माफ कीजिए एक बात पर, कि अगर एक आदमी को एक वोट का जो अधिकार लोकतंत्र के जरिये मिला है, उसके चलते धीरे-धीरे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उनका प्रतिनिधित्व संसद और विधान सभाओं में बढ़ता जा रहा है। कल अगर एक आदमी को एक वोट का अधिकार नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी आज संसद में मौजूद नहीं होता। आज देवगौड़ा जैसा व्यक्ति प्रधान मंत्री नहीं होता। आज बहुतेरे लोग जो यहां बैठे हैं, वैसे लोग नहीं होते। श्री सूरज भान जी आज यहां नहीं बैठे होते।

लेकिन यह अवेयरनेंस आई है, जागृति आई है, एक चेतना आई है। एक वोट के चलते यह चेतना आई है। इस वोट के अधिकार ने हमें जो ऊपर की ओर पहुंचाया है, उसके चलते सदन का कंपोजीशन देख लीजिए। सदन का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको देख लीजिए। सोशसल कंपोज़ीशन का अध्ययन कर लीजिए। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि एक तरफ इतने संघर्ष के बाद जो सोशल कंपोज़ीशन यहां पैदा हुआ है, यह पिछले दरवाजे से बदल दिया जाए। अगर इस प्रकार का कोई संकेत और संदेश जाएगा तो हम लोगों के मन को भी पीड़ा होगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के मन को भी पीड़ा होगी। इसलिए इसमें भी गंभीरतापूर्वक विचार की जरूरत है। यह अधिकार इनको मिलना चाहिए। इसके लिए कोई आसमान धरती पर टूटकर नहीं आ जाएगा। जब कुछ दिनों बाद यह लागू होने वाला है तो इस पर ठीक ढंग से चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के क्रम में आज तक का जो नारी-उत्पीड़न का इतिहास है, उसको रेकार्ड पर लाना चाहिए। क्यों नारियों को यह अधिकार मिलना चाहिये ये सारी बातें आनी चाहिएं। क्योंकि कोई इतिहास पढ़ने वाला जब इस पर रिसर्च करेगा तो सारी बातें उसको नहीं मिलेंगी लेकिन संसद का रेकार्ड उनको मिलेगा। सेन्ट्रल अमेम्बली में जो बहस हुई, कांस्टीट्युएंट असेम्बली में जो बहस हुई, उसको हम रोज़ यहां उद्धृत करते हैं। कल अगर कोई चाहेगा तो यहां पर इसको उद्धृत कर सकेगा, इसलिए रेकार्ड पर सारी बातें आनी चाहिए। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इस पर अगर 10-20 घंटे या दो-चार दिन की चर्चा हो जाएगी तो नारियों को अधिकार दिलाने के मामले में यह बड़ा योगदान होगा। दुनिया को भी एक संकेत मिलेगा। जिस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में दिया गया है, इसके हिसाब से पंचायत और शहरी निकायों में जो आरक्षण दिया गया है, उसी का यह ऐक्सटेंशन है। तो जो. पंचायत और शहरी निकायों में और चीजें दी गई हैं, उनको भी इसमें ला दीजिए। पंचायत और शहरी निकाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो करे। उसी प्रकार से यह तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। हमारे सामने कांस्टीट्यूशन अमैंडमेंट का सवाल है, जिसे हमें सदन में तय करना पड़ेगा। इसलिए जो ओ.बी.सी. के लोग हैं, उन्हें भी आप आरक्षण दे दीजिए। अब हम किस बात पर बहस कर रहे हैं, कितने दिनों तक यह बहस चलती रहेगी और कितने दिनों तक लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व सबको दे दीजिए, इस संसद में जैसे एस.सी.एस.टी. के लिए प्रतिनिधित्व है उसी तरह आप ओ.बी.सी. को भी आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व दे दीजिए। एस.सी.एस.टी. को अभी आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व नही है, पहले था। हमारा कंसैप्ट यही है इन्हें आबदी के अनुरुप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब चूंकि उनकी संख्या बढ़ गई है, उसी तरह अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को भी आबादी के मुताबिक संसद में, विधान सभाओं में, विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दे दीजिए। अगर विधान सभा में और लोक सभा में ही यह आरक्षण होगा, राज्य सभा में और विधान परिषदों में नहीं होगा, उसमें कौन लोग जाएंगे, वहां एस.सी.एस.टी. के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है, वहां भी आरक्षण आप कीजिए। एस.सी.एस.टी. के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिये, सभी को आप अपर हाउस में आरक्षण दें। इस बिल में ही ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए।

ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें इस बिल में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए या तो संसद समवेत रुप से बहस करे या इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी यहां उठकर कहें कि आज जिस रुप में यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है, जो बातें यहां उठाई गई हैं, उन्हें शामिल करके, एक कम्प्रिहैंसिव बिल सदन में लायेंगे। उसके लिए संसद का स्पेशल सैशन बुलाएंगे। यू.पी. के चुनावों आदि से निपटने के बाद, विंटर सैशन से पहले या कोई स्पैशल सैशन बुलाकर इन सारी बातों को आप रखिए। जिस रुप में आज यह विधेयक है, जितनी इस पर यहां चर्चा हुई है, उसमें हम लोगों के विचार भी हैं, उन्हें शामिल करके एक जाइंट सलैक्ट कमेटी को इसे सुपुर्द कर दीजिए और एक महीना, दो महीना, 15 दिन, जो भी समय आप निर्धारित करें, उस समय में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उसकी सिफारिशों के मुताबिक आप एक प्रौपर बिल वर्तमान बिल को अमैंड करके या काम्प्रिहैंसिव रुप से यहां लाईए। वह बिल एक मील स्तम्भ का काम करेगा।

इस प्रकार से, किसी जल्दबाजी में अगर हम कोई काम करते हैं, उसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा और वह कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होगा। कहीं यह बिल गिर न जाए या मजाक का विषय न बन जाए, चूंकि यह संविधान संशोधन बिल है, क्या उसके लिये सदन में स्पेशल मैजोरिटी है - जरा नजरें उठाकर देख लीजिए। यदि इसे सदन में वोटिंग के लिए पुट कर दें और यह गिर जाए तो सारी दुनिया में क्या संकेत और संदेश जाएगा कि हमने महिलाओं के आरक्षण का बिल संसद में पेश किया और वह गिर गिया। इसलिए हम आग्रह करेंगे, हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं, कहीं यह बिल गिर न जाए, इसके लिये या तो सरकार अपनी तरफ से सुधार करके कोई काम्प्रिहैंन्सिव बिल लाए और इस बीच में इसे और परिमार्जित करने के लिए और बहस करने के लिए, एक जाइंट सलैक्ट कमेटी को सौंप दें और अगले सत्र में या विशेष अधिवेशन बुलकार, फिर इसे सदन में रखा जाए, यही मुझे आपसे निवेदन करना है। आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद समाप्त नहीं कर रहा हूं। एक सुझाव आया था। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी अथवा नहीं। मैंने वाद-विवाद समाप्त नहीं किया है। मेरी इच्छा यही है कि जो सुझाव आया है उस पर मंत्रीजी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम लोग भी इस बहस में भाग लेना चाहते हैं। दो मिनट में हम अपने विचार रख देंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मैं भी एक सजेशन देना चाहता हूं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए सुझाव इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए अथवा यदि सभा की राय हो तो इस पर व्यापक विधेयक लाया जाए - किसी भी रुप में स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इसे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। हम सभी इस पर विचार विमर्श करें और एक निर्णय लेकर सभा के समक्ष आयें। और यदि आवश्यक हुआ और सभी लोग सहमत हों और प्रवर समिति इसे सर्वसम्मति से पारित कर देती है तो एक विशेष सत्र बुलाने में हमें कोई एतराज नहीं होगा।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इतनी सारी बहस के बाद, विभिन्न वार्ताएं होने के बाद, इतनी लम्बी बहस अभी नहीं होना चाहिए। कल से लेकर आज तक हमें आपका पूरा सहयोग मिला और पूरे विश्व ने यह देखा कि भारत की संसद के स्पीकर ने किस तरह महिलाओं का पक्ष लिया। मैं सभी महिलाओं की तरफ से, आपसे रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि आने वाले समय में हमें जो अधिकार मिलेंगे, उस संबंध में आप पूरी तरह से चैतन्य हैं, इसलिए हम इस विषय में आपकी रुलिंग चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कल सभा की ऐतिहासिक सर्वसम्मिती को देखकर हम लोग अत्यधिक हर्षोल्लासित थे। दुर्भाग्यवश, आज हमने देखा कि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर प्रश्न चिह्न लगा है। वाद-विवाद के दौरान चर्चा के दौरान यहां तक की सभा के बाहर भी काफी विचार-विमर्श करने के पश्चात् जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया वह अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रधानमंत्रीजी ने स्वत: मुझे कहा है कि कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अन्य पिछड़े वर्गों के इस मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि हमने कल इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया था और तत्पश्चात् इसका सभा में मतदान किया जा सकता है, लेकिन अनेक संसद सदस्यों ने आज इसके लिए पर्याप्त समय आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर अपना विचार व्यक्त करने दिया जाए। माननीय सदस्यों को बोलने और विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए क्योंकि यह एक ऐसा विधान है जिसके तहत महिलाओं को 33.33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना है। ऐसा आरक्षण करने वाला हमारा देश सबसे पहला देश होगा यह एक ऐतिहासिक कार्य है। माननीय सदस्य श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने सुबह नियम 362 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए हमें युक्तियुक्त विवाद - ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर - का स्मरण कराया था। सदस्यों को युक्तियुक्त विवाद के अधिकार के निर्वाहन का अवसर मिलना चाहिए। मेरे विचार से माननीय सदस्य ने एक बहुत ही वैध मुद्दा उठाया है।

अब भी हम देख रहे हैं कि अनेक सदस्य बोलने के लिए अपने हाथ उठा रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए, विशेषकर जब-जब सरकार सहयोग के लिए तैयार है और बार-बार कह चुकी है - प्रधानमंत्री जी बार-बार कह चुके हैं कि हमने जो कहा है उसका पालन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने अभी-अभी कहा कि सभा जो भी निर्णय करे, वे इससे सहमत हैं। यदि विधेयक को संयुक्त समिति को सौपा जाता है तो इससे सहमत हैं। यदि कोई व्यापक विधेयक लाया जाता है तो वे उससे भी सहमत हैं। यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है तो वे उससे भी सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। जैसा माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार ने उचित ही कहा है कि ठीक है मैं जानता हूं कि निकट भविष्य में विधान सभाओं के चुनाव हो सकते हैं-जो सबसे पहले होने वाले विधान के चुनाव हैं-मैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव... बात नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार से पंजाब में अगले ... आरंभ में विधान सभा के चुनाव होंगे। वही आगामी चुनाव ...

था लोक सभा चुनाव पांच वर्ष बाद होंगे। इसलिए हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज वाद-विवाद को ध्यान से सुनने के बाद मैंने भी महसूस किया है कि इस मामले पर गहन और व्यापक वाद-विवाद किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस विधेयक पर विचार करना स्थगित करता हूं।

माननीय मंत्री जी मेरे पास आपका संयुक्त समिति का प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम संयुक्त समिति का प्रस्ताव तुरंत पेश करते हैं तथा अध्यक्ष को अपनी पसंद के अनुसार इस समिति के सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब प्रश्न यह है कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का उपबंध करने वाले इस विधेयक में अन्य बातें भी हो सकती है जिन पर स्वत: विचार किया जाए किंतु हम इस विधेयक के प्रति वचनबद्ध हैं। महोदय, आप इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हम अक्सर पाते हैं कि ऐसी समितियों का समय कई बार बढ़ाया जाता है। हम चाहते है कि एक समयबद्ध संयुक्त समिति बनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उससे सहमत हूं। मेरा निदेश है कि हमने निर्णय किया है कि अध्यक्ष द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा और यह विधेयक शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस पर प्रतिवेदन देने के लिए उस संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। यही मेरा अंतिम विनिर्णय है।

(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय कृपया सुनिश्चित कीजिये कि संयुक्त समिति में भी महिलाओं को वही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जैसा कि इस विधेयक में दिया गया है।

[**हिन्दी**]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह क्यों नहीं हो सकता कि यह बिल पारित हो जाये। ...(**व्यवधान**) यह क्यों नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**) यह जिस रुप में आया है, वैसे ही पास हो जाये और जो इश्यु उठाये गये हैं, उसके बारे में कोई कमेटी बनायें। ...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह कहीं बैटर प्रपोजल है। ...(**व्यवधान**) हमारे नेता कह चुके हैं, तमाम लोग कह चुके हैं, सी.पी.एल. के नेता कह चुके हैं। ...(**व्यवधान**) वह कहीं बैटर प्रपोजल है। ...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्तुत किया गया है और स्वीकृत किया गया है। अन्तिम निर्णय लिया गया है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, कोई प्रक्रियात्मक मुद्दा उठाने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने कहा था कि जो भी प्रस्ताव व्यवहार्यात्मक हो तथा जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, हम उसका साथ देंगे। मैं प्रक्रियात्मक मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। पर जब आप इसे संयुक्त समिति कहते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि आप अन्य सदन का भी उल्लेख कर रहे हैं। सभा के संयुक्त समिति का गठन, केवल लोक सभा के ही क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि यह दोनों सदनों की समिति बन जाती है और इसलिए, यह केवल इस सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं है कि इस बात का अनुमान लगाए कि अन्य सदन क्या कहने वाला है। यदि केवल यही प्रस्ताव हो कि एक प्रवर समिति का गठन किया जाय, तब निस्सन्देह, यह सदन निर्णय ले सकता है। परन्तु यदि यह संयुक्त समिति हो तो यह एक तरह से आपके द्वारा की जा रही सिफारिश है और इसलिए अन्य सदन भी इसमें शामिल होता है। मैं प्रक्रियात्मक मामला नहीं उठा रहा हूं। अन्यथा, हमें और कोई कठिनाई होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। मंत्री महोदय, क्या आप प्रवर समिति का गठन चाहते है अथवा संयुक्त समिति का?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, जसवन्त सिंह जी सही कह रहे हैं। संयुक्त समिति के मामले में दोनों सदनों की सहमति जरुरी होगी।

[**हिन्दी**]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आप अपने बाद मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, आपकी बात मान ली गयी है, यह तो आपकी विक्ट्री है।

[**अनुवाद**]

श्री श्रीकान्त जेना : इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आपके स्तर और राज्य सभा के सभापति के स्तर पर यह मामला सुलझा दिया जा सकता है। यह एक संयुक्त समिति हो सकती है और यदि

संयुक्त समिति न हो तो यह एक प्रवर समिति हो सकती है। वही बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्य सभा के सभापति से संपर्क करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। मैं महिला सदस्यों को यही आश्वासन दे सकता हूं कि उनके लिए $33^1/_3$ प्रतिशत आरक्षण के सिद्धान्त का पालन इस संयुक्त समिति के गठन में किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समिति का प्रतिवेदन शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री रुपचंद पाल (हुगली) : महोदय, इस समिति का गठन कब तक कर लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : इस बात को आप मुझ पर छोड़िये। उस बारे में मैं अभी कैसे कह सकता हूं? मैं सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

अब माननीय सदस्यगण **वन्देमातरम** के लिए खड़े हो जाएं।

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 7.17 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चिकाल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.-48/5/30/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।